मुख्य लेखापरीक्षक की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

Annual Audit Report of the Chief Auditor For the year ended March 2018

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL



मुख्य लेखापरीक्षक की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए Annual Audit Report of the Chief Auditor For the year ended on 31st March 2018

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	
विहंगावलोकन	v
अध्याय-1 : परिषद् की वित्तीय अवस्था - आय व्ययक कागजातों का विश्लेषण	1
अध्याय-2 : परिषद् के वार्षिक लेखो पर लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण	27
अध्याय-3 : वार्षिक लेखा और स्थानीय लेखा परीक्षा रिर्पोटों की निरंतर जांच एवं कार्यवाही	47
अध्याय-4 : नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के संग्रह और उपचार पर विषयगत लेखा परीक्ष	ण 51
अध्याय-5 : निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन पर लेखा परीक्षा	75
अध्याय-6 : वास्तुकार विभाग में आंतरिक नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर विषयगत रिपोर्ट	89
अध्याय-7 : स्टैंडअलोन ऑडिट पैराग्राफ	115
7.1 वाणिज्यिक विभाग – नियत प्रभार और पावर गुणक के गलत दर लागू करने के कारण ₹ 6,93,660/– के राजस्व की हानि ।	
अनुलग्नक	
• लेखा परीक्षा के उदाहरण पर वसूली - र 4.68 करोड़ ।	117
• प्रतीक्षारत अभिलेख/जानकारी ॥	118
 महीने के लिए वजन के अंतर को इंगित करने वाला वक्तव्य दिसंबर-2014 (खाली वाहन) 	123
 सिविल विभाग (एनडीएमसी) द्वारा दिए गए विकल्पों का तुलनात्मक लागत विश्लेषण 	127
• वजन के अंतर का संकेत देने वाला वक्तव्य (खाली वाहन) V	128
• रिकॉर्ड/जानकारी चाहते है VI	129

CONTENTS

	Page No.
PREFACE	lv
OVERVIEW	vi
CHAPTER-1 : Financial Position of the Council – an analysis of the Budget Document	ts 2
CHAPTER-2 : Audit Comments on the Annual Accounts of the Council	28
CHAPTER-3 : Follow up on Annual Audit Reports & Local Audit Reports	48
CHAPTER-4 : Audit on Collection and Treatment of Municipal Solid Waste	52
CHAPTER-5 : Audit on Construction and Demolition Waste Management	76
CHAPTER-6 : Thematic Audit of Internal Control in the Architect Department	90
CHAPTER-7 : STANDALONE AUDIT PARAGRAPH	116
7.1 Commercial Department – Loss of revenue amounting to ₹6,93,660/- due to wrong application of fixed charge and Power Factor.	
ANNEXURES	
Recovery at the instance of audit – ₹4.68 Crore	I 117
Waiting records/information	II 118
Statement indicating the difference of weight for the month of December-2014 (empty vehicle)	III 123
Comparative cost analysis of the options given by the Civil Department (NDMC)	IV 127
Statement indicating the difference of weight (Empty Vehicle)	V 128
Wanting records/information	VI 129

प्राक्कथन

31 मार्च 2018 के समाप्त वर्ष के लिए यह वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 59 की उप-धारा 17 के संदर्भ में परिषद को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2017-18 के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वित्तीय खातों पर ऑडिट टिप्पणियाँ और नगरपालिका अपविष्ट के संग्रह और उपचार की ऑडिट, वाणिज्यिक विभाग पर एक स्टैंडअलोन ऑडिट पैराग्राफ के साथ आर्किटेक्ट विभाग में आंतरिक नियन्व्रण पर विषयगत ऑडिट की रिपोर्ट शामिल है, जो वर्ष 2018-19 के परीक्षण ऑडिट के दौरान ध्यान में आया। वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहॉ आवश्यक है, शामिल किया गया है।

PREFACE

his Annual Audit Report for the year ended 31st March 2018 has been prepared for submission to the Council in terms of sub-section 17 of Section 59 of the NDMC Act, 1994.

The Report contains Audit comments on the Financial Accounts of the New Delhi Municipal Council for the year 2017-18 and reports on Audit of Collection and Treatment of Municipal solid waste Management, Audit of Construction and Demolition Waste Management, Thematic audit on Internal Controls in Architect Department along with a stand alone audit paragraph on Commercial Department. The matters relating to the period subsequent to 2017-18 have also been included, wherever necessary.

विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट में वर्ष 2017-18 के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की वित्तीय स्थिति पर एक अध्याय, वर्ष 2017-18 के लिए परिषद के वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर एक अध्याय, पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह और उपचार व निर्माण और विध्वंश अपशिष्ट प्रवन्धन की ऑडिट पर दो अध्याय एवं वास्तुकार विभाग में आन्तरिक नियन्द्रण की थिमेटिक ऑडिट की रिपोर्ट का एक अध्याय शामिल हैं। इनके अतिरिक्त पावर गुणक लागू न करने और विद्युत के नियत प्रभार के गलत लागू करने के कारण हानि को सम्बोधित करने से सम्बन्धित एक अध्याय शामिल है।

परिषव की वित्तीय स्थिति - आय व्यय वस्तावेजों का विश्लेषण (अध्याय-1)

4.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल वास्तविक प्राप्तियां (राजस्व और पूंजीगत) वर्ष 2016-17 में ₹3465.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹3622.30 करोड़ हो गई । अन्य बातों के साथ ₹3622.30 करोड़ की प्राप्तियों में ₹784.29 करोड़ का राजस्व कर, ₹2246.51 करोड़ का गैर कर राजस्व. राजस्व अनुदान, ₹97.92 करोड़ की सब्सिडी ओर योगदान शामिल थे। 4.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2016-17 में ₹3053.20 करोड़ से बढ़कर व्यय ₹3186.15 हो गया । अन्य विषयों के साथ ₹3186.15 करोड़ व्यय में ₹1105.11 करोड़ प्रचालन और रखरखाव व्यय, ₹1271.86 करोड़ का स्थापना व्यय, ₹112.05 करोड़ का प्रशासनिक व्यय शामिल था । [प्रख संख्या 1 पर अध्याय 1(सी) का अनुच्छेद]

स्पष्ट रूप से वर्ष 2017-18 में राजस्व वृद्धि की दर व्यय वृद्धि की दर से अधिक थी।

वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ (अध्याय-2)

- वर्ष 2017-18 के लिए परिषद के खातों पर प्रमुख लेखा परीक्षा अवलोकन/टिप्पणियां इसप्रकार हैं:-
- (क) वेयताएं
- भविष्य निधि और उस पर की गई निवेश परिसंपत्तियों के आधार पर र821.17 करोड़ की देयता को बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा पीएफ ट्रस्ट व्यवस्था नहीं की गयी थी।
- [अनुच्छेद 4.1.1 (I)(A)(a) पृष्ठ संख्या 29] ii) कर्मचारियों को देय पेंशन के प्रति पूर्ण देयता प्रदान नहीं करना। इसके अलावा, पेंशन के लिए अलग फंड नहीं बनाया गया है। [अनुच्छेद 4.1.1 (I)(B) पृष्ठ संख्या 31]

(ख) अचल सम्पत्तियाँ

- i) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस (सीएब्ल्यूआईपी) को 2004-05 के बाद से अचल सम्पत्तियों में परिवर्तित नहीं किया जा रहा था, हालांकि सीएब्ल्यूआईपी से परिवर्तित अचल सम्पत्तियों का उपयोग किया गया था। परिणाम स्वरूप र2188.76 करोड़ की सीएब्ल्यूआईपी (अ) अधिकार और उपयोग में अचल सम्पत्तियों (ब) अचल सम्पत्तियों पर लगाये गये मूल्यहास और (स) व्यय से अधिक आय के अधिशेष का एक विकृत तस्वीर प्रस्तुत की गई। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षण के दौरान यह मामला उठाया गया था लेकिन की गई कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित है।
- ii) ₹5317.94 करोड के निवेश को वित्तीय विवरणों में दर्शया गया है, जिसमें 2014-15 में परिपक्व हुए ₹5.40 करोड़ की राशि शामिल है लेकिन फिर भी निवेश के रूप में दिखाया गया है। यह मुद्दा 2016-17 के दौरान उठाया गया था लेकिन कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। [अनुष्छेद 4.1.2 (V)(e)(II) पृष्ठ संख्या 41]

OVERVIEW

This Report includes one Chapter on the state of finances of the New Delhi Municipal Council for the year 2017-18, one chapter on audit comments on the Financial Accounts of the Council for 2017-18, two chapters containing Audit of Collection and Treatment of Municipal Solid Waste & Construction and Demolition Waste Management and one chapter containing Internal Control in Architect Department. In addition, one chapter comprising of one paragraph dealing with loss due to wrong application of Fixed Charges and non-application of correct power factor is also reported.

FINANCIAL POSITION OF THE COUNCIL-ANALYSIS OF THE BUDGET DOCUMENTS (Chapter - 1)

The total actual receipts (Revenue and Capital) increased from **₹3465.19** crore in 2016-17 to **₹3622.30** crores in 2017-18 registering an increase of 4.53 percent. The receipts of **₹3622.30** crore inter-alia are tax revenue of **₹784.29** crore, non-tax revenue of **₹2246.51** crore, revenue grants, contribution and subsidies of **₹97.92** crore etc. Total expenditure (revenue & capital) increased from **₹3053.20** crore in 2016-17 to **₹3186.15** crore in 2017-18 registering an increase of 4.35 percent. The expenditure of **₹3186.15** crore inter-alia are establishment expenses of **₹1271.86** crore, administrative expenses of **₹112.05** crore and operations & maintenance of **₹1105.11** crore etc. [Paragraph of Chapter 1(C) at Page No.2]

Evidently the rate of growth of receipts was more than the rate of growth of expenditure in 2017-18.

Audit comments on the Annual Accounts (Chapter - 2)

 Major Audit Observations/Comments on the accounts of the Council for the year 2017-18 are as under :-

(a) Liabilities

- Liability of ₹821.17 crore on account of Provident Fund (PF) and investment (assets) made there
 on has been kept off the balance sheet. Further PF trust had not been setup.
- [Paragraph 4.1.1. (I)(A)(a)at Page No. 30]
 ii) Non Providing of full liability towards Pension payable to employees. Further, separate fund for pension not created.
 [Paragraph 4.1.1. (I)(B) at Page No. 32]

(b) Fixed Assets

- i) Capital work-in-progress (CWIP) was not being converted into fixed assets since 2004-05 though the fixed assets converted out of CWIP had been put to use. As a result, CWIP of ₹2188.76 crore as on 31st March 2018 presented a distorted picture of (a) fixed assets in possession and use, (b) amount of depreciation charged on fixed assets and (c) surplus of income over expenditure. The issue was raised during audit of Financial Statements for 2014-15, 2015-16 and 2016-17 but remedial action was awaited. [Paragraph 4.1.2. (I)(A) & (B) at Page No. 34]
- ii) The investment of ₹5317.94 crore as depicted in the Financial Statements erroneously included an amount of ₹5.40 crore matured in 2014-15 but still showing as investment. This point was raised during 2016-17 but no remedial action has been taken.

[Paragraph 4.1.2. (V)(e)(II) at Page No. 42]

(ग) चालू सम्पत्तियाँ

 ऑडिट करने के लिए बैंक सामंजस्य विवरण प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए विभिन्न संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे कि बैंक द्वारा गलत डेबिट, पुराने चेकों का अनाधिकृत भुगतान स्थिति आदि को ऑडिट द्वारा जांच नही की गई। [अनुच्छेद 4.1.2 (V)(A) पृष्ठ संख्या 35 और 37]

 ii) ₹85.66 करोड़ के बुरे और संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं किया गया था इसलिए अधिशेष इतने से अतिश्योक्ति पूंजी था।

iii) निवेश पर अर्जित ब्याज का **१२८.45** करोड़ की गलत गणना की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान यह मामला उठाया गया था लेकिन उपचारात्मक कार्यवाही नही की गई। [अनुच्छेद 4.1.2 (V)(B)(e) पृष्ठ संख्या 39]

(घ) आय

- i) निजी पार्टियों से वसूलनीय सम्पत्ति कर को प्रतिनिधित्व करने वाले र1080.99 करोड़ के राजस्व को उपनियम 2009 के अन्तर्गत दिखाया गया है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायलय के आदेशनुसार उप-नियमों को एनडीएमसी अधिनियमों के अधिकारातीत के रूप में अक्षम कर दिया गया था। [अनुच्छेद 4.1.3 (A) पृष्ठ संख्या 41]
- ii) ₹2.07 करोड़ (3504102) और ₹14.75 करोड (3504103) का क्रेडिट बैलेंस देय नहीं है, लेकिन सिस्टम में ये राशि असमायोजित रहती है।
 [अनुच्छेद 4.1.3 (B) पृष्ठ संख्या 43]

(ड.) व्यय

- i) परिचालन व्यय को ₹59.81 करोड़ से कम दर्शाया गया था क्योंकि परिचालन व्यय की देयता प्रदान नहीं गई थी। [अनुच्छेद 4.1.4 (A) पृष्ठ संख्या 43]
- ii) वर्ष 2017-18 के ₹6.71 करोड़ की राशि के चिकित्सा बिलों को वित्त वर्ष 2017-18 के लेखों में दर्शाया नहीं गया था। [अनुच्छेद 4.1.4 (A)(II) पृष्ठ संख्या 45]

वार्षिक और स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही करना (अध्याय-3)

- 30 नवम्बर 2020 तक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के 143 बकाया पैरों का विवरण। [अनुच्छेद(A) पृष्ठ संख्या 47]
- ii) 30 नवम्बर 2020 तक जारी स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट के 7020 बकाया पैरों का विवरण । [अनुच्छेद(A) पृष्ठ संख्या 49]

नगरपालिका ठोस परशिष्ट के संग्रह और उपचार पर ऑडिट (अध्याय-4)

कई अनुरोधों और अनुस्मारक के बावजूद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने आवश्यक फाइलें जैसे नीतिगत फाइलें, रियायती और स्वतंत्र सलाहाकार के चयन के लिए निविदा प्रक्रिय और कांउसिल की मंजूरी, मॉनिटरिंग और रिव्यू कमेटी की मीटिंग के मिनट्स, फ्लीट डिटेल्स, एमएसडब्ल्यू का ब्योंग, कर्मचारी को जारी की गई सामग्री, लॉग बुक, ओएसआरटी विवरण आदि नहीं दिया जो ऑडिट के दायरे और उद्देश्य को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। ऑडिट निष्कर्षों को ऑडिट को उपलब्ध कराए गए बहुत ही सीमित रिकॉर्ड से निकाला गया था। जो इस प्रकार है :

[अनुब्हेद 4.3 ऑडिट का परिसीमन पृष्ठ संख्या 53]

- > नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह और उपचार हेतु निविदा जारी करने और परियोजना का ठेका देने के लिए परिषद् की गैर-पूर्व स्वीकृति ।
 (अनुच्छेद 4.4.1 प्रछ संख्या 55)
- > रियायत को रियायती समझौते के नियम और शतों का उल्लंघन करते हुए ₹2.61 करोड़ का अनियमित भुगतान करना [अनुच्छेद 4.4 (1) पृष्ठ संख्या 59]
- स्वतंत्र सलाहाकार को काम को अनियमित ठेके के साथ युग्मित रियायत उल्लंघन में रियायती को परियोजना की सुविधा और अनुचित लाभ।
 [अनुच्छेद 4.4.3 पृष्ठ संख्या 57]
- > शून्य अपशिष्ट कालोनियों के लिए प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में विफलता। [अनुच्छेद 4.4.9 पृष्ठ संख्या 69]
- > एमएसडब्ल्यू नियमों के उल्लंधन में नगरपलिका ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा था।

[अनुच्छेद 4.4.8 पृष्ठ संख्या 69] > परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी में कमी । [अनुच्छेद 4.4.10 पृष्ठ संख्या 71]

(c) Current Assets

 Bank reconciliation Statement was not provided to Audit therefore, various potential risk areas like wrong debits by bank, unauthorised payments, status of stale cheques etc. not examined by Audit. [Paragraph 4.1.2. (V)(A) at Page No. 36 & 38]

ii) There was under provision on account of bad & doubtful debts to the tune of ₹85.66 crore which resulted in overstatement of Surplus. [Paragraph 4.1.2. (V) (B) 2 at Page No. 40]

iii) There was miscalculation of interest earned on investment to the tune of ₹28.45 crore. This point was raised during 2016-17 but no remedial action has been taken.

[Paragraph 4.1.2. (V)(B)(e) at Page No. 40]

(d) Income

- Revenue of **₹1080.99** crore representing property tax recoverable from private parties had been recognised under the by-laws-2009. However, the by-laws had been struck down as being ultra vires of the NDMC Act as per High court of Delhi order. [Paragraph 4.1.3. (A) at Page No. 42]
- ii) Credit balance of ₹2.07 crore (3504102) and ₹14.75 crore (3504103) are not payable but in the system these amount remain unadujusted. [Paragraph 4.1.3. (B) at Page No. 44]

(e) Expenditure

- Operating expenses had been understated by ₹59.81 crore as liability of operational expenditure was not provided. [Paragraph 4.1.4. (A) at Page No. 44]
- ii) Medical bills amounting to ₹6.71 crore for the year 2017-18 were not accounted for in FY 2017-18. [Paragraph 4.1.4. (A) (II) at Page No. 46]

Follow up on Annual Audit Report and Local Audit Report (Chapter - 3)

- 1. Detail of 140 outstanding paras of Annual Audit Reports as on 30" November 2020.
- Detail of 7020 outstanding paras of Local Audit Reports issued till 30th November 2020. (Paragraph (A) at Page No. 48)
 Detail of 7020 outstanding paras of Local Audit Reports issued till 30th November 2020.

Audit on Collection and Treatment of Municipal Solid Waste (Chapter - 4)

Despite multiple requests and reminders the Public Health Department did not provide the essential records such as policy files, tendering process for selection of Concessionaire & Independent Consultant and approval of Council, minutes of the meeting of monitoring and review committee, fleet details, details of MSW, material issued to employee, log books, OSRT details etc. which severely restricted the scope and objective of audit. Audit findings were made from the very limited records made available to audit which are as follows:

- [Paragraph 4.3 Audit Constraints at Page No. 54]
 > Non pre approval of Council for floating tender & award of project for collection and treatment of Municipal Solid Waste.
- Irregular payment of ₹2.61 crore was made to the Concessionaire in violation of the terms and conditions of concession agreement.
 [Paragraph 4.4.4(I) at Page No. 60]
- Undue benefit to the Concessionaire by providing project facilities in violation of Concession Agreement coupled with irregular award of work to Independent Consultant.
- > Failed to achieve the commitment for Zero waste colonies.
 [Paragraph 4.4.3 at Page No. 58]
 [Paragraph 4.4.9 at Page No. 70]
- > Municipal Solid Waste was being disposed off in violation of MSW Rules.
- [Paragraph 4.4.8 at Page No. 70]
 > Deficiencies in the implementation and monitoring of the project. [Paragraph 4.4.10 at Page No. 72]

निर्माण और विघ्वंस अपशिष्ट प्रवंधन पर लेखा परीक्षा (अध्याय-5)

> निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए अनुबंध की आउटसोर्सिंग से पहले एनडीएमसी ने सचमुचित लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया था।
[अनुब्हेद 5.2.4 पृष्ठ संख्या 79]

सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अखंडता सौंध को अपनाने में कमी।
[अनुच्छेद 5.2.1 पृष्ठ संख्या 75]

> अपशिष्ट जनरेटर के संबंध में निर्णय लेने में देरी के कारण ₹6.02 करोड़ कर परिहार्य औसत व्यय । [अनुच्छेद 5.2.7 पृष्ठ संख्या 85]

≻ कम निष्पादन सुरक्षा का निर्धारण, लेबर सेस की कटौती में देरी जैसी कमियां। [अनुच्छेद 5.2.2 और 5.2.3 पृष्ठ संख्या 77]

रियायत समझौते के प्रावधानों से विचलन के परिणामस्वरूप वाहन के गुम जीपीएस विवरण, खाली वाहनों के वहन में भिन्नता, कार्यशाला की स्थापना और हेल्प-लाइन के गैर-संचालन इत्यादी से रियायतकर्ता को अनुचित लाभ हुआ। [अनुच्छेद 5.2.5, 5.2.6 और 5.2.8 पृष्ठ संख्या 83, 85 और 87]

वास्तुकार विभाग में आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर विषयगत रिपोर्ट (अध्याय-6)

- > वास्तुकार विभाग द्वारा रिकॉर्ड का प्रस्तुतीकरण नहीं होने के कारण, ऑडिट पूरी तरह से जांच नहीं कर सका कि विभाग प्रभावी रूप से, कुशलतापूर्वक और पारदर्शी रूप से कार्य कर रहा था या नहीं। यह जवाबदेही के प्रति इच्छा की कमी का भी संकेत देता है।
- > वास्तुकार विभाग बुनियादी आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे कि आवेदन/मामलों/अनुरोधों के कालानुक्रमिक प्राप्ती और निपटान तक के बाद की निगरानी के बिना काम कर रहा था।
 [अनुच्छेद 6.2.1 पृष्ठ संख्या 91]
- > मिश्रित उपयोग परिसर के लिए प्राप्त राशि के एस्क्रो खातों का गैर रखरखाव। [अनुच्छेद 6.2.3 पृष्ठ संख्या 97]

> बिना मंजूरी के कर्मचारियों की तैनाती के परिणामस्वरूप ११.10 करोड़ अनियमित व्यय हुआ ।

[अनुच्छेद 6.2.4 पृष्ठ संख्या 99]

> दूरी को मापने में असंगतता, भवन योजना की अनुचित मंजूरी, संपत्ति पर अनुवर्ती की कार्यवाही का पालन न करना, शिकायतों का अनुपालन न करना, पार्किंग शुल्क की गणना में विभिन्न मानदंडों को अपनाना। ऑडिट के दौरान पाया गया कि निमार्ण स्थल पर बिना पूर्णता प्रमाण पत्र आदि के कब्जा इत्यादि।

[अनुच्छेद 6.2.5 से 6.2.14 पृष्ठ संख्या 99 से 111]

वाणिज्यिक विभाग - स्टैंडअलोन ऑडिट पैरा (अध्याय-7)

बिलिंग के तहत निश्चित शुल्क और पावर फैक्टर के गलत लागू करने से कम बिलिंग के कारण १६,93,660/- की राजस्व हानि हुई। [अनुब्हेद 7.1(i) और(ii) पृष्ठ संख्या 115]

Audit on Constuction and Demolition Waste Management (Chapter - 5)

- NDMC did not conduct a proper cost benefit analysis before outsourcing the contract for collection and disposal of Construction & Demolition Waste. [Paragraph 5.2.4 at Page No. 80]
- > Deficiencies in the adoption of Integrity Pact in contravention of CVC guidelines.
- Paragraph 5.2.1 at Page No. 76]
 > Avoidable average expenditure of ₹6.02 crore due to delay in taking decision in respect of waste generator.
 [Paragraph 5.2.7 at Page No. 86]
- Deficiencies such as determination of less Performance Security, delay in deduction of labour cess. [Paragraph 5.2.2&5.2.3 at Page No. 78]
- Deviation from the provisions of the Concession Agreement resulting in undue advantage to the concessionaire such as Missing GPS details of vehicle, variation in the weight of empty vehicles, establishment of the workshop. [Paragraph 5.2.5, 5.2.6 & 5.2.8 at Page No. 84, 86 & 88]

Thematic Report on Audit of Internal Control in the Architect Department (Chapter - 6)

- Due to non production of records by the Architect Department, audit could not fully examine whether the department was functioning effectively, efficiently and transparently. It also indicates a lack of willingness towards accountability. [Paragraph 6.1 at Page No. 90]
- Architect Department was functioning without monitoring the basic internal control mechanism such as chronological entry of application/cases/requests received and their subsequent monitoring till disposal. [Paragraph 6.2.1 at Page No. 92]
- Non maintenance of Escrow Accounts in respect of sum received on account of mixed use premises. [Paragraph 6.2.3 at Page No. 98]
- > Deployment of staff without sanction resulting in irregular expenditure of <1.10 crore.
- [Paragraph 6.2.4 at Page No. 100] > Inconsistencies in measuring the distance, improper sanction of building plan, non adherence of property follow up, non compliance of complaints, adopting different norms in calculation of parking charges. Site occupied without completion certificate etc. were noticed during audit.

[Paragraph 6.2.5 to 6.2.14 at Page No. 100 to 112]

Standalone Audit Paragraph - Commercial Department (Chapter - 7)

Wrong application of fixed charges and power factor resulted in loss of revenue amounting to ₹6,93,660/-

[Paragraph 7.1(i) & (ii) at Page No. 116]

अध्याय-1

परिषद् की वित्तीय स्थिति (अवस्था) - आय व्ययक कागजातों/दस्तावेजों का विश्लेषण

क. प्रस्तावना

यह अध्याय परिषद् के बजट दस्तावेजों में निहित जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) की वित्तिय स्थिति को दर्शाता है।

ख. परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद् के लेखे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994, की धारा 58 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका ने परिषद् के प्रस्ताव सं. 3 (xii) दिनांक 24.04.2002 के द्वारा वर्ष 2004-05 से लेखाओं को लागू उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर शुरू करने का निर्णय लिया। वर्ष 2017-18 के लेखों को एक निजी विक्रेता द्वारा एनडीएमसी के लिए विकसित ई-फाइनेंस नामक सॉफटवेयर के माध्यम से लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर तैयार किया गया था। लेखा तैयार करने का प्रारूप राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली (एन एम ए एम) में निर्धारित किया गया है।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अनुरक्षित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियों तथा व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है।

ग. निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्त्रोतों में परिषद् के राजस्व की प्राप्तियां सम्मिलित हैं :

- वर्ष 2016-17 में परिचालन प्राप्तियां (राजस्व) ₹2996.11 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में
 ₹3128.72 करोड़ हो गई जो 4.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- वर्ष 2016-17 में गैर परिचालन प्राप्तियां (पूंजीगत) र469.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में र493.58 करोड़ हो गई जो 5.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्तियां (राजस्व और पूंजीगत) ₹3465.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹3622.30 करोड़ हो गई। जिसमें 4.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ₹3622.30 करोड़ की प्राप्तियों में ₹784.29 करोड़ राजस्व कर, ₹2344.43 करोड़ गैर कर राजस्व एवं ₹493.58 करोड़ अनुदान राजस्व, योगदान/ सब्सिडी शामिल है।

परिषद् की निधि का मुख्य उपयोग निम्नानुसार था:-

- वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय ₹2808.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹2927.39 करोड़ हो गया जो 4.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वर्ष 2016-17 में पूंजीगत व्यय ₹244.83 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹258.76 करोड़ हो गया जो
 5.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में कुल व्यय (राजस्व व पूंजीगत) ₹3053.20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹3186.15 करोड़ हो गया। जिस में 4.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ₹3186.15 करोड़ के व्यय में ₹1271.86 करोड़ का स्थापना व्यय, ₹112.05 करोड़ का प्रशासनिक व्यय और ₹1105.11 करोड़ का व्यय संचालन और रख-रखाब इत्यादि पर था।

CHAPTER-1

FINANCIAL POSITION OF THE COUNCIL – ANALYSIS OF THE BUDGET DOCUMENTS

A. Introduction

This chapter depicts the financial position of the New Delhi Municipal Council (NDMC), for the year ending 31st March 2018 based on the information contained in the Budget Documents of the Council.

B. Financial position of the Council

The accounts of the Council are prepared as per Section 58 of the NDMC Act, 1994. NDMC decided to switch over to Accrual Based Double Entry System of Accounting with effect from the year 2004-05 vide Council Resolution No.3(xii) dated 24th April 2002. The accounts for the year 2017-18 were stated to be prepared on double entry system of accounting through a software named e-finance developed for NDMC by a private vendor. The format for preparation of the Accounts is to be as prescribed in the National Municipal Accounts Manual (NMAM).

The financial position of the Council should be reflected through the New Delhi Municipal Fund, maintained by the Council under Section 44 of the NDMC Act, 1994. All receipts and expenditures are to be booked under this Fund.

C. Sources and application of funds

The main sources of funds of the Council were as follows :-

- The operational receipts (Revenue) increased from ₹2996.11 crore for the year 2016-17 to ₹3128.72 crore for the year 2017-18 which depicted a rise of 4.42 percent.
- The Non-operational receipts (capital) increased from ₹469.09 crore for the year 2016-17 to ₹493.58 crore for the year 2017-18 depicting a rise of 5.22 percent.

Thus, the total receipts (Revenue and Capital) increased from ₹3465.19 crore in 2016-17 to ₹3622.30 crore in 2017-18 registering an increase of 4.53 percent. The receipts of ₹3622.30 crore inter-alia included tax revenue of ₹784.29 crore, non-tax revenue of ₹2344.43 crore, and revenue grants/ contribution/ and subsidies etc. of ₹493.58 crore.

The main use of funds of the Council were as follows :-

- The Revenue Expenditure increased from ₹2808.37 Crore for the year 2016-17 to ₹2927.39 Crore for the year 2017-18 which depicted an increase of 4.23 percent.
- The Capital Expenditure increased from ₹244.83 Crore for the year 2016-17 to ₹258.76 Crore for the year 2017-18 depicting a rise of 5.69 percent.

Thus, the total expenditure (Revenue & Capital) increased from ₹3053.20 crore in 2016-17 to ₹3186.15 crore in 2017-18 registering an increase of 4.35 percent. The expenditure of ₹3186.15 crore inter-alia included establishment expenses of ₹1271.86 crore, administrative expenses of ₹112.05 crore, operations and maintenance etc. of ₹1105.11 crore etc.

घ. नई विल्ली नगरपालिका निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994, की धारा 44 के अनुसार ''नई दिल्ली नगरपालिका निधि'' के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा प्राप्त धन अथवा परिषद् की ओर से प्राप्त धन निधि का हिस्सा कहलाएगा। परिषद् अथवा इसकी ओर से किया गया व्यय, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस निधि में से किया जाता है। वर्ष 2017-18 हेतु इस निधि के अन्तर्गत कुल व्यय तथा प्राप्तियाँ निम्नलिखित थीं:

तालिका 1.1: वर्ष 2017-18 हेतु इस निधि के अ	न्तर्गत कुल व्यय तथा प्राप्तियाँ	(र करोड़ में	
वर्ष	2017-18	2016-17	
1 अप्रैल को प्रांसभिक शेष ¹	4891.55	4679.84	
वर्ष के दौरान प्राखियाँ (+)	3622.30	3465.19	
कुल	8513.85	8145.03	
वर्ष के दौरान व्यव (-)	3186.15	3053.21	
क्रमिक समायोजन	102.95	-200.27	
31 मार्च को अंत शेष	5430.65	4891.55	

वर्ष 2016-17 के लिए फंड का समापन शेष ₹4891.55 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के लिए ₹5430.65 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2016-17 के लिए शुद्ध अधिशेष ₹211.71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹539.10 करोड़ हो गया।

ड्. प्राप्तियाँ

ड्-1 राजस्व प्राप्तियां

इ-1.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष के दौरान निवल आधिक्य (+)/घाटा (-)

परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त कर तथा गैर कर राजस्व के अतिरिक्त सहायता अनुदान निहित है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों जिनको बजट पुस्तकों से लिया गया है, की प्रवृत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका 1.2.: राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

(रॅंकरोड़ में)

211.71

539.10

वर्ष	वास्तविक राजस्व	प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+)/ कमी (-)
2017-18	3128.72	4.42
2016-17	2996.11	2.58
2015-16	2920.65	6.70
2014-15	2737.27	14.90
2013-14	2382.40	3.65

नोट 1 : ₹0.17 करोड़ की व्यय टिकट शामिल है।

D. New Delhi Municipal Fund

In terms of Section 44 of the NDMC Act 1994, a Fund known as 'The New Delhi Municipal Fund' is being maintained by the Council. The money received by the Council or on behalf of the Council from any source is to form a part of the Fund. Expenditure on or behalf of the Council is to be incurred out of this Fund as per provisions of the Act. The total receipts and expenditures under this Fund for the year 2017-18 were as under:

able No. 1.1 Receipt and Payment for the year 2017-18		(₹ in crore)
Year	2017-18	2016-17
Opening Balance as on 1 st April ¹	4891.55	4679.84
Add Receipts during the year	3622.30	3465.19
Total	8513.85	8145.03
Less Expenditure during the year	3186.15	3053.21
Accrual Adjustment	102.95	-200.27
Closing Balance as on 31 ^e March	5430.65	4891.55
Net surplus (+)/deficit(-) during the year	539.10	211.71

The closing balance of the fund increased from ₹4891.55 crore for the year 2016-17 to ₹5430.65 crore at the end of 2017-18 and the net surplus for the year has increased from ₹211.71 crore in 2016-17 to ₹539.10 crore in 2017-18.

E Receipts

E1. Revenue Receipts

E.1.1 Growth of revenue receipts

The revenue receipts of the Council consist mainly of tax and non-tax revenue, besides grants-in-aid from Government of NCT of Delhi. Trend of revenue receipts, including grants-in-aid received during the last five years as taken from budget books, was as under:

Year	Revenue receipts	Percentage increase (+)/Decrease(-) over previous year
2017-18	3128.72	4.42
2016-17	2996.11	2.58
2015-16	2920.65	6.70
2014-15	2737.27	14.90
2013-14	2382.40	3.65

Table 1.2 : Growth of revenue receipts

(₹ in crore)

Note 1: Includes Postage & Stamps worth ₹ 0.17 Crore

ड्-1.2 राजस्व प्राप्तियों के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियां निम्न प्रकार है :


तालिका	1.3	:	राजस्व	प्राप्तियों	के	W2th
(1164-40)	1.0		614664	3114141	-	404

```
(र करोड़ में)
```

पटक	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
कर राजस्व	784.29	647.58	550.29	480.09	455.87
	(25.07)	(21.61)	(18.84)	(17.54)	(19.06)
गैर-कर राजस्व	2246.51	2257.48	2290.78	2179.32	1865.89
	(71.80)	(75.35)	(78.43)	(79.61)	(78.03)
केन्द्र सरकार/ दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान	97.92	91.05	79.58	77.86	69.65
	(3.13)	(3.04)	(2.73)	(2.85)	(2.91)
कुल	3128.72	2996.11	2920.65	2737.27	2391.41
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

नोट: ब्रेकेट में विए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता वर्शाते हैं।

• गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक बना हुआ है। हालांकि वर्ष 2016-17 के गैर-कर राजस्व का हिस्सा 75.35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 71.80 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली/केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2016-17 में 3.04 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 3.13 प्रतिशत और कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2016-17 के 21.61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 25.07 प्रतिशत हो गया। यह ग्राफिकली नीचे दर्शाया गया है।



ड्-2 कर राजस्व प्राप्तियाँ

इ-2,1 कर राजस्व रूझान

परिषद् के कर राजस्व में गृह कर, संपति के हस्तांतरण पर डयूटी, विज्ञापन कर इत्यादि शामिल हैं। कर राजस्व के रूझान वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान निम्न प्रकार थे:

तालिका 1,4: कर राजस्य की युद्धि	तालिका	1.4:	कर	राजस्व	की	यद्धि
---------------------------------	--------	------	----	--------	----	-------

(र करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+) घाटा (-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2017-18	784.29	21.11	25.06
2016-17	647.58	17.68	21.61
2015-16	550.29	14.62	18.84
2014-15	480.09	5.31	17.54
2013-14	455.87	(-)7.98	19.14


E.1.2 Components of revenue receipts

able 1.3: Components of Revenue Receipts			(₹ in crore)		
Components	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
Tax revenue	784.29	647.58	550.29	480.09	455.87
Non-tax revenue	(25.07) 2246.51	(21.61) 2257.48	(18.84) 2290.78	(17.54) 2179.32	(19.06) 1865.89
Grants-in-aid from Government	(71.80) 97.92	(75.35) 91.05	(78.43) 79.58	(79.61) 77.86	(78.03) 69.65
of Delhi / Central Government	(3.13)	(3.04)	(2.73)	(2.85)	(2.91)
Total	3128.72 (100)	2996.11 (100)	2920.65 (100)	2737.27 (100)	2391.41 (100)

Revenue receipts under its different components during the last five years are as under:

Note: Figures given in brackets indicate percentage with respect to total receipts

Non-tax revenue continued to be the major component of revenue receipts, however, the share
of non-tax revenue decreased from 75.35 percent in 2016-2017 to 71.80 percent in 2017-18.
Grants-in-aid from Government of NCT of Delhi/Central Government increased from 3.04 percent
in 2016-17 to 3.13 percent in 2017-18 and share of tax-revenue increased from 21.61 percent in
2016-17 to 25.07 percent in 2017-18. This is depicted graphically below :



E.2. Tax revenue receipts

E.2.1 Trend of tax revenue

The tax revenue of the Council consists of house tax, duty on transfer of property, advertisement tax etc. The trend of tax revenue during the years 2013-14 to 2017-18 was as under:

(₹ in crore)

Year	Actual tax revenue	Percentage increase(+)/decrease(-) over the previous year	Percentage of total revenue receipts
2017-18	784.29	21.11	25.06
2016-17	647.58	17.68	21.61
2015-16	550.29	14.62	18.84
2014-15	480.09	5.31	17.54
2013-14	455.87	(-)7.98	19.14

इ-2.2 कर राजस्व के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न घटकों का वृद्धि का पैटर्न निम्न प्रकार था:


```
तालिका 1.5 कर राजस्व के घटक
```


```
(र करोड़ में)
```

घटक	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
गृह कर	641.54	540.73	449.03	369.89	366.73
	(81.75)	(83.50)	(81.60)	(77.04)	(80.44)
संपति के हस्तांतरण पर शुल्क	69.45	33.70	30.93	41.70	26.16
	(8.85)	(5.20)	(5.62)	(8.69)	(5.74)
विद्युत/विज्ञापन/शो-कर	38.11	38.72	40.22	39.18	36.78
	(4.86)	(5.98)	(7.31)	(8.16)	(8.07)
करों का नियत हिस्सा	35.61	34.42	30.10	29.33	26.20
	(4.54)	(5.32)	(5.47)	(6.11)	(5.75)
कुल	784.71	647.57	550.28	480.10	455.87
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कर राजस्व के विभिन्न घटकों का हिस्सा ग्राफिकल रूप से नीचे दिखाया गया है।






कर राजस्व में संपत्ति कर का प्रमुख योगवान रहा । हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसका हिस्सा 1.75 प्रतिशत गिर गया ।

ड.-3 गैर-कर राजस्व

इ-3.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि : परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/पानी की बिक्री, किराया/लाईसेंस फीस, निवेश पर ब्याज तथा अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं।



(7 in crore)

E.2.2 Components of tax revenue


The growth pattern of components of tax revenue over the last five years was as detailed below:

ine 1.5. components of tax revenue				(meiore	
Components	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
Property Tax	641.54	540.73	449.03	369.89	366.73
	(81.75)	(83.50)	(81.60)	(77.04)	(80.44)
Duty on transfer of property	69.45	33.70	30.93	41.70	26.16
	(8.85)	(5.20)	(5.62)	(8.69)	(5.74)
Elect./Advertisement/show tax	38.11	38.72	40.22	39.18	36.78
	(4.86)	(5.98)	(7.31)	(8.16)	(8.07)
Assigned share of taxes	35.61	34.42	30.10	29.33	26.20
	(4.54)	(5.32)	(5.47)	(6.11)	(5.75)
Total	784.71	647.57	550.28	480.10	455.87
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

Table 1.5: Components of tax revenue

Note: Figures given in brackets indicate percentages with respect to total receipts


The share of different component of tax revenue is graphically depicted below :-



Property tax continued to be the major contributor to the tax revenue. However, its share fell down by 1.75 percent as compared to the previous year.


E.3. Non-tax revenue receipts

E.3.1 Growth of non-tax revenue : Non-tax revenue of the Council consists of sale of energy/water, rent/licence fee, interest on investments and other miscellaneous receipts.



प्रत्येक घटक का संबंधित हिस्सा नीचे वर्शाया गया है।

तालिका 1,6 गैर कर राजस्व में वृद्धि



▶ पूर्ण रूप से गैर-कर राजस्व वर्ष 2016-17 के ₹2257.48 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹2246.41 करोड़ हो गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में (-) 0.49 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

(र करोड़ में)

2246.41

2017-18

(र करोड में)

ड-3.2 गैर-कर राजस्व की रचना

पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के वृद्धि पैटर्न का विवरण निम्न प्रकार है :

घटक	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
ऊर्जाकी बिक्री	1195.19	1119.26	1174.97	1097.54	957.54
	(53.20)	(49.58)	(51.29)	(50.36)	(51.32)
जल की बिक्री + मल व्यवस्था	191.68	238.48	202.20	182.45	147.44
	(8.53)	(10.56)	(8.83)	(8.37)	(7.90)
व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्तियौँ/	403.48	400.82	414.23	438.79	288.19
लाइसेंस शुल्फ तथा किराया	(17.96)	(17.76)	(18.08)	(20.13)	(15.45)
शुल्क, जुर्मांना तथा विविध प्राप्तियाँ	60.33	30.18	33.29	28.25	38.91
	(2.69)	(1.34)	(1.46)	(1.30)	(2.08)
निवेश पर ब्याज	395.73	468.74	465.96	432.29	433.81
	(17.62)	(20.76)	(20.34)	(19.84)	(23.25)
कुल	2246.41	2257.48	2290.65	2179.32	1865.89
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

तालिका 1.7 गैर -कर राजस्व के घटक

नोट : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।


गैर कर राजस्व प्राप्तियों के मुख्य स्रोत, ऊर्जा की बिक्री (53.20 प्रतिशत), निवेश पर व्याज (17.62 प्रतिशत) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्तियाँ (20.96 प्रतिशत) थे।

कर राजस्व में नकारात्मक वृद्धि काफी हद तक व्याज आय में कमी के कारण हुई जो 2016-17 में ₹468.74 करोड से घटकर 2017-18 में ₹395.73 करोड रह गई। यह एन डी एम सी को बैंकों द्वारा वी जाने वाली व्याज दर गिरने के कारण हुई ।

17 in succes

Year	Actual non-tax revenue	Percentage increase(+)/decrease (-) over the previous year
2017-18	2246.41	(-)0.49
2016-17	2257.48	(•)1.45
2015-16	2290.78	5.11
2014-15	2179.32	16.80
2013-14	1865.89	7.74

The respected share of each component is depicted below:



 In absolute terms, non-tax revenue decreased from ₹2257.48 crore in 2016-17 to ₹2246.41 crore in 2017-18, registering a negative 0.49 percent growth as compared to the previous year.

E.3.2 Composition of non-tax revenue

Growth pattern of various components of non-tax revenue over the last five years was as detailed below:

Components 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 Sale of energy 1195.19 (53.20) 1119.26 (49.58) 1174.97 (51.29) 1097.54 (50.36) Sale of water + Sewerage 191.68 (8.53) 238.48 (10.56) 202.20 (8.83) 182.45 (8.37) Rent/licence fee and receipts from commercial activities 403.48 (17.96) 400.82 (17.76) 414.23 (18.08) 438.79 (20.13) Fees, fines and misc. receipts 60.33 (2.69) 30.18 (1.34) 33.29 (1.46) 28.25 (1.30)			(? in crore		
Components	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
Sale of energy					957.54 (51.32)
Sale of water + Sewerage					147.44 (7.90)
Rent/licence fee and receipts from commercial activities					288.19 (15.45)
Fees, fines and misc. receipts				1.	38.91 (2.08)
Interest on investment	395.73 (17.62)	468.74 (20.76)	465.96 (20.34)	432.29 (19.84)	433.81 (23.25)
Total	2246.41 (100)	2257.48 (100)	2290.65 (100)	2179.32 (100)	1865.89 (100)

Table 1.7: Components of non-tax revenue

Note: Figures given in brackets indicate percentage with respect to total receipts


Major sources of non-tax revenue were receipts on account of sale of energy (53.20 percent), interest on investment (17.62 percent) and rent/licence fee and receipts from other commercial activities (17.96 percent).

The negative growth in the tax revenue was largely due to decrease in the interest income which fell from ₹468.74 crore in 2016-17 to ₹395.73 crore in 2017-18. This was stated by NDMC to be due to falling interest rate offered by the banks.

ड्-4. सहायता अनुदान प्राप्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सहायता : परिषद् दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सहायता लेती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता के रूझान निम्न प्रकार थे:


तालिका 1.8	: सहायता अनुवान	(र करोड़ में)
वर्ष	सहायता अनुवान	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2017-18	97.92	2.70
2016-17	91.05	2.54
2015-16	79.58	1.90
2014-15	77.86	2.62
2013-14	69.65	2.76



ड्-5. राजस्व प्राप्तियों के बकाया

खातों में मार्च-2018 तक कुल प्राप्त योग्य बकायों को र6088.76 करोड़ रूपये दिखाया गया था, हालांकि, बकाया राशि को वर्ष-वार दर्शाया नहीं गया था। यह पहले ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया गया था, लेकिन विभाग द्वारा सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। बकाया की वसूली के बेहतर निगरानी के लिए, बकाया राशि के वर्ष-वार विवरण को बनाए रखना आवश्यक है ताकि उनकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

राजस्व प्राप्तियों के बकाए का विवरण निम्नानुसार है :-



2015-16 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्ति की बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई क्योंकि राजस्व को संपत्ति कर उप-कानूनों 2009 के आधार पर बुक किया गया था। यद्यपि ये माननीय उच्च न्यायालय (10 अगस्त 2017) और माननीय सुप्रीम कोर्ट (22 जनवरी 2019) के द्वारा बाद में निरस्त कर दिया गया। लेकिन एनडीएमसी ने इसे प्राप्य के रूप में चित्रित करना जारी रखा और उसकी पुनर्गणना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप भारी वसुली योग्य राजस्व प्राप्तियां बकाया के रूप में बढ़ गई।

च, व्यय

व्यय की प्रवृत्ति : इस रिपोर्ट में कुल व्यय से तात्पर्य राजस्व एवं पूँजी के समस्त व्यय तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों को दिये गये ऋण से है। परिषद् ने वर्ष 2017-18 में कुल ₹3186.15 करोड़ खर्च किए थे। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार दर्शायी गई थी :


तलिका 1.10 : व्यय	(र करोड़ में)			
वर्ष	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल	
2017-18	2927.39	258.76	3186.15	
2016-17	2808.37	244.83	3053.20	
2015-16	2868.12	57.65	2925.77	
2014-15	2826.97	214.20	3041.17	
2013-14	2389.74	237.79	2627.53	

7.9

91.0

E.4. Grants-in-aid receipts

Assistance from Government of NCT of Delhi : The Council receives assistance from the Government of NCT of Delhi in the form of grants-in-aid. Trend of assistance received during the last five years was as under:



E.5. Arrears of revenue receipts

Arrears of total receivables were shown as ₹6088.76 crore as of March-2018 in the accounts, however, the year-wise breakup of the arrears was not indicated. This was pointed out in earlier Audit Reports also but corrective steps were yet to be taken by the Department. For better monitoring of recovery of arrears, year-wise details of arrears are required to be maintained so that effective steps could be taken for their recovery.

> The Details of Arrears of Revenue Receipts is as under :



The huge increase in arrears of revenue receipt during 2015-16 to 2017-18 was because revenue was booked based on property tax bye-laws 2009. Though these were struck down by Hon'ble High Court (10[™] August 2017) and subsequently by Hon'ble Supreme Court (22[™] January 2019) but NDMC continued to depict it as receivable and had not recalculated the same which resulted in huge uncollectible revenue receivables as arrears.

F. Expenditure

Trend of expenditure : The total expenditure denotes all expenditure, both revenue and capital, and disbursement of loans to NDMC employees. The Council spent a total of ₹3186.15 crore in 2017-18. The trend of expenditure during 2013-14 to 2017-18 was as shown below:

Table 1.10: Trend o	Trend of expenditure		(₹ in crore)	
Year	Revenue expenditure	Capital expenditure	Total	
2017-18	2927.39	258.76	3186.15	
2016-17	2808.37	244.83	3053.20	
2015-16	2868.12	57.65	2925.77	
2014-15	2826.97	214.20	3041.17	
2013-14	2389.74	237.79	2627.53	



व्यय की प्रवत्ति का ग्राफिकल चित्रण दिखाया गया है।

- कुल व्यय वर्ष 2016-17 में ₹3053.20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹3186.15 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में किया गया व्यय वर्ष 2017-18 के दौरान 4.35 प्रतिशत बढ़ गया।
- पूँजीगत व्यय वर्ष 2016-17 में ₹244.83 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹258.76 करोड़ हो गया जिसमें 5.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राजस्व व्यय 2016-17 में ₹2808.37 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹2927.39 करोड़, जो 4.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । यह मुख्य रूप से परिचालन व स्थापना व्यय में ₹1098.07 करोड़ तथा ₹1206.75 करोड़ से ₹1105.11 करोड़ व ₹1271.86 करोड़ होने के कारण हुई ।

छ. गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् विद्यालयों/गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान की राशि निम्न प्रकार से थी :


ज्र.स <u>ं</u>	निकाय का नाम	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	नवयुग स्कूल सोसावटी	4840.83	4515	4157.63	3536.08	3382.37
2	आर. एम. आर्थ गर्ल्स प्राइमरी विद्यालय नं. II	26.50	30.56	30.89	25.70	43.15
3	निर्मल प्राइमरी विद्यालय, कोटा हाऊस	106.30	101.66	99.97	84.78	88.00
4	आर.एम. गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नं. 1,	96.74	84.80	87.47	77.83	70.00
5	बरसाती जल संचयन हेतु सब्सिटी	142.14	96.68	84.94	NA	NA
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था/गैर सरकारी संस्था	11.36	11.00	11.94	12.00	14.59
7	समाज कल्याण समिति	164.64	85.39	121.36	117.34	157.64
8	धोबी पायें हेतु विद्युत जल प्रमारों के लिए सब्सिडी	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
9	पशु जन्म नियंत्रण समिति।	16.96	18.14	20.00	20.00	10.00
10	पोषण-आधे दिवस भोजन	75.38	149.55	150.00	149.63	122.56
11	कर्जा प्रभारों पर खूट	1.76	0.79	0.41	NA	NA
	कुल	5492.61	5103.57	4774.61	12.00 117.34 10.00 20.00 149.63	3898.31

तालिका 1,11 : परिषद् द्वारा सहायता अनुदान

(र लाख में)

परिषद् द्वारा प्रवत्त सहायता अनुवान 2016-17 में ₹5103,57 लाख से बढ़कर 2017-18 में ₹5492.61 लाख हो गया जो 7.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(in lakh)



The graphical depiction of trend of Expenditure is shown below:-

Total expenditure increased from ₹3053.20 crore in 2016-17 to ₹3186.15 crore in 2017-18.
 Expenditure incurred during 2017-18 increased by 4.35 percent over the previous year.

• Capital expenditure increased from ₹244.83 crore in 2016-17 to ₹258.76 crore in 2017-18 depicted an increase of 5.69 percent. Revenue expenditure increased from ₹2808.37 crore in 2016-17 to ₹2927.39 crore in 2017-18 showing a rise of 4.24 percent primarily due to increase of Operating expenditure and Establishment expenditure.

G. Financial assistance to Non-Government Organizations

Council provides grants-in-aid to NGOs/ schools, etc. The quantum of grants-in-aid provided by NDMC to different institutions during the last five years was as under:

Table 1.11: Grants-In-ald by the Council						(v m maxing	
Sr. No.	Name of body	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
1	Navyug School Society	4840.83	4515	4157.63	3536.08	3382.37	
2	R.M. Arya Girls Primary School, No II	26.50	30.56	30.89	25.70	43.15	
3	Nirmal Primary School, Kota House	106.30	101.66	99.97	84.78	88.00	
4	R.M. Girls Primary School, No. I	96.74	84.80	87.47	77.83	70.00	
5	Subsidy for Rain water Harvesting	142.14	96.68	84.94	NA	NA	
6	Social and Cultural Organization/NGOs	11.36	11.00	11.94	12.00	14.59	
7	Samaj Kalyan Samiti	164.64	85.39	121.36	117.34	157.64	
8	Subsidies for electric water charges for dhobi ghats	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
9	Animal Birth Control Society	16.96	18.14	20.00	20.00	10.00	
10	Nutrition – Mid day Meals	75.38	149.55	150.00	149.63	122.56	
11	Rebate on Energy Charges	1.76	0.79	0.41	3536.08 25.70 84.78 77.83 NA 12.00 117.34 10.00 20.00 149.63 NA	NA	
	Total	5492.61	5103.57	4774.61		3898.31	

Table 1.11: Grants-in-aid by the Council

 The grants-in-aid provided by the Council increased from ₹5103.57 lakh in 2016-17 to ₹5492.61 lakh in 2017-18, depicted an increase of 7.62 percent.

ज. आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की विभिन्न निधियां हैं । ये निधियां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निधि के अन्दर खंडों के रूप में अधिशेष राजस्व की अभिवृद्धियां हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

तालिका	1,12	:	आधिक्य	एवं	आरक्षित	निधियां	
		-					

(₹	करो	Ŧ	में)

क. सं	বর্তান	अब होब	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के तौरान व्यय	अन्त होष
1.	विद्युत निधि	Q	3		
	(i) नियामक आरक्षित निधि	5.00	-		5.00
	(ii) मूल्य द्वास आरक्षित निधि	312.67	-	4.37	308.30
	কুল বিদ্ধুন শিখি	317.67		4.37	313.30
2.	जल आपूर्ति एवं सीवरेज निधि				
	(i) मूल्य द्वास निधि	299.23	-	2.30	296.93
3.	सम्पदा निधि	6 3			
	(i) वाणिन्विक भवन निधि	367.39	-	1.76	365.63
	(ii) ट्रांस मार्किट निधि	102.37	6.60	1.36	107.61
	(iii) डीआरएफ	381.81		0.75	381.06
	(iv) लोक कला निधि	5.00	-	-	5.00
	कुल सम्पदा गिथि	856.57	6.60	3.87	859.30
4.	कर्मचारी निधि				
	(i) पेंशन निधि	947.46	360.00	331.41	976.05
	(ii) कर्मचारी कल्याण निधि	15.78	5.00	4.98	15.80
	कुल कर्मचारी निधि	963.24	365.00	336.39	991.85
5.	सामान्य निधि	î li			
	(।) हस्तगत रोकइ	377.63	-		377.63
	(ii) निवेश सामान्य निधि	4613.07	704.87	-	5317.94
	कुल सामान्य निधि	4990.70	704.87	-	5695.57
नई दिल	स्त्री नगरपालिका परिषद् निधि (1+2+3+4+5)	7427.41	1076.47	346.93	8156.95

31 मार्च 2017 को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन ₹3422.63 करोड़ था, लेकिन ₹947.46 करोड़ 1 अप्रैल 2017 को पेंशन फंड में रखा गया था और 2017-18 के दौरान केवल ₹28.59 करोड़ को जोड़कर इसे ₹976.05 करोड़ कर दिया गया था, भले ही इस खाते पर देयता कई गुना अधिक थी।

झ. बजटीय अनुमानों का विश्लेषण

बजट आंकड़ों के तीन सैट प्रस्तुत करता है (क) पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान, तथा (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान। इस भाग में बजटीय अनुमानों के संदर्भ में परिषद् के वित्त के विभिन्न घटकों की चर्चा की गई है।

H. Surplus & Reserve Funds

NDMC has various segment funds. These funds are accretions of surplus revenues within the NDMC fund as segments. The position of these funds during 2017-18 was as under:

SI. No.	Description	Opening Balance	Additions during the year	Expenditure during the year	Closing Balance
1.	Electricity Fund				
	(i) Regulatory Reserve Fund	5.00	-	-	5.00
	(ii) Depreciation Reserve Fund	312.67	-	4.37	308.30
2	Total Electricity Fund	317.67	-	4.37	313.30
2.	Water Supply & Sewerage Fund				
	(i) DRF	299.23	-	2.30	296.93
3.	Estate Fund				
	(i) Comm. Building Fund	367.39		1.76	365.63
	(ii) Trans. Market Fund	102.37	6.60	1.36	107.61
	(iii) DRF	381.81		0.75	381.06
	(iv) Public Art Fund	5.00	-	-	5.00
	Total Estate Fund	856.57	6.60	3.87	859.30
4.	Employee Fund				
	(i) Pension Fund	947.46	360.00	331.41	976.05
	(ii) Staff Welfare Fund	15.78	5.00	4.98	15.80
	Total Employee Fund	963.24	365.00	336.39	991.85
5.	General Fund				
	(i) Cash in Hand	377.63		-	377.63
	(ii) Investment General Fund	4613.07	704.87	-	5317.94
	Total General Fund	4990.70	704.87	-	5695.57
NDM	IC Fund (1+2+3+4+5)	7427.41	1076.47	346.93	8156.95

The Actuarial valuation for pension and retirement benefits as on 31st March 2017 amounted to ₹3422.63 crore but only ₹947.46 crore was kept in Pension Fund as on 1st April 2017 and during 2017-18 net of only ₹28.59 crore was added making it ₹976.05 crore, even though the liability on this account was many times higher.

I. Analysis of budgetary projections

The budget presents three sets of figures (a) actual for the preceding year, (b) revised estimates for the current year, and (c) budget estimates for the ensuing financial year. This section discusses the variations in different components of the finances of the Council with reference to the budgetary projections.

झ.1 संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था:

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
2017-18	3183.52	3128.72	- 54.80	- 1.72
2016-17	2961.24	2996.11	34.87	1.17
2015-16	2890.71	2920.65	29.94	1.03
2014-15	2670.93	2737.27	66.34	2.48
2013-14	2490.64	2382.40	- 108.24	- 4.35

(र करोड में)

(7 777 1)

तालिका 1.13 : संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण

संशोधित अनुमान से वास्तविक प्राप्ति में ₹54.80 करोड़ कि कमी थी जो मुख्यतः व्याज में प्राप्ति की कमी के कारण थी।

इन.1.2 निम्नलिखित 15 कार्यों के संबंध में, 2017-18 के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में कमी ₹11964.93 लाख से ₹7.98 लाख तक थी। वर्ष 2017-18 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्ति 15 कार्यों में ₹232.23 करोड़ संशोधित अनुमान से कम थी जैसाकि तालिका में नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	कार्य कोड	বর্তান	संशोधित अनुमान	प्राप्तियां	कमी
1.	6	सम्पद्म	5209560	4013067	1196493
2.	3	षित लेखे तथा आहिट	4342250	3994970	347280
3.	52	सीवरेज	770900	480637	290263
4.	51	অল আবুর্বি	1627205	1436232	190973
5.	99	अन्य कर	903500	733060	170440
6.	82	হিষো	954996	876879	78117
7.	42	जन-सुविधाएँ	55300	42741	12559
8.	21	सहक व फुटपाय	78175	66395	11780
9.	7	भण्डार एवं क्रम	18400	10190	8210
10.	55	समुराय/विवाह केन्द्र	46050	40672	5378
11.	56	मनोरंजन	33050	28459	4591
12.	31	जन स्वास्थ्य	10600	6903	3697
13.	12	भवन विनियम	12510	11579	931
14.	2	प्रसासन	86572	85741	831
15.	41	टोस कृहा प्रबन्धन	2980	2182	798
6		कुल	14152048	11829707	2322341

तालिका 1.14 : प्राप्तियों में कमी

संशोधित अनुमानों में प्राप्ति के संबंध में बड़ी कमी 4 कार्यों (संपति, वित खातों और लेखा परीक्षा, सीवरेज, जल आपूर्ति) में थी।

17 In thousand

I.1. Actual collection of revenue vis-à-vis revised estimates

The actual collection of revenue receipts against revised estimates during the last five years was as under:

Year	Revised estimates	Actual revenue receipts	Increase/decrease over RE	Percentage increase over RE
2017-18	3183.52	3128.72	- 54.80	- 1.72
2016-17	2961.24	2996.11	34.87	1.17
2015-16	2890.71	2920.65	29.94	1.03
2014-15	2670.93	2737.27	66.34	2.48
2013-14	2490.64	2382.40	- 108.24	- 4.35

Table 1.13 Actual collection of revenue vis-à-vis revised estimates (3 in crore)

There was shortfall in actual receipt by ₹54.80 crore over the revised estimated inter-alia due to sharp decrease in interest income on investments.

I.1.2 In respect of the following 15 functions, the shortfall in receipts as compared to revised estimates ranged from ₹11964.93 lakh to ₹7.98 lakh during 2017-18; the actual revenue receipts during 2017-18 were less than the revised estimates by ₹232.23 crore in the 15 functions as shown in table below:

S.No.	Function Code	Description	R.E.	Receipts	Shortfall
1.	6	Estate	5209560	4013067	1196493
2.	3	Finance Accounts and Audit	4342250	3994970	347280
3.	52	Sewerage	770900	480637	290263
4.	51	Water Supply	1627205	1436232	190973
5.	99	Other Taxes	903500	733060	170440
6.	82	Education	954996	876879	78117
7.	42	Public Convenience	55300	42741	12559
8.	21	Roads and Pavements	78175	66395	11780
9.	7	Stores and Purchase	18400	10190	8210
10.	55	Community/Marriage Centre	46050	40672	5378
11.	56	Amusement	33050	28459	4591
12.	31	Public Health	10600	6903	3697
13.	12	Building Regulations	12510	11579	931
14.	2	Administration	86572	85741	831
15.	41	Solid Waste Management	2980	2182	798
		Total	14152048	11829707	2322341

Table 1.14: Shortfall in receipts

Major shortfall in receipt with respect to revised estimate was in 4 functions (Estate, Finance Accounts and Audit, Sewerage, Water Supply). इन.1.3 संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियां निम्नलिखित मामलों में 1.42 प्रतिशत से 67.36 प्रतिशत अधिक थी।

क.सं.	कार्य कोड	कार्य का विवरण	संशोधित अनुमान (राजस्व) 2017,18	प्राप्तियां 2017,18	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1.	14	अतिक्रमण हटाना	20800	63730	42930	67.36
2.	58	नगरपालिका मार्किट	95080	130521	35441	27.15
3.	91	सम्पत्ति कर	5600023	7111006	1510983	21.25
4.	61	पार्क एवं गार्डन	4920	5976	1056	17.67
5.	11	शहर और शहर की योजना	160949	175493	14544	8.29
6.	8	वर्कशाप	1310	1336	26	1.95
7.	81	विद्युत	11782146	11951991	169845	1.42

झ.1.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.16 : संशोधित अनुमानों :	की तुलना में कर-राजस्व का वास्तविक कर संग्रहण	(रॅं करोड़ में)
----------------------------------	---	-----------------

वर्ष	संज्ञोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2017-18	614.35	784.29	169.94	27.66
2016-17	607.19	647.58	40.39	6.65
2015-16	525.00	550.29	25.29	4.82
2014-15	497.72	480.09	-17.63	-3.54
2013-14	468.19	455.87	-12.32	-2.63

संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व के वास्तविक संग्रहण में 2017-18 के दौरान 27.66 प्रतिशत की वृद्धि थी।

झ.1.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर कर राजस्व	गैर-कर राजस्व का वास्तविक स संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (-)	रंग्रहण (र करोड़ में संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+)/ कमी (-)
2017-18	2431.03	2246.51	(-) 184.52	(-) 7.59
2016-17	2267.75	2257.48	(-) 10.27	(-) 0.45
2015-16	2280.97	2290.65	9.68	0.42
2014-15	2080.31	2179.32	99.01	4.76
2013-14	1951.68	1865.89	(-)85.79	(-)4.40

2017-18 के बौरान वास्तविक गैर-कर राजस्व संग्रह संशोधित अनुमाना से 7.59 प्रतिशत कम था। यह कमी काफी हद तक पानी और सीवरेज की बिक्री और निवेश पर ब्याज से आय में कमी के कारण थी।

(7 in thousand)

1.1.3 Receipts with reference to revised estimates were higher in the following cases ranging from 1.42 percent to 67.36 percent.

S. No.	Function Code	Function Description	Revised Estimates (Revenue) 2017-18	Receipts 2017-18	Increase with reference to Revised Estimates	Percentage increase w.r. to RE
1.	14	Encroachment Removal	20800	63730	42930	67.36
2.	58	Municipal Markets	95080	130521	35441	27.15
3.	91	Property Taxes	5600023	7111006	1510983	21.25
4.	61	Parks and Gardens	4920	5976	1056	17.67
5.	11	City and Town Planning	160949	175493	14544	8.29
6.	8	Workshops	1310	1336	26	1.95
7.	81	Electricity	11782146	11951991	169845	1.42

Table 1.15: Excess collections of receipts

1.1.4 Actual collection of Tax Revenue vis-à-vis Revised Estimates

The actual collection of tax revenue vis-à-vis revised estimates during the last five years was as under:

Year	Revised Actual tax estimates revenue		Increase(+)/ decrease (-) over RE	Percentage increase(+)/ decrease (-) over RE		
2017-18	614.35	784.29	169.94	27.66		
2016-17 607.19		647.58	40.39	6.65		
2015-16	525.00	550.29	25.29	4.82		
2014-15	497.72	480.09	-17.63	-3.54		
2013-14	468.19	455.87	-12.32	-2.63		

> There was an increase of 27.66 percent during 2017-18 in the actual collection of tax revenue with reference to the revised estimates.

1.1.5 Actual collection of Non-tax Revenue vis-à-vis Revised Estimates

The actual collection of non-tax revenue vis-à-vis revised estimates during the last five years was as under:

Table 1.17 : Actual collection of non-tax revenue vis-à-vis revised estimates	(₹ in crore)
	and the second se

Year	Revised estimates	Actual non-tax revenue	Increase(+)/ decrease (-) over RE	Percentage increase(+)/ decrease (-) over RE		
2017-18	2431.03	2246.51	(-) 184.52	(-) 7.59		
2016-17	2267.75	2257.48	(-) 10.27	(-) 0.45		
2015-16	2280.97	2290.65	9.68	0.42		
2014-15	2080.31	2179.32	99.01	4.76		
2013-14	1951.68	1865.89	(-)85.79	(-)4.40		


The actual non-tax revenue collections during 2017-18 were 7.59 percent less than the revised estimates. The shortfall was largely due to decrease in Sale of Water & Sewerage and income from Interest on Investments.

झ.1.6 संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय

2013-14 से 2017-18 के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय निम्न प्रकार था :

तालिका 1.18 : संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय						
वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अधिकतम (+)/बचत (-)	प्रतिशतता		
2017-18	3178.14	2927.39	(-) 250.75	(-) 7.89		
2016-17	2958.57	2808.37	(-) 150.20	(-) 5.08		
2015-16	2885.38	2868.12	(-) 17.26	(-) 0.60		
2014-15	2665.14	2826.97	161.83	6.07		
2013-14	2489.46	2389.74	(-) 99.72	(-) 4.01		

≻ संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बौरान ₹150.20 करोड और ₹250.75 करोड कम था।



≻ वर्ष 2017-18 में संशोधित अनुमान ₹3178.14 करोड़ के विरूद्ध वास्तविक राजस्व व्यय ₹2927.39 करोड़ था। अतः 2017-18 के लिए व्यय संशोधित अनुमानों से ₹250.75 करोड़ (7.89 प्रतिशत) कम था।

झ.1.7 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

निम्नलिखित 10 कार्यों में वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधित अनुमानों का उपयोग कम किया गया था:

죠.	कार्य कोड	বর্তান	संशोधित अनुमान 2017-18				वास्तविक व्यय 2017-18			
स ं.			राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	अनुमान के उपयोग में कमी	
1.	81	ঝিজলী	10861922	820014	11681936	10111183	483519	10594702	1087234	
2.	2	प्रशासन	9393023	173156	9566179	8914656	161964	9076620	489559	
3.	82	হিাধ্য	1937925	142322	2080247	1684428	103871	1788299	291948	
4.	52	सीवेज	1082095	64618	1146713	867830	35566	903396	243317	
5.	51	'জন আঘূর্বি	1585624	72194	1657818	1352985	84415	1437400	220418	
6.	21	सहक एवं पटरियाँ	996833	433613	1430446	945453	294181	1239634	190812	
7.	41	ठोस कुड्रा प्रबंधन	1544454	5563	1550017	1382860	3023	1385883	164134	
8.	61	पार्क और बगीचे	1028029	122380	1150409	949447	58869	1008316	142093	
9.	6	सम्पदा	154750	194803	349553	128651	132296	260947	88606	
10.	58	नगरपालिका मार्किट	195420	68303	263723	140761	34928	175689	88034	
		कुल	28780075	2096966	30877041	26478254	1392632	27870886	3006155	

तालिका 1.19 : संशोधित अनुमानों	के	विरूद	किया	गया	कम	व्यय	ł
--------------------------------	----	-------	------	-----	----	------	---

(रॅंडजार में)

संशोधित अनुमान के संदर्भ में ₹108.72 करोड़ से लेकर ₹8.80 करोड़ तक का कम उपयोग हुआ जिससे पता चलता है कि बजट अनुमान ठीक से तैयार नहीं किया गया था।


(7 in Thousand)

1.1.6 Actual revenue expenditure vis-à-vis revised estimate

Table 1.1	Table 1.18 Actual expenditure vis-à-vis revised estimate (revenue)								
Year	Revised Estimates	Actual Revenue Expenditure	Excess(+)/ Saving(-)	Percentage					
2017-18	3178.14	2927.39	(-) 250.75	(-) 7.89					
2016-17	2958.57	2808.37	(-) 150.20	(-) 5.08					
2015-16	2885.38	2868.12	(-) 17.26	(-) 0.60					
2014-15	2665.14	2826.97	161.83	6.07					
2013-14	2489.46	2389.74	(-) 99.72	(-) 4.01					

The actual expenditure vis-à-vis revised estimates during 2013-14 to 2017-18 was as under:

 Actual Expenditure viz.-a-viz. revised estimates was less by ₹250.75 and ₹150.20 Crore during 2017-18 & 2016-17 respectively.



 The actual revenue expenditure for the year 2017-18 was ₹2927.39 crore against revised estimate of ₹3178.14 crore. The expenditure for 2017-18 thus remained below the revised estimates by ₹250.75 crore (7.89 percent).

1.1.7 Savings in comparison to revised estimates

Maximum under-utilization of Revised Estimates (RE) was observed in the following 10 functions during 2017-18 as shown below:

s.	Code	Function	Revised E	stimates (2	017-18)	Actual E	penditure	(2017-18)	Under
No.	No.	Description	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Utilization of R.E.
1.	81	Electricity	10861922	820014	11681936	10111183	483519	10594702	1087234
2.	2	Administration	9393023	173156	9566179	8914656	161964	9076620	489559
3.	82	Education	1937925	142322	2080247	1684428	103871	1788299	291948
4.	52	Sewerage	1082095	64618	1146713	867830	35566	903396	243317
5.	51	Water Supply	1585624	72194	1657818	1352985	84415	1437400	220418
6.	21	Roads and Pavements	996833	433613	1430446	945453	294181	1239634	190812
7.	41	Solid Waste Management	1544454	5563	1550017	1382860	3023	1385883	164134
8.	61	Parks and Gardens	1028029	122380	1150409	949447	58869	1008316	142093
9.	6	Estate	154750	194803	349553	128651	132296	260947	88606
10.	58	Municipal Market	195420	68303	263723	140761	34928	175689	88034
	5	Total	28780075	2096966	30877041	26478254	1392632	27870886	3006155

Table 1.19: Less expenditure incurred against revised estimates

Under-utilization with reference to RE ranging from ₹108.72 crore to ₹8.80 crore, which shows that budget estimate was not prepared properly.

इन.1.8 संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक व्यय

वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित 5 कार्यों में संशोधित अनुमान के संदर्भ में अधिक व्यय था।

तालिका 1.20 संशोधित अनुमानों की तुलना में किया गया अधिक व्यय

孤,	कार्य	ষগন	संकोषित अनुमान 2017-18			वास्तविक व्यय 2017-18			संज्ञोधित	संशोधित
Ħ.	कोड		राजस्व	घूंजीयत	স্কুল	राजस्व	घूंजीयत	ৰ্জ	अनुमान से अधिक व्यय	अनुमानें की तुलन में 5 इंदि
1.	11	शहर और शहरी योजना	58826	759132	817958	\$\$069	1091922	1146991	329033	-40.23
2.	43	पशु चिकितसा सेवाएं	43287	500	43787	39816	11417	51233	7446	-17.01
3.	72	ৰল্বা চা চল্যগ	51512	1900	53412	54625	734	55359	1947	-7.11
4.	37	महत्वपूर्ण आंकदे	16397	0	16397	16827	13	16840	443	-3.65
5.	15	व्यापर लाईसेंस	1717	0	1717	1839	0	1839	122	-2.70
		कुल	171739	761532	933271	168176	1104085	1272262	338991	

≻ संशोधित अनुमान से अधिक व्यय 2.70 प्रतिशत से 40.23 प्रतिशत के बीच रहा ।

ण, व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियामावली 2005 के नियम 56(3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के ॲतिम माह में अत्याधिक व्यय को वित्तीय नियमित्ता का उल्लंघन माना जाएगा तथा उससे वचा जाना चाहिए। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष के मार्च माह तथा अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय किया गया। अत्याधिक व्यय के कुछ उदाहरण प्रतिशतता के रूप में निम्न प्रकार हैं।

तालिका 1.21 मार्च में व्यय की अधिकता

(र हजार में) कार्य कोड कार्य के विवरण मार्च में व्यय मार्च में व्यय % कुल व्यय 泵, सं. 1. 73 वृद्ध कल्याण 8423 4919 58.39 सीवेज 2. 52 903396 512292 56.71 3. 2 प्रशासन 9076620 4947051 54.50 नगरपालिका मार्किट 4. 58 175689 88553 50.40 झोपड् पट्टी सुधार 42.82 5. 76 2140 916 बरसाती जल नाले 6. 25 45797 16414 35.84 मनोरंजन 7. 136445 40268 29.51 56 नारी कल्पाण 8. 71 49309 11040 22.39 10397819 5621453 कुल

(7 in Thousand)

I.1.8 Excess expenditure in comparison with revised estimates

There was excess expenditure with reference to RE in the following 5 functions during 2017-18 as shown below:

S .	Code No.	e Function Description	Revised Estimates (2017-18)		Actual Expenditure (2017-18)			Excess	% of under	
No.			Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Utilization of R.E.	Utilization w.r.t.R.E.
1.	11	City and Town Planning	58826	759132	817958	55069	1091922	1146991	329033	-40.23
2.	43	Veterinary Services	43287	500	43787	39816	11417	51233	7446	-17.01
3.	72	Welfare of Children	51512	1900	53412	\$4625	734	55359	1947	-7.11
4.	37	Vital Statistics	16397	0	16397	16827	13	16840	443	-3.65
5.	15	Trade License	1717	0	1717	1839	0	1839	122	-2.70
		Total	171739	761532	933271	168176	1104086	1272262	338991	

Table 1.20: Excess expenditure incurred against Revised Estimates

Excess expenditure over Revised Estimate ranged between 40.23 percent to 2.70 percent with maximum being in City & Town Planning.

J. Rush of Expenditure

As per Rule 56(3) of General Financial Rules 2005, rush of expenditure particularly in the closing months of financial year shall be regarded as a breach of financial regularity and should be avoided. Contrary to this, large expenditure was incurred in the month of March and in the last quarter of the financial year. A few instances of rush of expenditure with very large expenditure in term of percentage are given below:

Table	(t in Thousands				
S. No.	Function No.	Function Description	Total expenditure incurred	Expenditure in March	Percentage expenditure in March
1.	73	Welfare Of Aged	8423	4919	58.39
2.	52	Sewerage	903396	512292	56.71
3.	2	Administration	9076520	4947051	54.50
4.	58	Municipal Markets	175689	88553	50.40
5.	76	Slum Improvement	2140	916	42.82
6.	25	Storm Water Drains	45797	16414	35.84
7.	56	Amusement	136445	40268	29.51
8.	71	Welfare Of Women	49309	11040	22.39
		Total	10397819	5621453	

Table 1.21: Rush of expenditure in month of March-2018

इसी प्रकार अंतिम तिमाही में अधिक व्यय निम्न प्रकार थे।

		म तिमाही में व्यय की अधिक			(र हजार में)
क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य के विवरण	कुल व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय	अंतिम तिमाही में किया गया व्यय (प्रतिशत में)
1.	52	सीयेज	903396	793088	87.79
2.	73	वृद्ध कल्याण	8423	4919	58.39
3.	2	प्रशासन	9076620	5159714	56.85
4.	58	नगरपालिका मार्किट	175689	98834	56.25
5.	76	झोपड़ पट्टी सुधार	2140	1079	50.42
6.	56	मनोरंजन	136445	65992	48.37
7.	11	शहर और शहरी योजना	1146991	527576	45.99
8.	71	नारी कल्याण	49309	21809	44.23
9.	25	बरसाती जल नाले	45797	19450	42.47
		कुल	11544810	6692461	

तालिका 1.22 अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता

बजट प्रावधानों का 22.39 प्रतिशत से 58.39 प्रतिशत तक उपयोग मार्च-2018 के महीने में आठ कार्यों के लिए (तालिका संख्या-1.21) किया, 42.47 प्रतिशत से 87.79% तक किया गया था (तालिका संख्या-1.22) जो कि वर्ष 2017-18 में एनडीएमसी द्वारा किये गए व्यय के संबंध में स्वथ्य वित्तीय प्रबंधन अभ्यास को प्रदिर्शित नहीं करता है।

S. No.	Function No.	Function Description	Total expenditure	Expenditure during last quarter	% of total expenditure incurred during last quarter
1.	52	Sewerage	903396	793088	87.79
2.	73	Welfare Of Aged	8423	4919	58.39
3.	2	Administration	9076620	5159714	56.85
4.	58	Muncipal Markets	175689	98834	56.25
5.	76	Slum Improvement	2140	1079	50.42
6.	56	Amusement	136445	65992	48.37
7.	11	City & Town Planning	1146991	527576	45.99
8.	71	Welfare Of Women	49309	21809	44.23
9.	25	Storm Water Drains	45797	19450	42.47
		Total	11544810	6692461	

Similarly large sum was spent in the last quarter as per details given below.

Table 1.22: Rush of expenditure in the last guarter (January-2018 to March-2018)	(7 in Thousands)
ISPLE 1.22. VOSILOI EXPERIMENTE III CHE ISPL ANGULEI (19110914-2010 CO MISICH-2010)	(c in mousanus)

The utilization of budget provisions ranged from 22.39 percent to 58.39 percent in the month of March-2018 for eight functions (Table No.1.21) whereas in the last quarter of financial year 2017-18 for nine functions (Table No.1.22) it ranged from 42.47 percent to 87.79 percent which does not portray sound Financial Management practice relating to expenditure in NDMC for the year 2017-18.

अध्याय-2

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का वार्षिक लेखा

परिषद् के वार्षिक लेखो पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी

नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 59 के तहत 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के खातों पर मुख्य लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

1. नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 59 के तहत हमने 31 मार्च 2018 को वित्तिय स्थिति विवरण, आय और व्यय विवरणीका, प्राप्ति और भुगतान खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणीका के वर्ष 2017-18 को लेखा परीक्षा की है। प्रशासन स्थानीय निकायों के लिए भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन जिसमें स्थानीय निकाय के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन नियमावली (एनएमएएम) तथा स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तिय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। इसमें आन्तरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन और रखरखाव की रूप रेखा शामिल है जो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसांगिक है कि वित्तिय विवरण भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त है चाहे वह त्रूटिवस है या धौखाधडी से।

2. लेखा परीक्षा सार्वजनिक सस्थाओं के लिए भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा सिद्धांतों के अनुसार को गई है। इस सिद्धांत को मांग है कि लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाई तथा लागू की जाए जिससे वित्तिय विवरणों के बारे में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके की वह भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त है। लेखा परीक्षा में वित्तिय वितरणों में धनराशि और वित्तिय विवरण में खुलासे का समर्थन करने वाले साक्ष्य के परीक्षण के आधार पर परीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रशासन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तिय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन आकलन भी सम्मलित होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे निष्कर्षों के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

- हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, अस्वीकरण के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- 31 मार्च 2018 की वित्तीय स्थिति विवरण और 2017–18 की अवधी के लिए आय और व्यय के विवरण जिनको इस रिपोर्ट द्वारा तैयार गया हैं उनको राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- प्रासंगिक अभिलेखों और खातों को नगरपालिका परिषद् द्वारा बैंक समाधान विवरणी के अलावा राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली के अनुरूप ही बनाया गया था जैसा की ऐसे अभिलेखों और खातों के हमारे नमूना जांचों से प्रतीत होता है।
- हमने होटलों (लेखा कोड: 130100) से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क के कुछ दस्तावेजों एवं सूचनाओं के अलावा वह जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्य से हमारे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक था।
- नियंत्रण जोखिम (इस बात की संभावना कि भौतिक गलतियों को इकाई की वित्तीय जानकारी में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है या इकाई के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है), उस सीमा तक एनडीएमसी में चिंता का विषय बना हुआ है।

अस्वीकरणः

डिटेक्शन जोखिम की संभावना है कि एक ऑडिट वित्तीय विवरणों में सामग्री के दुरूपयोग का पता नहीं लगा सकता है; यह उच्च स्तर तक रहता है क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन (मानव तथा प्रौद्योगिकी) ऑडिट जनादेश को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। धोखाधड़ी को रोकने की जिम्मेदारी एनडीएमसी के प्रशासन के पास है जिसने प्रमाणित किया है कि वर्ष 2017-18 के दौरान धोखाधड़ी, गवन और चोरी के कारण एनडीएमसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

CHAPTER-2

ANNUAL ACCOUNTS OF NDMC

Audit Comments on the Annual Accounts of the Council

AUDIT REPORT OF THE CHIEF AUDITOR UNDER SECTION 59 OF THE NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL ACT, 1994 ON THE ACCOUNTS OF THE NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC) FOR THE YEAR ENDING 31"MARCH 2018.

1. We have audited the Balance Sheet as on 31st March 2018 and Income & Expenditure Statement, Receipt and Payment Account and Cash Flow Statement for the year 2017-18 of New Delhi Municipal Council (NDMC) under Section 59 of the NDMC Act 1994. The administration is responsible for the preparation and fair presentation of these Financial Statements in accordance with the generally accepted accounting principles in India for Local Bodies which inter alia comprise of National Municipal Accounting Manual (NMAM) and Accounting Standards for Local Bodies. This includes the design, implementation, and maintenance of internal controls relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

2. Audit has been conducted in accordance with the generally accepted auditing principles in India for public entities. These principles require that Audit is planned and performed to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatements. An Audit includes examination, on a test basis, of evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements and assessing the accounting principles used and significant estimates made by the administration, as well as evaluating the overall presentation of Financial Statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our findings.

- 3. Based on our audit, subject to the disclaimer, we report that:
- The Balance Sheet as on 31^{*} March 2018 and the Income & Expenditure Statement for the period 2017-18 dealt with by this Report have been drawn up in the approved format as per NMAM.
- The books of accounts and relevant records have been maintained by NDMC except Bank Reconciliation Statements (BRS), as required under NMAM in so far as it appears from our test check of such books.
- We have obtained the information and explanations, except for some documents/information
 related to License Fee from Hotels (A/c Code: 1301003), which to the best of our knowledge and
 belief were required for the purpose of our audit.
- Control risk (the probability that a material misstatement may not either be prevented from
 entering entity's financial information or may not be detected and corrected by the internal
 control system of the entity), remains a matter of concern in NDMC to that extent.

Disclaimers:

Detection risk is the possibility that an Audit may not detect material misstatement in the Financial Statements; this remains high as resources (human and technological) made available to Audit are completely inadequate to fulfill the Audit mandate. Responsibility of preventing fraud lies with the administration of NDMC which has certified that there was no loss to NDMC due to fraud, embezzlement and theft during the year 2017-18.

- 4.1 वित्तिय स्थिति विवरण
- 4.1.1 उत्तरवायित्व
- वर्तमान उत्तरवायित्व और प्रावधान
- (क) जीपीएफ के र821.17 करोड़ की वेनवारियों का प्रावधान नहीं करना

नगरपालिका परिषद् के वित्तिय विवरणों की अनुसूचि-22 के नोट 6(i) में कहा गया है कि "कर्मचारी के भविष्य निधि खाते के तहत देनदारियों को नगरपालिका परिषद् के खातों में शामिल नहीं किया जाना है"। पैरा 3.14 (बी) (एन एम ए एम) निर्दिष्ट करता है कि वेतन से भविष्य निधि की कटौती उसी अवधी में देयता के रूप में पहचानी जाएगी जिसमें संबंधित बेतन व्यय के रूप में पहचाना जाता है और पैरा 3.14 (सी और डी) के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने के बारे में विचार किया जाएगा और यह शहरी स्थानिय निकाय की जिम्मेदारी होगी की ट्रस्ट बनाए और अगर पूंजी की कमी है तो उसे पूरा करे। भविष्य निधि की पूंजी का निवेश किसी भी कर्मचारी भविष्य निधि पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। लेखा परीक्षा अवलोकन नीचे दिए गए हैं:

(अ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में इस तरह का कोई भी ट्रस्ट नहीं बनाया गया है, तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि के दायित्व को नगरपालिका की वित्तीय स्थिति विवरण से बाहर रखा गया है। इसके अलावा भविष्य निधि के पैसे को राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली के दिशानिर्देशों के अनुसार भी निवेश नहीं किया गया है। यह भी देखा गया है कि 31 मार्च 2018 को भविष्य निधि की कुल देयता ₹821.17 करोड़ थी जबकि इसके विरूद्ध निवेश ₹802.39 करोड़ का ही दिखाया गया था। भविष्य निधि देयता को बैलेंस शीट में नहीं दर्शाने के परिणाम स्वरूप एनडीएमसी की देयता और मौजूदा परिसम्पत्तियों में नहीं आंकी गई है।

(ब) यदि भारत सरकार द्वारा एन. एम. ए. एम. के पैरा 14.30 तहत कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित दर पर न्यासी बोर्ड व्याज का भुगतान करने में असमर्थ हैं, जिस कारण से निवेश पर जो रिटर्न कम है जिस दर पर कर्मचारी को भुगतान करना है उस कमी की भरपायी की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा की वर्ष 2017-18 के दौरान जी पी एफ पर कर्मचारियों को देय व्याज ₹59.83 करोड़ था, जबकि जी पी एफ के निवेश से अर्जित व्याज की गणना एक्रुवल आधार पर नहीं की गई थी। इस प्रकार जी पी एफ पर अर्जित की अपेक्षा किसी भी अधिक राशि को लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित करने योग्य नहीं था। जिसे आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाना है।

(स) आयकर अधिनियम की धारा 80(सी) के अनुसार मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (निर्दिष्ट सीमा के अंदर) में कर्मचारी द्वारा जमा कराई गई राशि आयकर की गणना करते समय आय से कटौती योग्य है। आयकर अधिनियम की अनुसूचि-4 के तहत परिभाषित एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि को अन्य वातों के साथ-साथ निम्न लिखित शर्तों को पूरा करना होता है:

- निधि को दो या दो से अधिक न्यासों में या अधिकारिक न्यास में रखा जाएगा जो सभी लाभार्थियों की सहमति के बिना रद्द करने योग्य नहीं होगा।
- निधि में, ऊपर निर्दिष्ट अनुसार योगदान तथा न्यास के साथ जमा निधि राशि तथा योगदानों और जमाराशि पर ब्याज तथा इससे खरीदी गई प्रतिभूतियां तथा पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ शामिल होगा और कोई अन्य रकम शामिल नहीं होगी।
- नियोक्ता, निधि से कोई भी राशि वसूलने का हकदार नहीं होगा, उन मामलों को छोड़कर जिनमें कर्मचारी को दुर्व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया हो या कर्मचारी ने अपनी सेवा काल की समाप्ति की अवधी से पहले निधि के नियमों में प्रावधान के अनुसार, बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, स्वेच्छा से अपना रोजगार छोड़ दिया हो।
- किसी कर्मचारी की निधि में जमा राशि उस दिन देय होगी जिस दिन वह निधि का रख-रखाव करने वाले मालिक का कर्मचारी नहीं रहेगा।

4.1 BALANCE SHEET

4.1.1 LIABILITIES

(I) CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(A) Non providing of liability of ₹821.17 crore towards Provident Fund

Note 6(I) of Schedule-22 of Financial Statements of NDMC states that "the liabilities under the Provident Fund account of the Employee are not to be incorporated in the accounts of NDMC". However, para-3.14(b) of NMAM specifies that inter alia Provident Fund (PF) deduction from the salary shall be recognized as liability in the same period in which the corresponding salary is recognized as expense. Further, as per NMAM, Para 3.14 (C&D) formation of Trusts shall be considered for management of PF and it will be the responsibility of the Urban Local Body to form the trusts and meet the shortfall of the fund if any; PF/money shall be invested as per the guidelines applicable to any Employee Provident Fund. Audit observations are as follows:

(a) In NDMC no such trust has been formed and liability on account of PF of employees has been kept off the balance sheet of NDMC. Further, the PF money was also not invested as per guidelines of Employees Provident Fund Organization. It is also noticed that as on 31st March 2018 the total liability on account of PF was **₹821.17** crores whereas investment depicted against it was only **₹802.39** crore. Keeping PF liability off the balance sheet has resulted in understatement of liability and current assets of NDMC.

(b) If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared for Employee's Provident Fund by the Government of India then para 14.30 of NMAM should apply i.e. in situations wherein the interest earned is lower than the stipulated rate payable to the employees, the shortfall in payment of interest shall be made good by the Urban Local Body. During the year 2017-18 interest payable to employees on the PF amounted to **₹59.83** crores, however, interest earned from investment of PF was not calculated on accrual basis. Thus any excess amount payable if any (than earned on PF investment) which is chargeable to Income and Expenditure Account was not ascertainable in Audit.

(C) As per section 80 (C) of the Income Tax Act contribution made by an employee towards recognized PF (subject to specified limit) is deductable from income while computing income tax. A recognized PF is defined under the schedule IV of the Income Tax Act has to inter alia fulfill the following conditions:

- The fund shall be vested in two or more trustees or in the Official Trustee under a trust which shall not be revocable, save with the consent of all the beneficiaries.
- The fund shall consist of contributions received by the trustees, of accumulations, thereof, and
 of interest credited in respect of such contributions and accumulations and of securities
 purchased therewith and of any capital gains arising from the transfer of capital assets of the
 fund, and of no other sums.
- The employer shall not be entitled to recover any sum whatsoever from the fund, save in cases
 where the employee is dismissed for misconduct or voluntarily leaves his employment
 otherwise than on account of ill-health or other unavoidable cause before the expiration of the
 term of service specified in this behalf in the regulations of the fund.
- The accumulated balance due to an employee shall be payable on the day he ceases to be an employee of the employer maintaining the fund.

संबंधित आयकर अधिकारी से उपयुक्त मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, 80(सी) के तहत छूट का लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि इसे केन्द्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया हो। लेकिन वित्त और लेखा विभाग द्वारा ऐसी किसी अधिसूचना की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। नगरपालिका परिषद् द्वारा उपरोक्त की अनुपस्थिति में फार्म 16 में नगरपालिका परिषद् के भविष्य निधि ग्राहकों को आयकर में छूट देना आयकर अधिनियम की धारा 80(सी) जो इसे शासित करता है, के अनुपालन में नहीं था।

एक अलग सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट और, इसके एसोसिएटड नियंत्रण तंत्र/स्वतंत्रता के न होने की यह स्थिति, न केवल कर्मचारियों के हितों को असुरक्षित बनाती है, बल्कि एनएमएएम के अनुपालन में भी नहीं है।

लेखा विभाग ने कहा कि यह अवलोकन निधि अनुभाग से संबंधित है । इस प्रकार कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया गया ।

(ख) कर्मचारियों को देय पेंशन की देयता का प्रावधान नहीं करना।

देयताएँ अन्य देनदारियाँ

कर्मचारी देनदारियाँ : ₹2011.50 करोड़

नेशनल म्यूनिसिपल अकांउट्स मैनुअल, नगरपालिका लेनदेन की सही, पूर्ण और समय पर अभिलेखबद्ध सुनिश्चित करने और सटीक और प्रासोंगेक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए डिजाइन की गई लेखांकन नीतियों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों का विस्तार से वर्णन करता है । तदनुसार, मैनुअल का मसौदा तैयार करते समय विभिन्न राज्य सरकारों (नगर निगमों) द्वारा अपने राज्य विशिष्ट नगरपालिका मैनुअल को अपनाना आवश्यक है । पैरा नं0 3.14 राष्ट्रीय नगर लेखा के कर्मचारी संबोधित लेन-देन से संबोधित नियमावली यह निर्धारित करती है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को पूरा करने के लिए एक अलग निधि का गठन किया जा सकता है जिसमें ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को पूरा करने के लिए एक अलग निधि का गठन किया जा सकता है जिसमें ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण आदि शामिल हैं । यह भी निर्धारित किया गया था कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधि के लिए योगदान को एक व्यय और एक दायित्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। योगदान की दर को परिभाषित करने के लिए संबोधित संगठन की आवश्यकता थी । इस तरह की दर के लिए एक आधार आमतौर पर प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित दर पर हो सकता है ।

हालोंकि, यह देखा गया कि एनडीएमसी, एक्चुअरील या अनुमान के आधार पर प्रावधान के बजाय, स्थापना व्यय के तहत नकद आधार पर संबंधित वास्तविक सेवानिवृत्ति खर्चों को पूरा कर रहा था। वर्ष 2016–2017 के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में यह मुद्दा उठाया गया था, जिसमें यह प्रकाश डाला गया था कि 31 मार्च 2017 को पॅशन और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए एक्चुअरील मूल्यांकन ₹3422.63 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹947.45 करोड़ पॅशन निधि का खाता कोड 3101041 के तहत दिखाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹2475.18 करोड़ का कम प्रावधान किया गया था।

वर्ष के दौरान इस मुद्दे की फिर से समीक्षा की गई और यह देखा गया कि 31 मार्च 2018 को खाता कोड 3101041 (पेंशन फंड) के तहत ₹976.01 करोड़ की राशि उपलब्ध के रूप में दिखाई गई थी। हालौंकि, 31 मार्च 2018 तक एक्चुअरील आधार पर प्रदान की जाने वाली राशि की मात्रा का आकलन करने के लिए किए गए किसी भी आकलन का विवरण (अतिशेष लाभ के लिए पेंशन, अवकाश, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ) लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। 31 मार्च 2018 को सेवानिवृत्ति लाभ की ओर प्रदान की गई आवश्यक राशि के अभाव में अपरिवर्तनीय बनी हुई है और परिणामस्वरूप कितनी राशि अधिशेष के साथ-साथ नगर निगम (सामान्य) निधि से अधिक है, यह पता लगाने योग्य नहीं है।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2018 को ₹976.01 करोड़ की राशि (पेंशन निधि के रूप में दर्शायी गई) नगरपालिका (सामान्य) निधि का एक हिस्सा है, इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि प्रावधान के एक विशेष प्रयोजन के लिए जो भी राशि प्रदान की गई है, उसे ऐसे फंड के रूप में दिखाया जाना चाहिए, जो इस तरह के फंड के निर्माण के उद्देश्य को दर्शाता है। इस प्रकार इस राशि को नगर निगम (सामान्य निधि) के तहत दिखाने की प्रथा को अलग से दिखाए जाने के अनुसार समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह भी देखा गया कि जिस राशि को एनडीएमसी के अन्य निवेशों के साथ निवेश किया गया था, उसी से अर्जित व्याज के प्रभाव को पूरी तरह से चित्रित नहीं किया गया था। यह राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली के पैरा 3.20 (जी) के अनुपालन में नहीं था, जिसके अनुसार विशिष्ट योजना के तहत विशेष निधि और अनुदान से किए गए निवेश पर आय को मान्यता दी जाएगी और विशेष निधि और अनुदान को जब भी अर्जित किया जाता है और केवल उस Exemptions under 80(C) of the Income Tax Act can be availed against the PF contributions if it is notified by a gazette notification of the Central Government. However, no copy of such notification could be provided by the Finance and Account Department of NDMC. In the absence of the above, the income tax deduction allowed in the form 16 to the NDMC provident fund subscribers was not in compliance with the Section 80(C) of the Income Tax Act governing the same.

Not having a separate PF trust and its associated control mechanism/ independence, not only leaves the interests of the employees unprotected but is also not in compliance with NMAM.

Accounts Department stated that this observation pertains to Fund Section. Thus no relevant reply was given.

(B) Non Providing of full Liability towards Pension payable to employees

Liabilities: Other liabilities

Employee Liabilities: ₹2011.50 crore

The National Municipal Accounts Manual comprehensively details the accounting policies, procedures, guidelines designed to ensure correct, complete and timely recording of municipal transactions and produce accurate and relevant financial reports. Accordingly, the manual is required to be adopted and followed by the various State Governments (Municipal Corporations) while drafting their state specific municipal accounts manuals. Para no. 3.14(e) relating to Employee Related Transaction of National Municipal Accounts Manual stipulates that separate funds may also be formed for meeting the pension and other retirement benefits including Gratuity and Leave Encashment etc. It was further stipulated that contribution towards pension and other retirement benefit funds shall be recognized as an expense and a liability. Respective organization was required to define the rate of contribution. One basis for such rate could be at the rate generally prescribed for state government employees on deputation.

However, it was observed that instead of creating provisions on actuarial or estimation basis, NDMC was meeting the related actual retirement expenses on cash basis under establishment expenses. This issue was raised in the Annual Audit Report for the year 2016-17, wherein it was highlighted that though the actuarial valuation for pension and retirement benefits as on 31st March 2017 amounted to ₹3422.63 crore against which pension fund amounting to only ₹947.45 crore was shown under the account code 3101041 as on 31st March 2017; resultantly there was short provision of ₹2475.18 crore.

During the year the issue was again reviewed and it was observed that as on 31st March 2018 under the account code 3101041 (Pension Fund) an amount of only ₹976.01 crore was shown as available. However, the details of any estimation done to assess the quantum of amount to be provided (for superannuation and other post retirement benefits) on actuarial basis as on 31st March 2018 was not provided to Audit. In absence of the same the amount required to be provided as on 31st March 2018 towards retirement benefits remains unverifiable and consequently by how much amount the surplus as well as Municipal (General) fund is overstated not ascertainable.

Further it was observed that the amount of ₹976.01 crore (shown as earmarked for pension fund) is a part of Municipal (General) Fund as on 31st March 2018; in this regard, it is pertinent to mention that any amount which has been provided for a specific purpose should have been shown as earmarked fund indicating the purpose of creation of such a fund. Thus the practice of showing this amount under Municipal (General fund) needs to be reviewed. It was also observed that for the amount which was invested for pension, the interest earned out of the same was not depicted separately. This was not in compliance with Para 3.20(g) of the National Municipal Accounting Manual according to which income on investments made from Special Funds and Grants under specific Scheme shall be recognized and credited to Special Fund and Grant whenever accrued and only to be utilized for that specific purpose. This practice also needs to be reviewed. लेखा विभाग ने कहा (सितम्बर 2019) कि पेंशन विनियम तैयार करने का मामला केंद्रीय सरकार के पास लेंबित है जिसे वित्त वर्ष 2019-20 में अंतिम रूप देने की संभावना है । इस प्रकार वर्ष 2017-18 के लिए इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

(ग) वेतन देय - 3501101 - ₹18.07 करोड़

अनुसूची बी-21 के संदर्भ में बिंदु संख्या 4 जिसमें यह दर्शाया गया है कि एनडीएमसी वित्तीय वर्षों के वेतन के लिए मार्च से फरवरी को आधार मानती है । इसलिए, कर्मचारी लागत जैसे, वेतन, बोनस, कर्मचारी कल्याण व अन्य संबंधित स्थापना व्यय वेतन और अन्य भत्तों पर व्यय के रूप में पहचाना जाता है और जब भुगतान देय होता है, तब वेतन बिल का आहरण (यानि महीने के अंत) में किया जाता है ।

वेतन देय के संबंध में खाता-वही की जांच करते समय यह देखा गया कि 31 मार्च 2018 को ₹18.07 करोड़ देय था जबकि वेतन के भुगतान के लिए मार्च-फरवरी के आधार पर वेतन देयता का कोई बड़ा बकाया 31 मार्च 2018 को नहीं होना चाहिए था।

लेखा विभाग ने कहा कि वह पूरी तरह से सहमत है कि वेतन, वोनस की देयता का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए और उसी का पालन किया जा रहा है। 31 मार्च 2018 को देय वेतन वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित नहीं है। कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण पिछले वर्षों से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे ठीक किया जाएगा। इस प्रकार यह देयता उसी राशि से अधिक हो जाती है।

(घ) भारत सरकार की मांग के दायित्वों के लिए प्रावधान नहीं किया जाना ।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पता चला कि तीन होटल (ताज मान सिंह, होटल भारत और होटल ले-मेरिडियन) के संबंध में भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली की मांग वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों में देवता के रूप में ₹801.03 करोड़ की राशि प्रदान नहीं की गई है।

लेखा विभाग ने कहा (सितम्बर 2019) में कहा गया है कि कुछ होटलों पर एल एंड डीओ द्वारा उठाए गए दुरूपयोग के आरोपों के संबंध में ₹801.02 करोड़ की देनदारी का उल्लेख 2018-19 में किया गया है । यह जवाब अप्रासंगिक है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित है ।

जिसके परिणामस्वरूप वित वर्ष 2017-18 में वर्तमान देनदारियाँ र801.03 करोड़ तक कम हो गई।

4.1.2 परिसम्पत्तियाँ

(।) स्थिर परिसम्पत्तिया

(क) स्थिर परिसम्पत्तियों की हकदारी का अपूर्ण प्रकटीकरण

नोट-1.1(1) (लेखाओं के लिए टिपप्णी) की अनूसची बी-22 कहता है कि कुछ अचल सम्पत्तियों के संबंध में कानूनी हकदारी स्थापित करने संबॉधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह नोट अपूर्ण है क्योंकि इसमें उन सम्पत्तियों के विवरण नहीं हैं जो न.दि.न.परिषद् के कब्जे में है लेकिन उनकी कानूनी हकदारी इसके पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वित्तीय विवरणीकाएं इसके पाठक को अचल सम्पत्तियों के संबंध में सही और पूर्ण जानकारी नहीं देती। इस मुद्दे को 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में भी उठाया गया था परन्तु कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹2188.76 करोड़ (अनुसूची बी-11बी)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों 5(1) के अनुसार, अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण का मूल्यांकन उनके खरीद या निर्माण की माध्यम से अर्जित परिसम्पत्तियों उनके अधिग्रहण की लागत या निर्माण की लागत को पूरा करने पर मूल्यवान हैं। जबकि प्रगति में पूंजीगत के काम से संबंधित 5 (ii) यह निर्धारित करता है कि परिसंपत्ति या परियोजना के पूरा होने या निर्माण तक पूंजीगत व्यय को सी डब्ल्यू आई पी के अंतर्गत रखा जाता है। नोट्स टू अकाउंट्स (2017–18) 1 (1) (अप) उस राशि को निर्धारित करता है जो प्रगति के पूंजीगत कार्य के तहत मौजूदा राशि को (2004–05 के बाद से) एबीएएस की सबौंतम प्रयासों के बावजूद प्रत्येक संपत्ति से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता के कारण पूंजीगत नहीं किया गया है। इस प्रकार खातों के नोट लेखांकन नीति के अनुपालन में नहीं है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 को कुल स्थाई संपत्ति का ब्लॉक र354.90 करोड़ का और सीडब्ल्यूआईपी र2188.76 करोड़ था। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा गैर-पूंजीकरण (2004–05 के बाद से) के प्रभाव का पता लगाने के लिए काम करने का (यदि कोई हो) विवरण मांगा गया था, लेकिन ऑडिट के लिए प्रदान नहीं किया गया था। इस तरह विवरण के अभाव में गैर-पूंजीकरण और परिणामस्वरूप गैर-मूल्यहा्स का प्रभाव वित्तीय विवरण पर 2004–05 से 2017–18 तथा निर्मित/पूर्ण परिसमत्तियों पर लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका। Accounts Department stated (September-2019) that the matter of formulation of Pension Regulations is pending with Central Govt. and likely to be finalized in Financial Year 2019-20. Thus no action has been taken in this regard for the year 2017-18.

(c) Salary Payable - (3501101) - ₹18.07 crores

A reference is invited to Schedule B-21, point no. 4 wherein, it has been disclosed "NDMC is following March to February basis for recognizing salaries for the financial year." Hence, the Establishment Expenses including employee cost namely; salary, bonus, employee welfare, other related costs and other allowances are recognized as and when they are due for payment on drawing of Pay Bill (i.e. at the month end).

During scrutiny of ledger in respect of Salary Payable, it was observed that as on 31st March 2018, ₹18.07 crore was payable whereas in the March-February basis for payment of salary there should not be any huge outstanding of salary as on 31st March 2018.

The Accounts Department stated that it totally agreed that liability on account of salary, bonus should be disbursed at the year end and the same is being followed. The salary showing payable as on 31^e March 2018 does not pertain to FY 2017-18. It is being carried forward from previous years due to some technical error and this will be rectified.

Thus this liability is overstated by the same amount.

(D) Demand of Govt. of India not provided for Liability

Scrutiny of records revealed that there was demand of Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, Land and Development Office, New Delhi in respect of three hotels (Taj Man Singh, Hotel Bharat and Hotel Le-Meridian) to the tune of ₹801.03 crore which has not been provided as liability in the Financial Statements for the year 2017-18.

The Accounts Department stated (September-2019) that a liability of ₹801.02 crore in respect of misuse charges raised by L&DO on certain hotels has been mentioned in 2018-19. The reply is irrelevant as comment pertains to financial year 2017-18.

This has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹801.03 crore in financial year 2017-18.

4.1.2 ASSETS

(I) FIXED ASSETS

(A) Deficient disclosure regarding title of Fixed Assets

Note 1.1(I) in Schedule B-22 (Notes to Accounts) states that records establishing legal title in respect of some of the fixed assets are not available. The note is deficient as it does not state the particulars of fixed assets which are in possession of NDMC but legal title thereof is not available with it. Thus Financial Statements do not give the correct and full information regarding Fixed Assets to the reader of the Financial Statement. The point was also raised during 2014-2015, 2015-2016 and 2016-17 but no corrective action has been taken.

(B) Capital-Work-in-Progress: ₹2188.76 crore (Schedule B-11b)

As per Significant Accounting Polices 5(1) Fixed Assets stipulates that the assets acquired by way of purchase or construction are valued at their cost of acquisition or cost of construction on completion. Whereas 5(II) relating to Capital Work in Progress (CWIP) stipulates that capital expenditures attributable to a particular asset are kept under CWIP till completion or construction of asset or project. Notes to Accounts (2017-18) 1(I)(vi) states that amount existing under the CWIP has not been capitalized (since 2004-05 onwards) due to non-availability of data related to each asset despite best efforts. Thus the note to accounts is not in compliance with the accounting policy. As a result the Gross Block of Fixed Assets as on 31^e March 2018 was only **₹354.90** crore and CWIP was **₹2188.76** crore. In this regard the details of working (if any) done by the management, to ascertain the impact of non-capitalizing the assets (since 2004-05) was called for but was not provided to Audit. In absence of such details the impact on financial statement due to non-capitalization and consequent non-charging of depreciation since 2004-05 onwards to 2017-18 on assets constructed/completed remains unverifiable in Audit.

(॥) निधि से पूंजीगत व्ययः खाता कोड 490 : ₹231.97 करोड़

अचल सम्पति के खातों के संबंधित मदों के तहत किये पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण ''फंड से पूँजीगत व्यय'' के तहत अचल सम्पति पर पूँजीगत व्यय खातों के मुख्य शीर्ष के अंतर्रगत दर्शाया गया है। ये धनराशि सांसद/विधायक निधि आदि से प्राप्त की गई है।

अचल संपत्ति के खातों से संबंधित मदों के तहत निधि से किये गये पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण कर ₹231.97 करोड़ पूंजीगत व्यय लेखामद के तहत दर्शाया गया था। इससे निश्चित परिसंपत्तियों का अधिशेष और व्यय से अधिक आय का अधिशेष और इन निश्चित परिसंपत्तियों के मूल्यहा्स की सीमा तक वर्ष के लिए व्यय का बोध होता है। यह मुद्दा 2014-15, 2015-16, और 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था लेकिन अब तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(III) अन्य परिसंपत्तियां (अनुसूचि बी-19) - ₹141.03 करोड़

एन एम ए एम (पैरा 12.7 ई एंड एफ) के अनुसार ''जमा कार्य के तहत प्राप्त जमा को उस समय तक दायित्व माना जाएगा जब तक कि जिस परियोजना के लिए धन प्राप्त हुआ है, वह पूरा हो गया है। परियोजना के पूरा होने पर, इसके खिलाफ होने वाली लागत दायित्व से कम हो जाएगी।

हालौंकि, 31 मार्च 2018 को, पिछले चार वर्षों के दौरान पूरी हो चुकी परियोजना को समायोजित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति एवं दायित्व बढ़े हुऐ थे तथा उनपर प्राप्त राजस्व को दर्ज नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप सम्पतियों और देनदारियों में वृद्धि हुई है और सेवा मार्जिन के रूप में पूर्ण परियोजनाओं पर राजस्व की गैर बुकिंग हुई है।

उपरोक्त अवलोकन 2016-17 के लेखा परीक्षा के दौरान भी जारी किया गया था। इस बिंदु को वित्त और लेखा द्वारा स्वीकार किया गया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखा विभाग ने कहा (सितंबर 2019) कि जमा कार्य के दायित्व और व्यय पक्ष के तहत 31 मार्च 2017 को लंबित शेष राशि के लिए कार्यवाई को कार्यकारी मंडल द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जमा कार्य पूरा होने के बाद व्यय के साथ दायित्व को समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सत्यापन के लिए ऑडिट को ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा उत्तर वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित टिप्पणी के अनुसार अप्रासंगिक है।

(IV) सर्कल खंड : भूमि (अनुसूचि बी-11) - ₹2.67 करोड़

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा के दौरान एल एंड डी ओ द्वारा एनडीएमसी को आर्वोटेत भूमि मूल्य के ₹14.77 करोड़ के मूल्य को पूंजीगत नहीं करणा था संबंधित मुद्दा उठाया गया था, जिसके लिए अगस्त 2016 में राशि का भुगतान भी किया गया है। एनडीएमसी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वर्ष 2017-18 में की जाएगी। हालांकि, इस रिकॉर्ड में कोई भी कार्रवाई वर्ष 2017-18 में नहीं की गई। नतीजतन, सीडव्ल्यूआईपी बढ़ी हुई तथा अचल संपत्तियों को ₹14.77 करोड़ से घटा हुआ समझा जाता है।

लेखा विभाग ने कहा (सितंबर 2019) कि लेनदेन का पता नहीं लगाया जा सकता है और साथ ही अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद संबंधित विभाग से कोई जवाब नहीं मिला है । परिणामस्वरूप भूमि के खिलाफ तुलन पत्र में दिखाया गया आंकड़ा उस सीमा तक समझा जाता है ।

(V) वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(क) नकद और बैंक अंत शेष

31 मार्च 2018 को बैंक समाथान विवरण (बीआरएस) लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे । बीआरएस के अभाव में निम्नलिखित जोखिमों से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

 खातों से अनधिकृत भुगतान या निकासी: बीआरएस की अनुपस्थिति में किसी भी अनधिकृत भुगतान या किए गए निकासी का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(II) Capital Expenditure from Fund : Account Code: 490 : ₹231.97 crore

Misclassification of Capital Expenditure on Fixed Assets under "Capital Expenditure from Fund" instead of classifying the same under respective heads of accounts of fixed assets. These funds are received from MP/MLA fund etc.

An amount of ₹231.97 Crores depicted under the head of account 'Capital Expenditure from Fund' comprises of fixed assets put to use. This has resulted in overstatement of Fixed Assets and Surplus of Income over Expenditure and understatement of expenditure for the year to the extent of depreciation of these Fixed Assets. The issue was also raised during 2014-15, 2015-16 and 2016-17 but no remedial action has been taken so far.

(III) Other Assets (Schedule B-19) - ₹141.03 crore

As per NMAM (para 12.7.e&f) "Deposits received under Deposit work" shall be treated as liability till such time the project for which money received, is completed. Upon completion of project, the cost incurred against it shall be reduced from liability.

However, as on 31^e March 2018 the projects which have been completed during the last four years have not been adjusted, resulting in inflated Assets and Liabilities and non booking of revenue earned there on as service margin. The above observation was issued during the audit of 2016-17 Accounts also.

Accounts Department stated (September-2019) that action for pending balances as on 31st March 2017 under liability and expenditure side of Deposit Work has been nullified as Executive Division(s) has been instructed to adjust the liability with expenditure after completion of deposit work. However no such records were provided to Audit for verification. Moreover the reply is irrelevant as comment pertains to financial year 2017-18.

(IV) Gross Block

Land (Schedule B-11)-₹2.67 crores

During the Annual Accounts Audit for the year 2016-17, issue relating to non-capitalization of land valuing ₹14.77 crore allotted to NDMC by L&DO was raised for which amount has also been paid in August-2016. It was assured by the NDMC that the corrective action in this regard will be taken up in the year 2017-18. However, no action in this regard was found to be taken in the year 2017-18. Consequently, the CWIP is overstated and Fixed Assets are understated by ₹14.77 crore.

Accounts Department stated (September-2019) that said transaction could not be traced and there was no reply from the concerned division in spite of follow up. Resultantly the figure shown in the Balance Sheet against Land remains understated to that extent.

- (V) Current Assets
- (A) Cash and Bank Balances

Bank Reconciliation Statements (BRS) as on 31st March 2018 were not provided to Audit. In the absence of BRS following risks cannot be Ruled out.

 Unauthorized payments made or withdrawal from the Accounts: Any unauthorized payment or withdrawal made cannot be detected in the absence of BRS. . <u>वैंक द्वारा किए गए गलत जमा और पैसे की शेष राशि का पता चला है</u>: यदि वैंक गलत तरीके से एन. डी.एम.सी के खाते में डेबिट करता है और/या अनाधिकृत व्यक्ति को भुगतान करता है, तो यह बी आर एस की अनुपस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है।

• <u>बैंक द्वारा दूसरे के खाते में या तो जमा या जमा नहीं किया गया धनः</u> मामले में धन को नकद बही में जमा के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में जमा नहीं किया जाता है या धन जमा नहीं किया जाता है, लेकिन क्रेडिट गलत पार्टी के खाते में दिया जाता है, जिसे बीआरएस के बिना पता नहीं लगाया जा सकता है।

<u>बैंक पास बुक और कैश बुक के बीच अंतर का पता चलाः</u> किसी भी तारीख को कैश बुक और बैंक पास बुक के समापन संतुलन में अंतर बीआरएस की अनुपस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है।

पुराने चेक की स्थिति का पता चला है: यदि कोई चेक जारी किया जाता है, लेकिन समाप्ति की तारीख से पहले भुगतान के लिए बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे चेक की सूची केवल बी आर एस और तदनुसार उठाए गए चरणों के माध्यम से तैयार की जा सकती है; बीआरएस की अनुपस्थिति में यह सत्यापन संभव नहीं है।

 <u>बैंक द्वारा अनधिकृत शुल्क/लेवी बकाया नहीं है</u>: यदि बैंक किसी भी प्रकार के शुल्क लगाता है और खाता डेबिट करता है तो बी आर एस की अनुपस्थिति में असत्यापित रहेगा।

(ख) विविध वेनवार (प्राप्तियां) ₹6088.76 करोड़

(अ) विविध वेनवारों को विखाने में राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली तथा नई विल्ली नगरपालिका परिषद् लेखा नियमावली से प्रस्थान

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की लेखा नीति संख्या 3.6 (i) जो संपत्ति और अन्य करों से संबंधित है का कहना है कि दो साल से अधिक बकाया संपत्ति कर की मांग के संबंध में निम्न लिखित मानदडों के आधार पर प्रावधान किया जाएगा:

2 साल से 3 साल के लिए बकाया	25 प्रतिशत
3 साल से 4 साल के लिए बकाया	50 प्रतिशत
4 साल से 5 साल के लिए बकाया	75 प्रतिशत
5 से अधिक वर्षों के लिए बकाया	100 प्र तिशत

हालांकि अनुसूची बी-15 विविध देनदार (प्राप्तियां) विविध देनदरों के आयु-वार विश्लेषण को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली को आवश्यकतानुसार तैयार नहीं किया गया है। नतीजतन संदिग्ध प्राप्तियों के लिए ₹2415.14 करोड़ का संचित प्रावधान किया गया है, अनुसूची बी-22 के नोट 6(एम) में यद्यपि इसका खुलासा किया है, उसी टिप्पण को 5 र साल से अधिक समय से किसी भी उपचारत्मक कार्यवाही के बिना प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्त और लेखा विभाग ने वर्ष 2016-2017 के ऑडिट के दौरान इसे स्वीकार किया और कहा (जून 2018) कि वर्ष 2017-18 के लिए खातों में इस मुद्दे का ध्यान रखा जाएगा लेकिन कोई सुधारात्मक कार्यवाई नहीं की गई है।

लेखा विभाग ने कहा (सितम्बर 2019) कि संबंधित प्रमुख राजस्व उपार्जन विभागों से आयु-वार प्राप्य के संबंध में उचित जानकारी नहीं होने के कारण, चित्रण गलत है और संबंधित विभागों को आयु-वार प्राप्य तैयार करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

संविग्ध प्राप्य के खिलाफ संचित प्रावधान: (-) ₹6088.76 करोड़

परीक्षण जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि:

 "अनुसूची बी-15" के अनुसार- विवध ऋणदाता (प्राप्य), 31 मार्च 2018 को प्राप्य कुल राशि ₹6088.76 करोड़ थी, जवकि वित्तीय विवरण के साथ देनदारों के खिलाफ प्रावधान के संबंध में प्रदान की गई आयु वार स्थिति और गणना इंगित करती है। 31 मार्च 2018 को कुल प्राप्य ₹5637.35 करोड़ था।

- Wrong debits made by Bank and money withdrawn remaining undetected: If bank wrongly
 debits the Account of NDMC and/or makes the payment to unauthorized person, it cannot be
 detected in the absence of BRS.
- Money either not deposited or credited by Bank in other's Account: In case money is depicted as deposited in cash book but is actually not deposited or money is deposited but credit is given to the account of wrong party it cannot be detected without BRS.
- Differences between Bank Pass book and Cash book remaining detected: Differences in the closing balance of cash book and bank pass book on any given date cannot be detected in absence of BRS.
- <u>Status of stale cheques remaining undetected</u>: In case any cheque is issued but not presented to bank for payment before expiry date, the list of such cheques can only be prepared through BRS and steps taken accordingly; in the absence of BRS this verification is not possible.
- Unauthorized charges/levies by bank remaining undetected: In case bank levies any kind of charges and debits the account the same will remain unverified in the absence of BRS.
- (B) Sundry Debtors (Receivables) ₹6088.76 crores.
- (a) Departure from NMAM in Depiction of Sundry Debtors.

Para 3.6 (i) of NMAM stipulates that in respect of the demand of the Property Tax outstanding beyond two years, provision shall be made on the following terms:

Outstanding for 2 years - 3 years	25 percent
Outstanding for 3 years - 4 years	50 percent
Outstanding for 4 years - 5 years	75 percent
Outstanding for beyond 5 years	100 percent

However, Schedule B-15 in respect of Sundry Debtors Receivables has not been prepared in accordance with the requirement of the NMAM to depict proportionate age-wise analysis of Sundry Debtors. As a result, accumulated provision of ₹2415.14 crore for doubtful receivable has been made on a rough estimation. Although Note 6 (m) of Schedule B-22 discloses this, the same Note is being produced for more than 5 years³ without any remedial action. Finance and Account Department accepted it during the audit for the year 2016-17 and stated that the issue will be taken care of in the Accounts for the year 2017-18 but no corrective action has been taken.

Accounts Department stated that (September-2019) due to not having appropriate information regarding age-wise receivables from the concerned major revenue earning Departments, the depiction is incorrect and concerned Departments have been asked to prepare age-wise receivables. Thus no concrete action has been taken in this regard.

(b) Accumulated provisions against Doubtful receivable : (-) ₹6088.76 crore

During the course of audit on test check basis, it was observed that:

 As per "Schedule B-15" - Sundry Debtors (receivables), the total amount receivable as on 31" March 2018 was depicted as ₹6088.76 crore, whereas the year wise position and calculation provided regarding provision against debtors in the same financial statement the total receivable shown as on 31" March 2018 was ₹5637.35 crore.

Note 2: In the AAR - 2017 this period was mentioned 4 years now it is 5 years.

2. इसी तरह 31 मार्च 2018 वित्तीय विवरण के अनुसार प्राप्य के लिए सॅचित प्रावधान ₹2415.14 करोड़ (अनुसूची बी-15 ए) थे। जबकि वित्तीय विवरण के साथ देनदारों के खिलाफ प्रावधान के संबंध में प्रदान की गई आयु-वार स्थिति और गणना इंगित करती है कि उसी के खिलाफ प्रदान किए गए सॅदिग्ध ऋण के प्रावधान ₹2500.80 करोड़ थे। इस प्रकार ''अनुसूची बी-15 (ए)'' के अनुसार प्रावधानों को ₹85.66 करोड़ समझा गया था जो कि प्रावधान के अनुसार आयुवार गणना में दर्शाए गए थे।

3. 2017-18 के लिए देनदारों के लिए प्रावधान (आयुवार) के अनुसार, विजली की कुल प्राप्य राशि ₹77.85 करोड़ और प्रवर्तन के विरूद्ध, ₹21.35 करोड़ 31 मार्च 2018 के अनुसार प्रदान की गई राशि क्रमश: ₹138.63 करोड़ और ₹24.38 करोड़ था। इस प्रकार, प्रदत्त राशि क्रमश: ₹60.78 करोड़ (विद्युत) और ₹3.04 करोड़ (प्रवर्तन) प्राप्य राशि से अधिक थी। चुँकि प्रदान की गई राशि प्राप्तियों से अधिक नहीं हो सकती है, इस तथ्य की विशेष रूप से समीक्ष करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विवरण मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके अभाव में दिये गये आंकडों एवं उनके वित्तीय विवरणी पर होने वाले प्रभावों की सत्यता की जांच नहीं किया जा सका।

लेखा विभाग ने कहा (सितम्बर 2019) की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सुधार के लिए कार्रवाई की गई है। यह जवाब अप्रासंगिक है क्योंकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित टिप्पणी।

(स) अन्य स्रोतों से प्राप्तः ₹448.74 करोड़

खाता कोड 4314001 (अन्य स्रोतों से प्राप्त सामान्य निधि निवेश से प्राप्त व्याज) के अनुसार, एफडीआर,पर व्याज 31 मार्च 2018 को ₹446.75 करोड़ था। जबकि लेखा विंग द्वारा लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत गणना के अनुसार, राशि ₹498.04 करोड़ है। इस प्रकार ₹51.29 करोड़ (₹498.04 करोड़ - ₹446.75 करोड़) का अंतर था।

लेखा विभाग ने कहा (सितंबर 2019) कि अंतर का कारण केवल लेखा परीक्षा और निवेश शाखा द्वाराअपनाई गई गणना की विधि में परिवर्तन के कारण है और वित्त वर्ष 2018-2019 से इसे अधिक सटीक रूप से आंकने का प्रयास किया गया है ।

यह उत्तर प्रभावी नहीं है क्योंकि लेखा/निवेश शाखा द्वारा प्रदान की गई विस्तृत गणना पत्रक (₹498 करोड़) में दिए गए आंकड़ों के साथ ₹446.75 करोड़ के खाता-बही के आंकड़े मेल नहीं खाते हैं।

पुनः ओंडिट को प्रस्तुत जमा व्याज गणना के जांच से पता चला है कि संबंधित वित्तीय वर्ष में एफडीआर पर व्याज की बुकिंग की प्रणाली सही नहीं थी। जिस तिमाही में इस तरह का निवेश किया जाता है, उसे दिन के आधार पर व्याज की गणना के बजाय, तिमाही के लिए अर्जित व्याज को मान्यता दी गयी। यह अभ्यास लेखांकन के नियमों के साथ-साथ लेखांकन की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, जिसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखा विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2018-2019 में, दिनों के आधार पर अर्जित ब्याज की गणना करने का प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 से संबंधित टिप्पणी के अनुसार लेखा विभाग का उत्तर अप्रासंगिक है।

(ड) सरकारी भवन (सेवाशुल्क) र4344.32 करोड़

सरकारी भवनों से प्राप्य कर का अनुचित चित्रण

यद्यपि 31 मार्च 2018 को ₹4344.32 करोड़ की उपर्युक्त प्राप्य राशि सरकारी भवनों से सेवा शुल्क एवं प्राइवेट सम्पत्तियों से समपत्ति कर से संबंधित है लेकिन चित्रण किया गया है जैसे कि पूरी राशि केवल सरकारी भवनों से प्राप्य है। यह बिंदु 2016-17 के लेखा-परीक्षण के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

(इ) (i) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अध्याय-2 में छपे पैरा नं0 4.1.3 (बी) के संदर्भ में लिए, जिसमें यह इंगित किया गया था कि ₹28.45 करोड़ की कमाई व्याज की गलत गणना था। वर्ष 2017-18 के खातों की जांच के दौरान यह देखा गया है कि वर्ष 2017-18 के लिए खातों में कोई सुधारात्मक प्रविष्टि पारित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार म्युनिसिपल (सामान्य) फंड को ₹28.45 करोड़ से अधिक बताया गया है। 2. Similarly the accumulated provisions for doubtful receivable as per financial statement as on 31^e March 2018 were depicted as ₹2415.14 crore (Schedule B-15a), whereas the year wise position and calculation provided regarding provision against debtors along with the same financial statement indicates that the provisions for doubtful debts provided against the same were ₹2500.80 crore. Thus the provisions as per "Schedule B-15(a)" were ₹85.66 crore than the provisions as shown in the year wise calculation furnished.

3. As per details (year wise) of provision against debtors for the year 2017-18, against the total receivable towards Electricity amounting to ₹77.85 crore and Enforcement amounting to ₹21.35 crore, the amount shown as provided for as on 31st March 2018 was ₹138.63 crore and ₹24.38 crore respectively. Thus, the amount provided for was in excess of receivable by ₹60.78 crore (Electricity) and ₹3.04 crore (Enforcement) respectively. As the amount provided for cannot exceed the amount receivables, this needs to be reviewed specially due to the fact that in absence of details of above, which were called for but not furnished to audit, the authenticity of these figures and impact of the same on the financial statement remain unverifiable in Audit.

Accounts Department stated (September-2019) that action for correction has been taken in current Financial Year 2018-19. The reply is irrelevant as the comment pertains to financial year ended on 31st March 2018.

(C) Receivable from other sources : ₹448.74 crore

As per Account code 4314001 (receivable from other sources Accrued interest from General Fund Investment), the accrued interest on FDRs was ₹446.75 crore as on 31st March 2018. Whereas as per the detailed calculation furnished to audit by the Accounts wing, the amount was ₹498.04 crore. Thus there was a difference of ₹51.29 crore (₹498.04 crore - ₹446.75 crore).

Accounts Department stated (September-2019) that the reason of difference is only due to the change in method of calculation adopted by Audit and Investment Branch and from the FY 2018-19, it has been attempted to work out the accrual figure more accurately.

The reply is not convincing as the original ledger figures of ₹446.75 crore does not match with the figures given in the compiled calculation sheet (₹498 crore) provided by the Accounts/Investment Branch and thus remain unreconciled.

Further test check conducted in respect of Accrued interest calculation submitted to Audit, revealed that the quarter in which an investment is made, instead of recognizing the interest on the basis of days for which sum remained invested, interest accrued is recognized for the whole of such quarter. This practice is not in line with the accounting principles of accrual as well as matching concept of accounting, hence needs review.

The Accounts Department stated that in the current FY 2018-19, it has been attempted to work out the accrued interest on "days" basis. The reply of the Accounts Department is irrelevant as the comment pertains to financial year 2017-18.

(d) Government Buildings (Service Charges) : ₹4344.32 Crore

Improper depiction of property tax receivable from Government Buildings

Though the above receivable of ₹4344.32 crore as on 31st March 2018 pertains to Property Tax in respect of private properties and Service Charges in respect of Government Buildings but the whole amount has been depicted as if the entire amount is receivable only from Government Buildings. This point was raised during 2016-17 Accounts audit also but no action has been taken.

(e) (i) A reference is invited to para No.4.1.3(B) printed in Chapter-2 of the Annual Audit Report for the year ended March-2017 wherein it was pointed out that there was miscalculation of interest earned to the tune of ₹28.45 crore. During scrutiny of Accounts for the year 2017-18 it has been observed that no corrective entry has been passed in the Accounts for the year 2017-18. This has resulted in overstatement of 'Sundry Debtors', 'Municipal (General) Fund' by ₹28.45 crore. लेखा विभाग ने कहा कि 31 मार्च 2019 को, सिस्टम में दिखाए गए एफ डी आर की राशि एन.डी.एम.सी के साथ उपलब्ध एफडीआरएस की कठोर प्रतियों के साथ मेल खाती है। जहां तक 2016-17 में ब्याज की गलत गणना का सवाल है, ऐसा लगता है कि इसे ठीक कर लिया गया होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खातों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाने का कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया। इसके अलावा लेखा विभाग का उत्तर सभावनाओं पर आधारित एवं अप्रासॉगक है।

(ii) वर्ष 2014-15 के दौरान एक्सिस बैंक द्वारा ₹5.86 करोड़ की राशि जमा की गई थी, इस राशि में से ₹5,40,95,639 रूपये की राशि संबंधित बैंक द्वारा टी.डी.एस. के रूप में अर्जित व्याज पर घाटे गए थे और पूर्व अवधि में बैंक द्वारा किए गए कम भुगतान से जुड़े ₹0.45 करोड़ से संबंधित थी। एनडीएमसी ने जोर दिया कि परिपक्वता के समय उस तरह से भुगतान करने के बजाय, व्याज के साथ पूर्ण भुगतान एनडीएमसी ने जोर दिया कि परिपक्वता के समय उस तरह से भुगतान करने के बजाय, व्याज के साथ पूर्ण भुगतान एनडीएमसी ने जोर दिया कि जाये। बैंक एनडीएमसी के अनुरोध पर सहमत हुए और तदनुसार एनडीएमसी के खाते में जमा की गई राशि मई 2016 के महीने में ऐक्सिस बैंक को वापस कर दी गई। हालांकि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2018 को निवेश के तहत ₹5,40,95,639/- करोड़ की राशि अभी भी (2017-18) दिखाई जा रही थी। चूंकि राशि पहले ही संबंधित बैंक को वापस कर दी गई है, इसलिए इसे निवेश में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार निवेश र5,40,95,639/- करोड़ से अधिक हो गया।

लेखा विभाग ने कहा कि इस आशय का सुधार वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2018–19 में किया गया है । यह जवाब अप्रासोंगक है क्योंकि यह टिप्पणी 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है ।

आय और व्यय विवरण

4.1.3 आय

(क) कर राजस्व- सम्पत्ति कर से ₹1080.99 करोड़ की आय का गलत समावेश

मजबूत और दूरदर्शी लेखांकन सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि राजस्व सग्रह में अनिश्चितता होने पर राजस्व को वित्तिय विवरणों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारत के चार्टर्ड आकाउंटेंट संस्थान द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लेखा और वित्तीय प्रेषणों से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शिका निर्धारित करती है कि जहां पर संपत्ति कर की प्राप्ति में महत्वपूर्ण विलम्ब होता है तो संपत्ति कर संशोधित संचय आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एक वित्त वर्ष से संबंधित संपत्ति कर को उसी वित्त वर्ष के दौरान वसूल कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, एक वित्त वर्ष से संबंधित संपत्ति कर को उसी वित्त वर्ष के दौरान वसूल कर लिया जाता है या इसके खत्म होने के यथोचित अवधि के भीतर एकत्रित (मानों दो महीने) कर लिया जाता है तो इसे उस वित्त वर्ष का राजस्व मानना चाहिए। जबकि निर्दिष्ट तारीख के बाद एकत्रित संपत्ति कर को उस अवधि के लिए राजस्व मानना चाहिए जिसमें राशि वास्तव में प्राप्त हुई है।

एनडीएमसी ने एनडीएमसी के संशोधित उपनियमों के आधार पर वर्ष 2015-16 के दौरान संपत्ति कर की एक संशोधित मांग को उठाया था, जिसके अनुसार एक निर्धारिती (डीजीसी) वार्षिक रिटेबल मूल्य ₹2.53 करोड़ से बढ़कर ₹420.54 करोड़ हो गया। वार्षिक संपत्ति कर पर। हालौंकि, दिल्ली की उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2017 के आदेश से इसे रद्द कर दिया था, नए उप-कानूनों को एनडीएमसी अधिनियम के अधिकारातीत के रूप में प्रभावित किया था। क्योंकि वे धारा 388 (1) ए(9) के तहत एनडीएमसी में निहित शक्तियों के दायरे से अधिक में थे।

इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि निर्धारिती से ₹1020.53 करोड़ की संपत्ति कर की ओंतेम वसूली में महत्वपूर्ण काफी अनिश्चितता है। जब राजस्व संग्रह को स्थगित करते हुए, राजस्व की गैर-मान्यता के लिए उपयुक्त कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए था।

नोट 3 : विल्ली गोल्फ क्लब

4 : अगस्त 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने उप कानूनों को रद्द कर दिया और 22 जनवरी 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीछा किया गया। Accounts Department stated that as on 31st March 2019, the amount of FDRs shown in system matches with the hard copies of FDRs available with NDMC and as far as miscalculation of interest in 2016-17 is concerned, it seems that the same might have been corrected. Reply is not acceptable as Department not only failed to provide any specific document depicting that corrective action has been taken.

(ii) During the year 2014-15 an amount of ₹5.86 crore was credited by AXIS bank; out of this amount an amount of ₹5,40,95,639/- was related to the TDS deducted by the respective bank on the interest paid/accrued and ₹0.45 crore related to short payment made by the bank in the previous period. NDMC insisted that instead of making the payment in that way, at the time of maturity full payment along with interest may be paid to the NDMC. Bank agreed to the request of the NDMC and accordingly the amount so credited in the Account of NDMC was returned to the AXIS Bank in the month of May-2016. However, it was observed that an amount of ₹5,40,95,639/- was still appearing (2017-18) under investments of ₹5317.94 crore as on 31" March 2018. As the amount has already been returned to the respective Bank, the same should not be included under investments. Thus investments were overstated by ₹5,40,95,639/-.

The Accounts Department stated that the correction to this effect has been done in the Financial Year i.e. 2018-19. The reply is irrelevant as the comment pertains to financial year ended on 31^e March 2018.

INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

4.1.3 INCOME

(A) Tax Revenue -- Incorrect inclusion of ₹1080.99 crore as income from Property Tax

Prudence and sound accounting principle requires that revenue should not be recognized in the financial statements when there is uncertainty in the collection of the same. The Technical Guide on Accounting and Financial Reporting by the Urban Local Bodies issued by the Institute of Chartered Accountants of India stipulates that if there are significant delays in realization of Property Tax, Property Tax should be recognized on modified accrual basis. Thus Property Tax pertaining to a financial year and actually collected during such financial year or within a reasonable period after the end thereof (say two months) should be recognized as revenue of the financial year while Property Tax collected subsequent to the cut-off date should be recognized as revenue for the period in which the amount is actually collected.

NDMC had raised a revised demand of Property Tax during the year 2015-16 based on the revised Bye-laws of NDMC according to which Annual Rateable Value of an Assessee (DGC)³ increased from ₹2.53 crore to ₹420.54 crore which became the base for arriving at the annual property tax. However, High court of Delhi vide its order dated 10th August 2017, had struck down the now impugned Bye-laws as being ultra vires of the NDMC Act as they were in excess of their scope and ambit powers vested in NDMC under Section 388 (I) A (9) of the NDMC Act.⁴

These events indicate that there is significant uncertainty in ultimate collection of the amount of Property Tax of ₹1020.53 crore from the assessee. While deferring collection of revenue in the manner, an appropriate disclosure of the reasons warranting non-recognition of the revenue should have been made.

Note 3: Delhi Golf Club

^{4:} Hon'ble High Court in August-2017 struck down the Bye-laws and followed by Hon'ble Supreme Court on 22nd January-2019.

इसी प्रकार संबंधित विभाग द्वारा कराए गए परीक्षण के आधार पर 6 अन्य मामलों में सम्पत्ति कर के हिसाब से इन निर्धारिती से ₹60.46 करोड़ रूपये की वसूली की जा सकती है, लेकिन ऊपर बताई गई वजह से उनकी वसूली संदिग्ध है।

इस राजस्व की मान्यता के कारण, खाता 1100103 के तहत संबंधित संपत्तियों से प्राप्त होने वाले कर राजस्व के साथ-साथ खाता 4311031 के तहत विवध देनदारों से होने वाली प्राप्तियों को ₹1080.99 करोड़ बढ़ा हुआ दिखाया गया। इसी प्रकार एनडीएससी अधिशेष एवं आय से व्यय को भी बढ़ा हुआ दिखाया गया है।

(ख) 3504102 और 3504103- जल आपूर्ति और विद्युत शुल्क

उपरोक्त दो खाता कोड क्रमश: 31 मार्च 2018 को ₹2.07 करोड़ (3504102) और ₹14.75 करोड़ (3504103) का जमा राशि दिखाता है। इन शीर्षों में इस संबंध में विभिन्न रसीदें जो कि चालान मूल्य से अधिक प्राप्त की गई थीं, तो अधिक मात्रा में प्राप्त राशि को अगले बिल/चालान की राशि को कम करके अगले संबंधित चालान में समायोजित किया जाना है। हालांकि बिलिंग प्रणाली और ए बी ए एस प्रणाली के एकीकरण नहीं होने के कारण उपरोक्त दोनों शीर्षों में पड़ी राशि समायोजित नहीं हुई और उपरोक्त शीर्षों में असामंजित थे परिणामस्वरूप राजस्व को कम दिखाया गया और दायित्व को बढा़ दिखाया गया।

लेखा विभाग ने कहा कि अग्रिम प्राप्त आय के समायोजन की कार्रवाई वित्त वर्ष 2018-19 में की गई है । जवाब अप्रासंगिक था क्योंकि मामले 2017-18 से संबंधित थे ।

(ग) आयः नगर निगम की संपत्तियों से लाईसेंस शुल्क: ₹451.31 करोड़

होटलों से लाइसेंस शुल्क: (अकाउंट कोड 1301003)

लेखा के अभिलेखों की परीक्षण जाँच से पता चला है कि वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण में विभिन्न होटलों से लाइसेंस शुल्क के लिए चित्रण ₹7.16 करोड़ (अकाउंट कोड 1301003) था। हालांकि, लेखा परीक्षा द्वारा आगे की परीक्षा से पता चला कि होटलों से लाइसेंस शुल्क से संबंधित ₹29.35 करोड़ की राशि को गलत तरीके से दुरूपयोग के आरोपों के खिलाफ क्षति (अकाउंट कोड 1308013) के तहत बुक किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2017 में होटलों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क को लेखा प्रणाली में बिल्कुल भी बुक नहीं किया गया एवं मई 2017 में सिर्फ ₹16.05 लाख की राशि को 'होटलों से लाईसेंस शुल्क' के तहत दर्ज किया गया था।

इस संबंध में, ऑडिट द्वारा मूल सूची और ई.पी.आई.डी पहचान में ईपीआईडी की कुल संख्या से संबंधित सूची और उससे किये गये प्रत्येक परिवर्तन की सूची मांगी गयी, यह जानकारी लेखा परीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि समय पर मांग को बढ़ाने के लिए कोई बिलिंग प्रणाली नहीं थी, जो इसे बिलिंग प्रणाली में दर्शाती थी और परिणामस्वरूप एनडीएमसी के वित्तीय विवरण में शामिल किया गया था। इसके अलावा, 31 मार्च 2018 को एनडीएमसी के एसबीआई खाते में बरामद वसूल किये गये लाइसेंस शुल्क और उनकी खातों की सही शीर्षों में चित्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

उपर्युक्त किसी भी आश्वासन के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि एनडीएमसी सभी लाइसेंसधारियों के लिए मांग को सही ढंग से उठ रहा है और प्रासोंगक लेखा अवधि के दौरान इसे समय पर एकत्र कर रहा है।

4.1.4 व्यय

(क) परिचालन और रखरखाव (अनुसूची आई-12) र1105.50 करोड़

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों नंबर 1 (2017-18) के अनुसार, एनडीएमसी के वित्तीय विवरणों को लेखांकन के क्रमिक आधार के तहत ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है। मिलान सिद्धांत के उपार्जित आधार और अवधारणा के अनुसार, यह आवश्यक है कि संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित कार्यों के खर्चों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, परीक्षण जाँच के आधार पर ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान जिन विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया गया था, उसी अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले खातों में र59.81 करोड़ की राशि के बराबर दायित्वों का प्रावधान नहीं किया गया था। नतीजन वर्ष 2017-18 के लिए वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ खर्चों को भी ₹59.81 करोड़ से घटा हुआ दिखाया गया था, परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय के आधिक्य को भी उक्त राशि से बढ़ा दिया गया था।

Six other similar cases found on test check basis, provided by the concerned Department, revealed ₹60.46 crore is recoverable on accounts of property tax though their recovery is doubtful due to the reason stated above.

Due to recognition of this revenue, the Tax Revenue relating to Properties under the Head of Account 1100103 as well as Sundry Debtors under the Head of Account 4311031 has been overstated atleast by ₹1080.99 crore with a similar overstating of NDMC's Surplus or Income over Expenditure for the year 2017-18.

(B) 3504102 & 3504103 - Water supply & Electricity charges

The above two account codes shows a credit balance of ₹2.07 crore (3504102) and ₹14.75 crore (3504103) respectively as on 31[#] March 2018. In this regard in these heads various receipts which were received in excess than the invoiced value the amount so received in excess should be adjusted in the next related invoice by reducing the amount of next bill/invoice. However due to non-integration of billing system and ABAS system the amount lying in the above two heads is not adjusted and remained in the above heads as unadjusted. Consequently the revenue remained understated and liabilities are overstated.

The Accounts Department stated that the action for adjustment of income received in advance has been taken in FY 2018-19. Reply is irrelevant as the point pertains to financial year 2017-18.

(C) Income: License Fee from Municipal Properties : ₹451.31 crore

License Fee from Hotels: (A/c Code 1301003)

Test check of records of Accounts revealed that for license fee from various hotels in the Financial Statement for the year 2017-18 the depiction was only ₹7.16 crore (A/c Code 1301003). However, further examination by Audit revealed that an amount of ₹29.35 crore pertaining to License Fee from Hotels was erroneously booked under 'Damages against Misuse Charges (A/c Code 1308013). Moreover, for April-2017 the License Fee receivable from Hotels was not booked at all in the Accounting system & for May-2017 only a figure of ₹16.05 lakh was booked under "license fees from Hotels Account".

In this regard Audit had issued requisition asking for total numbers of Estate Premises Identification (EPID) in the master list and Audit trail for each and every change that has been made; this information was not provided to Audit. It was also observed that there was no foolproof system of timely raising of demand reflecting it in the billing system and consequent inclusion in the Financial Statement of NDMC. Further, no information was received regarding any unreconciled amount as on 31^e March 2018 between license fee recovered in SBI Account of NDMC and in its appropriate depiction in the correct Account Head.

In view of the above no assurance can be derived that NDMC is correctly raising demand for all the licensees and collecting it in a timely fashion during the relevant Accounting period.

4.1.4 EXPENDITURE

(A) Operational and Maintenance (Schedule I-12): ₹1105.15 crore

(I) As per significant Accounting policies No.1 (2017-18), the financial statements of NDMC are prepared under historical cost basis on accrual basis of accounting. According to the accrual basis and concept of matching principle, it is required that all the related expenses of works executed should be booked in the same financial year. However, during the course of audit on test check basis it was observed that against the various works which were executed during the year 2017-18, the corresponding liability amounting to ₹59.81 crore was not provided in the books of accounts for the period ending as on 31^e March 2018. Consequently the expenses as well as current liabilities for the year 2017-18 are understated by ₹59.81 crore, resultantly surplus of income over expenditure is overstated by the same amount.

(ii) 2017-18 से संबंधित विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त ₹6.71 करोड़ की राशि के मेडिकल बिलों को 2018-19 में नकद आधार पर बुक किया गया था, न कि उपचय आधार पर परिणमस्वरूप स्थपना व्यय उस मात्रा तक बढ़ गया था।

लेखा विभाग ने कहा (सितम्बर 2019) कि उपरोक्त मामला लेखा विभाग से संबंधित है। ऑडिट का अवलोकन पहले ही संबंधित विभाग को भेज दिया गया था। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति में : (खाता कोड: 4124000-05)

प्रगति में पूंजीगत कार्य से संबंधित उपरोक्त खाता कोड के परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि उपरोक्त खाता कोड में राजस्व प्रकृति के विभिन्न मदों को शामिल किया गया है । इसके परिणामस्वरूप ₹5.13 करोड़ से पूंजीगत कार्य को बढ़ा हुआ एवं प्रगति में संबंधित राजस्व व्यय को घटा हुआ दर्शाया गया । नतीजन व्यय पर आय का अधिशेष भी उसी राशि से कम दिखाया गया है।

4.1.5 अन्य टिप्पणीयां

- (क) लेखांकन नीति संख्या 5 (1) (ii) अनुसूची-21 में कहा गया है कि ''सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। एनडीएमसी ने कहा है कि उसने बेंगलूरू महानगर पालिका तथा डी.ई.आर.सी. के मूल्यहास दरों का अनुसरण किया है। हालाँकि, बेगलूरू महानगर पालिका (बीएमपी) की मूल्यहास दर एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और इस प्रकार दरों का खुलासा एनडीएमसी के वित्तीय विवरणों में किया जाना चाहिए था। प्रकटीकरण के अभाव में, वित्तीय विवरण भारत के चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 1 के अनुरूप नहीं है। जो वित्तीय विवरणों में स्पष्ट रूप से लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण की अवधारणा को संपादित घाटा है का पालन नहीं किया गया था निर्धारित होता है।
- (ख) अनुसूची बी-22 के नोट नं0 6 (एन) के लिए आमंत्रित संदर्भ, जो निर्धारित करता है कि एनएमएएम के अनुसार, सामान्य खातों का चार्ट यथा 4701002, 35011, 25020 और 43180 जिसमें कोई शेष नहीं होना चाहिए, अभी भी लेबित है । अगले वित्तीय वर्ष तक संबंधित प्रभागों द्वारा प्रतिकूल संतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक लेखांकन सुधार किया जाएगा उपर्युक्त नोट पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान भी दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई । प्रतिकूल शेष के सुधार नहीं होने के कारण खातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह वित्तीय विवरणों के बारे में गलत राय देता है चूंकि उपर्युक्त खातों के विरूद्ध शेष 'शून्य' होना चाहिए था लेकिन वे शेष को दिखा रहे हैं जो एनएमएएम के प्रावधानों के विरूद्ध हैं।
- (ग) एनडीएमसी ने एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एनएससीएल) में ₹200 करोड़ का निवेश किया, लेकिन एन एस सी एल ने एनडीएमसी को ₹250 करोड़ के शेयर आवॉटेत किए। इस विसंगति का खुलासा वर्ष 2017-18 के खातों में नहीं किया गया है।
- (घ) नोट 3 से संबंधित आकस्मिक देयताएँ निर्धारित करती हैं कि ''विभिन्न अदालतों में लंबित आकस्मिक देनदारियों के मामलों की संख्या और उसमें शामिल राशि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । आकस्मिक देयता में कोई परिवर्तन नहीं है और यदि आकस्मिक देयता होती है तो विभाग को इसी जानकारी नहीं है ।''

नोट पुन: 31 मार्च 2015 को आकस्मिक देनदारियों के समेकित विवरण के तहत विभिन्न शीर्षों को इंगित करता है, जबकि, लेखा परीक्षा के तहत खाते वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित हैं जो 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रहे हैं। इस प्रकार जानकारी अद्यतन और सटीक नहीं है।

10 जनवरी 2020 को एग्जिट कॉन्फ्रोंस के दौरान वित्तीय सलाहकार ने ऑडिट आपत्तियों पर निवारक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। (ii) Medical bills amounting to ₹6.71 crore received from various hospitals pertaining to 2017-18 were booked in 2018-19 on cash basis and not on accrual basis. This has resulted in understatement of establishment expenses to that extent in 2017-18.

The Accounts Department stated (September-2019) that the above matter pertains to Accounts Department of NDMC and the observation of Audit had already been forwarded to the concerned Department. No action has been taken by the Department.

(B) CAPITAL WORK IN PROGRESS:

(ACCOUNT CODE: 4124000-05)

During the course of audit on test check basis of above account code relating to capital work in progress, it was observed that various items of revenue nature had been included in the above account code. Resultantly the Capital Work in Progress is overstated and related revenue expenditure is understated by ₹5.13 crore. Consequently surplus of income over expenditure is also understated by the same amount.

4.1.5 Other Comments

- (A) Accounting Policy No.5(1)(ii) in Schedule 21 states that "Depreciation is provided on Straight Line Method. NDMC has stated that it has followed Depreciation rates followed by Bangalore Mahanagar Palike" & DERC. However, the depreciation rates of Bangalore Mahanagar Palike (BMP) are not a public document and thus the rates should have been disclosed in the Financial Statements of NDMC. In the absence of an appropriate disclosure, the Financial Statements indicate a departure from Accounting Standard 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India which stipulates for explicit disclosure of Accounting Policies in the Financial Statements.
- (B) A reference is invited to Note No.6(n) of Schedule B-22 which stipulates that as per NMAM, the Chart of common Accounts which should not have any balances for example 4701002, 35011, 25020 and 43180 are still kept pending. The necessary accounting rectifications would be carried out to set right the adverse balances by the concerned divisions by the next financial year. The above mentioned note was given during 2016-17 also but no action has been taken. There is an adverse effect on the Accounts due to non rectification of adverse balances & it gives an incorrect view of the Financial Statements as balances lying against these above mentioned Accounts should have been 'nil' but are showing balances which is against the provisions of NMAM.
- (C) NDMC made an investment of ₹200/- crore in NDMC Smart City Limited (NSCL) but NSCL allotted shares to NDMC worth ₹250/- crore. This discrepancy has not been disclosed in the accounts for the year 2017-18.
- (D) Note no. 3 relating to Contingent Liabilities stipulates, "the complete information regarding contingent liabilities as to number of cases pending with various courts and the amount involved therein is not available. There is no change in contingent liability and Department is not aware if any contingent liability is occur".

The note further indicates the various heads under consolidated statement of contingent liabilities as on **31^e** March 2015 even though the present accounts under audit relates to the financial year 2017-18 for period ending as on **31^e** March 2018. Thus the information is not updated and accurate.

During the Exit Conference on 10th January 2020, the Financial Advisor assured to take rectificatory action on the Audit objections.

अध्याय-3

वार्षिक लेखा और स्थानीय लेखा परीक्षा रिर्पोटों की निरंतर जांच एवं कार्यवाही।

(क) वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बड़ी संख्या में बकाया पैरा थे, जिनके विवरण (विभागवार) नीचे विए गए हैं।

क्रमांक	विभाग का नाम	अब भी बाकी पैरे
1.	वित्त एवं लेखा	07
2.	सम्पदा-।	09
	सम्पदा-॥	04
3.	सम्पत्ति कर	14
4.	प्रवर्तन	14
5.	बागबानी	04
6.	सिविल अभियांत्रिकी	20 + 01* + 02(Review)**
7.	विद्युत अभियाँत्रिकी	11 + 01* + 02(Review)**
8.	বাণ্চিন্য	05
9.	कार्मिक	06
10.	वस्तुकार और पर्यावरण	09
11.	स्वास्थ्य	06
12.	হিাধ্যা	06
13.	सूचना प्रौद्योगिकी	03
14.	नगरपालिका आवास	07
15.	जनसम्पर्क	02
16.	यातायात	03
17.	बिजली	01
18.	सुरक्षा	02
19.	पीएसओआई	01
20.	कल्याण	01
21.	सामान्य प्रशासन	02
	कुल	143 ਪੈਂਹ

* अनधिकृत जमा (सिविल और इलैक्ट्रकल इंजीनियरिंग विभाग) पर सामान्य अनुच्छेद दोनों विभागों में दिखाया गया है।

** वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट 2013-14 में इंजीनियरिंग विभाग (सिविल और बिजली) में अनुबंध प्रबंधन की समीक्षा सिविल इंजीनियरिंग तथा विद्युत इंजीनियरिंग दोनों विभागों के मुद्दों को शामिल किया है इसलिए प्रत्येक वर्ष के लिए एक बकाया पैरा के रूप में गिना गया है।

CHAPTER-3

Follow Up on Annual Audit Report and Local Audit Report

(A)Outstanding paras of Annual Audit Report, the detail of which (Department wise) is given below:-

S. No.	Name of the Department	Paras still outstanding
1.	Finance & Accounts	07
2.	Estate-I	09
	Estate-II	04
3.	Property Tax	14
4.	Enforcement	14
5.	Horticulture	04
6.	Civil Engineering	20 + 01* + 02(Review)**
7.	Electrical Engineering	11 + 01* + 02(Review)**
8.	Commercial	05
9.	Personnel	06
10.	Architect & Environs	09
11.	Medical Services	06
12.	Education	06
13.	Information Technology	03
14.	Municipal Housing	07
15.	Public Relation	02
16.	Transport	03
17.	Power	01
18.	Security	02
19.	PSOI	01
20.	Welfare	01
21.	General Administration	02
	Total	143 paras

 General Paragraph on unclaimed deposits (Civil & Electrical Engineering Department) has been shown in both Department. However, it is taken as one for counting total outstanding paras.

** Review of Contract Management in the Engineering Departments (Civil & Electricity) in AAR 2013-2014 covers issue involving both Civil Engineering & Electrical Engineering Department hence counted as one outstanding para for each year.

क. स.	विभाग का नाम	अक्टूबर 01.09.2018 को बकाया पैरों की संख्या	30.11.2020 तक शामिल पैरों की संख्या	क्तुल (सी•डी)	30.11.2020 तक वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निपटाए गए शामिल किए गए स्वानीय ऑडिट रिपोर्ट पैरों की संख्या	बाकी बचे पैरों की संख्या
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	[e - f]
01.	वित्त एवं लेखा	158	15	173		173
02.	वस्तुकार और पर्यावरण	•		-	-	-
03.	सिविल अभियाँत्रिकी	1274		1274		1274
04.	বাল্যিন্য	80	•	80		80
05.	হিছেন	1307	•	1307	29	1278
06.	विद्युत	1024		1024	-	1024
07.	प्रयंतन	54	•	54		54
08.	सम्पद्य	213		213		213
09.	अग्निशमन	88	•	88		88
10.	सामान्य प्रशासन	119	13	132		132
11.	चिकित्सा सेवाएं/जन स्वास्थ्य	691		691		691
12.	वागवानी	35		35	-	35
13.	संपत्ति कर	113		113		113
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	50		50	-	50
15.	कानून	29		29	-	29
16.	कार्मिक	635	-	635	-	635
17.	जनसम्पर्क	60		60	-	60
18.	सुरक्षा	250		250	-	250
19.	कल्याण	825		825	-	825
20.	परियोजना	16		16	-	16
	कुल	7021		7049	29	7020

(ब) स्थानीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बकाया पैरों का विवरण (विभागा-वार) नीचे दिया गया है।

S. No.	Name of Department	No. of outstanding paras as on 01.09.2018	No. of Paras added upto 30.11.2020	Total (c + d)	No. of LAR Paras settled/ included in Annual Audit Report upto - 30.11.2020	No. of Paras remained outstanding
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	[e-f]
01.	Accounts & Finance	158	15	173		173
02.	Architect & Environment		-	-		-
03.	Civil Engineering	1274	•	1274		1274
04.	Commercial	80	-	80		80
05.	Education	1307		1307	29	1278
06.	Electricity	1024	-	1024		1024
07.	Enforcement	54		54		54
08.	Estate	213		213	2	213
09.	Fire	88		88	-	88
10.	General Administration	119	13	132		132
11.	Medical Services/ Public Health	691	-	691		691
12.	Horticulture	35		35		35
13.	Property Tax	113		113	2	113
14.	Information Technology	50	•	50	-	50
15.	Law	29		29		29
16.	Personnel	635	-	635	2	635
17.	Public Relations	60	-	60		60
18.	Security	250		250		250
19.	Welfare	825	-	825	-	825
20.	Project	16		16	-	16
	Total	7021		7049	29	7020

(B) Outstanding paras of Local Audit Reports (Department wise) given below :-

अध्याय-4

जन स्वास्थ्य विभाग, एनडीएमसी

नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के संग्रह और उपचार पर विषयगत लेखा परीक्षण

4. परिचय

कचरा प्रबंधन (या अपशिष्ट निपटान) कचरे के (अपशिष्ट) उत्पादन से अंतिम निपटान करने के लिए अनेक गतिविधियौँ और क्रियाएं हैं। इसमें कचरे का संग्रह करना, कचरे की ढुलाई, अपशिष्ट (कचरा) प्रक्रिया की निगरानी और उसका उपचार भी शामिल है, अपशिष्ट (कचरा) ठोस, तरल या गैस किसी भी रूप में हो सकता हैं और प्रत्येक प्रकार के निपटान और प्रबंधन के विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक, जैविक और प्रत्येक प्रकार के निपटान और प्रबंधन के विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक, जैविक और प्रत्येक प्रकार के निपटान और प्रबंधन के विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक, जैविक और घरेलू सहित सभी प्रकार के कचरे से संबंधित है। अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। आम तौर पर कचरे को नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू), जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बी.एम.डब्ल्यू), निर्माण और मलबा (सी एंड डी) कचरे, ई-कचरे, प्लास्टिक कचरे, बूचडुखाने कचरे, औद्योगिक कचरे और खतरनाक कचरे को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर बायोडिग्रेडेवल, गैर–वायोडिग्रेडेवल, ज्वलनशील, शुष्क और निष्क्रिय के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है।

4.1 भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

जन स्वास्थ्य विभाग, (एनडीएमसी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए जिम्मेदार है। एनडीएमसी का लक्ष्य अपने क्षेत्र को "कचरा मुक्त" वनाना है। एनडीएमसी ने अगस्त 2014 में मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्रा0 लिमिटेड के साथ कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और एनडीएमसी ने कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए एक नई प्रणाली (अगस्त 2014)को अपनाया जिसमें घर-घर जाकर ऑटो-टिपर ट्रकों और ट्राई साइकिल रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहित किया जाना था। इस परियोजना के तहत 26 ऑटो-टिपर अौर 424 ट्राई-साइकिल रिक्शा, 15 कॉम्पेक्टर, 10 ओपन टिपर ट्रक, मोबाइल बिन वॉशर, मरम्मत बैन, जेसीबी को एम एस डब्ल्यू, के संग्रह और ढोने के लिए 14 सर्कलों में तैनात किया गया। इन ऑटो टिपरों को मशीनी कम्पेक्टरों के साथ शामिल करना था जिससे कचरा सीधे कम्पेक्टर में जमा करके और आगे गारबेज स्टेशन पर जमा करना था। उच्च क्षमता वाले वैगनों के द्वारा कूड़े को उठाना और अंतत: इसे ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र में निष्पादन करके डालना था। एम एस डब्ल्यू के ढोने और उपचार के लिए लैंडफिल की सुविधा गाजीपर, दिल्ली में निर्धारित की गई थी।

4.2 ऑडिट का कार्यक्षेत्र, इसका उद्देश्य, नियामक ढांचा, कार्यप्रणली

पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 (एमएसडब्ल्यू नियम, 2000) को अधिसूचित किया इसके बाद, एमओईएफसीसी ने एम.एस.डब्ल्यू नियम, 2000 में संशोधन करते हुए बायोमेडिकल, प्लास्टिक, खतरनाक, सीएंडडी और ई-कचरे के प्रबंधन के लिए नियम प्रस्तुत किए इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 ने एमएसडब्ल्यू नियम, 2000 का स्थान लिया। एनडीएमसी के ठोस अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए ऑडिट द्वारा 2014-15 से 2018-19 की अवधि में यह आंकलन करने का प्रयास किया गया कि एनडीएमसी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाई गई योजना मौजूदा प्रावधानों के साथ और एक प्याप्त संस्थागत तंत्र द्वारा योजना के अनुरूप समर्थित थी या नहीं, क्या नगरपालिका क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट और विशेष अपशिष्ट (पृथक्करण, संग्रह, परिवहन, संसाधन और निपटान) का प्रबंध प्रभावी, कुशल आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से किया गया और कचरे से उत्पन्न पर्यावरण के जोखिमों की पहचान की गई और उन्हें कम से कम करने का प्रयास किया गया।

लेखा परीक्षा पद्धति में निष्कर्ष और सिफारिशों को निर्धारित करते समय ऑडिट प्रश्नों की प्रतिक्रियाएं एवं दस्तावेजों का विश्लेषण शामिल किया गया है ।

नोट 5 : जीरो वेस्ट (कचरा), कचरे की रोकवाम पर व्यवस्थित प्रक्रिया के सिद्धांतों का एक समूह है जो मानव जीवन चक्रों से उत्पन्न कचरे के पुर्न उपयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि सभी उत्पावों का पुनः उपयोग किया जाए। किसी भी कचरे को लैंडफिल, इंसीनेटर या महासागर में नहीं भेजने का लक्ष्य रखते हुए कचरा मुक्त प्रणाली के तहत, सामग्री का पुनः उपयोग अंतिम स्तर तक किया जाए।

CHAPTER-4

PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

Audit on Collection and Treatment of Municipal Solid Waste

4. Introduction

Waste management (or waste disposal) are the activities and actions required to manage waste from its generation to its final disposal. This includes the collection, transport, treatment and disposal of waste, together with monitoring and regulation of the waste management process. Waste management deals with all types of waste, including industrial, biological and household. Waste management is intended to reduce the adverse effects of waste on human health and the environment. Wastes are generally classified into Municipal Solid Waste (MSW), Bio-Medical Waste (BMW), Construction and Demolition (C&D) waste, e-waste, plastic waste, slaughterhouse waste, industrial waste and hazardous waste by virtue of their nature. They are also classified as biodegradable, non-biodegradable, combustible, dry and inert based on their characteristics.

4.1 Roles and Responsibilities

The Department of Public Health, New Delhi Municipal Council (NDMC) is responsible for the collection and treatment of Municipal Solid Waste in the NDMC area. NDMC statedly aims to make its area "Zero Garbage".⁵ In August, 2014, NDMC signed an agreement for collection and transportation of garbage with M/s. Metrro Waste Handling Pvt. Ltd and deployed a new system for collection and transportation of garbage where door to door collection of garbage was to be done through auto-tippers trucks and tri-cycle rickshaws. In this project 26 auto-tippers and 424 tri-cycle rickshaws, 15 compactors, 10 open tipper trucks, mobile bin washer, repair van, JCBs have been stated to be deployed in 14 circles for collection and transportation of MSW. These auto tippers were to be compatible with the mechanical compactors and deposit garbage directly into the compactor which was to be further compacted at Garbage Transfer Station. High Capacity Wagons were to take the garbage and eventually dispose it at the waste to energy plant/Compost Plant at Okhla. Landfill facility for transportation and disposed off MSW was designated at Ghazipur, Delhi.

4.2 Scope of Audit, its objective, Regulatory framework, methodology

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) notified (September-2000) the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 (MSW Rules, 2000). Subsequently, MoEFCC amended the MSW Rules, 2000 and introduced Rules for management of biomedical, plastic, hazardous, C&D and e-waste. The Solid Waste Management Rules, 2016 superseded (April-2016) MSW Rules, 2000. Audit for Collection and Treatment of Municipal Solid Waste under NDMC area covering the period 2014-15 to 2018-19 has been attempted to assess whether the strategy and planning envisioned for Solid Waste Management by the NDMC were in accordance with the extant provisions and supported by an adequate institutional mechanism; whether management of Municipal Solid Waste and Special Waste (segregation, collection, transportation, processing and disposal) was effective, efficient, and carried out economically and scientifically; and the risks to environment posed by waste were identified and minimized.

The audit methodology involved document analysis and responses to audit queries while framing the conclusions.

Note 5: Zero Waste (garbage) is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused. The goal is for no trash to be sent to landfills, incinerators, or the ocean. Zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption.

4.3 ऑडिट का परिसीमन

अभिलेख और सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में जीएफआर के नियम 39 में कहा गया है कि एक अधिनस्थ अधिकारी ऑडिट या लेखा अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना एवं सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, और उसके लिए आवश्यक किसी भी आधिकारिक खाते की रिपोर्ट, उसका भुगतान और आंतरिक लेखा परीक्षा यथा संभव जानकारी प्रस्तुत करेगा। इसके अलवा, एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 59 (3, 8, 9 और 11) में यह भी परिकल्पना की गई है कि मुख्य लेखा परीक्षक, परिषद के किसी भी खाते के संबंध में ऐसे प्रश्न या अवलोकन कर सकता है, जिसकी उसे ऑडिट में आवश्यकता है और इस तरह के प्रत्येक प्रश्न या टिप्पणियों को अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा विचार हेतु तुरंत शामिल किया जाएगा।

नगरपालिका द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संग्रह और उपचार पर निष्पादित ऑडिट अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। लेखापरीक्षा ने अपेक्षित ऑडिट के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 8 ऑडिट अनुरोध और 13 ऑडिट अवलोकन ज्ञापन जारी किए हांलाकि जवाब में, विभाग ने बहुत कम भुगतान के बिलों एवं रिकार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। इसलिए, आवश्यक रिकॉर्ड यानी मुख्य फाइलें/पॉलिसी फाइलें, कंसेशनयर एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया और काउंसिल की मंजूरी, मॉनिटरिंग और समीक्षा समिति की बैठक के मिनट्स, फ्लीट डिटेल्स, एमएसडब्ल्यू की जानकारी, कर्मचारी को जारी की गई सामग्री, लॉग बुक्स और रियायत समझौते के प्रावधान के अनुपालन में आवश्यक ओएसआरटी विवरण इत्यादि, लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूव प्रस्तुत नहीं किया गया।

मामले को जोर-शोर से आगे बढ़ाते हुए एवं रिकॉर्ड्स/जानकारी हासिल करने के लिए 30 अप्रैल 2019, 24 मई 2019, 25 जून 2019, 30 अगस्त 2019 और 2 सितम्बर 2019 को मेडिकल ऑफिसर (हेल्थ) के चैंबर में बैठकें आयोजित की गई हर बार, यह आश्वासन दिया गया कि अपेक्षित रिकॉर्ड/सूचना जल्द से जल्द प्रस्तुत की जायगी। ऑडिट ने 21 मई 2019, 3 जून 2019, 18 जून 2019, 8 जुलाई 2019 और 27 अगस्त 2019 को डी.ओ. पत्र और अनुस्मारक भी जारी किए थे, जिसमें अपेक्षित रिकॉर्ड/जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। रिकॉर्ड प्रस्तुत न किया जाना ऑडिट के उद्देश्य को परिसीमित करता है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दस्तावेज/रिकॉर्ड/जानकारी प्रदान नहीं किए गए थे वे अनुलग्नक-II में दिए गए हैं । उपरोक्त दस्तावेज/रिकॉर्ड मूल रूप से एनडीएमसी क्षेत्र के नगरपालिका सॉलिड वेस्ट के उपचार के तहत अपनाए गए सॉॉलिड वेस्ट तंत्र की निविदा प्रक्रिया के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित है, जिसके द्वारा योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा की जानी थी। इन युनियादी दस्तावेंजों/रिकॉर्ड/उत्तरों के अभाव में, ऑडिट उन पहलुओं की जॉच नहीं कर सका और यह आश्वासन देने में असमर्थ रहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली नगरपालिका सॉलिड वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2000 और सॉलिउ वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के अनुसार प्रभावी, कुशलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से अपनाई गई थी । रिकार्ड का प्रस्तुत न किया जाना गंभीर रूप से ऑडिट को सीमित करता है और परिणामस्वरूप एनडीएमसी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और अधिक भुगतान से संबंधित जिम्मेदारियों से बचाव करता है। यह ऑडिट की प्रभावशीलता को रोकता है । इस मामले को परिषद् के समक्ष लाया जाना चाहिए।

विभाग के उत्तर (06.12.2019) के अनुसार सारी निविदा संबंधित प्रक्रिया को निदेशक (परियोजना) द्वारा कार्यान्वित किया गया था न कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अत: जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के पास संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है ।

4.3 Audit Constraints

Rule 39 of GFR regarding submission of records and information stipulates that demand for information by Audit or Accounts Officer - a subordinate authority shall afford all reasonable facilities to the Audit Officer for the discharge of his functions, and furnish fullest possible information required by him for the preparation of any official account or report, payment and internal audit. Further, Section 59 (3, 8, 9 & 11) of NDMC Act, 1994 also envisaged that for the purpose of examination and audit of the accounts of the Council, the Chief Auditor shall have access to all the accounts of the Council and to all records and correspondence relating thereto and also the Chief Auditor may make such queries and observations in relation to any accounts of the Council which he is required in audit and every such query or observations shall be promptly taken into consideration by the officer or authority.

The Audit on the Collection and Treatment of Municipal Solid Waste Management was taken up in April-2019. Audit issued 8 audit requisitions and 13 audit observation memos on the basis of records made available to audit, for furnishing the requisite records and replies to audit. However, in response, Department only provided copy of some bills of payment made to the Concessionaire and very few other records. Essential records i.e. main files/policy files, tendering process for selection of Concessionaire & Independent Consultant and approval of Council, minutes of the meeting of monitoring and review committee, fleet details, details of MSW, material issued to employee, log books, OSRT details etc. required to complete the audit in compliance of the provision of the Concession Agreement, was not provided despite repeated requisitions by audit.

To pursue the matter, series of meetings were held in the Chamber of the Medical Officer (Health)/CMO on 30th April 2019, 24th May 2019, 25th June 2019, 30th August 2019 and 2th September 2019 for production of records/information. Every time, it was assured that the requisite records/information would be provided at the earliest. Audit had also issued D.O letter and reminders on 21th May 2019, 3th June 2019, 18th June 2019, 8th July 2019 and 27th August 2019 requesting to provide the requisite records/information. However, no such records were provided. Non production of records has substantially restricted the objective of audit.

Documents/records/replies which were not provided by Public Health Department are given in Annexure-II. The aforesaid documents/records are primarily related to the tender process, implementation and monitoring of Solid Waste mechanism adopted under NDMC area for treatment of Municipal Solid Waste by which planning, implementation and monitoring were to be reviewed. In the absence of these basic documents/records/replies, audit could not examine those aspects and is thus unable to derive assurance that the mechanism adopted by Health Department in NDMC was made effectively, efficiently and transparently, in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and Solid Waste Management Rules, 2016. Non production of records severely limits the exercise of audit mandate and results in lack of accountability of Public Health Department's functionaries under NDMC related to prevention of fraud, overpayment etc. It also restricts audit effectiveness. The issue is brought to the notice of Council.

The Department replied (6[®] December, 2019) that the entire tendering process of the project was dealt by Director (Project) and not by Public Health Department which is not in possession of documents related to tendering process etc. विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है चूँकि निदेशक (परियोजना) के पद को खंडित कर दिया गया था और संबंधित विभाग को सारे अभिलेखों को अपने संरक्षण में लेने के निर्देश दिए गए थे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इन अभिलेखों का संरक्षक है इसलिए उन्हें अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहिए था।

4.4 ऑडिट निष्कर्ष

एक सार्थक ऑडिट के लिए यह अनिवार्य था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुनियादी रिकॉर्ड/जानकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था ताकि एनडीएमसी क्षेत्र में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह और उपचार के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का उचित निष्कंष निकाला जा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमित रिकार्ड से ऑडिट ने प्रक्रिया का विश्लेषण करने का प्रयास किया जिसके आधार पर विवरण निम्नानुसार है:

4.4.1 परियोजना के अनुबंध के लिए परिषद् की पूर्व स्वीकृति का ना लिया जाना।

अध्यक्ष, एनडीएमसी को एनडीएमसी अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद 143 (बी) और काउंसिल की बैठक संकल्प सं0 13/2012-13 दिनाँक 28 फरवरी 2013 में संबंधित संहिता की औपचारिकताओं का पालन करते हुए ₹2 करोड़ के अनुबंध की अनुमति दी गई। इसके अलावा, जीएफआर के नियम 142 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्राधिकारी, जिसे सार्वजनिक हित में खरीद-फरोख्त के वित्तीय अधिकार दिए गए है, उसकी खरीद में निपुणता, अल्पर्वयता एवं पारदर्शिता व स्वच्छ एवं समान व्यवहार के लिए जिम्मेदारी एवं जवाबदेही होगी।

एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत नगरपालिका सॉलिड वेस्ट के संग्रह और निपटान के लिए एनडीएमसी और मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड (कंसेशनयर) के बीच 10 वर्षों के लिए (12 अगस्त 2014)ं अनुबंध किया गया था। रियायत समझौते के अनुसार, काम का अनुमानित वार्षिक भुगतान 2223/-प्रति एमटी के दर से प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन किया गया था। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि का कुल वार्षिक भुगतान लगभग रै24 करोड़ होता है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि अनुबंध दस वर्षों की अवधि के लिए है, कुल मूल्य लगभग रै240 करोड़ होता है जो कि अध्यक्ष की वित्तीय अधिकार से परे था और अनुबंध से पूर्व परिषद की मंजूरी की आवश्यकता थी। परिषद् के वर्ष 2014 के प्रस्तावों की जॉच से संज्ञान में आया कि विभाग ने अनुबंध देने से पहले परियोजना के प्रस्ताव को परिषद के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए पूर्व प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, विभाग ने समझौते के निष्पादन की तारीख से दो महीने (अगस्त-2014) से अधिक समय के बाद रियायतदाता को परियोजना के अनुबंध, (21 अक्टूबर 2014) के बारे में परिषद को सूचित किया। ऑडिट ने टेंडरिंग प्रक्रिया अर्थात् ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रस्ताव, एनआईटी, आरएफपी, बोली दस्तावेज, तकनीकी और बित्तीय बोली, ठेके की लागत की न्यायसंगिता, संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी, लेकिन इसे उपलब्ध नहीं कराया गया था। इन अभिलेखों की अनुपस्थिति में ऑडिट पूर्व निर्धारित मानदंडों, बोलीदाताओं की पात्रता और उच्चतम गुणवत्ता सेवा और परियोजना की लागत की प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता की जॉच नहीं कर सका।

विभाग के जवाब के अनुसार (06.12.2019) निवेशक (परियोजना) परियोजना के अवॉर्ड किये जाने से पूर्व परिषद् की मंजूरी लेने के लिए जिम्मेदार थे और परियोजना के अवॉर्ड होने के बाद पश्चात् सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की केवल परियोजना के कार्यान्वयन की भूमिका थी जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से ही कार्य के लिए अनुमोदित व्यय की मंजूरी परिषद् से ले ली थी और उसकी प्रतिलिपि ऑडिट टीम को प्रदान की गई थी।

विभाग ने परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना अध्यक्ष की वितीय शक्ति से परे अनुबंध के निष्पादन के औचित्य के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया ।

नोट 6 : 300 मीट्रिक टन *₹2223 *365 दिन = ₹24 करोड

Reply is not tenable as it was given to understand that the post of Director (Project) was dismantled and the concerned Department was directed to take custody of all the respective records of the projects. As the Health Department is custodian of these records it should have produced the documents to audit.

4.4 Audit findings

For a meaningful audit, it was obligatory that basic records/information were to be furnished by the Public Health Department so that audit could derive assurance and draw conclusion on the mechanism adopted for collection and treatment of Municipal Solid Waste in NDMC Area. From the limited records made available, Audit attempted to analyze the mechanism, of which the details are as under:

4.4.1 Award of contract without prior approval of the Council

Article 143 (b) of NDMC Act, 1995 read with the Council Meeting Resolution No.13/2012-13 dated 28th February 2013 empowered the Chairperson, NDMC to enter into the contract upto ₹2 crore on behalf of Council by following the relevant codal formalities. Further, Rule 142 of GFR provides that every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy and transparency in matter relating to the public procurement and for fair and equitable treatment.

The Concession Agreement between NDMC and M/s Metrro Waste Handling Private Limited (Concessionaire) was executed (12" August 2014) for collection and transportation of Municipal Solid Waste for a period of ten years under the jurisdiction of NDMC. As per the concession Agreement the Performance Security for yearly value of contract was worked out considering the estimated MSW of 300 MT per day and work was awarded at the cost of ₹2223/- PMT. Thus the estimated annual value of work was approximately ₹24 Crore.⁶ Considering the fact that the contract is for a period of ten years, the value works out to approximately ₹240 crore over the life cycle and thus clearly the contract was beyond the financial power of the Chairman and thus required Council's approval before entering into the contract. However, scrutiny of the Council's resolutions for the year 2014 revealed that the Department did not lay the proposal of the project to Council for consideration and approval before awarding the contract. Moreover, Project Department intimated belatedly (21" October 2014) to the Council regarding award of project to the Concessionaire, after more than two month from the date of execution of agreement (August-2014). Audit called for records relating to tendering process viz. Draft Project Report, proposal, NIT, RFP, Bidding documents, Technical and Financial bid, reasonability of the cost of the contract. However, the same were not made available. In the absence of these records audit could not examine the predetermined criteria, eligibility of bidders, effectiveness and transparency in award of the tender for the project.

The Department replied (6th December, 2019) that the Director Project was responsible to take the approval of council before awarding the project and the Public Health Department had only the implementation role once the project was awarded. However the Public Health Department had taken the Council approval for expenditure sanctioned of already awarded work by Director (Project) and the copy of the same was provided to audit team.

The Department did not furnish any reply regarding the justification for award of contract beyond financial power of the Chairman without prior approval of the Council.

Note 6: 300MT * ₹2223 * 365 days =₹24 crore

4.4.2 निष्पादन गारंटी के बिना किया गया भुगतान

एन डी एम सी क्षेत्र में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए पीपीपी प्रोजेक्ट का कार्य 4 अगस्त 2014 को मैसर्स मेट्रो अपशिष्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया। अनुबंध पत्र जारी करने की तारीख के 10 दिनों के भीतर निष्पादन सिक्योरिटी राशि ठेकेदार को जमा करने के लिए कहा गया था, परंतु फाइल की जॉच से यह पता चला था कि 5 अक्टूबर 2015 तक न तो रियायतकर्ता ने परफॉरमेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत की और न ही एनडीएमसी द्वारा जोर दिया गया और इस प्रकार एनडीएमसी 5 अगस्त 2015 से 5 अक्टूबर 2015 तक अपने हित का ध्यान नहीं रख सका।

विभाग ने दिनाँक 06 दिसंबर 2019 के जवाब के जरिए यह बताया कि ये मुद्दा निदेशक (परियोजना) से संबंधित है क्योंकि उसी ने कार्य प्रदान किया था तथा साथ ही निष्पादन की गारंटी की एक प्रति भी संलग्न की गई है ।

हालॉकि, गारंटी के निरीक्षण से पता चला कि ये गारंटी 05 अगस्त 2014 से 04 अगस्त 2015 की ही थी, उसके उपरांत इस गारंटी का 06.10.2015 से नवीनीकरण कराया गया कि 05 अगस्त 2015 से, उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि 05 अगस्त 2015 से 05 अक्टूबर 2015 तक की अवधि की निष्पावन गारंटी न ही जमा कराई गई और न ही माँगी गई। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस चूक के कारण बताते हुए कोई जवाब नहीं दिया गया।

4.4.3 कंसेशनियर को अनुचित लाभ

पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत एनडीएमसी और मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड (कंसेशनयर) के बीच सॉलिड वेस्ट के संग्रह और ढोने के लिए रियायत समझौते (12 अगस्त 2014) को निष्पादित किया गया था।

रियायत समझौते की अनुसूची-बी में निर्देशों के अनुसार एनडीएमसी क्षेत्र में कचरा ट्रॉली/सड़क के किनारे के डिब्बे एनडीएमसी के निर्देशानुसार, जब भी आवश्यक हो रियायतकर्ता अपने खर्च पर लगाएगा। इसके अलावा, रियायत समझौते के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, एनडीएमसी नियत तिथि के तहत 10 दिनों की अवधि के भीतर यानी 12 अगस्त 2014 से, रियायतकर्ता को मौजूदा परियोजना सुविधाओं में, कार्यान्वयन या निर्माण शुरू करने के डद्देश्य से अनुमति देगा। पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार, एनडीएमसी ने मौजूदा परियोजना सुविधाओं के तहत 1724 डिब्बे (कचरा ट्राली) रियायतकर्ता को सौंप दिए थे।

ऑडिट ने उन अभिलेखों से पाया कि एनडीएमसी ने दिसम्बर 2014 में एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 1275 लोहे की नई कचरा बिन ट्रॉलियों को रखा। इस प्रकार, एनडीएमसी ने नई आयरन बिन ट्रॉलियों की खरीद पर नई परियोजना सुविधाओं के लिए कंसेशनियर के साथ करार पर इस्ताक्षर करने के बाद व्यय किया। प्रोजेक्ट सुविधाओं के लिए नई कचरा आयरन बिन ट्रॉलियों का वास्तविक खर्च मालूम नहीं किया जा सका क्योंकि खरीद का विवरण लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इसके अलावा, रियायतकर्ता को परियोजना सुविधा प्रदान करने के लिए त्रि-चक्र रिक्शा (मार्च 2015) की खरीद पर एनडीएमसी ने ₹50.60 लाख का खर्चा भी वहन किया । इस प्रकार, एनडीएमसी ने समझौते के निष्पादन के बाद कंसेशनियर की नई परियोजना की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप कंसेशनियर को अनुचित लाभ हुआ।

विभाग ने अपने उत्तर 06 दिसंबर 19 के माध्यम से बताया कि 1275 ट्रॉलियों, जो कि एनडीएमसी क्षेत्र में समझौते के निष्पादन के समय उपलब्ध थी, ठेकेदार को आर.एफ.पी की शर्तों के अनुसार ही सौंप वी गयी थी। त्रि-चक्र रिक्शा, एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि रियायतकर्ता को नहीं दिया गया।

विभाग के उत्तर की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि विभाग निविदा से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफल रहा। हालॉकि, त्रि-चक्र रिक्शा के उपयोग के संबंध में स्वास्थ्य विभाग कोई दस्तावेज नहीं दे पाया, इसलिए विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करार के अनुसार, एम.डब्ल्यू.सी के संग्रह एवं निष्पादन की सारी जिम्मेदारी वाणिज्यिक संचालय की तिथि (दिसंबर 2014) से ठेकेदार की ही थी। अतः त्रि-चक्र की खरीद में व्यय ₹50.60 लाख जरूरी नहीं था और जिसको टाला जा सकता था।

4.4.2 Payment made without Performance Guarantee

The work of PPP Project for the collection and transportation of Municipal Solid Waste in entire NDMC Area was awarded to M/s Metrro Waste Handling Pvt. Ltd. on 4th August 2014. The concessionaire was requested to submit Performance Security within 10 days from the date of issue of the award letter and subsequently sign the Concession Agreement. But on scrutiny of the Performance Security Register and file containing the copy of performance security it was found that neither the Concessionaire submitted the Performance Bank Guarantee nor was it insisted by the NDMC till 5th October 2015. Thus, the Department did not secure its interest during the period from 5th August 2015 to 5th October 2015.

The Department replied (6th December 2019) that the issue pertains to Director Project as he had awarded the work and not Public Health and copy of performance bank guarantee was stated to be enclosed.

However, further examination in audit revealed that the concessionaire had submitted Bank Guarantee for the period from 5th August 2014 to 4th August 2015 and thereafter, the Bank Guarantee was renewed from 6th October 2015 instead of 5th August 2015. Thus, it is seen that neither the Concessionaire submitted the Bank Guarantee nor was it insisted by NDMC for the intervening period from 5th August 2015 to 5th October 2015. Reasons for the lapse were not replied to by the Health Department.

4.4.3 Undue benefit to the Concessionaire

The Concession Agreement between NDMC and M/s Metrro Waste Handling Private Limited (Concessionaire) was executed (12th August 2014) for collection and transportation of Municipal Solid Waste from the area under the jurisdiction of NDMC under PPP Project.

As per the Schedule 'B' of the Concession Agreement, the Concessionaire shall place garbage trolleys/street corner bins at its cost and expense in its area of operations as per the need and directions of NDMC. Further, as per Article 3.1 of the Concession Agreement, NDMC shall within a period of 10 days from the Appointed Date i.e. 12th August 2014, allow the Concessionaire necessary access to the existing project facilities to start with the implementation/construction. In accordance with the aforesaid provision, NDMC had handed over 1724 bins (Masonry bins/ Garbage trolley) to the Concessionaire on account of existing project facilities.

Audit observed from the records that NDMC had placed 1275 number of new garbage Iron Bin trolleys at various places in NDMC area in December-2014. Thus, NDMC incurred expenditure on procurement of Iron Bin trolleys for providing new project facilities to the Concessionaire after signing of the agreement. The actual money value of new garbage Iron Bin Trolleys was not ascertainable as the procurement details were not made available to audit.

Further, NDMC had also incurred an expenditure of ₹50.60 lakh on the procurement of tri-cycles rickshaws (March-2015) to provide project facility to the Concessionaire. Thus, NDMC facilitated the Concessionaire after execution of agreement, resulting in undue benefit to the Concessionaire.

The Department replied (6th December 2019) that the 1275 no. of trolleys that were already in place in NDMC area at the time of award of work were handed over to concessionaire for operation and maintenance as per the RFP. Tri-cycle rickshaws have not been provided to concessionaire; it is being used by the NDMC sanitary staff.

Reply is not verifiable as the Department failed to provide any records relating to tendering process. Moreover, the Health Department did not provide any documentary evidence in respect of use of Tri-cycle by NDMC sanitary staff in support of its reply. Moreover, the reply is untenable because as per the Concession agreement the entire responsibility of Municipal Waste Collection and disposal rested with the Concessionaire from the date of Commercial Operation (December-2014 onwards). Hence, the procurement of Tri-cycle worth ₹50.60 lakh by Public Health Department, NDMC was not warranted and thus was an avoidable expenditure.

4.4.4 कंसेशनियर को अनियमित भुगतान

रियायत समझौते के अनुच्छेद 5.4 के तहत रियायतकर्ता सभी सेवाओं डिजाईन, निर्माण और खरीद जिसका का विवरण अनुसूची 'बी' में सूचीबद्ध है, जिसके अनुसार काम पूरा होने पर स्वतंत्र सलाहकार/एनडीएमसी, परियोजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत रियायतकर्ता को रेडीनेस सटिंफिकेट जारी करता है।

रियायत समझौता यह भी बताता है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) का आशय उस तारीख से है जिसके आधार पर रियायतकर्ता वास्तव में एनडीएमसी क्षेत्र से एमएसडब्ल्यू को संग्रह करने और ढोने और परियोजना के कार्यान्वयन में आवश्यक कुल गारबेज ट्रॉलियों की उपलब्धता एवं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट/एमओएच से रेडिनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाना है इसके अलावा, रियायत समझौते के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, टिपिंग शुल्क का भुगतान सीओडी की सहमति की तारीख से महीने के अंत तक होगा।

(I) ऑडिट ने रिकॉर्ड से पाया कि कंसेशनयर ने 4 दिसंबर 2014 को 14 सर्किलों में से दो सर्कल (6 और 8) और 30 दिसम्बर 2014 को अन्य दो सर्कल (1 और 11) का प्रभार संभाला और बाद में रियायतकर्ता द्वारा जनवरी 2015 से 11 फरवरी 2015 में शेष 10 सर्कल का चार्ज भी ले लिया गया। सितंबर 2014 से जनवरी 2015 (पाँच महीने) की अवधि के लिए **₹2.61** करोड़ रूपये का भुगतान रियायतकर्ता को किया गया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एन डी एम सी ने सितंबर 2014 से नवंबर 2014 (3 महीने) तक की अवधि के लिए सीओडी से पहले और किसी सर्कल को रेडिनेस प्रमाण पत्र जारी किए बिना भुगतान किया। इसके अलावा, इन चार हलकों का भुगतान दिसम्बर 2014 में कचरे की सही मात्रा का पता लगाए बिना, एवं अंतरिम सी ओ डी के आधार पर किया। इन हलकों के प्रभार (4 दिसंबर और 30 दिसंबर 2014 को लिया गया था) के इस भुगतान की सत्यता का पता नहीं चल पाया जबकि शेष सर्कल को जनवरी 2015 से 11 फरवरी 2015 के दौरान संचालित किया गया।

इस प्रकार, ₹2.61 करोड़ का भुगतान रियायतकर्ता को समझौते की शर्तों के उल्लंघन से प्राप्त हुआ।

(ii) लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया कि विभाग ने ₹81.71 लाख का भुगतान नवंबर, दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 की अवधि में एनडीएमसी क्षेत्र से बागवानी अपशिष्ट और अव्यवस्थित कचरे के निपटान के लिए दो हटाने के लिए दो अन्य ठेकदारों (मैसर्स जीटी रोडवेज और मैसर्स सिटी लाइफ लाइन ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड) को किया था जबकि सितम्बर से दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 तक, विभाग ने एमएसडब्ल्यू और बागवानी अपशिष्ट के निपटान हेतु रियायतकर्ता (मैसर्स मैट्रों वेस्ट हेडलिंग प्रा. लि.) को ₹ 2.61 करोड़ टिपिंग शुल्क का भी भुगतान किया ।

4.4.4 Irregular payment to the Concessionaire

Article 5.4 of the Concession Agreement stipulates that the Concessionaire undertakes all services relating to design, construction and procurement listed under the scope of services under Schedule 'B' and upon completion of the works, the Independent Consultant/NDMC shall issue Readiness Certificate to the Concessionaire under project implementation.

The Concession Agreement also stipulates that Commercial Operation Date (COD) for collection & transportation facilities shall mean the commercial operation date of the Project which shall be the date on which the Concessionaire actually starts the lifting of MSW from the NDMC area subject to placing of total number of Garbage Trolleys required for the project and issuance of Readiness Certificate from the Independent Consultant/MoH for the same. Further, as per the Article 7.1 of Concession Agreement, the payment on account of tipping fee for the first month of operation shall relate to period commencing from the date of occurrence of COD and till the end of the month.

(I) Audit observed from the records that out of 14 circles the Concessionaire took over the charge of two circles (6 & 8) on 4th December 2014 and other two circles (1 & 11) on 30th December 2014. The charge of remaining 10 circles was taken during January-2015 to 11th February 2015 by the Concessionaire. Payment of ₹2.61 crore was made to Concessionaire for the period from September-2014 to January-2015 (five months). It is apparent from the above that NDMC had made payment for the period of September-2014 to November-2014 (3 months) to the Concessionaire before the commencement of Commercial Operation Date and without issuance of the readiness certificate for any circle to the Concessionaire. Further, the payment for the month of December-2014 was made on the provisional COD, without ascertaining the exact quantity of waste as the charge of these four circles taken up on 4th December and 30th December 2014). The veracity of payment for the month of January-2015 to the Concessionaire is also not ascertainable as the remaining circles were operationalized during January-2015 to 11th February 2015.

Thus, the payment of ₹2.61 crore was made to the Concessionaire in violation of terms and conditions of the agreement.

(ii) Audit further observed that the Department had also made payment of ₹81.71 lakh to two other contractors (M/s G.T. Roadways & M/s City Life Line Travel Pvt. Ltd.) for removal of Horticulture waste and indiscriminate garbage from the NDMC area for the period November, December-2014 and January-2015, even when during the period from September-December-2014 and January 2015, Department also made payment on account of tipping fee of ₹2.61 crore to the Concessionaire (M/s. Metrro Waste Handling Pvt. Ltd) for carrying out Municipal Solid Waste and Horticulture waste in accordance with the Concession agreement. मैसर्स सिटी लाइफ लाइन ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड और कंसेशनएयर (मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड) एक ही पते यानी 8551/2 रोशनारा रोड दिल्ली से अपना कारोबार संचालित कर रहे थे और दोनों कंपनियों के निदेशक भी एक ही थे। ठेकेदारों को किए गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:

既戒	ठेकेदार का नाम	काम का नाम	अवधि	राशि (र लाख में)
l.	भैसर्स जी.टी रोडवेज	बागवानी कचरा और अनियंत्रित कचरा हटाने के लिए 15 टिपर ट्रक किराए पर लेना ।	नवंबर 2014	15.50
2	मैसर्स जी.टी रोडवेज	बागवानी कचरा और अनियंत्रित कचरा इटाने के लिए 15 टिपर ट्रक किराए पर लेना।	दिसंबर 2014	15.64
3	मैसर्स जी.टी रोडवेज	बागवानी कचरा और अव्यवस्थित कचरा हटाने के लिए 15 टिपर ट्रक किराए पर लेना ।	जनवरी 2015	13.91
4	मैसर्स सिटी लाइफ लाइन ट्रैवल प्रा. लि.	एनडीएमसी क्षेत्र से बागवानी कचरे को इटाने और अनियांव्रेत कचरा इटाने के लिए टिपर ट्रकों की आपूर्ति।	दिसंबर 2014	36.66
			कुल	81.71

तालिका संख्या 4.1: ठेकेवारों को भुगतान का विवरण

इस अवधि के दौरान कंसेशनियर और अन्य ठेकेदारों को कचरा हटाने के लिए किए गए भुगतान में स्वास्थ्य

विभाग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिषद् को विस्तृत विवरण देने कि आवश्यकता है ।

विभाग के उत्तर के अनुसार (06 दिसंबर 2019) रियायत समझौते में कहा गया है कि रियायतकर्ता को समझौते पर हस्ताक्षर करने के 6 महीने के भीतर ही सी ओ डी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और जो कार्यावहन की अवधि रियायतकर्ता को प्रदान की जाएगी। एनडीएमसी ने दिनाँक 09 जनवरी 2015 को एनडीएमसी क्षेत्र से ढोये गये कचरे के भुगतान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ अंतिम सी ओ डी जारी की, यह इंगित करता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर 2014 के लिए भुगतान मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम सी ओ डी जारी करने के बाद किया गया था । स्वतंत्र सलाहकार के पत्र के अनुसार मैसर्स मैट्रो ने दिसंबर 2014 में ओ एडं एम के लिए मुलाकात की थी ।

इसके अलावा, किराये पर लिये गये ट्रिपर ट्रकों का अवलोकन करने के लिए यह कहा गया है कि सचिव (एनडीएमसी), एमओएच, निदेशक परियोजना, मुख्य अभियंता, (सिविल), मुख्य वास्तुकार, निदेशक मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्रा0 लि0) और स्वतंत्र सलाहकार के साथ अध्यक्ष के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स मेट्रो द्वारा कचरे को ढोने के लिए सर्कल नं0 6 और 8 से एनडीएमसी ट्रकों को वापिस लेगा और इसके लिए कोई वाहन और कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराएगा । इन दोनों सर्कलों से कुल 10 वाहन वापस लिए गए । एनडीएमसी ने मैसर्स मैट्रों वेस्ट हेडलिंग प्रा. लि. (एमओएम-05.12.2014 के पैरा 3) को सर्कल अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन करने को दिया था । 05.12.2014 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के महेनजर किराए के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना था।

विभाग द्वारा विए गए उत्तर 06.12.2019 मान्य नहीं है क्योंकि सितंबर 2014 से 3 विसंबर 2014 की अवधि से 14 सर्कलों में से वो सर्कलों 6 और 8 को रियायतकर्ता को (4 विसंबर 2014) को सौंप विए जाने के कारण भुगतान वेय नहीं है और दूसरे वो सर्कलों 1 और 11 के भुगतान की शुरूआत 30 विसंबर 2014 को की इसलिए पिछली अवधि (सितबंर 2014 से 3 विसंबर 2014) के लिए भुगतान का निर्णय उत्पन्न नहीं होता । इसके अलावा सर्कल अनुसार कार्यान्ययन योजना का उल्लेख किए बिना 09 जनवरी 2015 को चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) द्वारा अंतिम सी ओ डी जारी किया गया था और 09 अप्रैल 2015 को चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) द्वारा अंतिम सी ओ डी जारी किया गया था और 09 अप्रैल 2015 को रेडीनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया बिना सर्कल अनुसार प्लांट के अमल में लाने और स्वतंत्र सलाहकार की सिफारिशों का उल्लेख किए जो 11 फरवरी 2015 को लागू होना था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग विसंबर 2014 और जनवरी 2015 में रियायतकर्ता को किए गए भुगतान की सत्यता के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने में विफल रहा क्योंकि शेष सर्कलों का संचालन जनवरी 2015 से फरवरी 2015 के वौरान किया गया था। Incidentally, M/s City Life Line Travel Private Limited and Concessionaire (M/s Metrro Waste handling Private Limited) were operating their business from the same address i.e. 8551/2 Roshanara Road Delhi and Directors of both the companies were also same. The details of payments made to these contractors are as under:

S. No.	Name of the Contractor	Name of work	Period	Amount (₹ in lakh)
1.	M/s G.T. Roadways	Hiring of 15 nos. of Tipper Trucks for removal of Horticulture waste and indiscriminate garbage	November 2014	15.50
2.	M/s G.T. Roadways	Hiring of 15 nos. of Tipper Trucks for removal of Horticulture waste and indiscriminate garbage	December 2014	15.64
3.	M/s G.T. Roadways	Hiring of 15 nos. of Tipper Trucks for removal of Horticulture waste and indiscriminate garbage	January 2015	13.91
4.	M/s City Life Line Travel Pvt. Ltd.	Supplying of tipper Trucks for removal of Horticulture waste and Indiscriminate garbage from NDMC area.	December 2014	36.66
			Total	81.71

Table No. 4.1: Details of payment to Contractors

This issue needs detailed explanation by the Health Department to the Council to assure that transparency for making payment to Concessionaire and other contactors for removal of garbage was maintained during the period.

The Department replied (6th December 2019) that the Concession Agreement stated that the concessionaire shall be required to achieve COD within 6 months of signing agreement and implementation period was to be provided to Concessionaire. NDMC had issued provisional COD with the approval of Competent Authority for the purpose of the payment in respect of garbage transported from NDMC area dated 9th January 2015. It indicates that the payment was made to the M/s Metrro Waste Handling Pvt. Ltd. for September, October, November & December-2014 only after issuance of provisional COD. Letter of Independent Consultant dated December-2014 mentioned that M/s Metrro had met with the O&M requirement.

Further, regarding the observation continuing with the hired tipper trucks it stated that a meeting was held in Chairman's chamber with Secretary (NDMC), MOH, Director Project, Chief Engineer (Civil), Chief Architect, Director (Metrro Waste Handling Pvt. Ltd.) and Independent Consultant in which it was decided that M/s Metrro waste shall be handed over Circle no. 6 & 8 for transportation of garbage and NDMC shall withdraw hired trucks from these two circles and provide no vehicle and staff for the same. A total of 10 vehicles were withdrawn from these two circles. NDMC had given circle wise implementation programme to M/s Metrro (Para 3 of MOM - 5[®] December 2014). In view of the decision taken in the meeting held on 5[®] December 2014 the hired vehicles were to be removed in phase out manner.

The reply (6th December 2019) of the Department is not tenable as the payment to Concessionaire for the period from September-2014 to 3th December 2014 was not due as the two circles no. 6 & 8 out of 14 circles were initially handed over to the Concessionaire on 4th December 2014 and other two circles no. 1 & 11 were commenced from 30th December 2014, thus the decision for making the payment for the previous period (September-2014 to 3th December-2014) did not arise. Further, the provisional CoD was issued by the Medical Officer (Health) on 9th January 2015 without mentioning the circle-wise implementation plan and the recommendation of Independent Consultant for issuance of Readiness Certificate was issued on 9th April 2015 which was effected from 11th February 2015. Moreover, failure of Health Department to provide the records rendered un-ascertainable the veracity of payment made for December-2014 and January-2015 to Concessionaire as the remaining circles were operationalised during January-2015 to February-2015. विभाग के किराए के टिपर ट्रक के साथ जारी रखने के संबंध में उतर अप्रसांगिक है और यह ऑडिट द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाव नहीं देता है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिषद् को विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता है ताकि कोई अतिरिक्त भुगतान/अनुचित भुगतान रियायतकर्ता को नहीं किया गया था।

4.4.5 वाहनों के वजन में भिन्नता

दिसंबर 2014 के महीने में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ओखला में वेइंग ब्रिज से जारी किए गए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) के लगभग 100 वेट स्लिप के चार कम्पेक्टर के टेस्ट चेक से पता चला कि समान वाहनों के टेयर वेट की भिन्नता 15 किलोग्राम से लेकर 960 किलोग्राम तक थी। विवरण अनुबंध-III में दिखाया गया है। खाली वाहनों का वजन एमएसडब्ल्यू उतारने के बाद लगभग समान होना चाहिए था। हालांकि, दिसम्बर 2014 के वेटिंग स्लिप के टेस्ट-चेक में वाहनों के वजन में व्यापक बदलाव देखा गया और इस तरह के अन्य मामलों से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तौल पर्ची (वेट स्लिप) की जांच की आवश्यकता थी। इस प्रकार, टिपिंग शुल्क का रियायतकर्ता को सही भुगतान पर संदेह उत्पन्न करता है।

विभाग के उत्तर के अनुसार (06 विसंबर 2019) कंसेशनर ट्रांसपोर्ट एक बंद बॉडी कम्पेक्टर है। इन्हीं विए गए तथ्यों के कारण जैसे कि कचरे की कुल मात्रा का निपटान नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ कचरा बॉडी पर चिपका रह सकता है जो कि कचरे के वजन में भिन्नता पैदा करता है यही कारण है जो रियायतकर्ता को नुकसान पहुँचाता है । कॉम्पेक्टर्स की इंधन टैंक क्षमता प्रत्येक मॉडल में भिन्न होती है । यह वजन में भिन्नता का कारण भी बनता है।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि 960 किलोग्राम तक एक ही वाहन के वजन में भारी अंतर था जो विभाग द्वारा बताए गए कारण के संबंध में न्यायसंगत नहीं है।

4.4.6 डुप्लिकेट बिलों पर नामित व्यतियों के अलावा अन्य जगहों पर एमएसडब्ल्यू को ढ़ोने का भुगतान

रियायत समझौते के अनुच्छेद 7.1 (बी) में कहा गया है कि रियायतकर्ता नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वजन करेगा और इसे टीपींग के शुल्क के भुगतान के लिए एनडीएमसी के स्वतंत्र सलाहकार/अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा, समझौते के शेड्युल ए (सी) के अनुसार एमएसडब्ल्यू को दिल्ली नगर निगम/ईडीएमसी द्वारा गाजीपुर में स्थापित लैंडफिल सुविधा एवं ओखला में टीओडब्ल्यूएमसीएल डब्ल्यू टी डी परियोजना द्वारा संचालित उपचार सुविधा में भेजा जाना था।

दिसंबर 2015 के महीने के बिल भुगतान के टेस्ट चेक से पता चला कि कंसेशनर ने मैसर्स आई एल एंड एफएस इंफ्रा एंड सर्विसेज लिमिटेड, एस डीएमसी के कंपोस्ट प्लांट, नई दिल्ली की डुप्लिकेट वेटिंग स्लिप संलग्न की थी, जो कि एमएसडब्ल्यू के परिवहन के लिए निर्दिष्ट साइट नहीं थी। इन पर्चियों को स्वच्छता निरीक्षक, स्वतंत्र सलाहकार और एनडीएमसी द्वारा सत्यापित किया गया और **१4.26 लाख** का भुगतान कंसेशिनियर को किया गया।

विभाग के उत्तर के अनुसार (06 दिसंबर 2019) एमएसडब्ल्यू नियमों के अनुसार, गीले जैविक कचरे को खाद में संशोधित करना अनिवार्य था और तवनुसार एनडीएमसी के एमओएच ने एसडीएमसी अधिकारियों के साथ वात करने के बाद एसडीएमसी खाद संयंत्र में खाद बनाना शुरू किया । कम्पोस्ट संयंत्र ओखला (आई एल और एफ एस) एमएसडब्ल्यू नियमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कचरे के निपटान के लिए निर्धारित स्थल है । इसके अलावा डुप्लिकेट वेटिंग स्लिप के बारे में आगे कहा गया है कि चूंकि आई एल एंड इंफ्रा सविंसेज लिमिटेड की मूल स्लिप खो गए थी इसलिए एनडीएमसी सैनेटरी इंस्पेक्टर और स्वतंत्र सलाहकार द्वारा सत्यापित डुप्लिकेट वेटमेंट स्लिप बनाई गई थी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह रियायत समझौते का उल्लंघन था। इसके अलावा, जिसके कारण केवल आई एल एंड इंफ्रा सविंसेज लिमिटेड की वेट स्लिप का गुम होना बाकी निर्धारित बिन्दुओं की सही पर्ची का पाये जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए कारण न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा, विभाग ने एसडीएमसी अधिकारियों के साथ मिलकर एसडीएमसी कंपोस्ट संयंत्र में एनडीएमसी द्वारा खाद बनाना आरंभ करने के बारे में कोई वस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। The reply regarding continuing with the hired tipper truck of the Department is irrelevant and it does not answer the objection raised in audit. This issue needs detailed explanation by the Health Department to the Council to assure that no over payment/inadmissible payment was made to the Concessionaire.

4.4.5 Variation in tare weight of vehicles

Test check of about 100 weighment slips of Municipal Solid Waste (MSW) issued from Weighing Bridge at Waste to Energy Plant, Okhla for the month of December-2014 revealed that the Tare weight of same vehicle(s) was in variance ranging from 15 Kgs to 960 Kgs for four compactors. The details are given in Annexure-III. The weight of empty vehicles should have been about same after unloading the MSW, which needed to be checked by Health Department from the weighment slips. Instances of wide variance in tare weight of the vehicles were noticed in test-check of weighment slip of December-2014 and thus more such instances cannot be Ruled out. This raises a doubt on the correctness of the payments made to the Concessionaire on account of tipping fee.

The Department replied (6th December 2019) that the Concessionaire transport garbage in closed body compactors. Variation in tare weight occurs due to some given factors such as the total amount of garbage is not disposed off always as it is a closed body and garbage is stuck in the body and the weight of the undelivered garbage was causing variation in weight and leads to loss to the concessionaire. Fuel tanks capacity of the compactors varies from model to model used for transportation, it is also causes variation in weight.

Reply of the Department is not tenable as there were huge differences in tare weight of same vehicle raising upto 960 Kg, a figure too high to be justified by the reason given by the Department.

4.4.6 Payment for transporting of MSW to site other than designated ones on duplicate bills

Article 7.1(b) of the Concession Agreement stipulates that the Concessionaire shall weigh the Municipal Solid Waste (MSW) and get it duly certified by the Independent Consultant/Authorized person of NDMC for making the payment of tipping fee. Further, as per the schedule A(C) of the agreement the MSW was to be transported to the designated site i.e. landfill facility set up at Ghazipur by the Municipal Corporation of Delhi/EDMC, treatment facility operated by TOWMCL WTD project at Okhla.

Test check of bill payment for the month of December 2015 revealed that the Concessionaire in instances attached duplicate weighment slips of M/s IL&FS Infra & Services Ltd, SDMC compost Plant, New Delhi which was not the designated site for transportation of MSW. These slips were verified by the Sanitary Inspector, Independent Consultant and NDMC and payment of ₹4.26 Lakh was made to Concessionaire.

The Department replied (6th December 2019) that as per MSW Rules, it was mandated to process wet organic waste into compost and accordingly MOH of NDMC initiated composting at SDMC compost plant after talking with SDMC Officers. Compost plant OKHLA (IL&FS) is designated site of disposal of waste to meet with the requirement of MSW Rules. Further regarding duplicate weightment slips it stated that that since original slips raised by IL&FS Infra Services Ltd. were misplaced hence duplicate weightment slips were raised by the plants which was duly verified by the NDMC Sanitary Inspector and Independent Consultant.

The reply of the Department is not tenable as the practice was in violation of the Concession Agreement. Moreover, the reasons that weigh slips only in respect of IL&FS Infra Services Limited were misplaced and other slips of designated points were intact, were not justified by the Health Department. Moreover, the Department had not submitted any documentary evidence regarding NDMC initiating composting at SDMC Compost plant in association with SDMC officers.

4.4.7 स्वतंत्र सलाहकार को काम का अनियमित तरीके से पुरस्कार

सामान्य वित्तिय नियम 183,184,185,186 और 194 में सलाहकार सेवाएं लेने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान, परामर्शदाताओं की सॉक्षप्त सूची, शर्तों और संदर्भ को तैयार करना, आर एफ पी की प्रकाशन/ परामर्श सेवाओं को नामाकित करना और परामर्श के एकल स्रोत को उल्लेखित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी निविदा की स्वीकृति के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए ताकि व्यापक प्रचार-प्रसार पर विचार करने, और प्रतिस्पर्धियों में लागू की जा सके । और कोई भी निविदा के पश्चात् एल-1 के साथ भी (केवल अपवाद स्थितियों को छोड़कर) मोलभाव न किया जा सके । निविदा स्वीकार करने के लिए पक्षपात से बचने के लिए, एकल बोली के आधार पर नामांकन लिया गया था ।

रियायत समझौते (12 अगस्त 2014) के अनुच्छेद 4.1 (बी)अनुसार, स्वतंत्र सलाहकार को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना था। इस संबंध में 11 अगस्त 2014 को परियोजना के लिए स्वतंत्र सलाहकार के चयन के प्रस्ताव का अनुरोध किया गया था और केवल एक फर्म यानी मैसर्स सेन्सस कंसल्टेंट्स इंडिया प्रा लिमिटेड ने अपनी बोली प्रस्तुत की। तकनीकी और वित्तीय बोली क्रमश: 22 अगस्त 2014 और 18 सितम्बर 2014 को खोली गई थी। इसके बाद, मामला मंजूरी के लिए वित्त विभाग को 19 सितबंर 2014 को भेज दिया गया। वित्त विभाग ने तत्कालीन निदेशक (परियोजना) निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ फाईल लौटा दी रू

- विभाग को काम के लिए अपनी सिफारिशों के साथ अपना विशिष्ट व्यौरा प्रस्तुत करने की सलाह,
- निविदा दस्तावेज पर उप-समिति द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने, के लिए फाइल को वापस किया गया,
- मामले को वित्तीय सलाहकार द्वारा समक्ष अधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के साथ भेजे।
- * विभाग यह सुनिश्चित और प्रमाणित करे कि एकल बोलीदाता द्वारा दरें उचित और न्यायसंगत हैं, और पुर्ननिविदा के दौरान बेहतर प्रतिस्पर्धा अपेक्षित नहीं है।

इसके जवाब में तत्कालीन निदेशक (परियोजना) ने एक मात्र बयान प्रस्तुत किया कि मैसर्स सेन्सस कंसल्टेंट्स द्वारा उद्धत दरें उचित थीं । उसी को 7 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था और मैसर्स सेंसस कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ₹1,84,770/- के मासिक पारिश्रमिक के साथ 10 अक्टूबर 2014 को तीन साल की अवधि के लिए काम दिया गया था। इसके अतिरिक्त, समझौते के अनुसार, समय-समय पर उपरोक्त भुगतान पर लागू सेवा कर एनडीएमसी और रियायतकर्ता द्वारा देय होगा। इसके बाद अनुबंध 9 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया, तत्पश्चात् स्वतंत्र सलाहकार ने (12.09.2017) एनडीएमसी को व्यावसायिक शुल्क पर 7 प्रतिशत की वृद्धि क साथ 3 साल की अवधि के लिए अनुबंध के विस्तार के लिए अनुरोध किया । एनडीएमसी ने स्वतंत्र सलाहकार के अनुबंध को अगस्त 2018 तक बढ़ा दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि

- (अ) 2014 में निविदा के आह्वान के दौरान, एनडीएमसी ने सामान्य वित्तीय नियमों और सी वी सी के दिशानिर्देशों के अनुसार टेंडरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अच्छी तरह से परिचालित राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक संभव प्रचार नहीं किया। एनडीएमसी में स्वतंत्र सलाहकार के चयन के लिए एकल बोली की स्वीकृति के दौरान कोई औचित्य और तर्क नहीं दिया।
- (व) रियायत समझौते के अनुसार, स्वतंत्र सलाहकार को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना था। जबकि एनडीएमसी ने तीन साल की अवधि के लिए स्वतंत्र सलाहकार को नियुक्त किया। ऑडिट में इसके कारणों का पता नहीं लग सका।
- (स) कंसल्टेंसी का अनुबंध अक्टूबर 2017 में समाप्त हो गया था और एनडीएमसी ने 15 अगस्त 2018 तक यानी लगभग 10 महीने तक बढ़ा दिया था । स्वतंत्र सलाहकार ने भी अक्टूबर 2014 से मई 2015 की अवधि के लिए वैधानिक कर जमा नहीं किया था।

4.4.7 Irregular award of work to Independent Consultant

The General Financial Rules 183,184,185,186 and 194 envisaged the conditions regarding identification of likely sources, short listing of Consultants, preparation of terms and reference, preparation and issue of RFP and single source of selection/Consultancy by nomination for procurement of Consulting Services. The Central Vigilance Commission also formulated the guidelines for floating and acceptance of tender considering wide publicity, generate enough competition and to avoid favouritism, the award of contracts on nomination/single tender basis to be resorted to only under exceptional circumstances and no post tender negotiations with L1 bidder, except in certain exceptional situations.

As per the Article 4.1(b) of Concession Agreement (12th August 2014), the Independent Consultant shall be appointed for a period of five years. In this connection, request for proposal for selection of Independent Consultant for the project was initiated on 11th August 2014 and only one firm i.e. 'M/s SENES Consultants India Pvt. Ltd' submitted its bid. The technical and financial bid was opened on 22th August 2014 and 18th September 2014 respectively. Thereafter, the case was forwarded (19th September 2014) to Finance Department for its approval. The Finance Department reverted the file to the then Director (Project) for compliance of certain observations such as:

- The Department may be advised to submit their specific proposal with their recommendation for the work;
- Tender document not signed by the tender opening Sub-Committee;
- Case should be routed through the associate finance along with A/A and E/S obtained from the Competent Authority;
- Department may ensure and certify that the rates quoted by the single bidder are reasonable and justified and no better competition are expected if recalled'.

In response, the then Director (Project) merely submitted a statement that the rates quoted by the M/s SENES Consultants was justified and the same was approved by the Chairman on 7th October 2014 and work was awarded to M/s SENES Consultants India Pvt. Ltd for a period of three years w.e.f. 10th October 2014 with a monthly remuneration of ₹1,84,770/-. Further, as per the agreement, Service Tax as applicable on the above payment from time to time would be payable by NDMC and Concessionaire. The contract expired on 9th October 2017. Thereafter, the Independent Consultant requested (12th September 2017) NDMC for extension of contract for another period of 3 years with an increase of 7 percent over the professional fee; NDMC had given extension to the Independent Consultant in piecemeal manner upto August-2018.

Audit observed that:

- a) During the call of tender in 2014, NDMC did not adhere to the widest possible publicity through well-circulated national and local newspapers for greater transparency in tendering process in accordance with the General Financial Rules and CVC guidelines. NDMC also did not give any justification and reasonability while acceptance of single bid for the selection of the Independent Consultant.
- b) As per the Concession Agreement, the Independent Consultant was to be appointed for a period of five years. However, NDMC had appointed Independent Consultant for a period of three years; reasons for the same were not ascertainable from the records made available to audit.
- c) The contract for Consultancy expired in October-2017 and NDMC had given extension upto 15th August 2018 i.e. around 10 months. The Independent Consultant had also not submitted the statutory tax for the period from October-2014 to May-2015.

ओंडिट को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि एनडीएमसी ने स्वतंत्र सलाहकार के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा (नवम्बर 2017) में आमंत्रित की । हालौंकि कंसल्टेंट आर्कडिज इंडिया प्रा0 लिमिटेड (जो पहले सेंसस के नाम से जानी जाती थी) की केवल एक बोली, दिसंबर 2017 में, प्राप्त हुई थी। एकल बोली का मामला होने के कारण, उप-समिति ने बोली को रह कर दिया और नए सिरे से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 23 जनवरी 2018 को परामर्श करने के बाद उसको 23 मार्च 2018 को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था। काम के लिए निविदा की दूसरी कॉल 28 मार्च 2018 को फिर से आमंत्रित की गई और निविदा में भाग लेने की ॲतिम तिथि 9 अप्रैल 2018 थी और केवल एक बोलीदाता अर्थात मौजूदा स्वतंत्र सलाहकार ने फिर से भाग लिया और निविदा प्रक्रिया में योग्य हो गया । वित्तीय बोली 19 जून 2018 सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से खोली गई। उप-समिति के सदस्य ने कहा कि मैसर्स आर्कडिज एनडीएमसी के साथ पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है और 2014 में उचित प्रक्रिया द्वारा चयनित किया गया था। यह भी कहा गया कि कंसल्टेंट का कार्य एक विशेष प्रकृति का है और इस प्रकार की कंसल्टेंसी कुछ ही फर्में करती है । उप समिति ने सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से कंसल्टेंट को मोल-भाव समिति के समक्ष कंसल्टेंसी फीस ऑतिम रूप से तय करने के लिए बुलाया । मैसर्स आर्कडिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगले पॉच वर्षों के लिए अपनी उद्धत दरों ₹2,56,060/- से ₹2,36,000/- प्रति माह कीमतों को मिलाकर (₹2,00,000/- + 18 प्रतिशत सेवा शल्क) को कम करने पर सहमति व्यक्त की । सक्षम प्राधिकारी ने 14 अगस्त 2018 को स्वतंत्र सलाहकार के चयन को मंज़री दी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि

(अ) स्वतंत्र सलाहकार के चयन के लिए निविदा के दूसरे आहवान के दौरान योग्यता मानदंड के अनुसार यह उल्लेख किया गया था कि स्वतंत्र परामर्शदाता पिछले पाँच वर्षों के दौरान ठोस कचरा की 200 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली कम से कम दो परियोजनाओं का अनुभवी होना चाहिए और इस परियोजना के लिए संघ बनाने की अनुमति नहीं है । योग्यता दस्तावेजों की जाँच करते समय यह देखा गया कि पिछले वर्षों में किए गए कार्यों में से एक के लिए एक अनुभव प्रमाण पत्र याचियों इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एवं सेंसस कंसल्टेंट्स इंडिया प्रा0 लिमिटेड के संगठन को जारी किया गया था । इस प्रकार उल्लेखित योग्यता मानदंड के अनुसार, सेंसस कंसल्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव तकनीकी रूप से परियोजना की बोली लगाने के लिए योग्य नहीं था ।

(ब) मैसर्स अर्काडिस इंडिया प्रा0 लिमिटेड द्वारा जारी किए गए नेट वर्थ सर्टिफिकेट में (11.12.2017) चार्टर्ड अकाउंटेंस ने उनके आयकर विवरणी के साथ ही उनके पैन विवरण एएओसीए5200एच को प्रस्तुत किया, हालांकि, जून 2016 में, मैसर्स अर्काडिस इंडिया प्रा0 लिमिटेड ने एनडीएमसी को प्रस्तुत सूचना में एएडीएफडी9246जे के रूप में पैन विवरण दिया। एक ही फर्म जिसका पंजीकरण संख्या यू74140केए2003पीटीसी032795 के द्वारा दो भिन्न मौकों पर अलग-अलग एक ही पैन नं0 का प्रयोग किये जाने के कारणों का स्पष्टीकरण वॉछित है।

विभाग के जवाब के अनुसार (06 दिसंबर 2019) यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नहीं है क्योंकि निदेशक परियोजना ने पूरी निविदा प्रक्रिया और स्वतंत्र सलाहकार का चयन किया था। इसके लिए विभाग द्वारा परिषद् को विस्तृत स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदा प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार ही थी।

सितंबर 2018 की मासिक निरोक्षण रिपोर्ट की शुरूआत के पैरा 1.1 के अनुसार, एनडीएमसी ने रियायत अवधि के दौरान परियोजना की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार (आईसी) का चयन किया। लेकिन, उसी महीने की मासिक रिपोर्ट में मैसर्स सेंसस के स्थान पर मैसर्स आर्किडिज द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में लेखा परीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ रही कि किन परिस्थितियों में मैसर्स आर्किडिज ने मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। Scrutiny of records made available to audit further revealed that in November-2017 NDMC invited tender through e-procurement for the engagement of Independent Consultant. However, only one bid of the existing Independent Consultant (ARCADIS India Private Limited previously known as SENES Consultant) was received in December-2017. Being a case of single bid, the Sub-Committee cancelled the bid and decided to invite fresh online tender for Consultancy on 23" January 2018 and the same was approved by the then Chairman on 23" March 2018. The second call of tender for work was re-invited on 28th March 2018 and last date of participating in the tender was 9th April 2018 and only one bidder i.e. existing Independent Consultant again participated and qualified in the tendering process and financial bid was opened on 19" June 2018 with the approval of Competent Authority. The Sub-Committee opined that M/s ARCADIS is working with NDMC for the last 10 years and was selected through proper procedure in 2014 and that the duty of a consultant was a specialized work and there were very few firms dealing with such type of consultancy. The Sub-Committee also called consultant before the negotiation committee duly approved by the Competent Authority to finalize the fees to be provided to the Consultant. M/s ARCADIS India Private Limited agreed to reduce the quoted rates from ₹2,56,060/- to ₹2,36,000/- per month inclusive of all prices (₹2,00,000/- + 18 percent service charges) for the next five years. The Competent Authority approved the selection of Independent Consultant on 14th August 2018.

Audit observed that:

a) While floating the Request for Proposal during second call of tender for selection of Independent Consultant it was mentioned in the qualification criteria parameters that Experience as Independent Consultant for at least two projects, of 200 tonnes per day capacity of Municipal Solid Waste were required during the last five years and that Consortium is not allowed for this project. However, an experience certificate for one of the work done by SENES Consultants India Pvt. Ltd. in last years was found to be issued to a consortium of Yachiyo Engineering Co. Ltd., and SENES Consultants India Pvt. Ltd. Thus, in accordance with the qualification criteria mentioned in the Request for Proposal, SENES Consultants India Pvt. Ltd. was apparently not technically qualified for bidding for the project.

b) M/s ARCADIS India Pvt. Ltd. disclosed (11^{*} December 2017) its PAN details as AAOCA5200H in its net worth certificate issued by the Chartered Accountant as well as its Income Tax Return. However, in June 2016, M/s ARCADIS India Pvt. Ltd. disclosed its PAN detail as AADFD9246J in the intimation of amalgamation submitted to NDMC. The difference between two PANs submitted by M/s ARCADIS India Pvt. Ltd. having same registration number U74140KA2003PTC032795 on two occasions required clarification.

The Department replied (6th December 2019) that this does not pertain to Public Health Department as Director Project had done the entire tendering process and selection of Independent Consultant. This requires detailed explanation by the Department to the Council to assure that the tendering process was as per the extant Rules.

As per Para 1.1 of introduction of the Monthly Inspection Report of September-2018, NDMC selected an Independent Consultant (IC) for monitoring of the project during concession period. However, the monthly report for the same month was submitted by the M/s ARCADIS India Pvt. Ltd. instead of SENES. The circumstances under which M/s ARCADIS India Pvt. Ltd. submitted the monthly report was not ascertainable in audit in absence of related documents. विभाग ने अपने जवाब के साथ (06 विसंबर 2019) इस संदर्भ में सेंसस कंपनी के नाम को विलय करने के संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए थे और कंपनी के नाम को विलय करने के बाद उसका नाम बदलकर मैसर्स आर्किडिज इंडिया प्रा0 लिमिटेड रखा गया ।

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाम बदलने के बाद अनुबंध को मान्यता देने के लिए एनडीएमसी के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पेश नहीं की गई।

4.4.8 एमएसडब्ल्यू नियमों का उल्लंघन करते हुए एम.एस डब्ल्यू को खुले डम्पर में निर्धारित स्थान पर ढोया गया।

रियायत समझौते की अनुसूची बी (बी) (5) यह निर्धारित करती है कि रियायतकर्ता हर दिन स्ट्रीट कॉर्नर बिन्स और कचरा स्टेशनों से एमएसडब्ल्यू एकत्र करेगा और एकत्रित किए गए कचरे को एनडीएमसी चिन्हित स्थानों पर बंद वाहनों में ढोया जाएगा।

दिसंबर 2015 के बिल के नमूना परीक्षण से पता चला कि कंसेशनियर ने वेस्ट को खुले डम्पर का उपयोग करके चिन्हित स्थनों तक पहुँचाया जो कि दुर्गंध फैलाने और लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है । लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि रियायत समझौते में, खुले डम्पर के माध्यम से ढोये गए एम एस डब्ल्यू के मामले में किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं था ऑडिट ने दिसम्बर 2015 के महीने के लिए 1526 वजनी की पर्चीयों को देखने पर पाया कि दिसंबर 2015 में कंसेशनियर ने खुले डम्पर के माध्यम से एमएसडब्ल्यू को 391 बार ढो़या ।

विभाग के उत्तर के अनुसार (06 दिसंबर 2019) एनडीएमसी 49 प्रतिशत हरित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बड़े वृक्ष है जो बागवानी अपशिष्टों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं जिसकी नियमित छटाई की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप बागवानी अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसमें पेड़ों और शाखाओं के मोटे तने शामिल होते है जिन्हें बंद कम्पेक्टर में नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि इससे प्लेट/हाइड्रोलिक पाईप टूट जाते है । यह बागवानी अपशिष्ट जो खुले डंपर में ले जाया गया था और हस्तांतरण के समय विवेकपूर्ण रूप से तिरपाल के साथ कवर किया जाता रहा है ।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि यह रियायत समझौते के साथ ही एम.एस.डब्ल्यू नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है जो खुले डंपर में एमएसडब्ल्यू के परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त जवाब ऑडिट द्वारा उठाई गई आपत्ति के बाद सोचा एवं तैयार किया गया है ।

4.4.9 जीरो वेस्ट कॉलोनियों के संबंध में प्रतिबद्धताएँ

17 अक्टूबर 2018 को ''जीरो वेस्ट'' कॉलोनियों के रूप में घोषित की गई पाँच कॉलोनियों[?] के कचरे को उठाने के लिए कम्पोस्ट प्लांट, चाणक्य पुरी और लक्ष्मी बाई नगर बायो-मेथनाइजेशन प्लॉट का स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया था। बिवरण इस प्रकार है:

(I) कचरा उपचार संयंत्र, ओखला से गैर-पृथक कचरा प्राप्त होता है

यह देखा गया कि ओखला ट्रीटमेंट प्लांट को दिया जा रहा कचरा मिश्रित रूप में है और इसे सूखे और गीले में अलग नहीं किया जाता है। यह इस तथ्य के कारण था कि एनडीएमसी क्षेत्र में एकत्र किए गए अलग-अलग कचरे (सूखा और गीला) को फिर से ऑटो टिपर्स से कॉम्पेक्टर्स में स्थानांतरित करने के चरण में फिर से मिलाया जा रहा था। जिसके कारण यह जागरूकता और गतिविधियों की दिशा में किए गए प्रयासों के उद्देश्यों को निष्फल बना देता है।

(ii) चाणक्यपुरी में कम्पोस्ट प्लांट

यह देखा गया है कि उपचार के लिए कम्पोस्ट प्लांट में 5 सर्किलों में से 6, 8 और 10 तीन सर्किलों का गीला कचरा प्राप्त किया जा रहा है। हालांकि, कम्पोस्ट प्लांट में, केवल खाद अपशिष्ट जैसे कि फल/सब्जी के छिलके आदि को मैन्युअल रूप से अलग किया जाता था और खाद बनाने के लिए मशीन में डाला जाता था, बाकी कंपोस्टेबल गीले कचरे को ओखला में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भेजा जा रहा था।

नोट 7 : रवीन्द्र नगर (सर्कल-6), काका नगर (सर्कल-8), जोर बाग (सर्कल-9), चाणक्यपुरी डी-I और डी-II (सर्कल-10) और रेलवे कॉलोनी, चाणक्यपुरी (सर्कल-10)

The Department replied (6th December 2019) that the relevant documents of amalgamation of SENES were attached for reference and that post merger the company name has been changed to ARCADIS India Pvt. Ltd.

However, the approval of the Competent Authority of NDMC to re-validate the contract after the change of name was not furnished by the Health Department.

4.4.8 MSW transported in Open Dumper to designated site in violation of MSW Rules

Schedule B (B) (5) of the Concession Agreement stipulates that the Concessionaire shall collect MSW from Street Corner Bins and Garbage Stations every day and transportation of the collected waste in segregated form in closed vehicle to the NDMC designated sites.

Test-check of bill for the month of December-2015 revealed that the Concessionaire transported the Municipal Solid Waste to the designated disposal site through using open dumper which emanate foul smell and cause nuisance to people. Audit observed from 1526 weighment slips for the month of December-2015, the Concessionaire transported **MSW 391** times through open dumper in December-2015. It was noticed that in the Concession Agreement, there was no penalty clause in case of MSW transported through open dumper to enforce the compliance of Municipal Solid Waste transportation in the closed vehicle.

The Department replied (6th December 2019) that NDMC is 49 percent green area and has large number of big trees in area generating huge amount of horticulture waste. Regular pruning is required which results in generation of horticulture waste comprising of thick log of trees and branches which cannot be transported in closed body compactors as it would result in breaking of plates/Hydraulic pipes etc. This horticulture waste which was transported in open dumper is being judiciously covered with tripal at the time of transfer.

Reply of the Department is not tenable as it is a clear violation of Concession Agreement as well as MSW Rules which prohibits the transportation of MSW in open dumper and reply appears to be an afterthought after the objection was raised by audit.

4.4.9 Commitments regarding Zero Waste Colonies

Spot verification of the Compost Plant, Chanakya Puri and Bio-Methanization Plant at Laxmi Bai Nagar to carry out the waste of five colonies⁷ which were declared as "Zero Waste" colonies was conducted on 17[®] October 2018. The details are as under:

(I) Garbage Treatment Plant, Okhla receiving non segregated waste :

It was observed that the garbage being delivered to the Okhla Treatment Plant is in a mixed form and not segregated into dry and wet. This was due to the fact that the segregated waste (dry and wet) collected in the NDMC area was being again mixed at the stage of transferring from the Auto Tippers to the Compactors. This defeats the very purpose of the efforts made towards awareness and activities for garbage segregation.

(ii) Compost Plant at Chanakya Puri :

It was observed that the wet waste of three circles 6, 8 & 10 out of 5 circles was being received at Compost Plant for treatment. However, at the Compost Plant, only the compostable waste such as fruits/vegetable peels etc. was manually segregated and put in the machine to generate compost; rest of the compostable wet waste was being sent to treatment plant at Okhla.

.....

Note 7: Rabindra Nagar (Circle-6), Kaka Nagar (Circle-8), Jor Bagh (Circle-9), Chanakya Puri D-I and D-II (Circle-10) and Railway Colony, Chanakya Puri (Circle-10) यह भी देखा गया कि कम्पोस्ट प्लांट की क्षमता लगभग 500 किलोग्राम प्रतिदिन थी जबकि चार कॉलोनियों यानि रवीन्द्र नगर, काका नगर, डी-1 एंड डी-11 चाणक्यपुरी और रेलवे कॉलोनी-चाणक्यपुरी से गीला कचरा लगभग 850 किलोग्राम था, जो कि कम्पोस्ट प्लांट की क्षमता से परे था। रिकॉर्ड्स से पता चला है कि सर्किल-3 और 11. से कंपोस्टिंग प्लांट को गीला कचरा भी मिल रहा था। यह भी पता चला था कि ''कचरा मुक्त'' के रूप में घोषित पांच कॉलोनियों में से, जोर बाग (सर्कल-9) का पूरा गीला कचरा अभी भी ओखला ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जा रहा था। इसके अलावा, डी-1 एंड डी-11 कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और चाणक्यपुरी (सर्कल-10) जिसमें कि 152 फलैट्स हैं द्वारा कचरे का पृथकीकरण नहीं हो रहा था और सारे कचरे को ट्रॉली (1100 किलोग्राम) में डंप कर रहे थे। इस प्रकार, उपरोक्त जानकारी से, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चार कॉलोनीयों, अर्थात् रवीन्द्र नगर, काका नगर, डी1/डी-11 चाणक्यपुरी और रेलवे कॉलोनी-चाणक्यपुरी को पूरी तरह से ''कचरा मुक्त'' के रूप में नहीं माना जा सकता है और उनके गीले कचरे को अभी भी ओखला टीटमेंट प्लांट में भेजा जा रहा है।

बायो-मेथनाइजेशन प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम थी और साइट पर प्लाज्मा आधारित ट्रीटमेंट प्लांट भी था जिसकी क्षमता 200 किलोग्राम थी। बायो-मेथेनाइजेशन प्लांट और प्लाज्मा ट्रीटमेंट प्लांट को मुख्य रूप से दो सर्कल के रेस्तरां/होटल आदि से गीला कचरा प्राप्त हो रहा था अर्थात 6 और 10 के साथ अन्य तीन सर्कल यानी 1, 5 और 13। यह देखा गया कि बायो-मिथेनाइजेशन प्लांट गीले अपशिष्ट घटक जैसे हड्डियों, ठोस सब्जियां आदि को ओखला ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रहा था।

विभाग के उत्तर के अनुसार (6 दिसंबर 2019) एनडीएमसी लगभग 10 टी पी डी थोक अपशिष्ट जनरेटर को छोड़कर वेट/ऑर्गेनिक कचरा पैवा कर रहा है। एनडीएमसी की गीली अपशिष्ट प्रकरण क्षमता केवल 1.5 मीट्रिक टन है जो हर दिन उत्पन्न 100 मीट्रिक टन जैविक कचरे का प्रकरण नहीं कर सकता है। एनडीएमसी के पास और कोई विकल्प नहीं होने के कारण कचरे को ऊर्जा संयंत्र में प्रकरण के लिए भेजा गया।

विभाग के उत्तर के अनुसार ''जीरो वेस्ट कॉलोनियों को'' चिह्नित करने का उद्देश्य गलत था क्योंकि एनडीएमसी ने अभी तक स्थाई तरीके से प्रतिदिन उत्पन्न 100 मीट्रिक टन जैविक कचरे से निपटने की योजना नहीं बनाई है ।

4.4.10 मासिक निरीक्षण रिपोर्ट 2018 में कमियां

रियायतकर्ता समझौते के अनुसूची डी के बिंदु 2.1.1 के उप-बिंदु (ए) से (ई) के प्रावधान के तहत ओ एंड एम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्ट्रीट कॉर्नर डिब्बे का संचालन और रख-रखाव करेगा । अनुसूची में उल्लिखित जुर्माने का फैसला करने और लगाने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों/परियोजना के वितरण/सेवा मानक को कमियों के लिए निर्धारित ओ एंड एम आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन किया जाना था । जुर्माने की मात्रा तय करने के लिए रियायत रिपोर्ट की अनुसूची डी में वर्णित:-

क्र.सं.	संपत्ति/परियोजना वितरण/सेवा मानक	स्वक्ष्य	आईसी निरीक्षण मासिक रिपोर्ट
1	एमएसडब्ल्यू की दैनिक सफाई	100 प्रतिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई ।
2	सड्क के कोने के डिब्बे/सामुदायिक मोबाइल डिब्बे की साप्ताहिक सफाई और कीटाणुशोधन	100 স্ববিহার	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई ।
3	कचरा स्टेशन की दैनिक सफाई	100 प्रतिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई।
4	आसपास के क्षेत्र की सफाई	100 प्रतिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई।
5	श्रमिकों के लिए सुरक्षत्पक कपड़े	100 प्रतिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई ।
6	वाहन की दैनिक सफाई और कीटाणुशोधन	100 प्रतिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई।
7	याहनों का ग्रेकडाउन न हो	100 স্পরিহার	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई।
8	बोते समय कोई रिसाव/रिसाव न हो।	100 प्र तिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई।
9	समय-सुबह 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक पूरा साल संचालन-सभी सात दिनों में	100 प्रतिशत	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई ।
10	ट्रांसफर स्टेशन एक साल में पूरा करना	100 মবিহার	रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई।

तालिका संख्या 4.2: संपत्ति/परियोजना वितरण सर्विस स्टैंडर्ड के संबंध में सहिष्णुता मानवंड

It was also noticed that the capacity of the Compost Plant was approximate 500 kg. per day while the wet waste from the four colonies i.e. Rabindra Nagar, Kaka Nagar, D-I/D-II Chankya Puri & Railway Colony-Chanakya Puri was 850 kgs. (approx.), which were beyond the capacity of the Compost Plant. Records showed that the composting plant was also receiving wet waste from Circle-3 & 11. It was further learned that out of the five colonies declared as "Zero Waste", the entire wet waste of Jor Bagh (Circle-9) was still being sent to Okhla Treatment Plant. Moreover, in the D-I & D-II Colony and Railway Colony, Chanakyapuri (Circle-10) there were 152 flats which were not segregating the garbage and were dumping it in the trolley (1100 kg.) kept in the colony. Thus, from the above information, it appears that the other four colonies, also, namely Rabindra Nagar, Kaka Nagar, D-I/D-II Chankya Puri & Railway Colony-Chanakya Puri cannot be called as fully "Zero Waste" compliant, as part of their wet waste was still being sent to the Okhla Treatment Plant.

The capacity of the Bio-Methanization Plant was 500 kgs. per day; also there was a plasma based treatment plant at the site whose capacity was 200 kgs. The Bio-Methanization Plant and the Plasma Treatment Plant were primarily receiving wet waste from restaurants/hotels etc. of two circles i.e. 6 and 10 along with other three circles i.e. 1, 5 & 13. However, it was seen that at the Bio-Methanization Plant wet waste components such as bones, solid vegetables etc. were being sent to Okhla Treatment Plant.

The Department replied (6th December 2019) that the NDMC is generating Wet/organic waste to the tune of 10MPD approx excluding bulk waste generators. The wet waste processing capacity of NDMC is only 1.5 MT which cannot deal with 100 MT organic waste generated every day. NDMC was not left to any option but to sent his waste to only processing plant available processing plant which is waste to energy plant.

As per the reply of the Department, the very purpose of the designating "Zero Waste Colonies" was inaccurate as NDMC has not yet formulated a strategy to deal with 100 MT organic waste generated everyday in sustainable optimum manner.

4.4.10 Shortcomings in the Monthly Inspection Report 2018

The concessionaire shall operate and maintain the Street Corner Bins to meet the O&M Requirements under the provision of sub-point (a) to (e) of point 2.1.1 of schedule D of concession agreement. The compliance with O & M Requirements laid down for deficiencies of different Assets/Project deliverables/service standard were to be evaluated on percentage basis to decide and impose the penalty mentioned in the schedule. The tolerance criteria in respect of Assets/Project Deliverables/Service Standard as mentioned in Schedule D of the Concession report for deciding the quantum of the penalty as shown in table :-

S. No.	Assets/Project Deliverables/ Service Standard	Performance Target	Status submitted by IC Monthly Inspection Report
1	Clearing of MSW- Daily	100 percent	Information not furnished in the report.
2	Weekly cleaning and disinfection of the street corner bins/ community mobile bins.	100 percent	No information about disinfection furnished in the report
3	Daily cleaning of Garbage Station	100 percent	No information in the report
4	Cleaning of surrounding area	100 percent	Information not furnished in the report.
5	Protective clothing for workers	100 percent	Incomplete information provided
6	Daily cleaning & disinfection of vehicle	100 percent	Incomplete information provided
7	No breakdown of vehicles	100 percent	Information not furnished in the report.
8	No spillage/leakage while transportation	100 percent	Information not furnished in the report.
9	Timing – Operation from 7.00 AM to 6.00 PM on all seven days through the year for CC-Response Mechanism	100 percent	Information not furnished in the report.
10	Transfer station to be completed in one year	100 percent	Information not furnished in the report.

Table No. 4.2: Tolerance Criteria for Assets/Project Deliverables/Service Standard

सिंतवर 2018 की जाँच रिपोर्ट में निम्नलिखित कमियों को पाया गया।

- रिपोर्ट में ''एमएसडब्ल्यू-डेली के डिब्बे के 100 प्रतिशत समाशोधन'' के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली है।
- 10 सर्किलों में कचरे के डिब्बे के अतिप्रवाह का प्रतिशत आवश्यक रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया है।
- अपशिष्ट 10 हलकों में डिब्बे के आसपास फैला हुआ था, लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं था।
- समझौते के अनुसार, 100 प्रतिशत डिब्बे सप्ताह में एक बार धोने थे और कीटाणुरहित होने थे, लेकिन सितंबर 2018 के महीने के लिए रिपोर्ट की परीक्षण जांच ने खुलासा किया कि यह नियमित रूप से नहीं हो रहे थे। रियायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाई का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।
- 7 सर्किलों में 22 डिब्बे मरम्मत के लिए अगस्त 2018 में प्राप्त करने की सूचना दी गई और इन्हें मरम्मत के बाद अगले महीने यानी सिंतबर 2018 में रखा गया । यह पता नहीं लगाया गया है कि मरम्मत की अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त डिब्बों को नए डिब्बों के साथ बदल दिया गया था या नहीं ।
- निर्धारित मानदंडों के संबंध में क्र.सं. 5 और 6 के आसपास के क्षेत्र की सफाई और श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े 100 प्रतिशत लक्ष्य तक नहीं था । जोकि जुर्माना को आकर्षित करता है और स्वतंत्र सलाहकार की सिफारिश पर एनडीएमसी द्वारा कंसेशनियर से वसूला जाना था।
- अनुबंध की शतों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र सलाहकार की सिफारिश मासिक निरीक्षण रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि स्वतंत्र सलाहकार ने रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की निगरानी में विसंगति और एनडीएमसी में एमएसडब्ल्यू के उद्देश्य के खिलाफ है । इसके बावजूद न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा पूरा भुगतान किया जा रहा था ।

विभाग के उत्तर के अनुसार (06 विसंबर 2019) सुधारात्मक कार्रवाई स्वतंत्र सलाहकार द्वारा की गई है ।

हालाँकि, रियायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही के लिए सहायक दस्तावेज जैसा की सितम्बर 2018 की मासिक निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया था प्रस्तुत नहीं किए गए थे इसके अलावा, एनडीएमसी ने स्वतंत्र सलाहकार की सिफारिश के बावजूद रियायतकर्ता के खिलाफ कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

<u>निष्कर्ष</u>ः

जन स्वास्थ्य विभाग ने निविदा प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को पेश नहीं किया । इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि क्या निविदा को नियम, विनियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित पारदर्शी तरीके से प्रदान किया गया था इसके अलावा परियोजना के टेंडर और अवॉर्ड के लिए परिषद की कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी । अनुबंध के कार्यांन्वयन में विभिन्न विसंगतियों के देखा गया जैसे कि लाभ/अनियिमित भुगतान, अनियमित तरीके से स्वतंत्र सलाहकार को काम अवॉर्ड करना एम.एस.डब्ल्यू नियमों के उल्लंघन जैसे कि नगरपालिका अपशिष्ट के निपटान के लिए खुले डंपर में ढोना और गीले/सूखे कचरे के प्रभावी पृथक्ककरण न होना । परियोजना के कार्यांन्वयन के निगरानी तंत्र में कई कमियां थीं, जिनमें तुंरत सुधार की आवश्कता थी। Following other shortcomings were noticed in the test checked report of September-2018.

- Report regarding "100 percent clearing of bins of MSW-Daily" is not found in the report.
- Overall percentage of overflowing of waste bin in 10 circles is not shown in the required report.
- Waste was spread around bins in 10 circles, but there is no mention of overall percentage of spreading of waste in the report.
- As per the agreement 100 percent bins were to be washed and disinfected once in a week, but test check of report for the month of September-2018 disclosed that these were not being cleaned regularly. Action taken against the concessionaire was not ascertainable from the records.
- 22 bins in 7 circles have been reported to be received in August-2018 for repair and the same were placed in next month i.e. September-2018 after getting repaired. It is not ascertainable as to whether or not damaged ones were replaced with new ones during the period of repair.
- In respect of the criteria fixed at SI. no.5 & 6 clearing of surrounding area and protective clothing for workers were not upto the mark of performance target of 100 percent, which attracts penalty and was to be recovered from Concessionaire by NDMC on the recommendation of Independent Consultant. However, the recommendation of Independent Consultant to impose the penalty for violation of terms of agreement was not available in the Monthly Inspection Report.

Thus, the Independent Consultant did not act fully in accordance with the provision of the Concession agreement under the overall objective of the MSW Management Rules in NDMC, but still full payment was being made to it by NDMC.

The Department replied (6" December 2019) that the corrective action has been taken by Independent Consultant.

However, the supporting documents for action taken against the Concessionaire as pointed out in the monthly inspection report of September-2018 were not furnished. Moreover, NDMC had not imposed any penalty against the Concessionaire as reported by the Independent Consultant.

CONCLUSION:

The Public Health Department did not produce the documents relating tendering process. Thus, it is not verifiable whether the tender was awarded in fair and transparent manner in accordance with the extant Rules, Regulations and Guidelines. Moreover, no pre approval of the Council was taken for floating the tender and award of project. Various discrepancies were noticed in the implementation of contract such as benefit/irregular payment to the Concessionaire coupled with the irregular award of work to the Independent Consultant. Instances of Municipal Waste being disposed in violation of MSW Rules were also noticed especially with regard to transportation in open dumper and in effective segregation of wet/dry waste. The monitoring mechanism of effective implementation of project deliverable/service tendered for the project also had multiple shortcomings which needed urgent correction.

अध्याय-5

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन पर लेखा परीक्षा

5. परिचय

एनडीएमसी विभिन्न स्थानों यानी सड़क के किनारे, कचरा भंडारण डिपो, इन-हाउस सिविल कार्यों, रखरखाव कार्यों आदि पर डंप किए गए सी एंड डी वेस्ट के संग्रह के लिए और गाजीपुर लैंडफिल में उसके निपटान के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मोफेक) ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 (एम एस डब्ल्यू नियम, 2000) को अधिसूचित (सितम्बर 2000) किया । इसके बाद, मोफेक ने एम एस डब्ल्यू नियम, 2000 में संशोधन किया और बायोमेडिकल, प्लासिटक, खतरनाक, सी एंड डी और ई-कचरे के प्रबंधन के लिए नियम लागू किया । ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 (अप्रैल 2016) ने एम एस डब्ल्यू नियम 2000 की जगह ले ली।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने कर्मचारियों और वाहनों के माध्यम से दिसंबर-2016 तक निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) वेस्ट (मलबा) के संग्रह और निपटान जिसमें इसके क्षेत्र से किसी भी सिविल संरचना और मरम्मत व विध्वंस, पुन: तैयार निर्माण से उत्पन्न अवशेष और रोड़ी, इमारत सामग्री शामिल है, को नियंत्रित करके रखा था। उसके बाद काम को जनवरी-2007 से मैसर्स वेस्ट हैंडलिंग लिमिटेड से आउटसोर्स किया गया था।

5.1 ऑडिट का क्षेत्र, इसका उद्देश्य और कार्यप्रणाली

निर्माण और विध्वंस के संग्रह के लिए, एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी-2017 से मार्च-2019 तक की अवधि के ऑडिट में यह आकलन करने का प्रयास किया गया है कि क्या निर्माण और विध्वंस को सम्मिलित करते हुए, का प्रबंधन प्रभावी, कुशल था, और आर्थिक व वैज्ञानिक रूप से मौजूदा नियमों के रूप में किया गया था। ऑडिट पद्धति में निष्कर्ष और सिफारिशों को तैयार करते समय ऑडिट प्रश्नों के लिए दस्तावेज विश्लेषण और प्रतिक्रियाएं सम्मिलित थीं।

5.2 लेखापरीक्षा जॉच-परिणाम

एक सार्थक ऑडिट के लिए, यह अनिवार्य है कि मूल रिकॉर्डस/सूचना को सिविल विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाना था ताकि ऑडिट एनडीएमसी क्षेत्र में सी एंड डी वेस्ट के संग्रह और प्रचार के लिए अपनाए गए तंत्र पर आश्वासन और निष्कर्ष निकाल सकें । उपलब्ध कराए गए रिकॉर्डस से ऑडिट ने परीक्षण जांच आधार के माध्यम से तंत्र का विश्लेषण किया, इसके जॉच-परिणाम निम्नानुसार है:

5.2.1 सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन व सत्यानिष्ठा संधि से संबंधित अभाव

सत्यनिष्ठा साँध संभावित विक्रेताओं/बोलीदाता और खरीदारों के बीच एक अनिवार्य समझौता है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेने के लिए प्रतिबंध करते हुए सार्वजनिक खरीद में वफादारी सोंध की अवधारणा को अपनाने के लिए (दिसंबर-2007) की सिफारिश की। तत्पश्चात् व्यय विभाग (जुलाई 2011) सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों आदि के लिए सत्यनिष्ठा सोंध की प्रयोज्यता का विस्तार करता है।

तदनुसार, एनडीएमसी को समय-समय पर सी वी सी द्वारा प्रसारित सत्यनिष्ठा सोंध से संबंधित प्रावधानों का पालन करना भी अवश्यक था। अखंडता पैक्ट के संबंध में व्यय विभाग (दिनौँक 19 जुलाई 2011) के ओ एम के अनुसार, दहलीज मूल्य से अधिक के काम के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आई ई एम) की भी नियुक्ति की आवश्यकता थी। तदनुसार सभी आर एफ पी/निविदाओं में आई ई एम के विवरणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। हालोंकि, यह देखा गया कि पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस के संग्रह ''परिवहन, परिवहन और डोंपेंग'' से संबंधित कार्य के संबंध में, मैसर्स मैट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्रा0 लि0 को सम्मानित किया गया। एनडीएमसी द्वारा जारी (जनवरी 2016) किए गए आर एफ पी में आई ई एम से संबंधित कोई खंड नहीं है। यह सी वी सी द्वारा प्रसारित एस ओ पी की शर्त के खिलाफ था।

CHAPTER-5

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Audit of Construction and Demolition Waste Management

5. Introduction

NDMC is responsible for collection of C&D Waste dumped at various locations i.e. road sides, waste storage depots, in-house civil works, maintenance works etc. and transporting the same to Gazipur Landfill for disposal. The Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) notified (September-2000) the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 (MSW Rules, 2000). Subsequently, MoEFCC amended the MSW Rules, 2000 and introduced Rules for management of biomedical, plastic, hazardous, C&D and e-waste. The Solid Waste Management Rules, 2016 superseded (April 2016) MSW Rules, 2000.

New Delhi Municipal Council handled upto December-2016 collection and disposal of Construction & Demolition (C&D) waste/(malba) comprising of building materials, debris and rubble resulting from construction re-modeling, repair and demolition and any civil structure from its area through in-house staff and vehicles. Thereafter, the work was outsourced to M/s Metrro Waste Handling Private Limited from January-2017 onwards.

5.1 Scope of Audit, its objective and methodology

The audit for collection of Construction and Demolition Waste under NDMC area covering the period January-2017 to March-2019 has been attempted to assess whether management of Construction and Demolition Waste was effective, efficient and carried out economically and scientifically as the extant Rules. The audit methodology involved document analysis and responses to audit queries while framing the conclusions and recommendations.

5.2 Audit findings

For a meaningful audit, it is obligatory that basic records/information were to be furnished by the Civil Department so that audit could derive assurance and draw conclusion on the mechanism adopted for collection and treatment of C&D Waste in NDMC Area. From the records made available, Audit analysed the mechanism through test check basis; the findings thereof are as under:

5.2.1 Deficiency regarding the Integrity pact and non compliance of CVC guidelines

Integrity Pact is essentially an agreement between the prospective vendors/bidder and the buyers, committing the persons/officials of both sides, not to resort to any corrupt practice in any aspect/stage of the contract. In order to ensure transparency, equity and competitiveness in Public Procurement, the CVC (Chief Vigilance Commission) recommended (December-2007) for adoption of concept of Integrity pact. Further Department of Expenditure (July-2011) extend the applicability of Integrity Pact to all subordinate offices, autonomous bodies etc.

Accordingly, NDMC was also required to comply with the provisions related to Integrity Pact circulated by CVC from time to time. As per OM of Department of Expenditure (19th July 2011) in relation with Integrity Pact, an Independent External Monitor (IEM) was also required to be appointed for the work exceeding the threshold amount. Accordingly in all the RFP/tenders the details of IEM need to be mentioned. However, it was observed that in relation with the work relating to "Collection, Transportation and Dumping of Construction and Demolition waste from NDMC area on PPP Model" awarded (September-2016) to M/s Metrro Waste Handling Private Limited, no clause regarding IEM was included in the RFP Issued (January-2016) by the NDMC. This was against the stipulation of SOP circulated by the CVC. ऑडिट में यह भी पाया गया कि अनुबंध के संबंध में सत्यनिष्ठा सॉर्ध 18 जनवरी 2017 को रियायतकर्ता के साथ दर्ज की गई थी (रियायतकर्ता के साथ रियायत समझौते में प्रवेश करने का एक ही दिन) जबकि संभावित बोलीदाताओं को अग्रिम रूप से दर्ज किया जाना था। तत्पश्चात् यद्यपि दोनों पक्षों द्वारा सत्यनिष्ठा सॉर्ध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ''प्रिंसिपल/मालिक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस सॉर्ध के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किए थे जिनके नाम और ई-मेल आई डी एन आई टी में दिए गए थे'', हालॉकि किसी भी आई ई एम का नाम न तो आर एफ पी में न रियायत समझौते में पाया गया था । इन प्रथाओं ने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया।

विभाग ने जवाब दिया (26 दिसम्बर) की परियोजना के लिए आर एफ पी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था । हालॉकि, विभाग ने आर एफ पी में सत्यनिष्ठा संधि को शामिल किए जाने के लिए तथ्य को सामने लाने में कठिनाई व्यक्त की ।

विभाग के अपर्याप्त उत्तर के प्रकाश/आलोक में इस मुद्दे पर परिषद् को सिविल विभाग द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

5.2.2 रियायतकर्ता से परफॉरमेंस सिक्योरिटी का कम निर्धारण

जी एफ आर 2017 के नियम 171 में कहा गया है कि अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, सफल बोलीदाता से परफॉरमेंस सिक्योरिटी प्राप्त की जानी है। परफॉरमेंस सिक्योरिटी (पी एस) बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुबंध के मूल्य के 5 से 10 प्रतिशत की राशि के लिए होगी और यह सभी संविदात्मक दायित्व के पूरा होने की तारीख से परे 60 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए वैध रहेगी। हॉलाकि, यह देखा गया कि प्रदान किए गए मान के आधार पर निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद प्रदर्शन सुरक्षा के मूल्य का निर्धारण करने के बजाय, प्रदर्शन सुरक्षा की राशि 18 लाख पर निर्धारित की गई थी। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित था कि अनुबंध की कुल कीमत 70 मीट्रिक टन प्रतिदिन अनुमानित मात्रा के आधार पर 7 वर्षों की अवधि के लिए र 30.85 करोड़ थी और यह प्रदर्शन सुरक्षा र 1.54 करोड़ होनी चाहिए। इस प्रकार विभाग ने प्रदर्शन सुरक्षा को र 1.36 करोड़ से कम कर दिया।

यह भी पाया गया कि ₹ 18 लाख तक की बैंक गारंटी जमा की गई थी (8 सितम्बर 2016) रियायतकर्ता द्वारा सितम्बर 2018 तक की वैधता के साथ । तदउपरान्त रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार मूल बैंक गारंटी की समाप्ति से पहले बैंक गारंटी को नये सिरे से प्राप्त करना आवश्यक था । हालांकि, यह देखा गया कि मौजूदा बैंक गारंटी की अवधि सितम्बर 2018 में समाप्त हो गई थी, लेकिन इसे चार महीने से अधिक के अंतराल के बाद 11 फरवरी 2019 को प्राप्त किया गया था । यह न केवल रियायत समझौते की शर्ता के खिलाफ था, बल्कि हस्तक्षेप की अवधि के दौरान परिषद् के हितों की रक्षा नहीं थी ।

5.2.3 शुल्क की कटौती में वेरी

"भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) के संबंध में धारा 3 अधिनियम, 1996" निर्धारित करता है कि वहाँ लगाया जाएगा और ऐसी दर पर उपकर लगाया जो दो प्रतिशत से अधिक नहीं है लेकिन एक प्रतिशत से कम है। एक नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत, जैसा कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 8 और 9 गैर अनुपालन के लिए व्याज और जुर्माना निर्धारित करती है। रियायत समझौते के खंड 6.2 के अनुसार, रियायतकर्ता को परियोजना से संबंधित सभी करों, कर्तव्यों और निवर्तमान का भुगतान करना था। रियायत समझौते के उपर्युक्त खंड के अनुरूप, रियायतकर्ता को परियोजना से संबंधित सभी लागू नियमों और विनियमन और एनडीएमसी से लागू करों में कटौती करने की आवश्यकता होती है। हालॉकि, यह देखा गया कि परियोजना की शुरूआत के तुरंत बाद लेबर सेस नहीं काटा गया था, और इसे प्रथम रनिंग बिल (मार्च-2017) के बजाय चौथे रनिंग बिल (जून-2017) से घटा दिया गया था। विभाग की ओर से श्रमिक कल्याण उपकर में कटौती में यह देरी, विषय अधिनियम की धारा 3,8 और 9 में विचलन में थी।

नोट 8 : (1395*70*365)+ (1492.07*70*365)+(1597.10*70*365)+(1708.09*70*365)+(1828.07*70*365)+ (1956.60*70*365)+ (2093.50*70*365)=₹ 30.85 करोड Audit also found that the Integrity Pact in relation with the contract was entered belatedly into with the concessionaire on 18th January 2017 (the same day of entering into the concession agreement with the concessionaire) even though it was required to be entered in advance with the prospective bidders. Further, though Integrity Pact was signed by both the parties wherein it was mentioned that "Principal/Owner had appointed Independent External Monitors for this pact in consultation with the Central Vigilance Commission whose names and email Ids were given in the NIT", however, no name of any IEM was found either in the RFP or the concession agreement. These practices were in violation of the directives of the Central Vigilance Commission of India.

Department replied (26" December 2019) that the RFP for the project was approved by the Competent Authority. However, Department expressed difficulty to bring out the fact for non inclusion of Integrity Pact in the RFP.

In light of the inadequate reply of the Department this issue needs detailed explanation by the Civil Department to the Council.

5.2.2 Less determination of Performance Security from the Concessionaire

Rule 171 of GFR 2017 stipulates that to ensure due performance of the contract, performance security is to be obtained from the successful bidder. Performance Security (PS) shall be for an amount of 5 to 10 percent of the value of the contract as specified in the bid documents and it shall remain valid for a minimum period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations. However, it was observed that instead of determining the value of Performance Security after finalization of the tendering process on the basis of the awarded value, the amount of Performance Security was fixed at ₹18.00 lakh. In this regard it was pertinent to mention here that the total value of contract was ₹30.85 crore[®] for a period of seven years on the basis of estimated quantity of 70 MT per day and this Performance Security should be ₹1.54 crore. Thus the Department fixed the Performance Security less by ₹1.36 crore.

It was further observed that the Bank Guarantee amounting to ₹18.00 lakhs was deposited (8th September 2016) by the concessionaire with a validity up to September-2018. Thereafter, as per the stipulations of the concession agreement it was required to obtain Bank Guarantee afresh before expiry of the original Bank Guarantee. However, it was observed that the existing BG expired in September-2018 but it was obtained on 11th February 2019, after a gap of more than 4 months. This was not only against the stipulation of concession agreement but also during the intervening period the interests of the Council were not protected.

5.2.3 Delay in deduction of labour cess for the Concessionaire

Section 3 of "The building and other construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) WELFARE CESS ACT, 1996" stipulates that there shall be levied and collected a cess at such rate not exceeding two percent but not less than one percent of the cost of construction incurred by an employer, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, from time to time specify. Moreover, Section 8 & 9 of the Act stipulates interest & penalty for non compliance. As per clause 6.2 of the concession agreement, the concessionaire was required to pay all taxes, duties and outgoings relating to the project. In line with the above clause of the concession agreement it was required by the concessionaire to comply with all the applicable Rules and regulation relating to the project and NDMC to deduct the applicable taxes. However, it was observed that the labour cess was not deducted immediately after the beginning of the project and it was belatedly deducted from the 4th running bill (June-2017) onwards instead of the 1st running bill (March-2017). This delay in deduction of labour welfare cess on the part of Department, was in deviation from the Section 3, 8 & 9 of subject Act.

Note 8: (1395*70*365)+ (1492.07*70*365)+(1597.10*70*365)+(1708.09*70*365)+(1828.07*70*365)+ (1956.60*70*365) + (2093.50*70*365) = ₹ 30.85 crore

5.2.4 व्यापक लागत लाभ विश्लेषण किए बिना निविदा को अंतिम रूप देना

नई दिल्ली नगरपालिका जनवरी-2017 से पहले विभागीय कर्मचारियों और वाहनों के माध्यम से अपने क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस कचरे के संग्रह और निपटान को संभाल रही थी। संबंधित विभाग के कथित अनुभव के अनुसार, सी एंड डी कचरे की अनुमानित जनरेशन लगभग 896 मीट्रिक टन प्रति माह थी। एक प्रस्ताव (नवंबर 2017) कार्यकारी अभियंता (सीपी) ने यह काम एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से करवाने के लिए शुरूआत की थी, जिसमें कहा गया कि इस बात की कोई प्रति परीक्षण नहीं था कि क्या सी एंड डी कचरे को उचित जवाबदेही के साथ डंप किया जा रहा था और सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों और एनडीएमसी के निवासियों द्वारा अनधिकृत डोंपेंग की बार-बार घटनाएं हुई थी। यह मलवा भी एनडीएमसी ने खुद की व्यवस्था के माध्यम से हटाया था।

26 नवंबर 2015 को, अभियंता सिविल (सिविल-1) ने सक्षम प्राधिकारी के लिए विचार और अनुमोदन के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित किए थे। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, एनडीएमसी के तत्कालीन अध्यक्ष ने (27 नवंबर 2015) सिविल विभाग को परियोजना के फायदे और नुकसान के साथ प्रत्येक विकल्प पर विशिष्ट विचारों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अधीक्षण अभियंता (आर-11) ने प्रस्तुत किया कि मुख्य अभियंता (सिविल-1) को उपयुक्त विकल्पों के संदर्भ में विश्लेषण/विचार (21 दिसंबर 2015) मुख्य अभियंता (सिविल-1) द्वारा प्रस्ताव और एस ई-11 द्वारा विचार नीचे दिए गए हैं।

विकल्प नंबर-।				
सीई द्वारा प्रस्ताव (सी- I)	एसई आर-11			
एनडीएमसी के ठेकेदारों/एजेंसी को एनडीएमसी क्षेत्र से सी एंड डी अपशिष्ट (मलबा)को इकट्ठा करने, उठाने और डंप करने और पास के निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराए गए निर्दिष्ट बिल या अन्य बिल से निर्देशित किया जाएगा, जो पूरी तरह से बाहर से संचालित हो । सी एंड डी अपशिष्ट बिल और हुक लोडर एजेंसी द्वारा प्रदान किये जाएँगे, और 5 साल की अवधि के लिए प्रति दिन अनुमानित 90 मीट्रिक टन सी एंड डी कचरे के लिए प्रति मीट्रिक टन सी एंड डी कचरे पर निर्धारित स्थलों पर सीएंडडी कचरे का डोंपेंग ।	द्वारा विचार यह देखा गया है कि पाँच साल की नियमित अं एंड एम निविदा के लिए प्रति दिन 90 मीट्रिक टन सी एंड डी कचरा/मलबा आवश्यक है जो कि संभव नहीं है क्योंकि लगभग 40 प्रतिशत सी एंड डी कचरा/मलवा सी एंड डी कचरे/ मलबा की कुल डोंपंग का हिस्सा है जो गाजीपुर की साइट पर प्रतिदिन/महीना डम्प किया गया और शेष मिश्रित मलबा गाजीपुर जाता है । इसलिए, जैसा कि 90 मीट्रिक टन की डल्लिखित आवश्यकता एजेंसियों को प्रदान करना संभव नहीं है, जो नियम और शर्तों की तैयारी के दौरान बेहतर होग जो कोई भी विभिन्न डिब्बे-से सी एंड डी अपशिष्ट/मलबा की			
वित्तीय लागत ₹1506/- से ₹1936/- प्रति मीट्रिक टन ।	मात्रा का संग्रह किया जाएगा, जिसे एजेंसियों को भुगतान किया जाना चाहिए । प्रति दिन 90 मीट्रिक टन की मात्रा के साथ ।			

5.2.4 Finalisation of tender without conducting comprehensive cost benefits analysis

The New Delhi Municipal Council was handling collection and disposal of Construction & Demolition waste from its area through Departmental staff and vehicles prior to January-2017. As per the stated experience of the related Department the estimated generations of C&D waste was approximately 896 metric tonne per month. A proposal was initiated (November-2015) by the Executive Engineer (CP) to get this work done through an outside agency stating that there was no counter-check whether the C&D waste was being dumped with proper accountability and there were repeated incidents of unauthorized dumping of malba by CPWD contractors and residents of NDMC. This malba were also removed by the NDMC through own arrangement.

On 26th November 2015, the CE (Civil-I) proposed three options for consideration and approval for the Competent Authority. After considering the proposal, the then Chairperson of NDMC directed (27th November 2015) Civil Department to submit the specific views on each option with the pros and cons of the project. The Superintending Engineer (R-II) submitted (21th December 2015) the analysis/views in reference to the above stated options to the Chief Engineer (Civil-I). The Proposal by CE(C-I) & views by SE-II are given below. The details are as under:

OPTION NO. I					
Proposal by CE(C-I)	Views by SE (R-II)				
The contractors/agency of NDMC would be directed to collect, lift and dump the C&D waste (malba) from the NDMC area and from the designated bin or exclusive bin provided at nearby construction site, complete operation out sourced . C & D waste bin and hook loader would be provided by the agency and the dumping of C&D Waste at the designated sites on per metric tonne C&D waste for estimated 90 MT C & D waste per day for the period of 5 years. The financial cost ₹1506/- to ₹1936/- per MT.	"It has been observed that 90 metric tonne C&D waste/malba per day is required for regular O&M tender for the period of five years which is not possible because about 40 percent C&D waste/malba is part of total dumping of C&D waste/malba being dumped at Gazipur site everyday/month and remaining mixed malba goes to Gazipur. So, as mentioned requirement of 90 metric tonne is not possible to provide to agencies which will be better during preparation of terms and conditions which ever quantity will be collected of C&D waste/malba from various bins, that should be paid to the agencies instead of lumpsum quantity of 90 metric tonne per day".				

विकल्प नंबर–II				
सीई द्वारा प्रस्ताव (सी-∣)	एसई- ॥ द्वारा विचार			
सी एंड डी कचरे/मलबा को विभागीय कर्मचारियों और वाहनों (छोटे टिपर) इए एकत्र किया जाएगा और निर्धारित स्थानों पर प्रभागवार अनुमानित सी एंड डी वेस्ट में प्रति दिन लगभग 90 मीट्रिक टन के हिसाब से उपलब्ध कराए गए सीएंडडी कचरे के डंप/ संग्रहीत किया जाएगा। (1) निम्नलिखित कार्यप्रणाली के साथ एजेंसी द्वारा डॉपेंग साइट के लिए सी एंड डी कचरे/मलबा, बिल का निपटान:- (अ) सी एंड डी वेस्ट बिन और हुक लोडर एनडीएमसी द्वारा खरीदे जायेंगे और हुक लोडर का ओ एंड एम की एजेंसी द्वारा पांच साल के अनुबंध के लिए। बित्तीय लागत ₹310/- से ₹398/- प्रति मीट्रिक टन और सी एंड डी मलबा बिन और हुक लोडर की खरीद की लागत ₹351/- लाख। 'सी एंड डी मलबा बिन और हुक लोडर भी एजेंसी द्वारा पांच साल के अनुबंध के आधार पर प्रदान किया जाएगा। वित्तीय लागत लगभग ₹763/- से ₹981/- प्रति मीट्रिक टन होगी।	विभिन्न बिन्स/स्थानों से सी एंड डी कचरे/मलबा को इकट्ठा करना और विभागीय ट्रकों द्वारा एक स्थान पर एकत्र करना संभव नहीं है और फिर ठेकेरा//एजेंस अपने अनुबंध दर पर मलबा को उठाएगा । यह संभव नहीं है क्योंकि विभागीय ट्रक सीपीडब्ल्यूडी द्वार उत्पन्न सी एंड डी कचरे/मलबा को उठाने/हटाने के बजाय प्रत्येक सेवा केंद्र पर अन्य कार्यों की संख्या के ध्यान में रखते हुए रोज उठाने की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे । यहाँ, यह बेहतर होगा कि ठेकेरा स्वयं विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न मलबा एकत्र करें और पूर्ण टीएंडपी के साथ ईडीएमसी सी एंड डी अपशिष्ट प्लांट में डांप करें ।			
विकल्प नंबर-1				
सीईं द्वारा प्रस्ताव (सी-1)	एसई-11 द्वारा विचार			
एनडीएमसी द्वारा तीन हुक लोडर के साथ साथ क्षेत्र में 5 घन मीटर क्षमता के 8 बिन्स और 10 घन मीटर क्षमता के 4 बिन्स प्रयान किए जाएंगे और एम सी डी साईट पर सी एंड डी वेस्ट/मलबा की लिफि्टंग, ट्रांसपोर्टिंग और डिपिंग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए ओ एंड एम अनुबंध के माध्यम से आउटसोर्स किया गया था। 60 मीट्रिक टन सी एंड डी वेस्ट/मलबा की वित्तीय लागत लगभग ₹399/- से ₹599/- रूपये प्रति मिट्रिक टन होगी और सी एंड डी वेस्ट बिन और हुक लोडर की खरीद की लागत ₹160/- लाख होगी।	'5 घन मीटर क्षमता के 8 बिन्स और 10 घन मीटर क्षमता के 4 बिन्स के डिब्बे एजेंसी द्वारा खुद प्रदान किया जाना चाहिए । जो एनडीएमसी द्वारा तय किए गए स्थान के बाद है । तत्परचात् एजेंसी एनडीएमर्स साईट से सी एंड डी वेस्ट/मलबा के परिवहन और डॉपेंग द्वारा हुक सिस्टम के माध्यम से अपने डिब्बे को उठाएगी, वास्तविक मलबा के परीक्षण के आधा पर एक वर्ष की अवधि के लिए आउटसोर्स के माध्यम से साइट से हटा दिया जाता है और विभाग के हित में 90 मीट्रिक टन के बाद प्रतिदिन सी एंड डी अपशिष्ट/मलबा विचार के बजाए ई डी एम सी साइट पर डंप किया जाता है । एक वर्ष पूरा होने के बाद, जे भी कमी/परिणाम देखा जाता है, उसके बाद ओ एंड एम अनुबंध को संशोधनों के साथ बढ़ाया जान चाहिए, ताकि अगले दो वर्षों या उससे अधिक वर्ष के लिए ओ एंड एम ठेकेदार के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है ।''			

तत्पश्चात् 23 दिसम्बर 2015 को, मुख्य अभियंता (सिबिल-I) ने प्रस्ताव रखा कि विकल्प-I (पूर्ण आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया गया कार्य) काम की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि मिश्रित व्यवस्था को लागू करना कठिन होगा और सक्षम अधिकारी द्वारा आर एफ पी को 9 फरबरी 2016 को मंजूरी दी गई थी।

OPTION NO. II				
Proposal by CE(C-I)	views by SE-II			
C & D waste/malba would be collected by the Departmental staff and vehicles (small tipper) and dumped/stored in the C & D waste bin provided at the designated locations sub division wise estimated C&D Waste about 90 MT per day. (i) The disposal of C&D waste/malba, bin to dumping site by agency with the following methodology:- (a) The C&D Waste bins and Hook Loader would be purchased by NDMC and O&M of Hook Loader by the agency for five years contract. The financial cost ₹310/- to ₹398/- per metric tonne and the cost of procurement of C&D Waste bins and Hook Loader ₹351/- lacs. (b) C&D Waste bins and Hook Loader would also be provided by agency for five years contract basis. The financial cost will be about ₹763/- to ₹981/- per metric tonne.	"It is not possible to collect C&D waste/ malba from various bins/locations and collect at one location by Departmental trucks and then contractor/agency will lift the malba on his contract rate. It is not possible because Departmental trucks will not fulfil the lifting requirement of everyday keeping in view the number of other works are also compulsory at each service centre instead of removal/lifting of C&D waste/malba generated by CPWD. Here, it will be better that contractor himself collects the generated malba at various locations and dump at EDMC C&D waste plant with complete T&P".			
OPTION NO.III (PILOT	PROJECT)			
Proposal by CE(C-I)	views by SE-II			
8 No. bins of 5 m3 and 4 No. of bins 10 m3 capacity would be provided by the NDMC in the area along with the three Hook Loader and lifting, transporting and dumping of the C&D Waste/ Malba at MCD site would be outsourced through O&M contract for a period of five years as a pilot project. The financial cost for 60 metric tonne C&D Waste/Malba would be about ₹399/- to ₹599/- per metric tonne and the cost of procurement of C&D Waste bin and Hook Loader will be about ₹160/-lacs.	"There should be 8 nos. bins of 5m3 and 4 nos. of bins of 10m3 capacity provided by the agency themselves is that are after location fixed by NDMC. Thereafter, agency will lift their bins through hook system by transporting and dumping of C&D waste/malba from NDMC site through outsource for a period of one year on trial basis of actual malba is lifted from the site and dumped at EDMC site instead of consider the 90 metric tonne per day C&D waste/malba in interest of Department. After completion of one year, whatever deficiency/ outcome is observed, then O&M contract should be increased with the amendments as required for smooth function of O&M contractor for next two years or more years".			

Thereafter, on 23^{ed} December 2015, the Chief Engineer (Civil-I) proposed that option I (work done through complete outsourcing) is most appropriate keeping the work difficulties as mixed arrangement would be difficult to implement and the RFP was approved by the Competent Authority on 9th February 2016.

ऑडिट अवलोकन निम्नानुसार हैं:

विभाग ने जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए उचित औचित्य के बाद इन सभी विकल्पों के तुलनात्मक लागत लाभ विश्लेषण पर पूरी तरह से विचार किए बिना आउटसोर्सिंग के रास्ते को प्राथमिकता दी, जैसा कि नीचे वर्णित एनडीएमसी के पास उपलब्ध अन्य संसाधन है:

- विकल्प-। के लिए-एक वर्ष के लिए अपेक्षित लागत (प्रतिबिन 90 मीट्रिक टन) ₹5.66 करोड़* के (₹1725/- प्रति मीट्रिक टन प्रतिबिन), इसके अलावा ₹1506/- से ₹1936/- प्रति मीट्रिक टन की वित्तीय लागत और 90 मीट्रिक टन प्रतिदिन की अनुमानित मात्रा का आधार रिकॉड्स में उपलब्ध नहीं था, विशेष रूप से तथ्य को देखते हुए एनडीएमसी खुद के द्वारा सी एंड डी निपटान की लागत तुलना के लिए उपलब्ध नहीं थी।
- विकल्प-II (i) के लिए-एक वर्ष के लिए अपेक्षित लागत (प्रतिदिन 90 मीट्रिक टन)-र3.50 करोड़* (र1066.69 प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन) और विकल्प-II (ii) के लिए-एक वर्ष के लिए अपेक्षित लागत (प्रतिदिन 90 मीट्रिक टन)-र4.50 करोड़* (र1371/- प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन, जब एस सी (आर-II) ने विकल्प-2 के लिए विशिष्ट फायदा नुकसान (21 दिसंबर 2015) प्रस्तुत किया था, तो यह उल्लेख किया गया था कि "विभिन्न डिब्बे/स्थानों से सी एंड डी अपशिष्ट/मलबा इकद्ठा करना और विभागीय ट्रकों द्वारा एक स्थान पर एकत्रित करना संभव नहीं था और फिर ठेकेदार/एजेंसी इस अनुबंध दर पर मलबा को उठाएगा।" हालॉकि, विकल्प-2 पर विचार ना करने के लिए दिया गया यह तर्क अप्रासॉगक था क्योंकि यह विकल्प-2 के लिए सी एंड डी अपशिष्ट संग्रह के लिए मूल स्थिति से विचलित हो गया था जिसमें कहा गया था कि सी एंड डी अपशिष्ट मलबा को निर्दिष्ट स्थान या उप प्रभाग वार में प्रदान किए गए डिब्बों से एकत्रित किया जाना है। इसके अलावा, मूल प्रस्ताव में विभाग द्वारा छोटे टिपर को उठाने के बारे में कहा गया है जबकि एस ई द्वारा कहा गया है कि विभाग ट्रकों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखता है- फिर से एक अवैध तुलना। इस प्रकार, विकल्प-2 पर विचार न करने के कारण उचित नहीं थे।
- विकल्प-III के लिए-एक वर्ष के लिए अपेक्षित लागत (प्रतिदिन 60 मीट्रिक टन)-₹2.69 करोड़* (₹1229.59 प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन), मुख्य अभियंता द्वारा नोट के अनुसार (23 दिसम्बर 2015), विकल्प-3 पर विचार नहीं करने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे, जो साइट से उठाए गए वास्तविक मलबा के लिए परीक्षण के आधार पर शुरू में एक साल के लिए अनुबंध देने के लिए प्रस्तावित था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विकल्प 2 और 3 जैसा कि ऊपर कहा गया था कि विकल्प 1 की तुलना में सी एंड डी मलबे को उठाने के लिए एनडीएमसी के लिए वित्तीय रूप से सस्ता था, जिसके आधार पर कार्य प्रदान किया गया था । इसके अलावा, आउटसोर्सिंग मार्ग का सहारा लेने का एक मुख्य कारण यह बताया गया था कि इस बात की कोई जांच नहीं थी कि सी एंड डी मलबे को उचित जवाबदेही के साथ डंप किया जा रहा था या नहीं, और सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों एवं एनडीएमसी के निवासियों द्वारा मलबा की अनाधिकृत डॉपेंग की घटनाएं बार-बार हुई थीं । हालांकि, सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने स्पष्ट रूप से स्थानीय प्राधिकरण (जैसे एनडीएमसी) को कचरे के जनरेटर से शुल्क का दावा करने का अधिकार दिया है, यदि वे सी एंड डी मलबे के संग्रह और निपटान की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, तो यह औदित्य शुरू से अमान्य था और एनडीएमसी द्वारा सी एंड डी नियमों की उचित प्रवर्तन की कमी का संकेत देता है जिसे उसने आठटसोसिंग का सहारा लेकर क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया, तब भी जब विकल्प का सहारा लेने के लिए ऐसा करना हमेशा आर्थिक रूप से महंगा होने वाला था ।

• इसका विवरण अनुलग्नक-IV

5.2.5 सी एंड डी मलबे के परिवहन के लिए उपयोग किए गये वाहनों के जीपीपएास विवरण का गुम होना

रियायत समझौते के क्लॉज 8(सी) में परिकल्पना की गई है कि कंसेशनियर को सी एंड डी मलबे के परिवहन के लिए जीपीएस विवरण के साथ-साथ सी एंड डी मलबा ऑनलाइन (वास्वविक समय) का दैनिक संग्रह, परिहवन और डोंपेंग/विवरण प्रस्तुत करना होता है और एनडीएमसी ईडीएमसी इत्यादि को जारी किए गए रसीद। गेट पास के खिलाफ रियातकर्ता द्वारा डंप किए गए सी एंड डी मलबे के अनुसार ईडीएमसी को सी एंड डी मलबे के लिए प्रोसेसिंग फीस सीधे तौर पर भुगतान करेगी।

Audit Observations are as under :

The Department preferred the outsourcing route without fully considering the comparative cost benefit analysis of all the these options after proper justification taking into account of manpower, other resources available with the NDMC as explained below:

- For option I Expected cost for one year (90 MT per day) ₹5.66 crore* (₹1725/- per MT per day), moreover, the basis of the financial cost of ₹1506/- to ₹1936/- per metric tonne and estimated quantity of 90 metric tonne per day was not available on record, specially given the fact that costing of the C&D disposal by NDMC on its own was not available for comparison.
- For option II (i) Expected cost for one year (90 MT per day) ₹3.50 crore* (₹1066.69 per MT per day) and For option II (ii)-Expected cost for one year (90 MT per day)-₹4.50 crore* (₹1371/- per MT per day), when the SE(R-II) submitted specific pros cons (21" December 2015) for option 2 it was mentioned that "it was not possible to collect C&D waste/malba from various bins/locations and collect at one location by Departmental trucks and then contractor/agency will lift the malba on this contract rate". However, this reasoning given for not considering option-2 was irrelevant as it deviated from the original condition for C&D waste collection for option-2 which stated that C&D waste malba is to be collected from bins provided at the designated location/sub division wise. Moreover, the original proposal stated about lifting by Department small tipper while the view by SE stated took into account unavailability of Departments trucks again an invalid comparison. Thus, the reasons for non consideration of option-2 were not justified.
- For option III-Expected cost for one year (60 MT per day) ₹2.69 crore* (₹1229.59 per MT per day). As per the note by the Chief Engineer note (23[™] December 2015), no reasons were provided for not considering the option-3 which proposed for giving the contract initially for one year on trial basis for actual malba lifted from the site.

It is evident from the above that options-II & III as stated above were financially cheaper* for NDMC to lift the C&D waste as compared to Option - I, based on which contract was awarded. Moreover, one of the main reasons for resorting to the outsourcing route was reported that there was no counter-check whether the C&D waste was being dumped with proper accountability and there were repeated incidents of unauthorized dumping of malba by CPWD contractors and residents of NDMC. However, since C&D Waste Management Rules, 2016 clearly empowered the local authority (such as NDMC) to claim charges from waste generators if they do not fulfill the responsibility for collection and disposal of C&D waste, this justification was ab-initio invalid and indicates lack of proper enforcement of C&D Rules by NDMC, which it tried to compensate by resorting to outsourcing, even when it was always going to be financially costlier to do so considering the option resorted to.

*As detailed in the Annexure-IV

5.2.5 Missing GPS Details of vehicles used for transportation of C&D waste

Clause 8 (c) of Concession Agreement envisaged that the Concessionaire has to submit daily collection, transportation and dumping/details of C&D waste online (Real time) along with the GPS details for transportation of C&D waste and NDMC will pay directly the processing fees for C&D waste to EDMC as per the C&D waste dumped by the Concessionaire against the receipt/gate pass issued of EDMC etc. जनवरी, 2017 के महीने के लिए ईडीएमसी द्वारा जारी किए गए वाहन संख्या 7023 के लिए तौल पर्ची के साथ-साथ जीपीएस से लैस वाहनों द्वारा उपन्न किये गये लॉग की जांच से पता चला कि 18 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए रियायति को वाहन के लॉग विवरण का सत्यापन किय बिना भुगतान किय गया था क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं पाए गए थे। इसी प्रकार, 5 जुलाई 2017 से 6 जुलाई 2017 की अवधि के लिए कंसेशनयर को वाहन के लॉग विवरण के आधार पर भुगतान किय गया था जो वाहन के सटीक स्थान के बजाय एनए के रूप में दर्शाया गया था।

5.2.6 खाली वाहनों के वजन में भिन्नता

रनिंग अकाउन्ट बिलों की जाँच से पता चला है कि सी एंड डी मलबे को लोड करने से पहल के वजन में और सी एंड डी मलबे के भार को निपटाने के बाद जैसा कि ईडीएमसी द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जारी की गई तौल पर्ची में दर्शाया गया वाहन के वजन में पर्याप्त फर्क था। वह फर्क 710 किलोग्राम से लेकर 6170 किलोग्राम था । इस तरह का व्यापक फर्क न केवल भुगतान से पहले रियायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए इनवाइसों की उचित जांच के अभाव का संकेत देती है, बल्कि रियायतकर्ता (अनुलग्नक-5) को किए जा रहे किसी भी अतिरिक्त भुगतान को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर कोई विश्लेषण नहीं था। इस प्रकार रियायतकर्ता को अतिरिक्त भुगतान की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।

5.2.7 निर्णय लेने में देरी के कारण परिहार्य औसत व्यय ₹6.02 करोड़

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 (1) में कहा गया है कि ''प्रत्येक अपशिष्ट जनरेटर सबसे पहले संग्रह, कंक्रीट, मिट्टी और अन्य के अलगाव और निर्माण और विध्वंस कचरे के भंडारण के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि इन नियमों के अनुरूप संबोधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित या अधिसूचित किया गया है''। आगे नियम 4 (5) ने स्थानीय प्राधिकरणों (नगर निगमों) को अधिकार दिया कि वे स्थानीय प्राधिकरण या राज्य द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दावा किए गए वेस्ट के जनरेटर से शुल्क का दावा करें।

तदनुसार, एनडीएमसी को स्थानीय प्राधिकरी होने के नाते सी एंड डी मलबे के निपटान के संबंध में पालन किए जाने वाले तौर तरीकों के संबंध में अपने नियंत्रण में वेस्ट जनरेटर्स को निर्देशित करने की जरूरत थी। भंडारण, संग्रह और परिवहन के लिए भुगतान के अलावा उनके द्वारा उत्पन्न सी एंड डी मलबे प्रसंस्करण और निपटान के लिए दरों को भी अधिसूचित किए जाने की जरूरत थी। 2017 से पहले एनडीएमसी द्वारा विभागीय रूप से काम किया जा रहा था और जनवरी 2017 के बाद बाहरी एजेंसी की सेवाएं लेकर काम चलाया जा रहा था। यह केवल सितम्बर 2018 में सक्षम प्राधिकारी (एनडीएमसी) द्वारा निर्देशित किया गया था कि भवनों और सड़क विकास कार्यो इत्यादि के नवीनीकरण/पुननिर्माण और निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबे को निष्पादन एजेंसी द्वारा स्वयं ही अपने हटा दिया जाएगा और दिल्ली में अनुमोदित रीसाइक्लिंग प्लांट में आवश्यक रूप से डंप किए जाने की आवश्यकता होगी केवल अनुबंध कार्यो के अलावा अन्य उत्पन्न सी एंड डी मलबे को आउटसोर्स एजेंसी द्वारा हया दिया जाएगा।

ऑडिट विश्लेषण से पता चला कि फरवरी 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्रति माह 3917 मोट्रोक टन की औसत से कुल 78356 मोट्रीक टन सी एंड डी मलबा उठाया गया था। हालाँकि, सितम्बर 2018 में सी एंड डी नियमों के तहत वेस्ट जनरेटर की जिम्मेदारी के बारे में विलम्बित अधिसूचना के तुरंत बाद मलबा उठाने में तेजी आई और साथ ही रियायतकर्ता के भुगतान में कमी आई। कमी को नीचे ग्राफ दर्शाया गया है:



नोट 9 : कुल अतिरिक्त मात्रा 41900 मीट्रिक टन (2095 मीट्रिक टन औसत मात्रा 20 महीने) 2095 *11 * ₹1395 + 2095 * 9 * ₹ 1492.65 (वर्ष 2017 के लिए ₹1395 की वर का टिपिंग शुल्क और वर्ष 2018 के लिए ₹1492.65) = ₹6.02 करोड़।

Test check of log generated by the GPS equipped vehicles along with the weighment slip for the vehicle no.7023 issued by EDMC for the month of January-2017 revealed that payment to Concessionaire was made for the period from 18th January 2017 to 20th January 2017 without verification of log details of vehicle as there were not found on records. Similarly, the payment was made on the basis of log details of the vehicle to Concessionaire for the period from 5th July 2017 to 6th July 2017 to 6th July 2017 which depicted as 'NA' instead of the exact location of vehicle.

5.2.6 Variation in the weight of empty vehicles


Scrutiny of running account bills revealed that there was a substantial variance in the weight of vehicle before loading the C&D waste and vehicle after disposing the C&D weight as indicated in the weighment slips issued by the EDMC for the year 2017-18. The variance ranged from 710 kg to 6170 kg. Such wide variation not only indicate lack of proper scrutiny of invoices raised by the concessionaire before payment but also there was no analysis at the Departmental level to exclude any overpayments being made to the concessionaire (Annexure-V). Thus, the possibility of overpayment to Concessionaire cannot be Ruled out.

5.2.7 Avoidable average expenditure ₹6.02 crore due to delay in the decision making

Rule 4(1) of C&D Waste Management Rules, 2016 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change stipulates that "Every waste generator shall prima-facie be responsible for collection, segregation of concrete, soil and others and storage of construction and demolition waste generated, as directed or notified by the concerned local authority in consonance with these Rules". Further, Rule 4(5) empowered the local authorities (Municipal Corporations) to claim charges from the waste generators as claimed by the local authority or any other authority designated by the State.

Accordingly, NDMC, being the local authority was required to direct the waste generators under its control regarding modalities to be followed in relation with the disposal of C&D waste. Rates were also required to be notified for the processing and disposal of C&D waste generated by them apart from the payment for storage, collection and transportation. Before 2017 the work was being carried out by the NDMC Departmentally and from January-2017 onwards the work was being carried out by hiring the services of outside agency. It was only in September-2018 was it directed by the Competent Authority (NDMC) that the waste generated during renovation/reconstruction and construction of buildings and road development works etc. shall be removed by the executing agency itself at its own cost and required to be dumped necessarily at approved recycling plants in Delhi. Only the C&D waste generated by other than contract works shall be removed by the outsourced agency.

Audit analysis revealed that during the period February-2017 to September-2018 the total C&D waste uplifted was 78356 metric tonne at an average of 3917 metric tonne per month. However, immediately after the belated notification in September 2018 regarding waste generators responsibility as under C&D Rules the upliftment came down sharply alongwith the decrease in the payment to the Concessionaire. The decrease is depicted below in the Graph :



Note 9: Total excess quantity 41900 metric tonne (2095 metric tonne average quantity x 20 months) 2095*11*₹1395+2095*9* ₹1492.65 (Tipping fee of rate of ₹1395 for the year 2017 and ₹1492.65 for the year 2018) =₹ 6.02 crore. दिसंबर 2019 तक अधिसूचना की तारीख (सितम्बर 2018) के बाद उठाए गए सी एंड डी मलबे का मासिक औसत केवल 1822 मीट्रीक टन था। हालांकि, 20 माह अधिसूचना से पहले यानि (फरवरी 2017 से सितम्बर 2018 तक) 1874.38 टन से 5990.85 टन तक मलबा उठाया गया था, जिसका औसत 3917 टन था। यह डेटा दर्शाता है कि विलम्बित अधिसूचना के बाद उठाए गए मलबे का मासिक औसत अधिसूचना से पहले उठाए गए मलबे की आधे मात्रा से कम था; इस विषय की विलम्बित अधिसूचना के कारण रियायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त उठाया गया सी एंड डी मलबा 2095 मीट्रिक टन प्रतिमाह था, जिसका परिहार्य औसत व्यय का अनुमान ₹6.02 करोड़ है।

5.2.8 रियायत समझौते के प्रावधान से विचलन रियायतकर्ता को हमेशा लाभ पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है।

रियायत समझौते के खंड 4.1 (एफ) के अनुसार, रियायतकर्ता को सी एंड डी अपशिष्ट डिब्बे, वाहन और उपकरणों की पार्किंग, मरम्मत और रख-रखाव के लिए पास के एनडीएमसी क्षेत्र में एक मशीनीकृत कार्यशाला सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता थी। एनडीएमसी इस उद्देश्य के लिए भूमि/स्थान उपलब्ध नहीं कराएगा और रियायतकर्ता को अपनी लागत और व्यवस्था पर इसकी व्यवस्था करनी होगी। हालॉकि, यह देखा गया कि रियायतकर्ता ने एनडीएमसी क्षेत्र में स्थित लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में एक मैकेनाइज्ड वर्कशॉप की स्थापना की थी और वह स्थान/भूमि जिसमें वर्कशॉप सेटअप भी एनडीएमसी से संबंधित था, जिसमें न तो कोई शुल्क लिया था और कार्यशाला सेटअप के संबंध में रियायतकर्ता द्वारा उपयोग की जा रही भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रति कोई भी राशि वसूली गई। इससे रियायतकर्ता को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

निष्कर्षः

रियायतकर्ता को सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन को आउटसोर्स करने से पहले एनडीएमसी ने उचित लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया। इसके अलावा, सीवीसी के दिशानिर्देशों से विचलन प्रक्रिया में देखा गया था। कम प्रदर्शन सुरक्षा के निर्धारण, श्रम उपकर की कटौती में देरी, खाली वाहन के वजन में भिन्नता, रियायत समझौते के प्रावधानों से विचलन, परिहार्य भुगतान और रियायतकर्ता को अनुचित लाभ जैसे विभिन्न कमियां भी ऑडिट में देखाी गई। The average monthly upliftment for C&D waste after the date of notification (September-2018) till December-2019 was only 1822 metric tonne. However, in the 20 months (pre-notifications i.e. February-2017 to September-2018) the upliftment ranged from 1874.38 tonne to 5990.85 tonne with the average being 3917 tonne. This data shows that the average monthly upliftment after the delayed notification was less than half of what was been lifted before notification; an average of the excess monthly upliftment was 2095 metric tonne C&D waste by the Concessionaire due to delayed notification of the subject which works out to an avoidable average expenditure of ₹6.02 crore.

5.2.8 Deviation from the provision of the Concession Agreement lead inter-alia to undue advantage to the concessionaire.

As per Clause 4.1(f) of the Concession Agreement, the concessionaire was required to set-up a mechanized workshop facility at the nearby NDMC area for parking, repair and maintenance of C&D waste bins, vehicles and equipments. NDMC would not provide the land/space for this purpose & the concessionaire had to arrange the same at his own cost and arrangement. However, it was observed that the concessionaire had set-up a mechanized workshop at Laxmi Bai Nagar, New Delhi, located in the NDMC area and the space/land wherein the workshop set-up also pertained to the NDMC which neither levied any charges nor recovered any amount towards the land and other facilities being utilised by the concessionaire in relation with the workshop set-up. This led to undue financial advantage to the concessionaire.

CONCLUSION :

NDMC did not conduct a proper cost benefit analysis before outsourcing the C&D waste management to the Concessionaire. Moreover, deviation from the CVC guidelines was noticed in the process. Various deficiencies such as fixation of less performance security, delay in deduction of labour cess, variation in the weight of empty vehicle, deviations from the provisions of Concession Agreement, avoidable payment and undue benefit to the concessionaire were also noticed in Audit.

अध्याय-6

वास्तुकार विभाग

वास्तुकार विभाग में आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षा की विषयगत रिपोर्ट

6. परिचय

एनडीएमसी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के नियंत्रण और निगरानी के लिए एनडीएमसी का वास्तुकार और परिवेश विभाग जिम्मेदार है । विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के इस प्रमुख क्षेत्र के अद्वितीय चरित्र को संरक्षित किया जाता है जबकि विकास के लिए नीतियों को लागू करना पड़ता है ।

विभाग की चार अलग-अलग भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ है: एनडीएमसी बिल्डिंगों की डिजाइन और पर्यवेक्षण, एनडीएमसी क्षेत्र में भवन योजनाओं की स्वीकृति/भवन निर्माण समापन प्रमाण पत्र का निर्गम, विशेष तकनीकी प्रकोष्ठ के माध्यम से चल रहे भवन निर्माण में परिवर्तन की निगरानी करना, दुरूपयोग प्रकोष्ठ के माध्यम से भवनों के दुरूपयोग का पता लगाना।

भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए, वास्तुकार विभाग ने काम को आगे चार खंडों में आवेटित किया था:

- डिजाइन अनुभाग, विभिन्न श्रेणियों जैसे स्कूल, अस्पताल, और डिस्पेंसरी आदि के लिए एनडीएमसी भवनों की वास्तुकला योजनाओं को तैयार करता है।
- विलिंडग प्लान सेक्शन, एनडीएमसी क्षेत्र में सभी प्रकार की बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने का काम करता है।
- विशेष तकनीकी सेल, भवन योजनाओं की मंजूरी के बाद चल रहे निर्माण कार्य पर नजर रखता है।
- <u>त्रुपयोग प्रकोष्ठ</u> शिकायतों का निरीक्षण करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करता है

6.1 ऑडिट का दायरा, कार्यप्रणाली, उद्देश्य और वाधाएं

आंतरिक नियंत्रण पर्यावरण वास्तुकार विभाग के कामकाज पर 2012-13 से 2017-18 की अवधि के विषय में विषयगत ऑडिट में यह आकलन करने का प्रयास किया गया है कि वास्तुकार विभाग प्रभावी रूप से एनडीएमसी अधिनियम, मौजूदा दिशानिर्देशों और अन्य अधिनियमों/ निर्देशों के अनुसार अपने कामकाज की निगरानी और कार्यान्वयन करता है या नहीं । परीक्षण के लिए निरीक्षण, सर्वेक्षण, शिकायतें, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और इसके कार्यान्वयन, निर्माण कार्य की प्रगति, मिश्रित उपयोग नीति, दुरुपयोग की शिकायतों और उसके निपटान जैसे रिकॉर्ड की आवश्यकता थी ।

दस्तावेज/रिकार्ड/जवाब जो वास्तुकार विभाग द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे, वे अनुलग्नक-6 में दिए गए हैं। उपरोक्त दस्तावेज/रिकॉर्ड मुख्य रूप से एमपीडी-2021, भवन अधिनियम और एनडीएमसी 1994 कानून के तहत आवंटित कर्तव्यों से संबंधित हैं, जिसके द्वारा योजना, कार्यान्वयन, राजस्व की प्राप्ति और निगरानी की समीक्षा की जानी थी। इन मूल दस्तावेजों/अभिलेखों/जवाबों के अभाव में, ऑडिट उन पहलुओं की जांच नहीं कर सका और यह आश्वासन देने में असमर्थ था कि एमपीडी-2021 भवन उपनियमों, एनडीएमसी अधिनियमों और एनडीएमसी के नागरिक चार्टर अभिलेखों में परिकल्पित प्रावधान के अनुसार वास्तुकार विभाग का कामकाज प्रभावी, कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से संचालित किया गया था। रिकॉडों को मुहैया कराने का मुद्दा नोडल अधिकारी और मुख्य वास्तुकार के साथ बार-बार उठाया गया। हालांकि, न तो कोई पत्र व्यवहार प्राप्त हुआ और न ही अपेक्षित रिकॉर्ड उपलब्ध कराये गये।

CHAPTER-6

ARCHITECT DEPARTMENT

Thematic audit of Internal Control in the Architect Department

6. Introduction

The Department of Architecture & Environs in NDMC is responsible for the control and monitoring of the construction activities in the NDMC area. The role of the Department is important as the unique character of this prime area of Delhi is to be preserved while policies for development have to be implemented.

The Department has four distinct roles and responsibilities: Design and supervision of NDMC Buildings; Approval of Building Plans/Issuance of completion certificate to buildings in NDMC area; Monitoring the on-going construction for deviations through Special Technical Cell; Detection of misuse in building through Misuse Cell.

To implement the roles and responsibilities, the Architect Department had further allocated the work to the four sections:

- Design Section formulates Architectural schemes of NDMC buildings for various categories such as School, Hospital and Dispensaries etc.
- Building Plan Section deals in sanctioning of all types of building plans in NDMC area.
- Special Technical Cell keeps watch on the ongoing construction after the sanction of the building plans
- Misuse Cell inspects the complaints and takes action there against

6.1 Scope of Audit, Methodology, Objective & Constraints

Thematic audit on the functioning of the internal control in the Architect Department covering the period 2012-13 to 2017-18 has been attempted to assess whether the Architect Department effectively monitored and implemented its functioning in accordance with NDMC Act, existing guidelines and other Acts/instructions. Records such as inspections, surveys, complaints, building plan approval and its implementation, progress of construction work, mixed use policy, misuse and settlement of complaints were required for examination.

Documents/records/replies which were not provided by Architect Department are given in Annexure-VI. The aforesaid documents/records are primarily related to duties allocated under MPD 2021, building bye laws and NDMC Act 1994 by which planning, implementation, receipt of revenue and monitoring were to be reviewed. In the absence of these basic documents/records/ replies, audit could not examine those aspects and was unable to derive assurance that the functioning of the Architect Department was conducted effectively, efficiently and transparently, in accordance with the provision envisaged in the MPD-2021, Building Bye laws, NDMC Act and citizen charter of NDMC. The issue of production of records were taken up repeatedly with the Nodal Officer and Chief Architect. However, neither any communication was received nor requisite records were made available.

6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वास्तुकार विभाग के कामकाज पर एक सार्थक ऑडिट के लिए विभाग के अनुभागों (बिल्डिंग प्लान, डिजाइन, एसटीसी और दुरुपयोग) द्वारा मूल रिकॉर्ड/जानकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था ताकि ऑडिट आश्वासन प्राप्त कर सके और वास्तुकार विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्कर्ष निकाल सके। वास्तुकार विभाग के ऑडिट के दौरान, मुख्य रूप से कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में रिकॉर्ड/फाइलें/उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उपलब्ध कराए गए सीमित रिकॉर्ड से, ऑडिट ने मामले दर मामले के आधार पर वास्तुकार विभाग के कामकाज का विश्लेषण करने का प्रयास किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

6.2.1 वास्तुकार विभाग के तहत आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी:-

वास्तुकार विभाग के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों से संबॅन्धित निम्नलिखित प्रमुख कर्तव्य और जिम्मेदारियों थीं।

- भवन योजना/एसटीसी अनुभाग से संबधित जटिल/विवादास्पद मामलों का निरीक्षण करना।
- न्यायालयों से संबोधित मामलों सहित सभी स्तरों पर सभी मामलों/मुद्दों का समयबद्ध और मेहनती निपटान सुनिश्चित करना।
- पूर्णता प्रमाणपत्र और पूर्णता योजना के प्रयोजनों के लिए एमपीडी-2021 और भवन उपनियमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के अनुसार भवनों का निरीक्षण करना ।
- भवन योजना/विशेष तकनीकी प्रकोष्ठ और संबद्ध मामले से संबर्न्धित संसद/विधानसभा प्रश्नों सहित सभी पीयूसी का समय पर जवाब तैयार करना ।
- संपत्तियों के निरीक्षण की परीक्षण जांच ।

यहाँ यह बताना भी महतवपूर्ण है कि विभाग में प्राप्त मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र की निगरानी करने और सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एनडीएमसी में 2017 से एक ई-ऑफिस भी चालू है।

ऑडिट में यह पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 तक वास्तुकार विभाग के तहत अनुभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर विभिन्न पीयूसी अनुभागों के सामान्य डायरी में प्राप्त किए जा रहे थे । विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	विशेष तकनीकी सेल (उत्तर और बक्षिण क्षेत्र)	डिजाइ न	योजना	वुरुपयोग
2015-16	193	596	137	197
2016-17	358	956	107	905
2017-18	191	766	112	942
कुल	742	2318	356	2044

तालिका नं. 6.1: वास्तुकार विभाग के विभिन्न अनुभाग में प्राप्त मामले/मुद्दे

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा/पाया:

- क) क्योंकि वास्तु विभाग प्राप्त होने वाली पीयूसी की मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक निपटान रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहा है, जाहिर है समय पर और परिश्रम पूर्वक मामलों/मुद्दों के निपटान की निगरानी के लिए वास्तु विभाग में कोई तंत्र नहीं है। विभाग के पास निरीक्षण, सर्वेक्षण, प्राप्त, निपटाई और विचाराधीन शिकायतों का कोई व्यौरा/सूची/ रजिस्टर नहीं है।
- ख) लेखा परीक्षा अवधि में प्राप्त कुल 742 पीयूसी में निर्माण के प्रगति की निगरानी के लिए तकनीकी प्रकोष्ठ जिम्मेदार है । रिकार्ड की अनुपस्थिति में, ऑडिट चल रहे निर्माण की निगरानी में प्रभावशीलता और परदर्शिता का पता नहीं लगा सका ।
- ग) भवन योजना की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन के रजिस्टर का रखरखाव भवन योजना अनुभाग करता है और भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन मापांक (मोड्यूल) भी चालू है। ऑडिट ने सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न प्राप्त, निपटाई और प्रक्रिया में मामलों की सत्यता की जांच के लिए रिपोर्ट की मॉग की । विभाग ने न तो प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न कोई रिपोर्ट प्रदान की और न ही ऑडिट में विस्तृत जांच के लिए भवन योजना की कोई अपेक्षित फाईल दी।

6.2 Audit findings

For a meaningful audit on the functioning of Architect Department, it was obligatory that basic records/information were to be furnished by the Sections (Building Plan, Design, STC and Misuse) of the Department so that audit could derive assurance and draw conclusion on the functioning of the Architect Department. During the Audit of Architect Department, records/files/replies in respect of critical areas primarily related to functioning were not furnished. From the limited records made available, Audit attempted to analyze the functioning of Architect Department on case to case basis, of which the details are as under:

6.2.1 Deficiencies in internal control mechanism under Architect Department

The major duties and responsibilities associated with various levels of hierarchy of Architect Department were as under:

- To carry out the inspection of complicated cases in respect of building plan (by the STC Section).
- To ensure the timely and diligent disposal of all the cases/issues at all level including matters
 related to court cases.
- To inspect the buildings with reference to the sanctioned plan in reference to MPD-2021 and Building Bye-laws for the purposes of Completion Certificate and Completion Plan.
- To prepare timely replies to all the PUCs including parliament/assembly questions with respect to building plan/STC and allied matter.
- Test check/inspection of properties.

It is also important to mention here that an e-office is also statedly operational since 2017 in the NDMC to monitor the internal control mechanism for speedy disposal of issues received in the Department and to make system more transparent and effective.

Various PUCs were being received in the general diary of various section of Architect Department from 2015-16 to 2017-18 for various issues pertaining to sections under Architect Department, the details are as under:

Year	Special Technical Cell (North and South zone)	Design	Building Plan	Misuse
2015-16	193	596	137	197
2016-17	358	956	107	905
2017-18	191	766	112	942
Total	742	2318	356	2044

Table no. 6.1 : Cases/issues received in various section of Architect Department

Audit observed the followings:

- a) There is no mechanism in the Architect Department to timely and diligently monitor the disposal of cases/issues as the Department is not preparing any monthly, quarterly and annual disposal report of the PUCs received under the Department. The Department is not having any details/list/registers of inspection & survey conducted and complaints received, settled and under consideration.
- b) The Special Technical Cell received total no. of 742 PUCs during the audit period. In the absence of records, audit could not ascertain the effectiveness and transparency in monitoring the ongoing construction.
- c) The Building Plan Section maintains register for applications received for sanctioning of building plan and an online module is also operational for submission of Building Plan. Audit called for the reports generated through the system to examine the cases received, settled and in process. The Department neither provided any report generated through system nor any requisitioned file of building plan for detailed scrutiny to audit.

- भ) कुल 2044 पी यू सी वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक दुरूपयोग सेक्शन के तहत प्राप्त की गई थी। हालॉकि विभाग ने इन मामलों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया है।
- ढ़) वास्तुकार विभाग के तहत ई-ऑफिस का कार्यान्वयन ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि वास्तुकार विभाग में प्राप्त पीयूसी का निपटान ई-ऑफिस के माध्यम से नहीं किया जाता है।

लेखा परीक्षा की विभिन्न मॉगों के जवाब में विभाग ने कहा कि विभाग में कोई रजिस्टर/रिकॉर्ड/डेटा का रख रखाव नहीं किया गया था और वे मामले दर मामले के आधार पर निपटारा करते हैं। यह उचित ऑडिट ट्रेल्स के बिना एक अपारदर्शी प्रणाली है जो मुख्य वास्तुकार विभाग में एक बहुत खराब जवाबदेही तंत्र की ओर इशारा करती है।

ऊपर वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपेक्षित रिकॉर्ड के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वास्तुकार विभाग के तहत काम एनडीएमसी के नागरिक चार्टर में परिकल्पित नियमों और समयसीमा के अनुसार प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जा रहा है ।

<u>एनडीएमसी के वास्तुकार विभाग में आंतरिक नियंत्रण वातावरण के काम में कमियों को निम्नलिखित</u> अनुच्छेदों में उदाहरणार्थ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया ह<u>ै:</u>

6.2.2 भवन योजना और समापन योजना के निस्तारित और लम्बित मामले।

(i) इमारत योजना आवेदन : भवन योजना अनुभाग को 772 आवेदन प्राप्त हुए 699 आवेदनों को मंजूरी या अस्वीकृति के माध्यम से निस्तारित किया गया और वर्ष 2012 से मई 2017 में 73 आवेदन लॉबित रहे और जून 2017 से मार्च 2018 की जानकारी नहीं दी गई। विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों (योजनाओं की संख्या)	अनुमोदन या अस्वीकृत द्वारा निपटाए गए आवेदनों	लंबित आवेदनों की संख्या
2012	163	160	03
2013	174	148	26
2014	149	162	(-)13
2015	126	105	21
2016	128	96	32
मई-2017 तक	32	28	04
2018	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया

तालिका नं. 6.2.: कैलेंडर वर्ष 2012	से 2018	के दौरान प्राप्त	आवेवन की सूची
------------------------------------	---------	------------------	---------------

लेखा परीक्षा को प्रदत्त विभाग में प्राप्त योजनाओं/आवदनों, निस्तारित और रद्द योजनाओं की सूची का विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि भवन योजना, पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता योजना की सूची में योजना संख्या, प्राप्ति का दिन, भवन योजना विमोचन और निरस्त की तिथि को इंगित नहीं किया गया था। इसके अलावा, ऑडिट में पाया गया कि वर्ष 2012 में प्राप्त 163 आवेदनों में से 3 आवेदनों को लेबित रखते हुए 160 मामलों को स्वीकृत या अस्वीकार करके निस्तारित किया गया, लेकिन 2012 से पहले के लेबित मामलों को प्रदान नहीं किया गया। ओपनिंग और क्लोजिंग के संतुलन को दर्शाते हुए पिछले वर्षो में लम्बित आवेदनों का वर्ष-वार ब्रेक-अप, वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाये गये मामले ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार, उपरोक्त जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 2012 से 2017 तक की अवधि के लिए लंबित दिखाए गए कुल 73 आवेदनों की संख्या ओपनिंग और क्लोजिंग के संतुलन पर विचार किए बिना सही हैं। इसके अलावा, जून 2017 से मार्च 2018 तक की जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए ऑडिट अवधि के अंत में लंबित मामलों की वास्तविक स्थिति नहीं निकाली जा सकी। ऐसे परिदृश्य में, नागरिकों के लिए नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर एक प्रश्न चिहन बना हुआ है। इस प्रकार, सिटीजन चार्टर के अनुसार सेवाओं के समय पर प्रतिपादन को ऑडिट में सत्यापित नहीं किया जा सका।

- d) A total number of 2044 PUCs were received under misuse section from 2015-16 to 2017-18. However, the Department has not evolved any mechanism to monitor these cases.
- e) The implementation of e-office under Architect Department was not functioning properly as the PUCs received in Architect Department are not disposed off through e-office.

In response to the various audit requisition, Department stated that no register/records/data were maintained in the Department and they dealt with the issue on case to case basis. Thus there exists a very opaque system without proper audit trails which indicates a very poor accountability mechanism in the Chief Architect Department.

It is evident from the above that in the absence of requisite records, there is no assurance that the work under Architect Department is being carried out effectively, efficiently & in a transparent manner in accordance within the extant Rules and timelines as envisaged in the citizen charter of NDMC.

Instances of deficiencies in the working of internal control environment in the Architect Department of NDMC are illustratively depicted in the following paragraphs:

6.2.2 Disposal & pendency of cases in respect of Building Plan & Completion Plan

(i) Building Plan application : Building Plan Section received 772 applications and 699 applications were disposed off either by way of sanction or rejection and 73 applications remained pending during the calendar year 2012 to upto May-2017, as for June-2017 to March-2018 no information was provided by the Architect Department. Details are given below:

Year	No. of applications (schemes) received	No. of applications disposed off either by sanction or rejection	No. of applications pending
2012	163	160	03
2013	174	148	26
2014	149	162	(-) 13
2015	126	105	21
2016	128	96	32
Upto May-2017	32	28	04
2018	Not provided	Not provided	Not provided

Table no. 6.2 : List of the application received during caler

Analysis of the information regarding list of no. of schemes/applications received, disposed off and rejected provided to audit revealed that scheme number, date of receipts, Building Plan released and date of rejection were not indicated in the list of cases of Building Plan (BP), Completion Certificate (CC) & Completion Plan (CP). Further, audit observed that 160 cases out of 163 applications received afresh in the year 2012 were disposed off either by sanctioning or rejecting, leaving 3 applications of the year pending, but the cases which were pending prior to 2012 have not been provided. Year-wise break-up of pendency of applications of previous years, application received and settled during the calendar year indicating the opening and closing balance of the application was also not made available to audit. Thus, it cannot be concluded from the above information as to whether total 73 applications shown pending for the period from 2012 to May-2017 are correct without taking into consideration the opening and closing balances of pendency. Moreover, the information for the years from June-2017 & March-2018 were not provided, so the actual position of pending cases at the end of audit period could not be arrived. In such a scenario, there remains a question mark on the quality of civic services to the citizens. Thus, timely rendering of services as per Citizen Charter remained unverifiable in audit.

(ii) भवन योजना स्वीकृति : जैसाकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिनियम, 1994 की धारा 246 (भवन या कार्य के पूर्ण होने की अवधि) के तहत परिकल्पित है, ''अध्यक्ष, जब किसी भवन के निर्माण या कार्य के निष्पादन को मंजूरी देते हैं, तो प्रारंभ होने के बाद एक उचित अवधि निर्दिष्ट करेंगे जिसके अन्दर भवन या कार्य पूरा किया जाना है, यदि भवन या कार्य उस अवधि के भीतर पूरा नहीं हुआ है, तो उसके बाद नए तरीके से प्राप्त किए गए स्वीकृति के बिना इसे तब तक जारी नहीं रखा जाएगा, जब तक कि किए गये आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा उस अवधि के विस्तार की अनुमति दी गई है।

एनडीएमसी ने कैलेंडर वर्ष 2012 से 2017 के दौरान स्वीकृत भवन योजना की सूची प्रस्तुत की थी और जून 2017 से मार्च 2018 की सूचना प्रदान नहीं किया । विवरण इस प्रकार हैं:

वर्ष	स्वीकृत बीपी की संख्या	
2012	91	
2013	69	
2014	82	
2015	48	
2016	44	
मई-2017	13	
2018	नहीं दिया गया	

तालिका न, 6,3 : कलाइर वर्ष 2012 से 2018 के दौरान स्वाकृत भवन योजनी की स	न नं. 6.3 : कैलेंडर वर्ष 2012 से 2018 के वौरान स्वीकृत भवन	योजना की स	ची
---	--	------------	----

ऐसे स्वीकृत भवन योजनाओं की. जिसमें भवन योजना की स्वीकृति के बाद भवन निर्माण या कार्य के पूरा होने का निर्धारित उचित समय समाप्त हो जाने के बाद नए सिरे से मंजूरी के बिना भवन या कार्य का निर्माण जारी रखा गया था, जानकारी ऑडिट को नहीं दी गई । इसलिए, वॉछित जानकारी के अभाव में, ऑडिट में यह जांचना संभव नहीं था कि भवन योजना के मंजूरी के बाद कितने मामलों में निर्धारित उचित समय व्यतीत हो गया है और वर्ष 2012 से मई 2018 अथवा पिछले वर्षों के दौरान निर्माण जारी रखने के लिए ताजा मंजूरी नहीं ली है, जैसा कि धारा 246 में आवश्यक है । इसके अलावा, जून 2017 से 2018 से संबंधित मामले प्रदान नहीं किए गए थे । ऐसे परिदृश्य में, एनडीएमसी अधिनियम 1994 और बिल्डिंग वाय लॉज के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना बनी हुई है ।

(iii) समापन प्रमाणपत्र (सीसी) और समापन योजना के मामले : एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 251 (पूर्णता प्रमाण पत्र) प्रदान करती है-''(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो परिषद के साथ पंजीकृत एक वास्तुकार या अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किसी इंजीनियर या किसी व्यक्ति द्वारा किसी भवन को डिजाइन करने या खड़ा करने के लिए नियुक्त करता है; इमारत के निर्माण कार्य पूरा होने या कार्य के निष्पादन के एक महीने के भीतर भवन उपनियमों में वर्णित प्रपन्न में कार्य समापन प्रमाण पत्र संलग्न करके सूचना पत्र अध्यक्ष को भेजेगा या वितरित करवाएगा और अध्यक्ष द्वारा भवन कार्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा । (2) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी इमारत पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा या उपयोग नहीं करेगा या किसी भी इमारत या किसी भी ऐसे काम से प्रभावित होने वाले हिस्से का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि इस संबंध में अधिनियम के तहत बनाये गये उप-कानूनों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई हो । बशर्ते कि अगर अध्यक्ष पूर्णता नोटिस प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुमति देने से इनकार करने की सूचना भेजने में विफल हो जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि इस तरह की अनुमति दी गई है, ।'' (ii)Building Plan sanctioned : As envisaged under Section 246 (period for completion of building or work) of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 "the Chairperson, when sanctioning the erection of a building or execution of work, shall specify a reasonable period after the commencement of the building or work within which the building or work is to be completed and if the building or work is not completed within the period so specified, it shall not be continued thereafter without fresh sanction obtained in the manner hereinbefore provided, unless the Chairperson on application made therefore has allowed an extension of that period."

NDMC furnished the list of building plan sanctioned during the calendar year 2012 to May-2017 and Department did not provide the information for the period from June-2017 to March-2018. The details are as under:

Year	No. of BPs sanctioned	
2012	91	
2013	69	
2014	82	
2015	48	
2016	44	
May-2017	13	
2018	Not provided	

Table no. 6.3: List of the Building Plan sanctioned during calendar year 2012 to 2018

No information regarding as to how many sanctioned Building Plans, wherein specified reasonable time of completion of building or work lapsed after sanction of BPs and construction of building or work were continued without fresh sanction, was provided to audit. Therefore, in the absence of desired information it was not possible to examine in Audit as to how many cases were there wherein specified reasonable time had lapsed after sanction of BPs and no fresh sanction has been obtained, as required in the Section-246, during the year 2012 to upto May-2017 or in previous years to continue the construction work. Further, the cases pertaining to the period from June-2017 to March-2018 were not provided. In such a scenario, there remains the possibility of violation of provision of NDMC Act 1994.

(iii) Completion Certificate (CC) & Completion Plan cases : Section 251 of the NDMC Act, 1994 provides (Completion Certificate) –"(1) Every person who employs an Architect registered with the Council or an architect or an engineer or a person approved by the Chairperson to design or erect a building or execute any work shall, within one month after the completion of the erection of the building or execution of the work, deliver or send or cause to be delivered or sent to the Chairperson a notice in writing of such completion accompanied by a certificate in the form prescribed by byelaws made in this behalf and shall give to the Chairperson all necessary facilities for the inspection of such building or work. (2) No person shall occupy or permit to be occupied any such buildings or use or permit to be used any building or a part thereof affected by any such work until permission has been granted by the Chairperson fails within a period of thirty days after the receipt of the notice of completion to communicate its refusal to grant such permission, such permission shall be deemed to have been granted."

कैलेंडर वर्ष 2012-16 तक जारी किए गए भवन निर्माण योजना (बीपीएस) और पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसीएस) और पूर्णता योजना (सीपीएस) के बारे में विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	स्वीकृत बीपी की संख्या	जारी किए गए सीसी और सीपी की संख्या	जारी किए जाने वाले सीसी और सीपी की संख्या
2012	91	32	59
2013	69	50	19
2014	82	45	37
2015	48	44	04
2016	44	38	06
मई-2017	13	08	05
2018	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया
कुल	347	217	130

तालिका नं,	6.4:	(सीसी)	और	(सीपी)	का	विवरण	जारी	किया जाना	8
------------	------	--------	----	--------	----	-------	------	-----------	---

कपर को तालिका से जैसाकि जाहिर है कि वास्तु विभाग जून 2017 से मार्च 2018 का अपेक्षित विवरण प्रदान नहीं किया। ऊपर वर्णित तालिका से ऑडिट ने पाया कि कुल 347 मंजूर बिल्डिंग प्लान में से 130 मामलों में सीसी और सीपी जारी किए जाने थे। हालांकि, अभिलेखों के प्रस्तुत न होने के कारण, इन मामलों में ऑडिट को पता नहीं चल सका है कि क्या निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण/कार्य पूरा हो गया है और पार्टियों से सीसी और सीपी के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामले में जहां निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन सीसी और सीपी के लिए नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, भवन के अनाधिकृत कब्जे, न्यू यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉ के पैरा 2.15 के तहत निर्धारित शुल्क के रूप में राजस्व के नुकसान की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है; एनडीएमसी अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन के बावजूद नागरिक चार्टर के तहत एनडीएमसी द्वारा वादा किए गए लोगों/पार्टियों के कल्याण के लिए पारदर्शिता हेतु वास्तुकार विभाग को उचित रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पूर्णता योजना / पूर्णता प्रमाण पत्र के जारी न होने पर भवन उपनियमों के उल्लंघन की संभावना के परिणाम स्वरूप अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण और अवैधानिक कब्जा की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।

6.2.3 मिश्रित उपयोग संपत्तियों के तहत प्राप्तियों के संबंध में एस्क्रो खाते का रखरखाव न करना

एमपीडी 2021 का पैरा 15.9 में ''मिश्रित उपयोग परिसर का पंजीकरण और शुल्कों के भुगतान'' के लिए भूखंड के मालिक/आवंटी/निवासी से मिश्रित उपयोग के निम्नलिखित विभिन्न शुल्कों को एकत्र करने की परिकल्पना की है ।

• पंजीकरण शुल्क,

- वार्षिक मिश्रित उपयोग शुल्क
- एक बार पार्किंग विकास शुल्क और
- अनधिकृत मिश्रित उपयोग का दस गुना जुर्माना

आगे बिल्डिंग बाई लाज 1983 के परिशिष्ट 29.1 ''परिसर के मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक उपयोग के लिए शुल्क का निर्धारण'' में परिकल्पित किया गया है कि इस तरह एकत्र की गई राशि को संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा जिस क्षेत्र में मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक गली पड़ती है, उसमें व्यापारियों सहित सभी साझेदारों से परामर्श के बाद पार्किंग स्थलों के विकास/सुविधाओं के संवर्द्धन, बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण सुधार पर व्यय के लिए एक एस्क्रो खाते में जमा कराया जाएगा। एस्क्रों खाते की आय और व्यय का एक अलग खाता स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा जाएगा और उसका एक त्रैमासिक विवरण स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सरकार को प्रदान किया जाएगा।

20 मार्च 2019 तक सामान्य लेजर रिपोर्ट से लेखापरीक्षा ने देखा है कि ''प्रमुख शीर्षक 3111202'' के तहत मिश्रित उपयोग परिसर के पंजीकरण से प्राप्त ₹6.06 करोड़ एकत्र किए गए थे ।

हालांकि, विभाग द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट एस्क्रो खाता नहीं रखा गया था और खाते का त्रैमासिक विवरण भी सरकार को अनिच्छा पूर्वक अग्रेसित नहीं किया गया था, क्षेत्र के व्यापारियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श से निर्दिष्ट उद्देश्य पर एकत्रित आय को व्यय नहीं किया गया।

Year	No. of sanctioned BPs	No. of CCs & CPs issued	No. of CCs & CPs to be issued
2012	91	32	59
2013	69	50	19
2014	82	45	37
2015	48	44	04
2016	44	38	06
May-2017	13	08	05
2018	Not provided	Not provided	Not provided
Total	347	217	130

The details regarding sanctioned Building Plans (BPs) and Completion Certificate (CCs) & Completion Plan (CPs) issued during the calendar year 2012-16 are as under:

As is evident from above table the Architect Department did not provide the requisite detail for the period from June-2017 to March-2018. Audit observed that in the above 347 sanctioned BPs in 130 sanctioned building plan cases, the CC & CP were to be issued. However, due to non furnishing of records, audit could not ascertain in these cases as to whether the constructions/works have been completed within specified period and notices have been received for CC & CP from the parties. In case where the construction has been completed but the notice for CC & CP has not been received, the possibility of unauthorized occupation of building and loss of revenue in the form of fees prescribed under Para 2.15 of New Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016 cannot be Ruled out; even though in compliance of above provisions of NDMC Act, Architect Department is required to maintain proper record to ensure transparency for welfare of the people/parties as promised under the Citizen Charter by NDMC. Moreover, in case of non issuance of Completion Certificate/Completion Plan and possibility of violation of Building Bye Laws resulting in unauthorized construction & encroachment and illegal occupants of premises cannot be ruled out.

Table no. 6.4 : Details of the CC & CP are to be issued

6.2.3 Non maintenance of Escrow Account in respect of receipts under mixed use properties

Para 15.9 "Registration of mixed use premises and payment of charges" of MPD 2021 envisaged the following various charges of mixed use-premises should be collected from the owner/ allottee/ resident of plot etc.

- Registration charges;
 - Annual mixed use charges;
- One time parking development charges
- Ten times penalty of unauthorized mixed use

Further Appendix 29.1 "Fixation of charges for mixed use and commercial use of premises" of Building Bye Laws 1983 envisaged that the amount so collected shall be deposited in an Escrow Account by the Local Body concerned for incurring expenditure for development of parking sites, augmentation of amenities/infrastructure and environmental improvement programmes, for the areas in which the mixed use/commercial street fall, after consulting all stakeholder including traders in the area. A separate account of the income and expenditure of the Escrow Account shall be maintained by the local authority and a quarterly statement of the same shall be rendered by the local authority to the Government.

Audit observed from General Ledger Reports (dated 23rd March 2019) that total amount of ₹6.06 crore had been collected utpo 20" March 2019 on account of registration of mixed use premises under the "Major Head - 3111202".

However, no specific Escrow account was maintained by the Department and guarterly statement of account was also not forwarded to the Government resultantly the collected income had not been incurred on the specified purpose in consultation with the stake holders including traders of the area.

6.2.4 बिना स्वीकृति के तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की तैनाती पर ₹1.10 करोड़ का अनियमित व्यय:-

सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना निम्नलिखित पदों की तैनाती की गई थी और इसलिए उनके लिए किए गए खर्च अनियमित थे। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं. No.	षव का नाम	पद की संख्या	अवधि (महीने में)	वेतन (प्रति माह)	वेतन (प्रति माह) (१ मे)
1	अधिशासी अभिवंता	1	26600	48	1276800
2	सहायक अभियंता	1	24400	60	1464000
3	डाटा इन्टरी आपरेटर	5	11600	60	3480000
4	খালক	1	11300	156	1762800
5	आर एम आर"	6	3312.4	156	3100406
				कुल	11084006 ¹¹

तालिका नं. 6.5: गैर-स्वीकृत पद के वेतन पर व्यय

एनडीएमसी ने पदों के उचित मंजूरी के बिना ₹1.10 करोड़ खर्च किया, जो अनियमित था।

6.2.5 संपत्ति संख्या 28, हनुमान रोड और केंद्रीय संरक्षित स्मारक जंतर मंतर के बीच की दूरी की असंगत माप ।

संपत्ति सं0 28 के भवन योजना के विध्वंस और पुर्ननिर्माण के लिए योजना सं0 4648 पार्टी द्वारा 06 जनवरी 2006 को प्रस्तुत किया गया था जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2006 को इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि ए.एस.आई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए क्योंकि केंद्रीय संरक्षित स्मारक जंतर-मंतर के विनियमित/निषिघ्द क्षेत्र में पड़ता है । ए.एस.आई ने 13.56 मीटर ऊँचे आवासीय भवन निर्माण हेतु एक वर्ष का लाईसेंस निर्गत करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया क्योंकि संपत्ति जंतर-मंतर से 296.00 मीटर की दूरी पर विनियमित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भवन के विध्वंस के बाद पार्टी ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, लेकिन उसने फिर से योजना संख्या 00053/2008 दिनांक 15 अप्रैल 2008 को एक संशोधित भवन योजना प्रस्तुत की । एएसआई से 7 जुलाई 2008 को एनओसी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्राप्त करने के बाद एनडीएमसी ने 12 अगस्त 2008 को संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। एएसआई द्वारा अनुमति प्रदान करते समय, एनओसी में यह उल्लेख किया गया था कि पार्टी द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्ताव के अनुसार पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित साइट जंतर मंतर से 302 मीटर (आगे 6 मीटर सेटबैक छोड़कर) की दूरी पर स्थित थी।

औडिट में पाया गया कि जंतर मंतर केंद्रीय संरक्षित स्मारक के निषिद्ध / विनियमित क्षेत्र से मौजूदा साइट (28, हनुमान रोड) की वास्तविक दूरी को 296 मीटर (ए.एस.आई द्वारा पहले दिनाँक 23 मई 2006 को घोषित) के बदले 302 मीटर (07 जुलाई 2008) विविध रूप से दिखाया गया था (पूर्व में 23 मई 2006 को एएसआई द्वारा घोषित) । इसके अलावा, मई 2006 में एएसआई द्वारा दी गई एनओसी से संगलग्न दूरी के नक्शे में यह दर्शाया गया है कि जंतर मंतर से भूखंड के पीछे की तरफ की दूरी 296 मीटर है । हालांकि, एएसआई द्वारा अगस्त 2008 में भूखंड पर आगे से 6 मीटर का सेटबैक छोड़ने के बाद 302 मीटर की गणना के आधार पर अनुमति दी गई थी । इसके अलावा, ए.एस.आई द्वारा 2008 में कथित रूप से दी गई एन ओ सी को केवल पार्टी को संबोधित किया गया था और इस पत्र की कोई प्रति एनडीएमसी को पृष्ठोंकित नहीं की गई थी । एनडीएमसी में एन ओ सी की प्राप्ति को सत्यापित करने के लिए, वास्तुकार विभाग के वर्ष 2008 की सामान्य डायरी को जिसके द्वारा पत्र का निपटान किया गया था, ऑडिट में मॉग की गई लेकिन ऑडिट को कोई जानकारी नहीं दी गई 1 इस मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि एनडीएमसी के वास्तुकार विभाग ने 2006 और 2008 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दी एन ओ सी में कमशः: अलग–अलग दिखाई गई दूरी से किस प्रकार संतुष्ट हुई ।

नोट 10 : (क्रमांक 5 पर नियमित मस्टर रोल की न्यूनतम मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी ऐक्ट-1946 वर्ष 2006 से पारम्परिक ढंग से लिया गया है।)

^{11:} ११.१० करोड की कुल राशि संबन्धित पद के न्यूनतम मूल वेतन के आधार पर संकलित की गयी है। नियमितीकरण कार्यवाही के समय विभाग को वास्तविक राशि निकालने की जररूत है जो निरपवाद रूप से अधिक होगी।

6.2.4 Irregular expenditure of ₹1.10 crore on deployment of technical and other staff without sanction

The deployment of the following posts was made without obtaining the sanction of the Competent Authority and hence expenditure incurred there against was irregular. The details was as under:

S. No.	Name of post	No. of post	Basic Pay (as per DTL) w.e.f.2006	Period in month	Total amt (in ₹)
1	Executive Engineer	1	26600	48	1276800
2	Asst. Engineer	1	24400	60	1464000
3	Data Entry Operator	5	11600	60	3480000
4	Driver	1	11300	156	1762800
5	Regular Muster Roll ³⁰	6	3312.4	156	3100406
				TOTAL	110840061

Table no. 6.5 : Expenditure on salary on non-sanctioned post as on 31.12.2019

Thus NDMC made an expenditure of ₹1.10 crore without proper sanction for the posts which was irregular.

6.2.5 Inconsistency in measuring the distance between Property No. 28, Hanuman Road to Central Protected Monument of Jantar Mantar

The Scheme No.4648 for sanction of Building Plans for demolition and reconstruction in respect of Property No.28, Hanuman Road, New Delhi was submitted by a party on 6th January 2006 which was approved by the Chairperson on 1st March 2006 subject to obtaining the NoC from ASI as the property falls under the regulated/prohibited zone of Central Protected Monument of Jantar Mantar. ASI accorded NoC/permission on 23st May 2006 to issue a license for a period of one year for reconstruction of residential building upto maximum height of 13.56m as the property falls under regulated area of Jantar Mantar at a distance of 296.00m. The party after demolition of the said building did not commence the construction work but it again submitted a revised building plan vide Scheme No.00053/2008 dated 15th April 2008. NDMC approved revised proposal on 12th August 2008 after the NoC/Permission of ASI dated 7th July 2008 was statedly received by the party. While granting the permission by ASI, it was mentioned in the NoC that the site proposed for reconstruction was located at a distance of 302m (leaving 6m on front as set back) from Jantar Mantar in accordance with the fresh proposal submitted by the party.

Audit observed that the distance from the existing site (28, Hanuman Road) to the prohibited/ Regulated Zone of Central Protected Monument of Jantar Mantar was variously shown as 302 mtrs (7th July 2008) as against 296 mtrs. (previously declared by ASI on 23rd May 2006). Moreover, it is depicted in the distance map attached with NoC granted by ASI in May-2006 that the distance considered from the Jantar Mantar to rear side of the plot was 296m. However, the permission was granted on the basis of distance calculated as 302m after leaving 6m on front as set back of the plot in August-2008. The NoC statedly granted by the ASI in 2008 was addressed only to the party and no copy of this letter was found endorsed to the NDMC. To verify the receipt of NOC in NDMC, the general diary for the year 2008 of Architect Department was called in audit by which the letter was dealt with, but, no information was given to audit. It is not clear in this case that how did Architect Department in NDMC satisfy itself about the actual distance given the fact that it is shown differently in two NoCs by the Archaeological Survey of India of 2006 and 2008 respectively.

Note 10: (Minimum Wages rate of RMR at S. No. 5 has been taken conservatively from the reports of the working of the Minimum Wages Act - 1948 for the year 2006.)

^{11 :} The total amount of ₹ 1.10 crore is compiled based on the minimum basic pay of the respective post. The Department while seeking regularization needs to calculate the actual amount, which would invariably be higher.

भवन के पुननिर्माण को 2006 में एएसआई द्वारा जमीनी स्तर से 1.98 मीटर गहरे बेसमेंट और भवन की 13.56 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, अप्रैल 2008 में पार्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधित भवन योजना में इसी भवन की अनुमेय और प्रस्तावित दोनों ऊँचाई बढ़ाकर/संशोधित कर क्रमश: 15 मी और 14.90 मीटर कर दी गई। वास्तुकार विभाग में पूर्णता योजना के अभाव में, भवन योजना के अनुसार स्वीकृति भवन निर्माण क्षेत्र में सेटबैक छोड़ने के बाद भवन का भौतिक ढांचा, भवन की ऊँचाई और एफएआर और 7 जुलाई 2008 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पार्टी को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापन योग्य नहीं था।

6.2.6 सांसदों के फ्लेटों और संवैधानिक क्लब के संबंध में योजनाओं के निर्माण की अनुपयुक्त मंजूरी:

बिल्डिंग प्लान अनुभाग को निम्नलिखित समय अनुसूची को बनाए रखना था जो भवन योजनाओं की मंजूरी और पूर्णता प्रमाणपत्र/समापन योजनाओं को जारी करने के लिए तय किया गया है:

काम की वस्तु	अनुसूचित निर्धारित समय
भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए आवेदन पर निर्णय सूचित किया जायेगा	60 दिनों के भीतर
योजनाओं को पुनवैधानिक करने के बारे में निर्णय सूचित किया जाएगा	30 दिनों के भीतर
पूर्णता प्रमाण पत्र/योजनाओं पर निर्णय सूचित किया जाएगा	30 दिनों के भीतर

तालिका नं0 6.6: भवन योजना स्वीकृत करने का अनुसूचित समय

मावलंकर हॉल, विट्ठल भाई पटेल हाउस, कॉन्स्टीट्शन क्लब, सर्वेंट क्वार्टर एंड गैराज, ईएसएस एंड पंप रूम, स्विमिंग पूल, एसी प्लांट्स आदि से निहित (मिलकर बना) रफी मार्ग पर संसद प्लेट से संबंधित फाईल की नमूना जॉच में यह प्रकट हुआ कि 22 अतिरिक्त सूट के निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान 20 जुलाई 2001 को प्राप्त हुआ और शर्तों के अनुपालन के लिए 17 सितम्बर 2001 को एनडीएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया; हालौंकि, शर्तों का अनुपालन न करने के कारण यह पार्टी को जारी नहीं किया गया था। संशोधित भवन योजना 17 मई 2005 को फिर से प्राप्त हुई, और 17 जून 2005 को पीएम कार्यालय से छूट/अनुमति की कथित प्राप्ति के बाद विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया।

ऑडिट में पाया गया कि अतिरिक्त 22 सूट के निर्माण का कार्य लुटियन बंगला क्षेत्र (एलबीजेड) के अंतर्गत आता है, जहाँ भूमि के मौजूदा टुकड़े पर कोई अतिरिक्त सूट निर्माण अधिकृत नहीं था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसके तहत छूट/अनुमति लूटियन बंग्ला क्षेत्र जोन में 22 अतिरिक्त सूटों के निर्माण के लिए दी गई थी, वास्तु विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी। उपयोगकर्ता विभाग को निर्मित 22 सूटों को सौंपने और पूर्णता प्रमाण पत्र/योजना जारी होने के साक्ष्य उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाये गये। इसी तरह भवन योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में 1988 से पहले के रिकॉर्ड/दस्तावेज संबंधित फाइल में उपलब्ध नहीं थे।

6.2.7 संपत्ति संख्या 36, हनुमान रोड के संबंध में भवन योजना की मंजूरी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का पालन नहीं करना।

बिल्डिंग बाय लॉज, 1983 की धारा 7 और बिल्डिंग प्लान के मंजूरी पत्र के नियम और शर्तों में परिकल्पना की गई है कि पार्टी को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले, काम की प्रगति और पूर्णता की नोटिस समय-समय पर एनडीएमसी को देना है ।

इस मामले में, जून 2013 और अक्टूबर 2014 में एनडीएमसी द्वारा 36, हनुमान रोड, नई दिल्ली को वृद्धि / बदलने की बिल्डिंग योजना को मंजूरी दी गई थी। ऑडिट में पाया गया कि न तो पार्टी ने काम की शुरूआत की और न ही पूर्णता की स्थिति का नोटिस दिया और न ही एनडीएमसी ने पार्टी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला और न भवन निर्माण उपनियम और कानून के अनुसार निर्माण कार्य की प्रगति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया। यह अन्य मामलों में रिकॉर्ड के अनुचित रख-रखाव का सशक्त उदाहरण दर्शक है। The NOC for reconstruction of the building was approved with restriction up to the maximum height of 13.56m from ground level up to mumty with 1.98m deep basement below ground level by ASI in 2006. However, the height of the same building both permissible and proposed was increased/ revised to 15m and 14.90m under the revised building plans submitted by the party in April 2008. In the absence of completion plan in the Chief Architect Department, the physical structure of the building after leaving the setbacks area of construction, height of the building and FAR in accordance with the building plan considered and NoC issued to the party by the Archaeological Survey of India (ASI) on 7th July 2008 remained unverifiable.

6.2.6 Sanction of building plans in respect of MPs Flats and Constitutional Club

The Building Plan section had to maintain the following time schedule which has been fixed for sanction of Building plans and issue of completion certificates/Completion plans:

Item of work	Schedule time fixed
Decision on application for sanction of Building Plans will be communicated.	Within 60 days.
Decision on revalidation of Plans will be communicated.	Within 30 days.
Decision on Completion Certificate/Plans will be communicated.	Within 30 days.

Table no. 6.6: Time schedule for sanctioning the Building Plan

Test check of the case file relating to the MPs Flats at Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, consists of Mavalankar Hall, Vithal Bhai Patel House, Constitution Club, Servant Quarters and Garage, ESS & Pump Room, Swimming Pool, AC Plants etc. revealed that the Building Plans for construction of 22 additional suits received on 20th July 2001 and approved by NDMC on 17th September 2001 was subject to compliance of the conditions, however, due to non compliance with the conditions the same were not released to the party. The revised Building Plan was again received on 17th May 2005 and was approved on 17th June 2005 by the Department after the stated receipt of relaxation/ permission from PM office.

Audit observed that the work for construction of additional 22 suits falls under the Lutyen's Bungalow Zone (LBZ) where no additional suits were authorized to be constructed on the existing piece of land. Also, the mentioned order issued by Prime Minister Office under which the relaxation/permission was accorded for construction of 22 numbers of additional suits in LBZ Zone was not furnished by the Chief Architect Department. In addition evidence regarding handing over of 22 suits constructed to the user Department and issue/release of completion certificate/plan was also not found from the records made available. Similarly the records/documents prior to 1988 regarding approval of Building Plans were not found available in the concerned file. This instance indicates poor maintenance, even of records related to important cases.

6.2.7 Non adherence of proper follow up action after sanction of building plan in respect of property no. 36, Hanuman Road

Section 7 of Building Bye Laws, 1983 and terms and conditions of sanction letter of building plan envisaged that the party is to give notice before commencement of building work at site, progress of work and notice for completion to the NDMC from time to time.

In this case, the building plan for addition/alteration of 36, Hanuman Road, New Delhi was approved by the NDMC in June-2013 and October-2014. Audit observed that neither the party submitted the notice for commencement and status of completion of work nor did NDMC press upon the party to submit the requisite documents & carry out the inspection to ascertain the progress of the construction work in accordance with the Building Bye Laws and NDMC Act as no details were found on record made available to audit. This instance is illustrative of potential risk of improper up keeping of the records in other cases.

6.2.8 आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने वाले संपत्ति के मालिकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का अनुपालन न करना;

एनडीएमसी के दिनाँक 26 जून 2007 की सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, मिश्रित उपयोग परिसर का पंजीकरण 30 जून 2007 से पहले किया जाना था। एमपीडी, 2021 के पैरा 15.9 (4) और (5) के अनुसार, जहाँ संपत्तियों के पंजीकरण के बिना या एमपीडी-2021 के प्रावधान का उल्लंघन कर संपत्ति का मिश्रित उपयोग पाया गया वह स्थानीय निकाय को मिश्रित उपयोग के वार्षिक रूपांतरण शुल्क का 10 गुना जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्लॉट नंबर 13, आराधना कॉलोनी, आर के पुरम, नई दिल्ली के परीक्षण जॉच ने खुलासा किया कि बर्मा-शेल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, आराधना कॉलोनी, रिंग रोड, आर के पुरम, सैक्टर-13, नई दिल्ली के सचिव ने 22 मई 2009 को एनडीएमसी से अनुरोध किया था कि आराधना कॉलोनी के विशेषकर हाउस नंबर 1, 5, 9 और 12 में वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं (जबकि भूमि का उपयोग आवासीय था) । उपरोक्त सोसाइटी ने 11 अक्तूबर 2006 से एनडीएमसी के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए मामले का अनुसरण (पीछा) किया । हालांकि, एनडीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है । यह इंगित करता है कि एनडीएमसी पथभ्रष्ट (नियम विरूष्ट काम करने वाले) निवासियों के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि 2006 से शिकायत लंबित थी । पथभ्रष्ट (नियम विरूष्ट काम करने वाले) निवासियों पर जुर्माना न लगाने से मिश्रित भूमि उपयोग पॉलिसी के तहत मौद्रिक रूप में एनडीएमसी को संभावित नुकसान भी होता है ।

6.2.9 मिश्रित भूमि उपयोग के आवेवकों से एक बार में वसूलनीय पार्किंग विकास शुल्क की गणना∕वसूली में विभिन्न मानदंडों को अपनाना ।

एमपीडी-2021 के पैरा 15.4 (वी) शीर्षक ''अन्य नियम और शतें'' में परिकल्पित है कि निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर में 2.0 समकक्ष कार स्पेस (ईसीएस) के हिसाब से पार्किंग परिसर के भीतर ही की जाएगी। जहां यह उपलब्ध नहीं है, भूखंड के मालिक द्वारा पार्किंग के विकास की लागत संबंधित निकाय को देय होगी। यह शर्त तब भी लागू होगी जब आवासीय परिसर का केवल व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां भूखंड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक हो, निर्मित प्रत्येक 100 वर्गमीटर में 1 समकक्ष कार स्पेस (ईसीएस) के हिसाब से पार्किंग स्थल भूखंड के भीतर प्रदान किया जाएगा {एम पी डी-2021 के (पैरा 4.43) (viii) (बी)}। उपरोक्त के अलावा एनडीएमसी की 26 जून, 2007 की अधिसूचना के खंड (डी) शीर्षक ''पंजीकरण/वार्षिक मिश्रित उपयोग शुल्क के लिए प्रक्रिया'' के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग के तहत भूखंड/निवास/भवन के मालिक/निवासी ₹2,10,500/- प्रति 50 वर्गमीटर भूखंड क्षेत्र के लिए एक ईसीएस के हिसाब से पार्किंग के विकास का शुल्क भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ऑडिट को प्रदत्त गेस्ट हाउस के तीन मामलों के अवलोकन में पाया गया कि पार्किंग के विकास के लिए एक बार में शुल्क की गणना समान रूप से नहीं की गयी है । विवरण निम्न प्रकार है :

क.सं.	संपत्ति संख्या	एक बार पार्किंग शुल्क की गणना के लिए अपनाए जाने वाले मानवंड
1.	106, वावर रोड, नई दिल्ली	इस मामले में निर्मित क्षेत्र को गेस्ट हाउस के उपयोग के लिए (18.900 ई सी एस) और आवासीय क्षेत्र के लिए (3.852 ई सी एस) को अलग करके ईसीएस की संख्या निकाली गई है इसमें से पहले से उपलब्ध 13.302 ईसीएस को घटाकर 9.45 ईसीएस प्रभार्य निकाला गया।
2.	112, वाबर रोड, नई दिल्ली	इस मामले में कुल निर्मित क्षेत्र पर ईसीएस (9.556 यनी 10.00 ईसीएस (राउन्ड ऑरू) (+) गेस्ट हाउस के लिए उपयोग की जाने वाले निर्मित क्षेत्र की ई सी एस (7.06 ई सी एस) में से भूतल पर उपलब्ध खुले क्षेत्र पर (23 वर्ग मी0 क्षेत्र प्रति ईसीएस की दर से) ई सी एस घटा कर निकाला गया है।
3.	प्लांट नंबर 13 आराधना एन्कलेव, सैक्टर 13 आर के पुरम, नई दिल्ली	इस मामले में, ईसीएस कुल भूखंड क्षेत्र पर निकाली गई है ।

तालिका मं. 6.7: मामलों का विवरण

6.2.8 Non compliance of complaints received against the owners of the properties running commercial activities in residential premises

As per NDMC public notification dated 26th June 2007, registration of mixed use premises was to be done before 30th June 2007. And as per Para 15.9(iv) & (v) of MPD, 2021, where the properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the provision of MPD 2021 shall be liable to pay, to the local body, a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use.

Test check of file regarding plot No. 13, Aradhana Colony, Sector 13, R.K. Puram New Delhi revealed that the Secretary, Burmah-shell Co-operative Housing Society Ltd., Aradhana Colony, Ring Road, R.K. Puram, Sector-XIII, New Delhi had requested to the NDMC on 22nd May 2009 that commercial activities specially in House No.1, 5, 9 & 12 of Aradhana Colony have been going on (whereas land use was residential). The said society pursued the matter for stoppage of commercial activities with NDMC since 11th October 2006. However, action taken by NDMC was not on records made available to audit. It indicates that NDMC is not taking action promptly against the errant residents as the complaint was pending since 2006. Non levying of penalty against the errant residents is also a potential loss to NDMC in monetary terms under mix land use policy

6.2.9 Adopting different Norms in calculation/recovery of one time parking development charges from the applicants of mixed land use

Para 15.4 (v) heading "other terms and conditions" of MPD 2021 envisaged that "Parking at the rate of 2.0 Equivalent Car Space (ECS) per 100 sqm of built up area shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking shall be payable by the plot allottee/ owner to the local body concerned. This condition shall apply even if residential premises are used only for professional activity." In case where the plot area exceeded 300 sqm., 1 ECS for every 100 sqm built up area for parking space shall be provided within the residential plot (Para 4.4.3 (viii) (b) of MPD 2021). In addition to above, clause (d) under the heading "procedure for registration/ annual mixed use charges" of NDMC notification dated 26[∞] June 2007 stated that the owner/ allottee/resident/user of the plot/dwelling unit under the mixed land use shall also be liable to pay for development of parking for one ECS per 50 sqm. of plot area @ ₹2,10,500/-.

Audit observed from three test checked cases in respect of guest houses, furnished to audit, that the onetime charges for development of parking were not worked out uniformly; details are as under:-

S. No.	Property No.	Norms being adopted for calculation of one time parking charges
1.	106, Babar Road, New Delhi	In this case, the ECS worked out by segregating the built up area to be used for guest house (18.900 ECS) + built up area to be used for residential purpose (3.852 ECS) minus ECS available (13.302 ECS) under the premises Total ECS chargeable 9.45 ECS.
2	112, Babar Road, New Delhi	In this case, the ECS worked out on total ECS required on gross built up area (9.556 ECS say 10.0 ECS (rounding off) + built up area to be used for guest house (7.06 ECS) minus area provided for open space at ground floor (considering the norms 23 Sqm parking space required for 1 ECS in open area as per MPD 2021)
3	Plot No.13 Aradhna Enclave, Sector 13 R.K. Puram, New Delhi.	In this case, the ECS was worked out on the total plot area.

उपरोक्त मामला सं.1 में देखा जाता है कि वास्तुकार विभाग ने निर्मित भूखंड/संपत्ति पर कुल प्रभार्य ईसीएस ₹19.89 लाख निकाला, पार्टी से वसूला। यदि एनडीएमसी ने वही नियम संख्या दो और तीन मामलों में अपनाया होता जो मामला एक में अपनाया, तो मामले दो और तीन में क्रमश: ₹2.90 लाख और ₹17.97 लाख अधिक की वसूली की जा सकती थी। यह ऊपर से स्पष्ट है कि पार्टियों से प्रभार्य ईसीएस की गणना में एकरूपता नहीं थी।

6.2.10 संपत्ति संख्या 106 , बाबर रोड से मिश्रित उपयोग शुल्क की वसूली न करना ।

आवासीय परिसर की भूमि के मिश्रित उपयोग में रूपांतरण के शुल्क से संबंधित अधिसूचना के ''नियम और शर्त'' की धारा (ई) के उपधारा (इ) में परिकल्पना की गई है कि परिसर का वार्षिक मिश्रित उपयोग शुल्क का भुगतान स्थानीय निकाय को करेगा।

₹27.14 लाख का मिश्रित उपयोग शुल्क की वसूली के बाद श्री आनन्द कुमार (मालिक) को परिसर सं0 106, बाबर रोड, नई दिल्ली में गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति 25 फरवरी 2011 को स्वीकृत की गई थी। 5 वर्ष बीत जाने के बाद इसी परिसर में गेस्ट हाउस चलाने के लिए श्री आनन्द कुमार ने सम्पत्ति को मैसर्स एवरग्रीन हासपिटैलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप को पट्टे पर दे दिया। इसी आधार पर वर्ष 2016-17 में श्री दीपक कुमार ने वार्षिक मिश्रित उपयोग शुल्क ₹7,23,852/- जमा किया और गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति के लिए 4 अप्रैल 2016 को आवेदन किया। यह अभिलेखों से देखा गया है कि आनंद कुमार (पिछले उपयोगकर्ता) ने (सिवाय दिनांक 04 अप्रैल 2016) 5 वर्षों के बीत जाने के बाद सूचित किया था कि उन्होंने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान गेस्ट हाउस नहीं चलाया था। मालिक द्वारा गेस्ट हाउस न चलाने की एनडीएमसी को न तो सूचना देने संबंधित जानकारी थी और एनडीएमसी द्वारा मालिक को वार्षिक मिश्रित उपयोग शुल्क के मांग की न तो कोई नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, नए उपयोगकर्ता श्री दीपक कुमार ने 4 अप्रैल 2016 को सूचित किया था कि श्री आनंद कुमार कुछ व्यक्तिगत अपरिहार्य कारणों से गेस्ट हाउस चलाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि वह आज तक (04 अप्रैल 2016) उक्त परिसर में शेष शर्तों का अनुपालन नहीं कर सकते थे, इसलिए, वे संपत्ति का उपयोग नहीं कर सके; इसलिए श्री दीपक कुमार गेस्ट हाउस चलाने के लिए उसी क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं। केवल इस कथन के आधार पर की कि श्री आनंद कुमार ने परिसर का उपयोग गेस्ट हाउस चलाने के लिए नहीं किया, विभाग सहमत हो गया।

लेखा परीक्षा ने पाया कि एमपीडी-2021 के 15.9 (4) के अनुसार एनडीएमसी मिश्रित उपयोग के तहत संपत्तियों की एक परीक्षण जांच करने के लिए जिम्मेदार था, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो । लेकिन विभाग के किसी भी प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित वर्षों 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस तरह के परिसर का उपयोग गेस्ट हाउस के लिए किया गया है या नहीं, कोई परीक्षण जॉच नहीं किया था ।

इसके अतिरिक्त पिछले आकलन वर्षो 2011-12 से 2015-16 के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग शुल्क जमा करने के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया था। अत: विभाग द्वारा मिश्रित उपयोग की वास्तिविक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जॉच करने में निष्क्रियता के कारण ₹36,19,260/- (₹7,32,852/-ग 5 वर्ष, 2011-12 से 2015-16)के राजस्व नुकसान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

6.2.11 पूर्णता सर्टिफिकेट और पूर्णता योजना प्राप्त किए बिना निर्माण के बाद पेट्रोल पंप की साइट पर कव्जा ।

बिल्डिंग, उपनियमों 1983 अनुभाग 7 और बिल्डिंग प्लान के मंजूरी पत्र के नियम और शर्तों में परिकल्पना की गई है कि पार्टी को साइट पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले, काम की प्रगति और कार्यपूर्णता की सूचना समय-समय पर एनडीएमसी को देना है ।

मई 2014 में ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली में एक पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए एक भवन योजना को मंजूरी दी गई थी। ऑडिट ने उपलब्ध रिकॉर्ड में यह देखा कि जून 2015 में निर्माण कार्य शुरू किया गया और मार्च 2016 में पूरा कर लिया गया। 20 सितंबर 2016 को निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने साइट पर सभी निर्माण कार्य पूरा कर लिया था और एनडीएमसी से पूर्णता प्रमाणपत्र/पूर्णता योजना प्राप्त किए विना परिसर पर कब्जा कर लिया था। एनडीएमसी अधिनियम की धारा 252 के अनुसार, पार्टी को साइट पर कब्जा करने से पहले एनडीएमसी अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सीसी/सीपी प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, एनडीएमसी ने जुलाई 2018 में पार्टी को ओतिम नोटिस जारी किया और पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। बिना अनुमति (सी/सी एंड सी/पी) के खतरनाक प्रकृति वाला धन्धा, पेट्रोल पंप चलाना एक अस्वीकार्य जोखिम है क्योंकि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बाद ही चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। It is seen from the above that in case no. 1, the Architect Department worked out the total ECS chargeable on the total built up area of plot/property amounting to ₹19.89 lakh, recovered from the party. If NDMC adopted the same norms as worked out in case no.1, an amount of ₹2.90 lakh and ₹17.97 lakh more could be recovered in case no.2 & 3 respectively. It is evident from the above that there was no uniformity in calculating the ECS chargeable from the parties.

6.2.10 Non recovery of mixed use charges from property no. 106, Babar Road

Sub clause (e) of Clause (E) "Terms and Condition" of Notification (26th June 2007) regarding Conversion Charges for mixed use land of the residential premises envisaged that the annual mixed use charges shall be made by the owner/allottee/resident/user of the premises to the local body.

Permission to run the guest house in premise 106, Babar Road, New Delhi, was granted in favour of one Shri Anand Kumar in 25" February 2011 after recovery of mixed use charges of ₹27.14 lakh. After lapse of five year, Sh. Anand Kumar handed over the property to M/s Evergreen Hospitality Limited Liability Partnership on lease to run a guest house in the same premises. On this basis, Sh. Deepak Kumar had applied on 4th April 2016 for new permission to run guest house and deposited ₹7,23,852/- as an annual mixed use charges in the year 2016-17. It has been observed from the records that Sh. Anand Kumar (previous user) had intimated (except one dated 4" April 2016) after lapse of 05 years that he had not run the guest house during the period 2011-12 to 2015-16. Neither was information regarding intimation to NDMC for non running of guest house by the owner nor any notice issued by the NDMC to the Owner for demand of annual mixed use charges was found on records made available to audit. However, new user Sh. Deepak Kumar had intimated on 4th April 2016 that Sh. Anand Kumar was not in position to run the guest house due to some personal unavoidable reasons as he could not comply with the remaining conditions in said premises till date (i.e. 4th April 2016), so, he could not use the property; therefore, Sh. Deepak Kumar wanted to use same area for running the guest house. Merely on the basis of this statement, the Department agreed that Sh. Anand Kumar (previous user) had not used the said premises for running the guest house.

Audit observed that the NDMC was responsible to conduct a test check of properties under mixed use, whether registered with it or not as per 15.9 (IV) of MPD-2021. But no authority of the Department had conducted any such test check to ensure whether said premises was used for guest house or not during the related years from 2010-11 to 2015-16.

Further, No annual demand-note for depositing annual mixed use charges was sent to Sh. Anand Kumar for the previous assessment years from 2011-12 to 2015-16. So, possibility of loss of revenue of ₹36,19,260/- (₹7,23,852/- x 5 year w.e.f. 2011-12 to 2015-16) could not be Ruled out due to Department's inaction to test check to ascertain the actual position of mixed use.

6.2.11 Site for Petrol Pump occupied after construction without obtaining the Completion Certificate and Completion Plan

Section 7 of Building Bye Laws, 1983 and Terms and Conditions of sanction letter of building plan envisaged that the party is to give notice before commencement of building work at site, progress of work and notice for completion to the NDMC from time to time.

A building plan was sanctioned to construct a petrol pump at Brigadiar Hoshiar Singh Marg, Laxmi Bai Nagar, New Delhi in May-2014. Audit observed from the records made available to it that the construction work was commenced in June-2015 and completed in March-2016. As per the inspection report dated 20th September 2016, the Party had completed all the construction work at site and occupied the premises without obtaining Completion Certificate/Completion Plan from the NDMC. As per the Section 252 of NDMC Act, it is compulsory for the party to comply the Terms and Condition for obtaining the CC/CP before occupying the site in accordance with the conditions as enumerated in the NDMC Act. However, NDMC issued last notice to the party in July-2018 and no penal action was initiated against the party. Running a petrol pump being a hazardous nature of business without permission (C/C & C/P), is an unacceptable risk as it should only be allowed to run after verification of security measures by a Competent Authority. 6.2.12 नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग प्लान की अनुमति के लिए ₹3,50,417/- कम फीस और शुल्क वसूलना ।

वृद्धि/परिवर्तन/नवीनीकरण के लिए भवन योजना की निम्नलिखित तीन फाइलें ऑडिट को प्रदान की गई थीं:-

क्र.सं.	अपेक्षित अनुमति का विवरण	योजना के अनुमोदन की तिथि	योजना की वैधता
1.	बिलियार्ड और जिमनैजियम के लिए	22 सितम्बर 2014	10 सितम्बर 2019
2.	अस्थाई संरचना के लिए	26 फरवरी 2015	25 मई 2015
3.	बाहरी अग्रभाग के नवीकरण के लिए	28 फरवरी 2017	26 जनवरी 2022

तालिका नं. 6.8: बिल्डिंग प्लान का विवरण

ऑडिट में पाया गया कि तीसरे भवन योजना की स्वीकृति के समय 22 मार्च 2016 से लागू संशोधित भवन उपनियमों में दिए गए दर से योजना प्रस्तुति फीस और स्टैकिंग शुल्क नहीं निकाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी से ₹3,50,470/- कम राजस्व की वसूली की गई। इसके अलावा, 12 मार्च 2015 को विशेष तकनीकी प्रकोष्ठ के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा परिसर के निरीक्षण में यह पाया गया कि पार्टी द्वारा सीसी/सीपी को प्राप्त किए बिना बैंक्वेट हॉल पर कब्जा कर लिया गया है। कार्यालय ब्लॉक के भूतल पर शौचालय की निर्माण गतिविधि भी स्वीकृत भवन योजना के विपरीत थी। मार्च 2015 में सी सी (पूर्णता प्रमाणपत्र) और सीपी (पूर्णता योजना) प्रस्तुत करने के लिए पार्टी को एक नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, मामले का परिणाम रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। यह इस मुद्दे पर खराब अनुवर्ती कार्रवाई और एनडीएमसी के वसूली योग्य राजस्व की उपेक्षा का संकेत देता है।

6.2.13 गेस्ट हाउस चलाने के लिए आवासीय संपत्ति से मिश्रित भूमि उपयोग रूपांतरण में कमियाँ:

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के पैरा 252 में यह प्रावधान है कि 'कोई भी व्यक्ति, चेयरपर्सन की लिखित अनुमति के बिना, या शर्तों के अनुरूप होने के अन्यथा यदि कोई हो, तो ऐसी अनुमति के बिना-

- (अ) भवन के किसी हिस्से, जो आरम्भ में निर्मित नहीं था, या उस प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, या इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये भवन उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित कार्य द्वारा परिवर्तन के पहले प्रयोग में नहीं था, मानव आवास (निवास) के लिए प्रयोग की न तो अनुमति देगा या न खुद प्रयोग करेगा।
- (ब) किसी भी भूमि या भवन के उपयोग के परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।
- (स) एक प्रकार के किराये के मकान को दूसरे प्रकार में न तो परिवर्तन करेगा या न ही परिवर्तन की अनुमति देगा।

एक पार्टी ने 15 मई 2010 को मिश्रित भूमि उपयोग नीति के तहत आवासीय संपत्ति संख्या 112, बाबर रोड नई दिल्ली में एक गेस्ट हाउस चलाने का अनुरोध प्रस्तुत किया। 25 जून 2010 को तत्कालीन एनडीएमसी अध्यक्ष द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और ''मास्टर प्लान/बी बी एल/ एलबीजेड मानदंडों के सभी लागू मानदंडों का सुनिश्चित करें टिप्पणी के साथ फाइल वापस कर दी गई। कोई यू/जी/निर्माण मौजूद नहीं होना चाहिए और किसी भी अधिनियम/उपनियम का कोई अन्य उल्लंघन नहीं होना चाहिए।'' इन टिप्पणियों के आधार पर तत्कालीन मुख्य वास्तुकार ने कुछ शर्तों अर्थात् मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एनओसी, डीसीपी से एन ओ सी, डीसीपी, यातायात से एनओसी, अनुमति पत्र आदि, के अनुपालन पर 2 जुलाई 2010 को पार्टी को औपचारिक अनुमति/एनओसी जारी कर दी।

ओडिट ने पाया कि तत्कालीन मुख्य वास्तुकार ने 20 जुलाई 2012 को पार्टी को गेस्ट हाउस चलाने की अंतिम अनुमति जारी की । हालांकि, पार्टी को अंतिम अनुमति जारी करने के समय तत्कालीन एनडीएमसी अध्यक्ष से स्वीकृति नहीं ली गयी थी, जो एनडीएमसी के अधिनियम, 1994 के पैरा 252 के तहत आवश्यक था । इसके अलावा, डीसीपी, ट्रैफिक की दिनांक 11 नवम्बर 2011 की निरीक्षण रिपोर्ट इशारा करती है कि वर्ष 2011 में साइट पर गेस्ट हाउस चालू था, हालांकि अनुमति एनडीएमसी के पास विचाराधीन थी और पार्टी को जारी नहीं की गई थी ।

6.2.12 Short recovery of fees and charges of ₹350470/- in respect of permission of building plan of National Sport Club of India

The following three building plans for addition/alteration/renovation files were provided to audit:

S.No.	Permission required	Date of sanction of plan	Plan valid upto
1.	For Billiard and Gymnasium	22nd September 2014	10th September 2019
2.	For temporary structure	26th February 2015	25th May 2015
3.	For renovation of external façade	28th February 2017	26th January 2022

Table no.	6.8 :	Details	of the	Building	Plan
-----------	-------	---------	--------	----------	------

Audit observed that Fees and Charges on account of Plan submission fees and stacking charges have not been taken/worked out by NDMC in accordance with the revised rate as given in Unified Building Bye Laws applicable w.e.f 22rd March 2016 at the time of approval of 3rd building Plan resulting in short recovery of revenue of ₹3,50,470/- from the party. Moreover, on inspection of the premises as on 12th March 2015, it was found by Special Technical Cell (STC) field staff that party has occupied the Banquet Hall without obtaining the CC/CP. The construction activity at toilet on ground floor of office block was also in contravention of the building plan sanctioned. A notice was issued to party for submitting CC & CP plan in March-2015. However, outcome of the case is not available on record. This indicates poor follow up on the issue and neglect of recoverable revenue to NDMC.

6.2.13 Shortcomings in Conversion of Residential Property to mixed land use to run Guest House

Para 252 of NDMC Act, 1994 provides that "No person shall, without the written permission of the Chairperson, or otherwise than in conformity with the conditions, if any, of such permission.

(a) Use or permit to be used for human habitation any part of a building not originally erected or authorized to be used for that purpose or not used for that purpose before any alteration has been made therein by any work executed in accordance with the provisions of this Act and the bye-laws made there under;

(b) Change or allow the change of the use of any land or building;

(c) Convert or allow the conversion of one kind of tenement into another kind.

A party submitted the request to run a guest house in the residential property No. 112, Babar Road New Delhi under mixed land use policy on 14th May 2010. The case was considered by the then Chairperson, NDMC on 25th June 2010 and returned back the file with remarks "ensure all norms of Master Plan/BBL/LBZ norms as applicable. No U/G/Construction should exist and no other violation of any act/Bye laws should be there". On the basis of these remarks the then Chief Architect issued formal permission/NOC to the party on 2th July 2010 subject to compliance of the certain condition i.e. NOC for Chief Fire Officer, NOC from DCP, Licensing, NOC from DCP, Traffic etc.

Audit observed that the then Chief Architect issued the final permission to run a guest house to the party on 20th July 2012. However, the approval of the then Chairman, NDMC was not taken at the time of issuing of final permission to party which was required under para 252 of NDMC Act, 1994. Further, the Inspection Report of DCP, Traffic dated 11th November 2011 indicated that the guest house was operational at the site in the year 2011 even though the permission was under consideration with NDMC and not issued to the party.

6.2.14 अस्थाई संरचना/हैंगर और पंडाल आवि के निर्माण के लिए वी गई अनुमति में विसंगतियां

(i) गलत वरों के लागू करने के कारण पार्टियों से ₹5,13,345/- कम वसूला गया।

वास्तुकार विभाग अनुमति शुल्क का 10 प्रतिशत सुरक्षा जमा के अतिरिक्त अनुमति शुल्क जमा करने के बाद नई दिल्ली क्षेत्र में नुमाइस कम बिक्री या दूसरे उत्सवों के लिए होटलों में हैंगर/पंडाल जैसे अस्थाई संरचना के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है ।

दिसंबर 1999 में, तत्कालीन एनडीएमसी अध्यक्ष ने पिछले वर्ष यानी 1999-2000 के दर पर 10 प्रतिशत अधिक दर के साथ हैंगर/पंडाल की अनुमति देने के लिए दरों को मंजूरी दी। तदनुसार, वास्तुकार विभाग को वर्ष 2000-01 से प्रत्येक वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके अनुमति शुल्क वसूल करना था।

ऑडिट को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की परीक्षण जांच के दौरान, यह देखा गया है कि वास्तुकार विभाग में 69 मामलों की अनुमति देते समय अस्थाई संरचना/पंडालों के निर्माण का प्रभार गलत दर से निकाला गया जिसके कारण ₹5,13,345/- की कम वसूली की गई (वर्ष 2013-14 के 56 मामलों में ₹4,45,430/- और वर्ष 2014-15 के 13 मामलों में ₹67,915/-)। विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अनुमति वेते समय वास्तुकार विभाग द्वारा लागू वर (रॅमें)	पिछले वर्ष की वरों से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लागू होने वाली वर (र में)	वरों में अन्तर (र में)
1	2	3	4
2001-02	1.94	2.13 (2.11 के बजाय)	0.19
2002-03	2.13	2.34	0.21
2003-04	2.34	2.57	0.23
2004-05	2.57	2.83	0.26
2005-06	2.83	3.11	0.28
2006-07	3.11	3.42	0.31
2007-08	3.42	3.76	0.34
2008-09	3.76	4.14	0.38
2009-10	4.14	4.55	0.41
2010-11	4.55	5.00	0.45
2011-12	5.00	5.50	0.50
2012-13	5.50	6.05	0.55
2013-14	6.05	6.67	0.62
2014-15	6.67	7.34	0.67
2017-18	9.76	9.77	0.01

तालिका नं. 6.9 : 2000-2001 से 2014-15 और 2017-18 तक लागू वरें

वर्ष 2013-14 और 2014-15 से संबोधित 69 मामलों (उपर्युक्त) के सिवाय वर्ष 2001-2002 से 2017-18 के दौरान प्राप्त मामलों और उनसे प्राप्त राशि ऑडिट को रिकार्ड उपलब्ध न कराने के कारण, सत्यापित योग्य नहीं हैं।

6.2.14 Discrepancies in respect of permission granted for erection of temporary structure/ hangers and pandals etc.

(I) Short recovery of ₹5,13,345/- from the parties due to application of incorrect rates : The Architect Department grants permission for erection of temporary structure in the form of hanger/ pandal in Hotels of New Delhi area holding Exhibition-cum sale or other functions after receipt of permission charges in addition to deposit of security deposit @ 10 percent of permission charges.

In December-1999, the then Chairman, NDMC approved rates for granting permission of hanger/pandal with increase in rate @ 10 percent over the previous year i.e. 1999-2000. Accordingly, the Architect Department was to recover the permission charges by enhancing the rates by 10 percent each year from the year 2000-01.

During the test check of records made available to audit, it has been observed that Architect Department worked out incorrect rate in respect of 69 cases while granting permission for erection of temporary structure/pandals for which there was a short recovery of ₹5,13,345/- (₹4,45,430/for 56 cases of the year 2013-14 and ₹67,915/- for 13 cases of the year 2014-15). It has further been observed that Architect Department had applied rates for permission charges less than the actual applicable rates during the years from 2001-02 to 2014-15. The details are as under:

Year	Rate applied by Architect Department While granting permission (in ₹ per sq. ft.)	Rate to be applied with increase @ 10 percent from the previous year rates (in ₹ per sq. ft.)	Diff. of rates (in ₹) (3-2)
1	2	3	4
2001-02	1.94	2.13 (instead of 2.11)	0.19
2002-03	2.13	2.34	0.21
2003-04	2.34	2.57	0.23
2004-05	2.57	2.83	0.26
2005-06	2.83	3.11	0.28
2006-07	3.11	3.42	0.31
2007-08	3.42	3.76	0.34
2008-09	3.76	4.14	0.38
2009-10	4.14	4.55	0.41
2010-11	4.55	5.00	0.45
2011-12	5.00	5.50	0.50
2012-13	5.50	6.05	0.55
2013-14	6.05	6.67	0.62
2014-15	6.67	7.34	0.67
2017-18	9.76	9.77	0.01

Table no. 6.9 : Rates applicable from 2000-2001 to 2014-15 and 2017-18

The details of cases received and amount recovered there from during 2001-2002 to 2014-2015 and 2017-2018 except 69 cases (noted above) pertaining to 2013-14 and 2014-2015 were not verifiable in audit due to non-production of records. एनडीएमसी परिपत्र 2011 के अनुसार, पंडालों/हैंगरों के निर्माण की अनुमति प्रदान करते समय विभाग यह सुनिश्चित करे कि पार्टी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।

- (i) फर्म/पार्टी से अनुरोध पत्र ।
- (ii) तम्बू, पंडाल या शमियाना के तहत कवर की जाने वाले क्षेत्र की योजना ।
- (iii) अनुमति शुल्क और अनुमति शुल्क का 10 प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि के डिमांड ड्राफ्ट की प्रतिलिपि ।
- (iv) एनडीएमसी के पक्ष में क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र ।
- (v) डीसीपी (सुरक्षा) से एनओसी ।
- (vi) डीसीपी (ट्रैफिक) से एनओसी।
- (vii) डीसीपी (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) से एनओसी ।
- (viii) भवन के स्वामी/अधिकृत व्यक्ति से एनओसी
- (ix) सीएफओ से एनओसी (ऐसे कार्यक्रमों की शुरूआत से पहले प्रस्तुत किया जाना), दायित्व पत्र दिया जाए।

56 मामलों की परीक्षण जांच से पता चला है कि उपर्युक्त धारा नं. (2) और (7) में वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया गया क्योंकि ऑडिट को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से सत्यापन योग्य नहीं है ।

(i) सुरक्षा जमा रजिस्टरों का रखरखाव न होना ।

सीपीडब्लयूडी मैनुअल की धारा 22.4 के अनुसार, सुरक्षा जमा की वापसी दावा सीमा के कानून द्वारा शासित है। दावे के सीमा की अवधि उपार्जित दावों के अधिकार की तारीख से शुरू होने से 3 वर्ष है। इसलिए तीन साल के अंतराल के बाद राशि को एनडीएमसी के राजस्व शीर्ष में इसे कालातीत राशि के रूप में जमा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 का अनुच्छेद 22.6, आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी में देरी से बचने और सुरक्षा जमा की त्वरित वापसी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करता है। इस प्रयोजन के लिए हर महीने उन सभी मामलों की एक सूची, जहॉ सुरक्षा जमा प्रतिदेय हो जाती है, को संबंधित प्राधिकारी के पास रखा जाना है और ठेकेदार/एजेंसी के किसी आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना सुरक्षा जमा वापस कर दी जाती है।

हैंगर/पंडाल के निर्माण के 39 मामलों की जांच ने दर्शाया कि आवेदक से सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ₹2.44 लाख प्राप्त हुए, जिसमें से ₹0.68 लाख वापस कर दिए गए और ₹1.76 लाख अभी भी एनडीएमसी के पास पड़ा हुआ है। उपर्युक्त उदाहरण, लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए मामलों की संख्या की परीक्षण जांच के आधार पर दुष्टांत स्वरूप है और संपूर्ण नहीं है; विवरण इस प्रकार हैं:

灭戒	বর্ষ	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अनुमति मामलों की संख्या	अनुमति शुल्क की राशि	राशि/सुरझा जमा (अनुमति शुल्क का 10 प्रतिशत)	रिकॉर्ड के अनुसार वापस की गई कुल सुरक्षा जमा राशि	एनडीएमसी के पास शेष सुरक्षा जमा
1	2014-15	13	692332	69242	22085	47157
2	2015-16	16	719924	82538	45965	36573
3	2016-17	3	246880	24686	0	24686
4	2017-18	2	273460	27346	0	27346
5	2018-19	5	408094	40809	0	40809
	कुल	39	2340690	244621	68050	176571

	1.00					-
मालिका	πł.	6 10.	1077967	THE OWNER	78.7	विवरण
1111/1-01	~~	v	11.00		-	1.4.4.1.4.1

इसके अलावा, वास्तुकार विभाग से अनुरोध किया गया था कि एनडीएमसी क्षेत्र के विभिन्न होटलों में अस्थाई/हैंगर और पंडालों के निर्माण की अनुमति के लिए आवेदक से प्राप्त सुरक्षा जमा के रखरखाव का रिकॉर्ड/रजिस्टर उपलब्ध कराए। जवाब में (11जुलाई 2017) विभाग ने कहा कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है और रिफंड को व्यक्तिगत फाइलों में संसाधित किया जाता है।

सुरक्षा जमा रजिस्टर जैसे समेकित रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, यह समझ में नहीं आता है कि सुरक्षा जमा की प्राप्ति, वापसी और समायोजन की निगरानी वास्तुकार विभाग द्वारा कैसे की गई थी । As per NDMC circular 2011, while granting the permission for erecting of pandals/hangers, the Department may ensure that the following documents were submitted by the party.

- (i) Request letter from firm/party.
- (ii) Plan of the area to be covered under tent, pandal or shamiyana.
- (iii) Copy of demand draft on a/c of permission charges and security deposit charges @10 percent of permission charges.
- (iv) Indemnity bond in favour of NDMC.
- (v) NOC from DCP (Security)
- (vi) NOC from DCP (Traffic).
- (vii) NOC from DCP (Licensing & Controlling)
- (viii) NOC from the owner/authorized person of the building
- (ix) NOC from CFO (to be submitted before start of such events), undertaking to be given.

Test check of 56 cases revealed that the compliance of the condition mentioned at Serial No.(ii) and (vii) above were not verifiable to as the same were not found on records made available to audit.

(ii) Non maintenance of Security Deposit Registers :

Section 22.6 of CPWD works Manual 2014 stipulates regarding responsibility for prompt refund of security deposit in order to avoid delay in the refund of security deposit to the applicant. For this purpose every month a list of all the cases where the security deposit becomes due for refund is required to be put up to concerned authority and the security deposit is refunded without waiting for any application from the contractor/Agency.

Test check of 39 cases for erection of hangers/pandal depicted that an amount of ₹2.44 lakh on account of security deposit was received from the applicant, out of which an amount of ₹0.68 lakh was refunded and ₹1.76 lakh is still lying with NDMC. The example mentioned above is illustrative and not exhaustive based on the test check of the number of cases provided to audit; the details are as under:

S. No.	Year	No. of permission cases made available to audit	Amount of permission charges	Amt. of Security Deposit (@ 10 percent of permission charges)	Total Security Deposit refund made as per record	Balance security deposit with NDMC
1	2014-15	13	692332	69242	22085	47157
2	2015-16	16	719924	82538	45965	36573
3	2016-17	3	246880	24686	0	24685
4	2017-18	2	273460	27346	0	27346
5	2018-19	5	408094	40809	0	40809
	Total	39	2340690	244621	68050	176571

Table no. 6.10: Details of the Security Deposit

Further, Architect Department was requested to provide the record/register for maintenance of security deposit received from the applicant on account of permission of erection of temporary structure/hangers and pandals in different Hotels in NDMC area. In reply (dated 11th July 2017), Department stated that no such record is being maintained for the purpose and the refunds are processed in the individual files.

In the absence of a consolidated record like security deposit register it is not understood as to how the monitoring of receipt, refund and adjustment of security deposit was carried out by the Architect Department. इस रिपोर्ट में ऑडिट ऑब्जवेंशन के जवाब मुख्य वास्तुकार कार्यालय से अबतक प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2020)।

निष्कर्षः

आवेदनों/शिकायतों के प्राप्ति की कालानुक्रमिक प्रवेश और उनके निपटान तक निगरानी रहित होने के साथ मुख्य वास्तुकार विभाग में आंतरिक नियंत्रण वातावरण (माहौल) बहुत खराब पाया गया। ऑडिट को रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना भी वास्तुकार विभाग में काम करने की जवाबदेही के प्रति इच्छा की कमी को इंगित करता है। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई विभिन्न टिप्पणियां भी एनडीएमसी के हितों के रखवाली में, मौजूवा नियमों और विनियमों के अपर्याप्त पालन की और इशारा करती हैं। इस प्रकार भवन निर्माण, वुरूपयोग इत्यादि से संबंधित विभिन्न उपनियमों से विचलन और राजस्व हानि की संभावना जोखिम के अस्वीकार्य स्तर पर है। Replies to Audit observations in this report from Chief Architect are still awaited (February-2020)

CONCLUSION :

The Internal Control environment in the Chief Architect Department was found to be extremely poor with it being devoid of even basic control measures such as chronological entry of applications/complaints received and their subsequent monitoring till disposal. Non production of records to audit also indicates a lack of willingness towards accountability of its working on part of the Chief Architect Department. The various observations as brought out in the audit report also point out towards inadequate adherence to the extant Rules and Regulation to protect the interests of NDMC. Thus, the possibility of loss of revenue and deviations from the various bye laws regarding construction, misuse etc remains at an unacceptable level of risk.

अध्याय-7

वाणिज्यिक विभाग

7.1 नियत प्रभार और पावर गुणक के गलत दर लागू करने के कारण ₹6,93,660/- के राजस्व की हानि।

(i) विल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), नई विल्ली के बिलों में नियत प्रभार के गलत लागू करने के कारण कम राशि की बिलिंग।

दिल्ली विधुत नियामक आयोग (डीईआरसी) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए 1 सितम्बर 2017 से ₹130/केवीए/माह के हिसाब से नियत शुल्क की दर निर्धारित करता है। मार्च 2018 माह का विस्तृत आधार डेटा और डीएमआरसी बिल के साथ फॉर्म 2.1 ए-डी का एक तुलनात्मक परीक्षण की जांच से पता चला है कि नियत शुल्क,130/केवीए/महीने के बजाय ₹125/केवीए/महीने की दर से वसूल किया गया है। वाणिज्यिक विभाग ने डीएमआरसी बिलों में 1 सिंतबर 2017 से 31 जनवरी 2019 की अवधि के दौरान गलत दर लागू करने के कारण ₹6,43,960/-(₹37880/- प्रति माह की दर से 17 महीनों में) की कम राशि की बिलिंग की।

(ii) सही पावर गुणक के न लागू करने के कारण राजस्व की हानि।

डीईआरसी दर सारणी की तालिका संख्या 56 के अनुसार एनडीएमसी में लघु औद्योगिक शक्ति के विद्युत प्रभार की दर ₹7.90/ किलोवाट है और इस श्रेणी के स्लैब 10-100 केडब्ल्यू के लिए ₹0.91 तथा 100 किलोवाट से ऊपर कि लिए पावर गुणक ₹0.93 विचारणीय है। लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये मासिक विस्तृत डाटा की परीक्षण जॉच ने व्यक्त किया कि लघु औद्योगिक विद्युत शक्ति के संबन्ध में केडब्ल्यू से केवीएएच में पावर फैक्टर द्वारा रूपांतरण किए बिना ऊर्जा प्रभार दर एमयू पर लागू कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान केडब्ल्यू से केवीएएच में रूपांतरित न करने के कारण विद्युत ऊर्जा की बिलिंग में ₹49700/- की कम बिलिंग हुई। यह बिलिंग केवल 2016-18 की अवधि से संबंधित है । इस अवधि से पहले कम बिलिंग को खरिज नहीं किया जा सकता है और वाणिज्यिक विभाग द्वारा परीक्षण की आवश्यकता होती है।

अस्वीकरण :

रिपोर्ट में सभी तथ्य/आंकड़े ऑडिट की जाने वाली यूनिट द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है और ऑडिट विभाग इस संबंध में किसी भी विसंगति के लिए जिम्मेदार नहीं है।

CHAPTER-7

COMMERCIAL DEPARTMENT

7.1 Loss of revenue amounting to ₹6,93,660/- due to wrong application of Fixed charge and Power Factor.

(i) Under billing in Delhi Metrro Rail Corporation (DMRC) bills due to wrong application of Fixed Charge.

Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) Electricity Tariff Schedule for the FY-2017-18-NDMC, stipulates the rate of fixed charge for DMRC w.e.f. 01st September 2017 as ₹130/KVA/ Month. A comparative test check of Form 2.1a-D with detailed base data and DMRC bill for the month of March-2018 revealed that fixed charge has been recovered at the rate of ₹125/KVA/ Month instead of ₹130/KVA/Month. Due to wrong application of fixed charge commercial Department made under billing amounting to ₹6,43,960/- (₹37880/- PM for 17 months) in DMRC bills during the period 1st September 2017 to 31st January 2019.

(ii) Loss of revenue due to non-application of correct power Factor.

As per Table No.56 of DERC Tariff Schedule for 2017-18-NDMC energy charge for Small Industrial Power is ₹7.90/KVAh and the power factor for this category has to be considered at 0.91 for slab 10-100kW and above 100 kW at 0.93 for billing. A test check of monthly detailed data provided to audit revealed that the rate of energy charge has been applied in MU without applying the power factor and converting the KW to KVAh in respect of Small Industrial Power - consumers. The nonconversion of MU into KVAh has resulted in under billing of Electric charges to the extent of ₹49700/- during the period 2016-17 to 2017-18. This under billing relates to the period 2016-18 only. This under billing prior of this period cannot be Ruled out and require examination by the Commercial Department.

DISCLAIMER:

All the facts/figures in the report are based on the information supplied by the auditee unit and that audit Department is not responsible for any discrepancy in this regard.

नई दिल्ली

Laihor inim

(खालिद बिन जमाल) मुख्य लेखापरीक्षक

दिनांक :

Annexure-I

RECOVERIES AT THE INSTANCE OF AUDIT

On being pointed out and regular follow-up by Audit, the following recoveries were made by the various Departments (March-2018).

SI. No.	Department	Brief Particulars of recoveries		Amount Recovered (₹ in crore)
1.	Property Tax	Non-recovery of arrears of property tax (Para 2.3.6 of 2015 {Annexure-XI})		4.01
		2.3.6 (iii) of 2015 (Annexure-XII)		0.56
2.	Finance & Accounts	Excess payment to the pensioners - ₹22.14 lakh (Para 3.2 of 2011)	42602	
		Overpayment of ₹19.76 lakh due to payment of family pension at enhance rates after expiry of admissible period (Para 5.1 of 2014)	75004	
		Non-deduction of commuted value of pension (Para 2.2 of 2005 (B) Table-6)	77814	
		Overpayment of Family Pensioners (Para 2.2 of 2005 (C) No.2 Table-8)	294072	
		Total	489492	0.04
3.	Municipal Housing	Inordinate delays in vacation of Municipal Accommodations :		
		(i) Qtr. No.6 Gandhi Sadan Mandir Marg, Outstanding dues of ₹26.62 lakh	280632	
		(Para 2.1 {i} of 2017) (ii) Qtr. No.A-2 (III) Palika Milan, SP Marg, unauthorized retention of quarter for six years after death of allottee, outstanding dues of ₹19.06 lakh (Para 2.1{ii} of 2017)	25000	
		Total	305632	0.03
4.	Electricity	Non-inclusion/short levy of other factor charges amounting to ₹23.43lakh in Road Restoration (RR) charges by Distribution South Division (Chapter-8 Para II of 2017)		0.04
		Grand	Total	4.68

Annexure-II

(Chapter-4, Para-4.3)

WANTING RECORDS/INFORMATION

S.No.	Name of record/information
1	Main file/Policy file dealing with the various issues of concession agreement as per different clause of agreement
2	Copy of notice inviting tender for concession agreement.
3	Copy of request for proposal from bidders for concession agreement.
4	Minutes of pre-bid meeting,
5	Month-wise details of periodical tests and remedial measure as per clause 5.4 of Project Implementation of concession agreement.
6	Copy of readiness certificate issued to concessionaire
7	Copy of monthly, quarterly and annual report since implementation of agreement and records of quantum (measure in tones) of Biodegradable and Non-biodegradable MSW and Landscape waste deposited at the landfill facility and treatment facility.
8	Copy of monthly statement of Tipping Fee containing separate details of quantity of Biodegradable and Non-biodegradable MSW and Landscape waste
9	Details of payment made for reimbursement of Service Tax/VAT etc.
10	The details of the new project facilities initiated by the concessionaire for the implementation of project as per Schedule-B.
11	Mechanism created for handling of complaints by Concessionaire/NDMC as per Clause 8.2 of Schedule 'C' of Concession Agreement.
12	Month-wise details of the vehicles attached for collection and transportation of MSW and Landscape waste in accordance with Clause 2.2.1 of Schedule 'D' of Concession Agreement.
13	Details of the transfer station proposed to be constructed by NDMC and constructed by the Concessionaire as per Clause 2 of Schedule 'B' of Concession Agreement.
14	Month-wise details of the Manpower deployment by the Concessionaire as per Clause 6 of Schedule 'B' of Concession Agreement.
15	How Concessionaire had ensured that MSW collected from the Street Corner Bins, Garbage Station and Landscape Waste were not mixed at any stage of collection or transportation as per Clause 10 of Schedule 'B' of Concession Agreement.
16	Whether NDMC had provided space for workshop to the Concessionaire as per Clause 5 of Schedule 'C' of Concession Agreement, if yes details thereof may please be furnished.
17	List of the records maintained by the Concessionaire in compliance of Clause 2.1.3 (e) of Operations and Maintenance of Schedule 'D' of the Concession Agreement.
18	Details of the Design Parameters and Operation Plan decided in accordance with Clause 1.1 & 1.2 of Schedule 'C' of Concession Agreement.
19	The procedure and guidelines for carrying out inspection by Independent Consultant regarding transportation of Hazardous waste or recyclable substances to the treatment facility or the Landfill facility in accordance with Clause 4.4 of Schedule 'D' of Concession Agreement.
20	Copy of the monthly complaint and redressal records maintained by the Concessionaire as per Clause 5.6 of Schedule 'D' of Concession Agreement.

21	Monthly/Quarterly/Annual report submitted by the Concessionaire to Independent Consultant/ NDMC in compliance of the clause 7.1 to 7.2.9 of Schedule 'D' of the Concession Agreement.
22	Details of the any notice issued and penalties levied to the Concessionaire in accordance with the provision of Concession Agreement.
23	Schedule 'E' of the Concession Agreement envisaged the duties and responsibilities of Independent Consultant. In this connection, the following records/replies may please be furnished:
a)	Details of the Review and monitoring of the Transition Plan and Operation Plan submitted by the Concessionaire to the Consultant.
b)	Details of the verification of check of weighment and testing of the MSW at the treatment facility/Landfill facility.
c)	Details of Report to the parties on the various physical, technical and financial aspect o f the project.
d)	Review of the monthly progress report submitted by the Concessionaire during the implementation period and its conformity with the Transition Plan & Operation Plan and report on the same to the NDMC.
e)	Mechanism created for monitoring at Treatment Facility and Landfill Facility by the Independent Consultant.
f)	Details of the Random Inspection Report of project facilities by the Independent Consultant.
g)	Details of the project review meeting during implementation and operation period.
h)	Details of the records maintained by the consultant in respect of the activities undertaken by it in discharge of its functions and responsibilities.
24	Copy of the recommendatory action and action plan prepared by NDMC in accordance with Para 2.3.1 of Municipal Solid Waste Management (MSWM) Rules 2016.
25	Details/Report, if any, regarding critical assessment of the current status of the SWM under the NDMC area in accordance with Para 2.3.2 of MSWM Rules 2016.
26	The information as to whether NDMC has taken views and willingness of the stakeholders to bridge the gaps or improve the level of service through consultative process as per provision 2.3.3 of MSWM Rules 2016.
27	The information as to whether NDMC prepared short term and long term MSWM plan in accordance with the provision of Para 2.3.4 of SWM Rules 2016.
28	The information as to whether NDMC prepared the implementation plan indicating allocation of resources and specifying timelines in accordance with the provision of Para 2.3.5 of SWM Rules 2016.
29	Both the Local Body and PPP operator should be accountable for their roles to ensure successful and sustainable project implementation after approval of final MSWM plan along with financial plan by elected body of Local Authority in accordance with provision 2.3.7 of MSW Rule 2016. The contracting model for services to be outsourced (PPP model) or private operator should be transparent and performance based. Details of action as per provision of MSWM Rules 2016 may be furnished.
30	The information as to whether the NDMC has forwarded any report as per provision 2.4 of MSWM Rules 2016 for monitoring the compliance with the MSWM plan and SWM Rules to Central Pollution Control Board (CPCB) OR Whether CPCB had taken any initiative for monitoring the compliance with MSWM Plan and SWM Rules.

31	The information as to whether any assessment/survey as per provision 2.5 of MSW Rules
22	2016 to develop a MSWM plan, was conducted by NDMC.
32	Details of revenue generation by product generated through Solid Waste Management project viz Sale of products and by-products- compost, RDF, landfill gas, or waste to energy (applicable if the projects have electricity generation unit) & sale of recyclables, if any.
33	Reasons for non-considering the selection of two contractors for outsourcing the collection and transportation services as per provision 2.9 of SWM Rules 2016.
34	The information as to whether NDMC had adopted any mechanism for processing of Solid Waste in accordance with the provision 4.3 of SWM Rules 2016.
35	There are various statutory and non statutory clearances required by all Municipal Solid Waste Management Processing, Treatment and Disposal Facilities. Details of these clearances may please be furnished.
36	Whether any Draft Project Report was prepared by NDMC before awarding the contract for collection and transportation of Municipal Solid Waste.
37	What are policy/guidelines adopted for collection and disposal of Hazardous waste by the NDMC?
38	File relating to appointment of Independent consultant along with the NIT, RIP, Technical 8 Financial bid & letter of award and its agreement.
39	Copy of provisional COD for collection & transportation mentioned in the letter of Independent consultant may be provided with giving details of the provision of provisional COD in concession agreement.
40	Certificate of readiness for infrastructures for all the circles may be provided.
41	As per minutes of meeting held on 3rd December 2014 the concessionaire was to take over the charge of circle 6 & 8 completely w.e.f. 4th December 2014, whereas in the letter of Independent Consultant stated above the provisional COD was provided for 6, 8, 11 & 1 was on 30th December 2014. The reason for such contradiction along with actual COD may be provided.
42	As per the minutes of meeting held on 3rd December 2014 there was variance in pre- bid/operation plan and submission of concessionaire without approval of Competent Authority of NDMC. The approval of competent authority for such variation may be submitted to audit.
43	The copy of letter No.D/276/PA/MOH/18 dated 25th October 2018 issued by MOH does not contain the full content of the letter. The copy of above said letter having the complete content may please be submitted.
44	The copy of complete content of minutes of meeting dated 26th July 2017 may please be submitted.
45	Minutes of meeting held on 05.05.2018 issued vide letter No.D-44/CMO(HQ)/2018 dated 7th May 2018 referred in the letter of Concessionaire letter No.MWH/NDMC/WS/259 dated 10th May 2018 has also not been provided along with the copy of said letters. The same may also be provided.
46	The independent consultant has issued only one notice to remedy of shortcoming found in four monthly inspections, which is not as per requirement to impose & collect the penalty as per provision of Schedule 'D' of O & M requirement. Reason for not mentioning the percentage by Independent Consultant may be provided to audit.
47	The BG for performance security submitted by the concessionaire be provided to audit for examination.

48	Copy of Administrative Approval of the project
49	Fund released to Department for this purpose
50	Whether the NDMC had carried out any feasibility/pilot study of the project before NIT?
51	Comparative statement of technical and financial bid
52	Copy of evaluation committee report of the approval of project
53	Copy of letter of Award to the concessionaire (page-61 of agreement
54	Whether the concessionaire had conducted any feasibility/pilot study of the project before commencement of work? (para2.1)
55	Details of execution of work of concessionaire/Department
56	Details of procurement of material by concessionaire/Department i.e. bins, auto tippers, trolley etc.
57	Details of the garbage station and construction work
58	Details of treatment facility and landfill facility.
59	Date of appointment of independent consultant (para 4.1.)
60	Details of payment made to independent consultant from date of appointment to till date.
61	Procedure for appointment of independent consultant and fixation of fee to the consultant.
62	Details of performance security taken any from concessionaire during the execution period (month-wise).
63	Whether the Department provided any financial support to concessionaire to implement the project? (para 5.2)
64	The details of operation plan submitted to NDMC and independent consultant by the concessionaire after signing of agreement (para 5.3(a))
65	Whether the consultant/NDMC reviewed the operation plan submitted by concessionaire? (para 5.3 (b)
66	Whether project facilities provided by the concessionaire were in accordance with design and construction of requirement?
67	Month-wise details of transportation of MSW and vehicle running during the operation of work (schedule 'B').
68	Details of payment made against consumption of water and electric charges by the concessionaire to NDMC (para 5.4 (viii)
69	Circle-wise readiness certificate issued by the NDMC / independent consultant. (para 5.4(b)
70	Whether the commercial operation date of the project was delayed, if yes, the details of penalty imposed by NDMC may please be provided? (schedule 'B')
71	Whether the concessionaire placed garbage trolleys, street corner bins in its area of operation as per need and directions of the NDMC? (Schedule 'B')
72	Details of area specified and street corner bins placed as requirement. (Schedule 'B')
73	Month-wise deployment auto-tippers for operation from inception of the project.
74	Number of transfer station constructed with date (Schedule 'B')
75	Number of vehicle deployed with their registration certificate
76	List of documents with regard to tool, equipment and vehicle with their registration number provided to NDMC by concessionaire.

77	Number of man power deployed with dress code by concessionaire during the operation period.
78	Whether independent consultant verified the MSW collected from the street corner bins, garbage station and landscape waste are not mixed at any stage of collection or transportation?
79	Whether any payment was made against insurance of vehicle engaged in MSW by NDMC, if yes, details may please be furnished?
80	Quarterly/Annual reports of biodegradable MSW, non biodegradable MSW and land scape waste deposited at landfill facility and treatment facility duly countersigned by independent Consultant. (Schedule 'D' – para 5.9)
81	Register maintained at landfill point for weighment of MSW along with verification slips.
82	Complaint registers addressing complaints from person in the area of operation to the satisfaction of the Independent Consultant/NDMC.
83	Whether the Concessionaire was provided transfer station and setting up of a workshop for garbage vehicles and parking thereof within ten days of signing of agreement, if not, please provide the details thereof? (Para 6.2)
84	Month-wise details of the payment made to the Concessionaire along with the supporting documents. (Para 7.1 (b))
85	Whether any delay was made on the part of NDMC for making the payment on account of tipping fee to the Concessionaire?
86	Details of service tax/VAT reimbursed to the Concessionaire along with the voucher of making payment.
87	Whether any dispute occurred between NDMC and Concessionaire?
88	38 Auto Tipper deployed by concessionaire for door to door collection of MSW mentioned in Point 2.1 under Heading Current Scenario of Waste management in NDMC Area.
89	Total 1899 bins placed by concessionaire. It may please also intimated as to whether these bins are in addition to 1724 bens provided/placed by NDMC at different locations.
90	58 No of high capacity of bins and 1843 bins of capacity 1.1 M3
91	18 compactors deployed for operations.
92	02 hook loaders being used for waste shifting from Transfer station to Okhla plant.
93	Circle wise detailed information along with photographs of Bins overflowing with waste
94	Circle wise detailed information along with photographs of Bins with waste spread abound.
95	Circle wise detailed information along with photographs of Bins requiring paining
96	Circle wise detailed information along with photographs of damaged bins.
97	Circle wise detailed records establishing the repair of the bins.
98	Complaints register.
99	Log books of vehicles duly verified by IC for the stated distance covered in kilo meters.

Annexure-III Chapter-4, Para-4.4.5

s. N.	Date	Manual No of slip	Computerised slip No.	Vehicle No.	Tare Weight of Same vehicle	Difference of tare weight of Compactors (MaxMin)	Ward No.
1	25.12.14	197	1412012079	DL-1GC-3076	14280	0	8
2	29.12.14	241	1412013816	DL-1GC-3076	14210	70	8
3	26.12.14	209	1412012480	DL-1GC-3076	14190	90	8
4	27.12.14	218	1412013013	DL-1GC-3076	14160	120	8
5	30.12.14	252	1412014234	DL-1GC-3076	14145	135	8
6	30.12.14	257	1412014496	DL-1GC-3076	14115	165	8
7	28.12.14	229	1412013500	DL-1GC-3076	14095	185	8
8	28.12.14	232	1412013612	DL-1GC-3076	14020	260	8
9	31.12.14	263	1412014706	DL-1GC-3076	14010	270	8
10	23.12.14	177	1412011405	DL-1GC-3076	14000	280	8
11	24.12.14	190	1412011881	DL-1GC-3076	14000	280	8
12	24.12.14	182	1412011537	DL-1GC-3076	13995	285	8
13	30.12.14	260	1412014599	DL-1GC-3076	13995	285	8
14	26.12.14	213	1412012774	DL-1GC-3076	13965	315	8
15	29.12.14	247	1412014095	DL-1GC-3076	13965	315	8
16	31.12.14	270	1412015104	DL-1GC-3076	13955	325	8
17	28.12.14	236	1412013682	DL-1GC-3076	13935	345	8
18	29.12.14	243	1412013947	DL-1GC-3076	13935	345	8
19	25.12.14	202	1412012268	DL-1GC-3076	13925	355	8
20	24.12.14	186	1412011751	DL-1GC-3076	13905	375	8
21	27.12.14	225	1412013323	DL-1GC-3076	13880	400	8
22	26.12.14	211	1412012649	DL-1GC-3076	13855	425	8
23	27.12.14	221	1412013205	DL-1GC-3076	13850	430	8
24	23.12.14	173	1412011279	DL-1GC-3076	13810	470	8
25	25.12.14	199	1412012191	DL-1GC-3076	13530	750	8
26	31.12.14	267	1412014960	DL-1GC-3076	13450	830	8
27	25.12.14	196	1412012065	DL-1GC-3077	15090	0	6
28	23.12.14	180	1412011414	DL-1GC-3077	15075	15	6

Statement indicating the difference of weight for the month of December -2014 (Empty Vehicle)

s. n.	Date	Manual No of slip	Computerised slip No.	Vehicle No.	Tare Weight of Same vehicle	Difference of tare weight of Compactors (MaxMin)	Ward No.
29	29.12.14	242	1412013833	DL-1GC-3077	15060	30	6
30	26.12.14	208	1412012446	DL-1GC-3077	15040	50	6
31	30.12.14	253	1412014296	DL-1GC-3077	15010	80	6
32	24.12.14	183	1412011540	DL-1GC-3077	14995	95	6
33	28.12.14	230	1412013525	DL-1GC-3077	14945	145	6
34	31.12.14	266	1412014822	DL-1GC-3077	14915	175	6
35	28.12.14	238	1412013704	DL-1GC-3077	14890	200	6
36	25.12.14	198	1412012166	DL-1GC-3077	14885	205	8
37	25.12.14	204	1412012305	DL-1GC-3077	14880	210	6
38	24.12.14	193	1412011915	DL-1GC-3077	14865	225	6
39	28.12.14	234	1412013631	DL-1GC-3077	14860	230	6
40	24.12.14	189	1412011834	DL-1GC-3077	14815	275	6
41	30.12.14	256	1412014458	DL-1GC-3077	14810	280	3
42	29.12.14	248	1412014096	DL-1GC-3077	14750	340	6
43	27.12.14	216	1412012906	DL-1GC-3077	14735	355	6
44	27.12.14	220	1412013090	DL-1GC-3077	14720	370	6
45	29.12.14	245	1412014014	DL-1GC-3077	14690	400	6
46	31.12.14	269	1412015045	DL-1GC-3077	14650	440	6
47	27.12.14	224	1412013294	DL-1GC-3077	14640	450	6
48	30.12.14	259	1412014596	DL-1GC-3077	14590	500	6
49	23.12.14	176	1412011307	DL-1GC-3077	14575	515	6
50	31.12.14	271	1412015122	DL-1GC-3077	14480	610	6
51	30.12.14	258	1412014539	DL-1GC-3447	14270	0	11
52	26.12.14	210	1412012619	DL-1GC-3447	13850	420	12
53	27.12.14	222	1412013211	DL-1GC-3447	13840	430	11
54	28.12.14	228	1412013441	DL-1GC-3447	13825	445	11
55	26.12.14	206	1412012398	DL-1GC-3447	13820	450	11
56	24.12.14	181	1412011525	DL-1GC-3447	13805	465	11
57	23.12.14	179	1412011408	DL-1GC-3447	13780	490	11
58	24.12.14	185	1412011607	DL-1GC-3447	13780	490	11

s. n.	Date	Manual No of slip	Computerised slip No.	Vehicle No.	Tare Weight of Same vehicle	Difference of tare weight of Compactors (MaxMin)	Ward No.
59	30.12.14	251	1412014189	DL-1GC-3447	13750	520	11
60	24.12.14	191	1412011888	DL-1GC-3447	13740	530	11
61	27.12.14	217	1412012923	DL-1GC-3447	13740	530	11
62	30.12.14	261	1412014627	DL-1GC-3447	13740	530	11
63	30.12.14	254	1412014302	DL-1GC-3447	13735	535	11
64	25.12.14	200	1412012204	DL-1GC-3447	13725	545	11
65	27.12.14	226	1412013327	DL-1GC-3447	13690	580	11
66	26.12.14	214	1412012783	DL-1GC-3447	13685	585	11
67	31.12.14	264	1412014764	DL-1GC-3447	13685	585	11
68	29.12.14	239	1412013787	DL-1GC-3447	13680	590	11
69	25.12.14	195	1412012025	DL-1GC-3447	13670	600	11
70	25.12.14	203	1412012302	DL-1GC-3447	13645	625	11
71	28.12.14	233	1412013616	DL-1GC-3447	13615	655	11
72	28.12.14	237	1412013689	DL-1GC-3447	13570	700	11
73	23.12.14	174	1412011292	DL-1GC-3447	13560	710	11
74	29.12.14	249	1412014110	DL-1GC-3447	13560	710	11
75	24.12.14	187	1412011785	DL-1GC-3447	13535	735	11
76	29.12.14	244	1412013989	DL-1GC-3447	13530	740	11
77	29.12.14	240	1412013815	DL-1GC-3448	15450	0	1
78	28.12.14	231	1412013528	DL-1GC-3448	15270	180	1
79	31.12.14	262	1412014676	DL-1GC-3448	15080	370	1
80	30.12.14	255	1412014321	DL-1GC-3448	15035	415	1
81	29.12.14	250	1412014146	DL-1GC-3448	15020	430	1
82	31.12.14	265	1412014771	DL-1GC-3448	14950	500	1
83	27.12.14	219	1412013015	DL-1GC-3448	14920	530	1
84	25.12.14	194	1412012017	DL-1GC-3448	14840	610	1
85	24.12.14	184	1412011561	DL-1GC-3448	14820	630	1
86	25.12.14	201	1412012215	DL-1GC-3448	14780	670	1

s. N.	Date	Manual No of slip	Computerised slip No.	Vehicle No.	Tare Weight of Same vehicle	Difference of tare weight of Compactors (MaxMin)	Ward No.
87	26.12.14	207	1412012424	DL-1GC-3448	14750	700	1
88	26.12.14	215	1412012803	DL-1GC-3448	14740	710	1
89	25.12.14	205	1412012307	DL-1GC-3448	14710	740	1
90	27.12.14	227	1412013348	DL-1GC-3448	14705	745	1
91	23.12.14	178	1412011406	DL-1GC-3448	14685	765	1
92	27.12.14	223	1412013224	DL-1GC-3448	14685	765	1
93	23.12.14	175	1412011304	DL-1GC-3448	14630	820	1
94	28.12.14	235	1412013670	DL-1GC-3448	14605	845	1
95	24.12.14	192	1412011894	DL-1GC-3448	14600	850	1
96	29.12.14	246	1412014054	DL-1GC-3448	14580	870	1
97	24.12.14	188	1412011800	DL-1GC-3448	14545	905	1
98	26.12.14	212	1412012677	DL-1GC-3448	14515	935	1
99	31.12.14	268	1412015018	DL-1GC-3448	14510	940	1
100	31.12.14	272	1412015123	DL-1GC-3448	14490	960	1
						44380	

Option-1	Option-2	Option-3	
Financial cost : ₹1506-1936 per MT Average rate= ₹1725 per MT C&D per day – 90 MT Period – 5 years	 (I) Financial Cost = ₹310-398 per MT Average rate = ₹354 per MT C&D per day - 90 MT Period - 5 years Maximum average cost from source to designated bins = ₹499 per MT* Total expected expenditure of contract = ₹354 per MT (average cost lifting from 8in to Dump) + ₹499 per MT (Maximum average cost from source to 8in) x 90 (MT) x 365 (days) x 5 (years) = ₹140105250 + ₹3.51 Crore (procurement of C&D waste bins and hook loaders) = ₹17.52 crore 	Financial Cost = ₹399-599 per MT Average rate from source to dump = ₹499 per MT C&D per day – 60 MT Period –1 year (on trial basis)	
Total expected expenditure of contract = ₹1725 (per MT) x 90 (MT) x 365 (days) x 5 (years) ₹283331250 say ₹28.33 crore	 (ii) Financial cost - ₹763-981 per MT Average cost - ₹872 per MT C&D per day - 90 MT Period - 5 years Maximum average cost from source to designated bins = ₹499 per MT* Total expected expenditure of contract = Average cost lifting from Bin to Dump ₹872 per MT + ₹499 per MT (Maximum average cost from source to Bin) x 90 MT per day x 365 (days) x 5 (year) = ₹225186750 = say ₹22.51 crore 	Total expected expenditure of contract for 01 year on trial basis : ₹499 (per MT) x 60 (MT per day) x 365 (days) = ₹10928100 + ₹1.60 crore (procurement of hook loader and waste bins) = ₹2.69 crore	
Cost for one year (90 MT per day) : ₹5.66 crore; hence, per MT per day = ₹1725	Cost for one year (90 MT per day) as per Option 2 (I) : ₹3.50 crore; hence, per MT per day = ₹1066.69 Cost for one year (90 MT per day) as per Option 2 (ii) : ₹4.50 crore; hence, per MT per day = ₹1371	Cost for one year (60 MT per day) : ₹2.69 crore; hence, per MT per day = ₹1229.59	

Comparative Cost analysis of the options given by the Civil Department (NDMC)

* Maximum average cost of lifting of C&D waste to designated point by NDMC has been taken from the option 3 whereby it is the average cost of picking of C&D waste from source to dump at Rs. 499 per MT, whereas in option 2 the cost to NDMC is only for upliftment from source to bin which will be lower than the cost from source to dump.

Annexure-V (Chapter-5, Para-5.2.6)

SI. No.	Date	Vehicle No.	Weight as per weighment slip (Kg.)	Difference (Kg.)
1	17.01.2017	DL1GC7023	12810	1830
2	04.05.2017	7023	13490	2510
3	17.05.2017	7023	12480	1500
4	27.06.2017	7023	13640	2660
5	29.06.2017	7023	16260(Max.)	5280
6	01.07.2017	7023	14660	3680
7	26.07.2017	7023	14990	4010
8	27.07.2017	7023	15450	4470
9	04.08.2017	7023	10980(Min.)	0
10	18.04.2018	7023	13010	2030
11	17.09.2018	7023	12890	1910
12	05.05.2017	6947	13560	2240
13	07.05.2017	6947	13660	2340
14	11.05.2017	6947	13220	1900
15	03.06.2017	6947	13000	1680
16	02.07.2017	6947	12170	850
17	03.07.2017	6947	14360	3040
18	17.07.2017	6947	14450	3130
19	29.07.2017	6947	15500	4180
20	29.07.2017	6947	15700	4380
21	05.08.2017	6947	12030	710
22	06.08.2017	6947	11320	0
23	12.08.2017	6947	15890	4570
24	20.08.2017	6947	17490	6170
25	03.08.2018	6947	13860	2540
26	04.10.2018	6947	12970	1650

Statement indicating the Difference of weight (Empty Vehicle)

Note :- Minimum weight in above table was considered for calculation of difference in weight.

Annexure –VI (Chapter-6, Para 6.1)

Wanting records/information

S.No.	Name of record/information			
1	Register to watch the disposal of complaints in respect of unauthorized construction			
2	Record/list of unauthorized building identified and actually demolished during the year 2017-18			
3	Number of applications received for approval of Building plans, completion certificates and addition/alterations.			
4	Number of sanctions released for building plans, completion certificates along with relevant files.			
5	Record relating to revenue collected on account of sanction of building plan fees, inspection charges, conversion charges and compound charges etc.			
6	A consolidated record of sealing/de-sealing of the premises (residential/commercial) for the audit period and penalties imposed on the properties if any.			
7	Building plan register, Security Deposit Register, Stock register, Bank Guarantee Register, Misc. Advance register, Stock register and challan file/register.			
8	Detailed year-wise information pertaining to the erection charges of temporary hangers.			
9	Policy files of mobile towers in NDMC area.			
10	Statement of number of mobile towers installed during the period of audit and file(s) thereto.			
11	Record relating to estimate/monitoring committee.			
12	No. of cases where building/part thereof was being used for human habitation without permission.			
13	Records relating to field survey's carried out by the Architect Department as per the provisions of MPD-2021 notified on 7th February 2007.			
14	No of owner/allottee/resident of the plot / dwelling unit who declare such mixed-use by filing up a form in this respect and depositing it with the local body concerned any pay one-time registration charges at rates to be notified with the approval of the Centra Government as per provision of MPD-2021.			
15	Details of Payment made by the property owners/allottees voluntarily before 30th June of every year in respect of the previous assessment year (April-March as per clause 15.9 of MPD-2021.			
16	No. of allottees/owners who has obtained sanction of revised building plans and has paid necessary fees/charges.			
17	No. of test checks conducted and no. of properties found under mixed use, whether registered or not.			

18	The no. of owners/allottees/residents of the plot/dwelling unit who has not declared such mixed-use as per provision of MPD-2021 and not deposited the charges as required.
19	No. of properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the terms of this notification and paid to the local body, a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use.
20	No. of Building Plan sanctioned/ released during 2015-16 to 2017-18.
21	No. of cases wherein notices were received for issuing Completion Certificates during 2015-16 to 2017-18
22	No. of CCs/CPs issued during 2015-16 to 2017-18
23	No. of cases where unauthorized occupation/ use was found without issuing CC/ CP during 2015-16 to 2017-18
24	No. of Sanctions of Building Plans received by the STC during 2015-16 to 2017-18
25	No. of construction activities started/noticed by STC during 2015-16 to 2017-18
26	No. of cases in which violations noticed during 2015-16 to 2017-18
27	No. of cases in which necessary action against violation of laws was taken during 2015-16 to 2017-18
28	No. of cases in which action was not taken during 2015-16 to 2017-18.
29	Register/list/information for Cess received.
30	Register for receipt of stacking charges received.
31	Register for cases received for evalidation of building plan and Revalidation fees paid by the applicants.
32	Register for sale of Building application forms.
33	Register/list/information notice for commencement of construction work of sanctioned building plan.
34	Information/register where construction work started without submitting the notice for commencement of construction work.
35	Register/information/list where notice for completion of construction upto plinth leve received and inspection fees deposited.
36	Register/list/information of occupancy of building without issue of CC & CP after completion of construction as per sanctioned plan and action taken there for.
37	Budget file for the year 2013-14 to 2017-18
38	Annual Action Plan Strategic plan and its achievement for the last five years.
39	Survey files
40	Inspection files
41	Status of court cases pending as of 31 March 2018
42	Council resolutions files
43	Challans Registers/files

44	Stock Registers
45	Policy and proposal files
46	Sanctioned strength and men in position under the Architect Department
47	Building Plan Approval management System (BPAMS) under Architect Department-
	When was the BPAMS operationalised?
	Brief description of the BPAMS and budget & expenditure incurred there against.
	Whether any periodical payment is being made to any agency, if yes terms and conditions may please be furnished
	Policy files in respect of the BPAMS, where the proposal was initiated and approved by the competent authority.
	Project management report of applications.
	Copy of system manual, user manual and operation manual of BPAMS.
	Performance analysis reports.
	Input output documents.
	User feedback about the system.
48	18 files in respect of building plans / CC & CP and Add/Alt. (List enclosed)
49	18 files in respect of STC (South). (List enclosed)
50	18 files in respect of Design Cell. (List enclosed)
51	18 files in respect of STC (North) (List enclosed)
52	12 files in respect of Misuse of property in NDMC Area (List enclosed)
53	Year-wise, month-wise and date-wise details/data of applications for Building Plan revalidation of plan & completion certificate received initially, approved/rejected/issued and pending with NDMC, during last three year from 2015-16 to 2017-18.
54	Year-wise and month-wise details/data of cases where the construction/prescribed time were completed and applicant did not apply for completion certificate/completion plan.
55	Year wise, month-wise details/data of cases of misuse reported, penalty imposed disposed off and still pending for compliance during 2015-16 to 2017-18.
56	Month-wise details/data of misuse detected in the test check/periodical check by the Architect Department on its own initiatives.
57	Year-wise, month-wise details/data of the properties where the progress of construction were monitored during 2015-16 to 2017-18 by the special Technical Cell.
58	Year-wise, month-wise details/data of the properties where the applicant submittee notice for commencement of work to NDMC.
59	Year-wise, month-wise details/data of the properties where the violation/discrepancy, deviation observed during construction in respect of approved building plan
60	Year-wise, month-wise details/data of the properties where the notice were issued after detection of deviation from the approved building plan.

61	Copy of Manual of Architect Department				
62	Details of the records/files which are required to be maintained by sections of Architect Department.				
63	Duties and responsibilities assigned under Hierarchy of Architect Department.				
64	Copy of the policy, orders, circulars, directives & files with regard to the functioning of Architect Department irrespective of General business allocation as mentioned on the NDMC website.				
65	Month-wise Details/data of the receipt of revenue during the last three years.				
66	Inspection of Properties-				
	Whether any periodicity of inspections of properties was decided, if yes, the copy of procedure/guidelines may please be furnished.				
	Years wise details/data of inspection of properties carried out from the 2015-16 to 2017-18.				
	Month-wise details/data of properties where the violation discrepancy observed during inspection, settled and still pending with Architect Department.				
67	Survey carried out-				
	Whether any periodicity of inspections of properties was decided, if yes, the copy of procedure/guidelines may please be furnished.				
	Years wise details/data of inspection of properties carried out from the 2015-16 to 2017- 18.				
	Month-wise details/data of properties where the violation discrepancy observed during inspection, settled and still pending with Architect Department.				
68	Complaint received-				
	Mechanism evolved for the treatment of complaint cases in Architect Department.				
	Month wise details/data of the complaint received, complaint settled and still pending during the last three year from 2015-16 to 2017-18.				

